यह साम्राज्यवाद और सर्वहारा इंकलाब का युग है। लेकिन सोवियत संघ के पतन के साथ, दुनिया के इंकलाबी आंदोलन के पीछे हटने का दौर शुरू हो गया था। हालांकि समाज को पीछे खींचने वाली ताकतें अभी भी हावी हैं, परंतु मजदूर वर्ग और दबे–कुचले लोगों व राष्ट्रों के संघर्ष और तेज होते जा रहे हैं। इंकलाब की लहर जल्द ही भाटे से ज्वार में बदलने वाली है।

इन हालतों में, हिन्दोस्तान में कम्युनिस्ट आंदोलन के सामने यह चुनौती है कि मजदूर वर्ग को एक ऐसी एकजुट ताकत बतौर उभरने में सक्षम बनाया जाये, जो किसानों व सभी दबे–कुचले तबकों के साथ राजनीतिक मोर्चा बनायेगी। ऐसा संयुक्त मोर्चा संगठित करना जरूरी है ताकि मुट्ठीभर शोषकों के हाथों से सत्ता छीनी जा सके और स्वेच्छा पर आधारित मजदूरों और किसानों के गणराज्यों का संघ स्थापित किया जा सके।

इस चुनौती को न स्वीकार करने से जनता का दुख–दर्द व अत्याचार और बड़ेगा और जंग व फाशीवाद का खतरा और बढ़ेगा।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी इस कठिन चुनौती को स्वीकार करती है।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के तीसरे महाअधिवेशन के दस्तावेज़

मजदूरों और किसानों की हुकूमत व स्वेच्छा पर आधारित एक हिन्दोस्तानी संघ की ओर

वितरक:
लोक आवाज पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स
ई-392, संजय कालोनी, ओखला फेज-2

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी

सभी देशों के मजदूरों, एक हो!

मजदूरों और किसानों की हुकूमत और स्वेच्छा पर आधारित हिन्दोस्तानी संघ की ओर

तीसरे महाअधिवेशन के दस्तावेज़

27–30 जनवरी, 2005

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी
नई दिल्ली, अप्रैल 2005

प्रथम प्रकाशन अप्रैल 2005

इस प्रकाशन के किसी भी अंश का, प्रकाशक की अनुमति से तथा स्रोत को मान्यता देकर, अनुवाद या पुनः प्रकाशन किया जा सकता है।

मूल्यः 30 रू.

प्रकाशक :

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी
ई–392 संजय कालोनी, ओखला फेज़–2
नई दिल्ली – 110020

वितरक :

लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
ई– 392 संजय कालोनी, ओखला फेज़–2
नई दिल्ली – 110020

प्रकाशक की टिप्पणी

मजदूरों और किसानों की हुकूमत और स्वेच्छा पर आधारित हिन्दोस्तानी संघ की ओर शीर्षक से यह ग्रंथ हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के तीसरे महाअधिवेशन के फैसले के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें शामिल हैं–*तीसरे महाअधिवेशन की कार्यवाहियों का सारांश* और *हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह द्वारा पेश की गई केन्द्रीय समिति की रिपोर्ट*, जिस पर जनवरी 2005 में हुये पार्टी के तीसरे महाअधिवेशन में चर्चा हुई थी तथा उसे अपनाया गया था।

इस प्रकाशन में दो संक्षिप्त विवरण भी शामिल हैं, जिनके शीर्षक हैं *हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का परिचय* और *हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की उत्पत्ति।* इसके अलावा, इसमें *हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का संविधान* भी शामिल है। इन सभी को तीसरे महाअधिवेशन में अपनाया गया था।

महाअधिवेशन में भाग लेने वाली भ्रात्रीय पार्टियों के *अभिवादन संदेश* तथा तीसरे महाअधिवेशन में पारित किये गये *प्रस्ताव* भी इस प्रकाशन में शामिल हैं।

विषय सूची

तीसरे महाअधिवेशन की कार्यवाहियों का सारांश 7

तीसरे महाअधिवेशन को महासचिव द्वारा पेश की गई रिपोर्ट

वर्ग संघर्ष को अगुवाई देते हुये, साथ-साथ पार्टी का निर्माण 13

पार्टी को मजबूत करना

समाज–विरोधी हमले के खिलाफ़ संघर्ष में

आम जनता को सक्षम बनाने के लिये संगठनों का निर्माण

कम्युनिस्ट एकता की पुनर्स्थापना के लिये कार्य

मजदूरों और किसानों की हुकूमत और स्वेच्छा पर आधारित हिन्दोस्तानी संघ की ओर **73**

परिचय

अंतर्राष्ट्रीय हालात

हिन्दोस्तानी समाज का संकट

हिन्दोस्तान के कम्युनिस्टों के सामने चुनौती

काम की योजना 135

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का परिचय 151

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की उत्पत्ति 159

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का संविधान 163

संदेश 199

पारित किये गये प्रस्ताव 211

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के तीसरे महाअधिवेशन की कार्यवाहियों का सारांश

27–30 जनवरी, 2005

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट गदर पार्टी का तीसरा महाअधिवेशन जनवरी 2005 के अंतिम हफ्ते में हुआ था। केन्द्रीय समिति की ओर से रिपोर्ट के मसौदे को महासचिव कामरेड लाल सिंह ने पेश किया। रिपोर्ट के मसौदे पर, जिसका शीर्षक है *मजदूरों और किसानों की हुकूमत और स्वेच्छा पर आधारित हिन्दोस्तानी संघ की ओर,* तथा पार्टी के संविधान पर इस महाअधिवेशन में चर्चा हुई तथा इन्हें अपनाया गया।

उद्घाटन

कार्यवाहियों की शुरुआत एक बहु–माध्यमिक प्रस्तुति से हुई, जिसके साथ–साथ *कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी ने ललकार लगाई है* गीत पूरे जोश के साथ गाया गया। मंच को लाल कपड़े और कार्नेशन फूलों से सजाया गया था और दोनों तरफ पार्टी के दो झंडे लगे हुये थे। पृष्टपट पर एक बैनर लगा हुआ था, जिस पर तीसरे महाअधिवेशन का नारा लिखा हुआ था – *मजदूरों और किसानों की हुकूमत और स्वेच्छा पर आधारित हिन्दोस्तानी संघ की ओर कदम बढ़ायें*।

हमारी वरिष्ठ साथी, कामरेड जया ने महाअधिवेशन की शुरुआत की घोषणा की। उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया गया। उसके बाद, पुरानी

केन्द्रीय समिति को समाप्त किया गया और महाअधिवेशन की कार्यवाहियों के संचालन के लिये एक पांच सदस्यों का अध्यक्ष मंडल चुना गया। जैसे ही अध्यक्ष मंडल ने मंच पर अपना स्थान ग्रहण किया, वैसे ही सभी प्रतिनिधियों ने खड़े होकर तालियों के साथ उनका स्वागत किया। कामरेड लाल सिंह को अध्यक्ष चुना गया।

कामरेड लाल सिंह ने देश के विभिन्न इलाकों से आये प्रतिनिधियों और भ्रात्रीय पार्टियों – कनाडा की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) और ब्रिटेन की क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) – के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

भागीदारी

हिन्दोस्तान के अलग–अलग इलाकों और विभिन्न महाद्वीपों से आये हुए प्रतिनिधियों व प्रेक्षकों ने महाअधिवेशन की कार्यवाहियों में भाग लिया।

रिपोर्ट हिन्दी भाषा में प्रस्तुत की गई; साथ ही साथ प्रतिनिधियों की विभिन्न भाषाओं में उसका अनुवाद भी आयोजित किया गया। पूरे महाअधिवेशन के दौरान, यह कोशिश की गयी कि विभिन्न भाषाओं में साथ–साथ अनुवाद करके सभी उपस्थित सहभागियों को पूरी कार्यवाही में शामिल किया जाये। पूरी कार्यवाही ऐसे आयोजित की गयी थी कि रिपोर्ट के हरेक खंड के पढ़े जाने के बाद, प्रतिनिधियों ने छोटे–छोटे दलों में बैठकर उस खंड पर चर्चा की। इन दलों में जवान और बुजुर्ग कामरेडों, अनुभवी व नौजवान कामरेडों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों और बुद्धिजीवियों ने मिल कर चर्चा की। दलों में की गई यह चर्चा जोशीली व भावपूर्ण थी और हर दल में यह चर्चा एक घंटे से ज्यादा देर तक चली। चर्चा के हर दौर के बाद, एक परिपूर्ण सभा बुलाई गयी, जिसमें दलों के प्रतिनिधियों ने चर्चाओं की सारांश रिपोर्टें पेश कीं। फिर रिपोर्ट के अगले खंड को प्रस्तुत किया जाता तथा उस पर चर्चा होती।

इन चर्चाओं के दौरान, देश के अलग–अलग इलाकों के विभिन्न तबकों के लोगों के बीच काम कर रहे इतने सारे कम्युनिस्टों के अनुभव से रिपोर्ट को

और उन्नत व विस्तृत किया गया। हर उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा रिपोर्ट की बातों की पुष्टि से रिपोर्ट और विकसित हुई।

पहले दिन की कार्यवाही के अंत में, महाअधिवेशन के हर प्रतिनिधि को हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में संविधान के मसौदे की एक प्रतिलिपि दी गई, ताकि अगले दिन सुबह की परिपूर्ण सभा में संविधान पर होने वाली चर्चा से पहले सभी उसे पढ़कर उसका समावेश कर सकें। चर्चा के अंत में, चूंकि उसमें कोई अहम तब्दीलियां नहीं थी, इसलिये सहभागियों ने हाथ खड़े करके संविधान का अनुमोदन किया और यह सहमति हुई कि इसमें जरूरी तब्दीलियां की जायेंगी।

महाअधिवेशन का तीसरा दिन सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भावना के साथ शुरु हुआ। अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष ने भ्रात्रीय पार्टियों के प्रतिनिधियों को परिपूर्ण सभा को संबोधित करने के लिये आमंत्रित किया। उसके बाद काम की योजना प्रस्तुत की गयी, जिस पर चर्चा हुई और चर्चाओं का सारांश पेश किया गया।

दोपहर की परिपूर्ण सभा, महाअधिवेशन में हिस्सा ले रहे नौजवान साथियों की जुझारू भावनाओं से गूंज उठी। बंगाली, भोजपुरी, अंग्रेजी, गुजराती, हरियाणवी, हिन्दी, कन्नड, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, तामिल व तेलगु भाषाओं में पचास से भी ज्यादा सहभागियों ने अपनी बातें रखीं; एक के बाद एक प्रतिनिधि ने महाअधिवेशन की रिपोर्ट के साथ अपनी सहमति जतायी और उसे लागू करने तथा मजदूरों और किसानों के राज और स्वेच्छा पर आधारित हिन्दोस्तानी संघ की स्थापना करने के लिये काम करने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की।

प्रस्ताव

प्रस्तावों पर परिपूर्ण सभा बहुत महत्वपूर्ण थी; अध्यक्ष मंडल की ओर से पांच अहम प्रस्ताव रखे गये, जिनमें रिपोर्ट के मसौदे और संविधान पर हुई चर्चाओं के नतीजों की झलक थी। महाअधिवेशन की रिपोर्ट, संविधान और कार्य योजना को अपनाने पर प्रस्ताव रखे गये; इसके अलावा दो और प्रस्ताव प्रस्तुत

किये गये, जिनमें दुनिया भर में संघर्ष कर रहे लोगों और खास तौर पर दक्षिण एशिया के संघर्षरत लोगों को इंकलाबी अभिवादन व समर्थन प्रकट किया गया, जो कि साम्राज्यवाद, फाशीवाद और जंग के खिलाफ़ संघर्ष में हमारी एकता की पुष्टि थी। इन सभी प्रस्तवों को महाअधिवेशन में एकमत से पास किया गया तथा अपनाया गया।

उसके बाद, तीसरे महाअधिवेशन ने पार्टी की नयी केंद्रीय समिति का चुनाव किया। चौथी केंद्रीय समिति की बैठक हुई और पार्टी के मुख्य सचिव तथा प्रवक्ता का चुनाव किया गया।

समापन सत्र

महाअधिवेशन के चौथे व अंतिम दिन पर, पार्टी के एक हजार से अधिक कामरेडों से सभागृह खचा–खच भरा हुआ था। कार्यवाहियों की शुरुआत में यह घोषणा की गई कि कामरेड लाल सिंह पार्टी की केन्द्रीय समिति के मुख्य सचिव चुने गये हैं तथा कामरेड प्रकाश राव पार्टी की केंद्रीय समिति के वक्ता चुने गये हैं। कामरेड लाल सिंह ने हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के साल 2005 के कैलेंडर का विमोचन किया, जिसमें दुनिया के मजदूरों और किसानों के संघर्षों और विजयों के सभी महत्वपूर्ण दिवसों को चिन्हित किया गया है। फिर कामरेड लाल सिंह ने समापन टिप्पणियां प्रस्तुत कीं और *इंटरनैशनल* गीत के साथ महाअधिवेशन की औपचारिक कार्यवाहियां समाप्त हुईं।

इसके बाद, कम्युनिस्ट नौजवानों द्वारा गीतों, वृंद नृत्यों व व्यंग्य नाटक का सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

तीसरे महाअधिवेशन को महासचिव द्वारा पेश की गई रिपोर्ट

वर्ग संघर्ष को अगुवाई देते हुये, साथ–साथ पार्टी का निर्माण

साथियों, हम इस तीसरे महाअधिवेशन में विश्व इंकलाबी आंदोलन के अनुभव और पार्टी के काम की समीक्षा करने के लिये आये हैं। हमें साफ दिखता है कि हालांकि साम्राज्यवाद और सर्वहारा इंकलाब का युग अभी भी जारी है, इंकलाब अभी भी पीछे हटने की दशा में है। प्रतिगामी ताकतें दुनिया पर अभी भी हावी हैं। परन्तु मजदूर वर्ग और दबे–कुचले राष्ट्रों व लोगों के संघर्ष और अधिक तेज हो रहे हैं। इंकलाब की लहर फिर से भाटे से ज्वार में तब्दील होने के मोड़ पर है।

इन हालतों में, कम्युनिस्ट आंदोलन के सामने चुनौती है कि मजदूर वर्ग को एक एकताबद्ध ताकत के रूप में उभर कर आने में सक्षम किया जाये, जो किसानों व सभी दबे–कुचले लोगों के साथ मिल कर एक शक्तिशाली संयुक्त मोर्चा बनाये। इस मोर्चे को संगठित करके इसे अगुवाई देने की चुनौती है, ताकि मुट्ठीभर शोषकों से राजनीतिक सत्ता छीन कर उसे लोगों के हाथों में सौंप दिया जाये। हिन्दोस्तान के सभी राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं व जनजातियों के मजदूरों, किसानों, महिलाओं व नौजवानों को संगठित करना होगा और उन्हें तैयार करना होगा, ताकि वे नये समाज के कार्यक्रम को तय करें।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी में काम कर रहे सब कम्युनिस्टों को इस मुश्किल चुनौती का मुकाबला करना होगा क्योंकि ऐसा करना जरूरी है और मुमकिन भी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो मेहनतकशों को और भी दुख व अत्याचार सहने पड़ेंगे। जंग, फाशीवाद और हिंसा का खतरा और बढ़ेगा एवं समाज पर छाया हुआ सब–तरफा संकट और गहरायेगा।

यह चुनौती उठाना मुमकिन है क्योंकि सभी राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं व जनजातियों के मजदूर, किसान, महिलायें और नौजवान अपने शोषकों व अत्याचारियों के हाथों से राजनीतिक सत्ता छींनने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा करना मुमकिन है क्योंकि कम्युनिस्ट इंकलाबियों का आंदोलन सर्वहारा व सभी पीड़ितों के सम्पूर्ण उद्धार के लिये आम कार्यदिशा विकसित करने और उसकी हिफ़ाज़त करने के काम को आगे बढ़ा रहा है। ऐसा करना मुमकिन है क्योंकि हमारी पार्टी, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के कम्युनिस्टों का यह इतिहास है कि हम समय के अनुसार उठी चुनौतियों का बहादुरी से, अपने बलबूते पर सामना करते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को कबूल करते हैं और अपने वादों को पूरा करके दिखाते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने से दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती है। जो भी ताकत हमारे रास्ते में रुकावट बनने की हिम्मत करेगी, हम उसे पैरों तले कुचलते हुये आगे ही आगे बढ़ते जायेंगे और जायज़ व मानवीय समाज स्थापित करने के हमारे लक्ष्य पर पहुंच कर ही दम लेंगे।

हमें अपने ऊपर भरोसा इसलिये है क्योंकि आज हमारी एक ऐसी पार्टी है जो वर्ग संघर्ष को अगुवाई देने में सक्रिय है; जो एकता और संघर्ष के जरिये इंकलाब के सिद्धांत को विकसित कर रही है और आम कार्यदिशा पर रोशनी डाल रही है। हमारी एक ऐसी पार्टी है जो सभी आन्दोलनकारी ताकतों के साथ सलाह करने के आधार पर सोची–समझी व समयबद्ध योजनायें बनाती है, जो पार्टी के अंदर और बाहर, सभी स्तरों पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को राजनीतिक तौर पर गतिमान करके, अपनी योजनाओं को कामयाब करती है।

हमें अपने ऊपर भरोसा इसलिये है क्योंकि हमने जिस पार्टी को बनाया है, वह सभी स्तरों पर पहलशक्ति के साथ सोचती है और काम करती है। हरेक पार्टी संगठन सूझ–बूझ से अपनी जिम्मेदारी को निभाता है तथा पार्टी की आम कार्यदिशा और कार्यक्रम के अनुसार अपनी योजनायें बनाता है और उन्हें कामयाब करने के लिये काम करता है। पार्टी के अंदर और दूसरे जन संगठनों में, हमारे साथी तय किये गये सामूहिक फैसलों को लागू करने के लिये लड़ते हैं। जो भी सदस्य सामूहिक फैसलों को बार–बार भंग करते हैं या फिर लागू नहीं करते, उनके लिये हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है।

पार्टी के काम में कमजोरियां व गलतियां अवश्य होती हैं, परन्तु अहम बात यह है कि सकारात्मक आलोचना व आत्म–आलोचना के जरिये उन पर काबू पाने का संघर्ष दिन–ब–दिन और मजबूत होता जा रहा है।

साथियों, आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिये पहला काम है अब तक के अनुभवों की योजनाबद्ध तरीके से समीक्षा करना – कम्युनिस्ट आन्दोलन की सभी पार्टियों और धाराओं के अनुभवों के संदर्भ में, हमारे दूसरे महाअधिवेशन के फैसलों को लागू करने के अनुभव की समीक्षा करना। हमने कई कामयाबियां हासिल की हैं। इन कामयाबियों का ठंडे दिमाग से मूल्यांकन करना होगा। हमें अपनी कमजोरियों पर भी ध्यान देना होगा। इस तीसरे महाअधिवेशन में हमें एक योजना बनानी होगी और उसे लागू करने के लिये अडिगता से आगे बढ़ना होगा। तब पूरे विश्वास के साथ हम यह कह सकते हैं कि इस देश के मजदूर–किसान जल्द ही इतिहास के मंच के केंद्र पर अपना स्थान लेंगे। हमारे मजदूर–किसान अवश्य ही हिन्दोस्तान के बड़े सरमायदारों के मजदूर–विरोधी, किसान–विरोधी व राष्ट्र–विरोधी आर्थिक कार्यक्रम को हरायेंगे, फाशीवादी, नस्लवादी, साम्प्रदायिक हमलों और साम्राज्यवादी जंगफरोशी का खात्मा करेंगे और मजदूरों व किसानों की हुकूमत की नींव डालेंगे।

पार्टी को मजबूत करना

साथियो, हमने कामरेड लेनिन और स्टालिन की सिखाई हुई बातों का पालन किया है, कि जब आम कार्यदिशा को स्थापित कर लिया जाता है और कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया जाता है, तब फैसलों को लागू करना ही मुख्य काम होता है। अक्तूबर 1998 में, दूसरे महाअधिवेशन में लिये गये फैसलों का पालन करते हुये, हमने पार्टी के निर्माण के बारे में लिये गये फैसलों को लागू करने पर ध्यान दिया है। ऐसा यह समझकर किया गया कि बाकी सारे फैसलों को लागू करने में कामयाबी के लिये यही निर्णायक शर्त है।

वक्त की इस जरूरत को पूरा करने के लिये, हमने कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका पर फिर से विस्तार किया। इसके लिये हमने हिन्दोस्तान में 20वीं सदी में

राजनीतिक पार्टियों के अनुभवों की समीक्षा की तथा सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) के उत्थान और उसके रूपांतर की भी समीक्षा की। हमने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण का भी ध्यान से अध्ययन किया, जिस पार्टी ने हमारे जैसे विशाल और बड़ी आबादी वाले देश को इंकलाब में अगुवाई दी थी और इसका इंकलाबी आन्दोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा था।

हमने पार्टी आफ लेबर आफ अल्बेनिया (पी.एल.ए.) के निर्माण और पोषण का अध्ययन किया। जब सोवियत पार्टी के क्रुश्चेववादी नेताओं ने अपना विश्वासघाती रास्ता अपनाया था, तब अल्बेनिया के एक छोटा देश होने के बावजूद, पी.एल.ए. ने उनके हुक्म न मानने की हिम्मत की थी। हमने अल्बेनिया में समाजवाद के अंतिम विनाश के सबकों का विश्लेषण और समावेश किया, जब पी.एल.ए. को ही खत्म कर दिया गया।

हमने दुनिया भर में अपनी भ्रात्रीय पार्टियों के अनुभवों से सीखा है और हमेशा सीखते रहते हैं। ये सभी पार्टियां विश्व सर्वहारा इंकलाब के पीछे हटने की हालतों में, इंकलाबी आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिये अपने–अपने देशों में उपयुक्त सही तरीके विकसित करने की कोशिश कर रही हैं।

दूसरे महाअधिवेशन में हमने यह आधुनिक परिभाषा स्थापित की थी कि मजदूर वर्ग की अगुवा पार्टी को मजदूर वर्ग और सभी शोषितों को सत्ता में लाने का साधन होना चाहिये। हमने इस बात की पुष्टि की थी कि मजदूर वर्ग ही वह वर्ग है जो इंकलाब को अगुवायी दे सकता है। अगुवा कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका है, मजदूर वर्ग को इंकलाब के लिये जागरूक करना और आगे बढ़ने का रास्ता दिखलाना। कम्युनिस्ट पार्टी को एक अव्वल ताकत के रूप में बनाना होगा, जो ऐसे तंत्रों का निर्माण करने में मदद देगी, जिनके जरिये मजदूर व किसान अपने हाथों में राज्य सत्ता ले सकेंगे तथा उसे अपने हाथों में ही रखने में कामयाब होंगे। सरमायदारों और उनके राज्य के खिलाफ़ हथियारबंद संघर्ष और संसदीय संघर्ष समेत, सभी प्रकार के संघर्ष करने के लिये मजदूरों व किसानों को लामबंध करना होगा।

हमने यह निष्कर्ष निकाला कि कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर वर्ग की जगह नहीं ले सकती और खुद अपने हाथों में सत्ता लेने का लक्ष्य नहीं बना सकती।

कम्युनिस्ट पार्टी को सरमायदार राज्य और सरमायदारी लोकतंत्र की व्यवस्था में घुलमिल नहीं जाना चाहिये, वर्तमान व्यवस्था में चुनाव जीतने तथा राज्य सत्ता पर टिके रहने वाला कुशल दल जैसा नहीं हो जाना चाहिये। हमने पार्टी की ऐसी अवधारणा की भी आलोचना और खंडन किया है, जिसमें मजदूर वर्ग को किनारे पर कर दिया जाता है, वर्ग संघर्ष के लिये मजदूर वर्ग को संगठित नहीं किया जाता है, बल्कि पार्टी खुद सरमायदार राज्य के खिलाफ़ हथियारबंद संघर्ष आयोजित करती है। हम बड़े निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कम्युनिस्ट पार्टी का लक्ष्य, किसी भी तरीके से खुद अपने हाथों में राज्य सत्ता हासिल करने का लक्ष्य नहीं हो सकता। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि संसदीय तंत्र के सामने घुटने टेंकना और व्यक्तिगत आतंकवाद, दोनों ही मजदूर वर्ग और लोगों को सत्ता में लाने के रास्ते में रुकावटें हैं।

दूसरे महाअधिवेशन के ठीक बाद, हमने यह असूल लागू करने का संघर्ष तेज कर दिया कि पार्टी को मजदूर वर्ग के एक अगुवा दस्ते के रूप में बनाना होगा। मजदूर वर्ग के बीच में पार्टी संगठनों को बनाने का काम सबसे बुनियादी काम है जिसे दूसरे दर्जे पर कभी, किसी भी बहाने नहीं रखा जा सकता। मजदूर वर्ग के साथ पार्टी के 'संबंध बनाने' के विचारों का हमने डट कर खंडन किया। यह विचार पार्टी में उन लोगों द्वारा लाया जाता है जो निम्न सरमायदारी या मध्यम वर्ग के किसी तबके से आते हैं। यह विचार, मजदूर वर्ग को पार्टी की मुख्य ताकत नहीं बल्कि सिर्फ पार्टी की पूंछ बनाता है। हम निरंतर इस तरह के विचारों का मुकाबला करते रहे हैं और डटकर करते रहेंगे।

हमने इस बात का स्पष्टीकरण और दुबारा पुष्टि की कि ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी जो मजदूर वर्ग को इंकलाब के लिये संगठित करने का काम नहीं करती, वह जल्द ही अपना सर्वहारा वर्ग चरित्र खो बैठेगी। ऐसी पार्टी सरमायदार गठबंधन या किसी ढुलमुल गठबंधन को बनाने में लग जायेगी और उसी में खुद भी विलीन हो जायेगी। दिसंबर 1999 में हमने एक सलाहकार गोष्ठी आयोजित की थी, जिसमें दूसरे महाअधिवेशन द्वारा दी गयी कम्युनिस्ट पार्टी की आधुनिक परिभाषा पर चर्चा की गयी थी। उस गोष्ठी में कम्युनिस्ट संगठन के असूलों, मजदूर वर्ग के साथ पार्टी के रिश्ते, दूसरे मित्र वर्गों के साथ पार्टी के रिश्ते, संयुक्त मोर्चा के साथ पार्टी के रिश्ते तथा जनसमुदाय के बीच पार्टी की भूमिका पर चर्चा की गयी।

पार्टी के संगठन

पार्टी कई संगठनों की एक श्रृंखला है, जो ऊपर और नीचे के निकायों की श्रेणीबद्ध व्यवस्था के जरिये, आपस में जुड़े हुये हैं और जिसमें प्रत्येक निकाय को अपने कार्यक्षेत्र में फैसले लेने का पूरा अधिकार है। पिछले 6 वर्षों से हम देश के अलग–अलग इलाकों में मजदूरों और किसानों के बीच पार्टी के संगठनों को बनाने और मजबूत करने के लिये जमकर संघर्ष कर रहे हैं।

हम समझते हैं कि पार्टी के किसी भी योजनाबद्ध और अनवरत काम को करने के लिये पार्टी संगठनों को बनाना जरूरी है, जैसे कि जनता के खास तबकों के बीच जन संगठन बनाना; पार्टी अखबार और दूसरे प्रकाशनों को छापना; आधुनिक तकनीकी आधार स्थापित व मजबूत करना; सैद्धांतिक और विचारधारात्मक काम करना और शोध संस्थानों को स्थापित करना व चलाना।

पिछले 6 सालों में हमने यह सुनिश्चित करने की बहुत कोशिश की है कि काम के हर क्षेत्र में और पार्टी के हर स्तर पर काम कर रहे निकाय गतिमान हों। केंद्र से लेकर हर इलाके के अगुवा निकायों में, और हर इलाके के अगुवा निकायों से लेकर जनता के बीच काम कर रहे बुनियादी संगठनों तक, सभी स्तरों पर और काम के सभी क्षेत्रों में हमने यह सुनिश्चित करने के लिये संघर्ष किया है कि पार्टी संगठन अपनी पहल शक्ति से काम करें। हमने यह सुनिश्चित किया है कि सभी पार्टी संगठन कदम से कदम मिलाकर दूसरे महाअधिवेशन के फैसलों को लागू करें और केन्द्रीय समिति इसे अगुवायी देती रहे।

केन्द्रीय समिति

हमारी पार्टी की केंद्रीय समिति ने पार्टी संगठन के काम करने के सही तरीके की खुद एक मिसाल बनने की कोशिश की है। केन्द्रीय समिति की परिपूर्ण सभायें नियमित रूप से हुई हैं, उनके एजेंडे पूरी तरह तैयार किये गये हैं, एजेंडे के मुद्दे सोच समझकर रखे गये हैं, इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी सदस्य केन्द्रीय समिति की चर्चाओं में और फैसला लेने में पूरी सक्रियता के साथ भाग लें। केन्द्रीय समिति ने अपनी कुछ खास बैठकों और विस्तृत परिपूर्ण सभाओं को भी आयोजित किया है, जिनमें अहम राजनीतिक घटनाओं,

जैसे कि जंग, आम चुनाव, आदि पर चर्चा की गयी है। पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की योजनायें बनाने के लिये (मसलन, कानपुर कम्युनिस्ट कानफरेंस, दिसंबर 2000) और संगठनात्मक एवं राजनीतिक–आर्थिक क्षेत्र में निर्णायक मुद्दों पर पार्टी के रवैये के मसौदों का अध्ययन करने के लिये भी ऐसी सभायें बुलाई गई हैं। पार्टी के सभी सदस्यों को चर्चाओं में और निर्णायक नीतिगत फैसलों को लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिये केंद्रीय समिति ने कई गोष्ठियां और दूसरी बैठकें आयोजित की है। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी में नेतृत्व के मामले में कोई मनमानी नहीं होती है क्योंकि हरेक सदस्य को यह मालूम है कि सिर्फ पार्टी के महाअधिवेशन में, इलाका कानफरेंसों में और पार्टी संगठनों की मीटिंगों में ही फैसले लिये जाते हैं और फैसले बदले जा सकते हैं।

इस दौर में केंद्रीय समिति ने कुछ खास अवसरों पर, पार्टी के जनरल सेक्रटरी द्वारा जारी किये गये खुले पत्रों को प्रकाशित करने का तरीका अपनाया है। इस तरीके का इस्तेमाल करके पूरे कम्युनिस्ट आन्दोलन को, कम्युनिस्ट एकता की पुनर्स्थापना की जरूरत जैसे अहम मुद्दों पर, संबोधित किया गया है। अमरीका–नीत, 'आतंकवाद पर जंग', दक्षिण एशिया में शान्ति, आतंकवाद विरोधी कानून – पोटा का पास किया जाना, ऐसे ज्वलंत सवालों पर सभी सांसदों को संबोधित करने के लिये भी इस तरीके का इस्तेमाल किया गया है।

बीते 6 सालों में पार्टी के काम को अगुवाई देने के दौरान, बुनियादी संगठनों और इलाका समितियों को बनाने और चलाने में देखी गयी कुछ खतरनाक रुझानों के खिलाफ़ संघर्ष में केन्द्रीय समिति ने अगुवाई दी है। केन्द्रीय समिति ने बार–बार पार्टी कायदों पर डटे रहने की जरूरत पर ज़ोर दिया है और जब–जब इन कायदों का उल्लंघन किया गया है, तब–तब केन्द्रीय समिति ने इसका जवाब मांगा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी का विरोध करने वाले तत्व इन कायदों का उल्लंघन करके ही कम्युनिस्ट संगठन और काम का विनाश करते हैं। हमारी पार्टी ने कुछ ऐसी प्रक्रियायें स्थापित की हैं, जिनके जरिये यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न पार्टी संगठन नियमित तौर पर अपने मिनिट्स ऊपर के संगठन को सौंपें तथा मिनिट्स की समीक्षा की जाये, कि इलाका कानफरेंस हर साल आयोजित किये जायें, कि हर स्तर का पार्टी संगठन ऊपर के निकायों को पैसे का हिसाब दें, इत्यादि।

केन्द्रीय समिति ने हरेक इलाके में काम को विकसित करने पर खूब ध्यान दिया है। जहां–जहां पार्टी संगठनों में कमज़ोरियां नज़र आयी हैं, वहां केन्द्रीय समिति ने खास तौर से सक्रियता से, मार्गदर्शन दिया है। जहां–जहां पार्टी की इलाका समितियों और स्थानीय संगठनों ने केन्द्रीय समिति का मार्गदर्शन मांगा है, वहां ऐसा मार्गदर्शन दिया गया है। विभिन्न स्तरों के पार्टी संगठनों के बीच रिश्तों पर पार्टी के सही कायदों का केन्द्रीय समिति ने हमेशा पालन किया है; उसने नीचे के निकायों के, अपने कार्यक्षेत्र में फैसले लेने के, अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया है, न ही उनकी पहल शक्ति को किसी तरह से रोका है। जिन इलाका समितियों ने मानक पार्टी कायदों और तरीकों का पालन नहीं किया और केन्द्रीय समिति के मार्गदर्शन को 'दखलंदाजी' माना, उनके प्रति केन्द्रीय समिति ने उदारवादी रवैया नहीं अपनाया। इसके बजाय, उन इलाकों के कामरेडों के साथ चर्चा करके तथा आलोचना व आत्म–आलोचना के जरिये, केन्द्रीय समिति ने समस्या को हल किया है। असूलों पर आधारित इस काम के तरीके से केन्द्रीय समिति तथा पूरी पार्टी और मजबूत हुई है।

पार्टी के अन्दर खास व्यक्तियों की मूर्तिपूजा करने की आदत, जो हमारे देश में काफी प्रचलित है, उसके खिलाफ़ संघर्ष में भी केन्द्रीय समिति ने अगुवाई दी है। कुछ व्यक्तियों को पहले तो 'भगवान' के रूप में पेश किया जाता है, जो कभी कोई गलती नहीं कर सकते और जो सर्वशक्तिमान हैं, फिर अचानक किसी बहाने पर उन्हीं व्यक्तियों की मूर्तियां गिरा दी जाती है और उनकी कड़ी से कड़ी निंदा की जाती है। मूर्तिपूजा का मतलब है किसी 'नेता' पर अंधाधुंध विश्वास करना और खुद सोच–समझकर काम करने में अपना दिमाग न इस्तेमाल करना। हमारी पार्टी यह मानती है कि लोगों को प्रेरित करने और वर्ग संघर्ष को अगुवाई देने में व्यक्तियों की अहम भूमिका अवश्य होती है; मगर समूह ही पार्टी के काम को जारी रख सकता है और विकसित कर सकता है।

पार्टी के काम के आगे बढ़ने से हमारी एक उपलब्धि यह हुई है कि अब कुछ नये और जवान कामरेड जिम्मेदारियां उठाने और अहम कार्यों को करने के काबिल हो गये हैं। हमारी पार्टी की केन्द्रीय समिति ने गंभीरता से इस पर चर्चा की है। जब–जब कोई वरिष्ठ कामरेड यह बहाना देते हैं कि यह या वह काम सिर्फ तथाकथित 'एक्सपर्ट' या 'अनुभवी' कामरेड ही कर सकते हैं, और

दूसरे कामरेडों को काम सौंपने को तैयार नहीं होते, तो उस रुझान के खिलाफ़ भी केन्द्रीय समिति ने संघर्ष किया है। जवान कामरेडों ने पार्टी द्वारा दिये गये कई अहम कार्यों को उठाया और निभाया है।

धीरज के साथ लगातार चर्चा करके, केन्द्रीय समिति ने सरमायदारी दबावों, जैसे कि अहंकार, घमंड, एक–दूसरे की बात न सुनना, अपनी आलोचना न सह पाना, आपसी होड़, जलन, इत्यादि के खिलाफ़ संघर्ष को अगुवाई दी है। एक गंभीर सरमायदारी दबाव, जिसका केन्द्रीय समिति को सामना करना पड़ा है, वह यह है कि व्यक्तिगत कम्युनिस्ट अपने एवं अपने परिजनों के जीवन स्तर में उन्नति लाने में ज्यादा से ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। हमारी पार्टी ने कामरेडों को बार–बार चेतावनी दी है कि वे इस सरमायदारी दबाव से खासकर चौकन्ने रहें। अगर कोई अपने निजी जीवन स्तर में उन्नति लाने में ही व्यस्त हो जाता है तो ऐसे रास्ते का कोई अंत नही है। इसके बजाय कम्युनिस्टों को पूरी मानव जाति के भौतिक व सांस्कृतिक स्तरों में उन्नति लाने के काम पर डटे रहना चाहिये क्योंकि यही हरेक व्यक्ति की खुशहाली व समृद्धि की शर्त है।

हमारी पार्टी की केन्द्रीय समिति ने बुनियादी संगठनों को बनाने के काम को, अडिग संघर्ष के द्वारा, अगुवाई दी है। केन्द्रीय समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि जहां भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, वहां यह बेहद जरुरी है कि हम पार्टी के बुनियादी संगठन बनायें, ताकि संघर्ष को जारी रखने और विकसित करने में कम्युनिस्टों की अगुवाई हो। केन्द्रीय समिति ने जोर दिया है कि मजदूरों, किसानों और दूसरे शोषितों के बीच हमें पार्टी के लड़ाकू संगठन बनाने चाहियें।

बुनियादी संगठन

बुनियादी संगठन वर्ग संघर्ष के साधन हैं। वे हमारी पार्टी की नींव हैं। हमने इस असूल की हिफ़ाज़त करने के लिये संघर्ष किया है कि बुनियादी संगठनों को सिर्फ गपशप करने का अड्डा नहीं बना देना चाहिये, बल्कि उन्हें सजीव और सक्रिय निकाय होने चाहियें, जिनमें फैसले लिये जाते हैं और उन फैसलों को लागू करने के लिये लगातार संघर्ष किया जाता है।

हमने इस लेनिनवादी असूल का पालन किया है कि बुनियादी संगठनों को कम्युनिज़्म के स्कूल की भूमिका अदा करनी चाहिये। बुनियादी संगठन को नियमित तौर पर पार्टी के अखबार का अध्ययन करना चाहिये, इसके विषय–वस्तु को मजबूत करने में सक्रियता से योगदान देना चाहिये और अखबार को संगठक की तरह इस्तेमाल करना चाहिये। बुनियादी संगठन को अपने काम–काज के लिये तथा हर स्तर पर पार्टी के काम को समर्थन देने के लिये, उन लोगों से पैसा भी इकट्ठा करना चाहिये, जिनके बीच वह काम करता है।

कम्युनिस्ट पार्टी में दाखिल होने के लिये, उसके किसी एक बुनियादी संगठन में काम करना आवश्यक है–इस असूल पर चलकर हमने इंकलाबी वर्गों में से कई जवान और जोशीले नौजवानों को पार्टी में आकर्षित किया है। पार्टी के बुनियादी संगठनों के अनुशासन तले काम करते हुये, ये नये शामिल किये गये सदस्य ऐसे इंकलाबी कम्युनिस्टों के रूप में तैयार किये जा रहे हैं, जो वर्ग संघर्ष को अगुवाई दे सकते हैं। चल रहे जन संघर्षों में सक्रियता से भाग लेकर हमने पार्टी के बुनियादी संगठन बनाने का काम किया है। यह काम हमने यूनियनों में संगठित व असंगठित मजदूरों के बीच, किसानों, देहातों के गरीबों, अध्यापकों, छात्रों और श्रमशील बुद्धिजीवियों, मजदूर वर्ग के नौजवानों, फाशीवाद–विरोधी और राष्ट्र मुक्ति के योद्धाओं के बीच किया है।

महाराष्ट्र के बड़े शहरों व दिल्ली के औद्योगिक मजदूरों के बीच पार्टी के बुनियादी संगठन बनाने की कोशिश पार्टी की स्थापना के समय से लगातार चल रही है। तामिलनाडु और पंजाब में किसानों और बागान मजदूरों के बीच काम करने वाले कम्युनिस्ट जहां–जहां पार्टी के साथ काम करने आगे आये, वहां पार्टी के बुनियादी संगठन बनाये गये। हमने देश के कुछ दूसरे इलाकों, मसलन पूर्वोत्तर राज्यों, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बुनियादी संगठन बनाने के लिये संघर्ष किया है। जनवरी 1998 में जब यह फैसला लिया गया कि पार्टी अखबार को नियमित तौर पर हिंदी भाषा में निकाला जायेगा, तब से राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पार्टी की पहुंच दूर–दूर तक फैली है और इन इलाकों में काम के नये मोर्चे खुल गये हैं।

पिछले 6 सालों में, नौजवानों के जन संगठन को अगुवाई देने, लोगों के दूसरे लड़ाकू संगठनों और मजदूरों व किसानों के संयुक्त मोर्चे को अगुवाई देने के

लिये बुनियादी संगठनों को बनाने में हमारी पार्टी ने कीमती अनुभव पाया है। हालांकि सभी कम्युनिस्ट सिद्धान्त के तौर पर यह मानते हैं कि मजदूर वर्ग और दूसरे शोषित तबकों में पार्टी के बुनियादी संगठन बनाने जरूरी है, पर इसे अमल में लाना एक बहुत बड़ी समस्या है और पार्टी में लगातार इस पर संघर्ष चलता रहता है।

कुछ पार्टी संगठनों के सचिवों में परखे हुये पार्टी कायदों की उपेक्षा और उल्लंघन करने का रुझान पाया गया है, जिसका हमने विरोध किया है। बुनियादी संगठन की नियमित मीटिंग करना, मिनिट्स लेना और मिनिट्स पर संगठन में सहमति प्राप्त करना, ऊपर के निकाय को समय पर रिपोर्ट देना, काम की समस्याओं को गंभीरता से उठाना और नहीं टालना–ये कुछ ऐसे कायदे हैं जिनकी उपेक्षा और उल्लंघन किये जाते हैं। इस रुझान की वजह से बुनियादी संगठनों की नियमित मीटिंग नहीं होती है और समस्यायें ऊपर के निकाय की नज़र में नहीं आती, जहां उन पर चर्चा हो सकती है और बुनियादी संगठन को मदद दी जा सकती है।

इसी रुझान के चलते, कुछ कामरेड वस्तुगत समस्याओं और व्यक्तिगत पार्टी सदस्यों पर दबावों की दलील देकर, बुनियादी संगठन की नियमित तौर पर मीटिंग नहीं आयोजित करते हैं। जिन मजदूरों को काम से निकाल दिया जाता है, फैक्टरी में तालाबंदी या वी.आर.एस. लेकर नौकरी छोड़ने का दबाव होता है, उनके लिये रोजी–रोटी और जीने का सवाल इतना अहम होता है कि पार्टी के बुनियादी संगठन में काम करने में उनके सामने अत्यधिक मुश्किलें आती हैं। अक्सर ये मजदूर लंबी कानूनी लड़ाइयों में भी फंसे रहतें है, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में कानून भी मजदूरों के खिलाफ़ होता है। इसी प्रकार, शहरी नौजवानों के बीच, शिक्षा व्यवस्था और नौकरी के दबाव की वजह से बुनियादी संगठनों की नियमित मीटिंगें करना अक्सर बहुत मुश्किल हो जाती हैं। देहातों और शहरों के गरीबों के लिये, गरीबी और जीवन की हीन हालतों की वजह से, बुनियादी संगठनों की मीटिंगों में नियमित तौर से भाग लेना बहुत कठिन हो जाता है। इन समस्याओं को काम में रोड़ा बनने दिया गया है और बुनियादी संगठनों को खत्म होने दिया गया है।

एक और हानिकारक रुझान जिसके खिलाफ़ हमें संघर्ष करना पड़ा है, वह है काम के स्थानों व रिहायशी इलाकों में कई बुनियादी संगठनों को जोड़कर उन्हें बहुत व्यापक कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारी वाली समितियां बनाना और इस प्रकार पार्टी के बुनियादी संगठनों को खत्म करना। ऐसी समितियां कई हफ्तों में एक बार मिल पाती हैं या इतना भी नहीं मिलती हैं। इसे 'कार्यकुशलता बढ़ाने' का नाम देकर उचित ठहराया जाता है, परन्तु वास्तव में इसके पीछे यह गलत अवधारणा है कि बुनियादी संगठनों की जरूरत नहीं है और उनके बगैर ही कम्युनिस्ट काम आयोजित किया जा सकता है।

हम व्यक्तिगत कार्यशैली को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ़ कठोर संघर्ष करते आये हैं क्योंकि काम के इस तरीके से बुनियादी संगठन के सामूहिक नेतृत्व को नष्ट किया जाता है। विकेंद्रित और असंगठित काम के इस तरीके से अराजकता फैलती है। इससे बुनियादी संगठन की मीटिंग में चर्चा के आधार पर सुसंगत योजना बनाने के तरीके के विपरीत, व्यक्तिगत मन–मर्जी से काम करने का तरीका थोपा जाता है। सोच–समझकर सामूहिक तौर पर योजना बनाने एवं उसे लागू करने पर जोर देकर इस रुझान का विरोध किया गया है।

हमारे सामने एक और समस्या यह है कि कुछ कामरेड, जो पहले कभी उदाहरणात्मक काम कर चुके हैं, बाद में थक जाते हैं। पार्टी में अपने रुतबे और सम्मान का इस्तेमाल करके वे काम को उतने तक ही सीमित रखने की कोशिश करते हैं, जितना उन्हें खुद को पसंद है। पार्टी द्वारा निर्धारित कार्यों को उठाने के बजाय, वे कामरेड अपने व्यक्तिगत हितों के अनुसार काम को आयोजित करने लगते हैं। ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करके, सांझी योजना बनाकर उन्हें हासिल करने के लिये संघर्ष करने के बजाय, ऐसे कामरेड काम के दायरे को कम से कम करते हैं और उसे एक औपचारिक व बेजान रूप देते हैं। नये, जोशीले योद्धाओं को आगे लाने पर ये कामरेड पूरा ध्यान नहीं देते। कई बार, इससे पार्टी के बुनियादी संगठन व उसके काम को खत्म हो जाने दिया गया है, और यह बुनियादी संगठन बनाने के गलत तरीके की मिसाल बन गयी है।

पार्टी ने हमें हमेशा यह सिखाया है कि बुनियादी संगठन की मीटिंगों में काम पर चर्चा करने, कार्य निर्धारित करने और सामूहिक फैसलों को लागू करने में सभी कामरेडों को पूरे जोश के साथ हिस्सा लेना चाहिये। बुनियादी संगठन के

कायदों का गंभीर उल्लंघन करने का एक तरीका यह है कि समूह में तय किये गये कार्यों को सिर्फ इसलिये नहीं किया जाता है क्योंकि कोई कामरेड उसे कम महत्व का काम मानता है। हमने यह समझा है कि बुनियादी संगठनों में सभी कामरेडों की भागीदारी और पूरी चर्चा के जरिये ही पार्टी की हर नयी पहल संभव हो पायी है। किसी बुनियादी संगठन में जब किसी मुद्दे पर चर्चा को दबाने के लिये यह सफाई दी जाती है कि इस पर ऊपर के निकाय में चर्चा हो चुकी है, तो उस रुझान के खिलाफ़ भी हमें संघर्ष करना पड़ा है।

बुनियादी संगठनों को बनाने की हमारी कोशिशों के दौरान, हमने निडर आलोचना व आत्म–आलोचना के लेनिनवादी असूल को लागू करने के लिये संघर्ष किया है। बुनियादी संगठन में आलोचना को दबाने के रुझान के खिलाफ़ भी हमें लड़ना पड़ा है। बुनियादी संगठन में आलोचना को दबाने के लिये यह बहाना दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पार्टी के किसी ऊपर के निकाय (मसलन केन्द्रीय समिति) का सदस्य है तो उस ऊपर के निकाय में ही उसकी आलोचना हो सकती है, बुनियादी संगठन में नहीं। हमारी पार्टी में आलोचना के जरिये, किसी गलत लाइन या गलत काम के तरीके का, संगठन के कायदों के उल्लंघन का या पार्टी संगठन को कमजोर बनाने वाली या पार्टी के काम में बाधा डालने वाली किसी भी गलती का पर्दाफाश किया जाता है। किसी की शक्सियत या आत्म–विश्वास को चोट पहुंचाने के लिये आलोचना का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साथ ही साथ, जिस कामरेड की आलोचना की जा रही है, उसको हौंसला दिया जाता है कि वह आलोचना को उन्हीं कम्युनिस्ट भावनाओं के साथ स्वीकार करे और अपनी उक्त गलती को सुधारने में उसका लाभ उठायें।

किसी भी पार्टी संगठन के सचिव की बहुत अहम भूमिका होती है। उसका काम है हर मीटिंग के लिये उसके प्रस्तावित अजेंडे की तैयारी करना और लोकतांत्रिक चर्चा व सामूहिक फैसले लेने की प्रक्रिया पर अध्यक्षता करना। समस्याओं और मतभेदों से जब कोई सचिव आत्मपरक या निष्क्रिय हो जाता है तो काम को बहुत नुकसान होता है। ऐसी परिस्थितियां भी देखने में आयी हैं जब कोई सचिव यह शिकायत लेकर आता है कि कोई उसकी बात नहीं सुनता है और इस बहाने वह निष्क्रिय हो जाता है। इन हलातों में, उस सचिव

को अपने ही विचारों और आचरण को दुबारा परखना चाहिये और ईमानदारी के साथ यह सोचना चाहिये कि कहीं उसके विचार और आचरण ही समस्या की वजह तो नहीं हैं।

इसी प्रकार के हानिकारक रुझानों से पार्टी के काम को हुये नुकसान की एक मिसाल यूनियनों में सगंठित मजदूरों के बीच हमारे काम में पायी जाती है। कभी ऐसा समय था जब, पार्टी की लाइन और काम की वजह से कई मजदूर वर्ग यूनियन व संगठन, केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की गद्दारी को समझ कर, पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे थे। उस समय उन मजदूरों के बीच पार्टी के बुनियादी संगठन बनाने में हमारी नाकामयाबी से ऐसी हालत बन गयी कि उन मजदूरों के संघर्षों पर पार्टी की अगुवाई कायम नहीं रखी जा सकी। इस तरह, पार्टी की लाइन के इर्द–गिर्द संगठित मजदूर वर्ग के कई तबकों की एकता बनाने का एक सुनहरा मौका पार्टी ने खो दिया। मुंबई में, जहां मजदूर वर्ग में अपनी ताकत के आधार पर पार्टी हर साल विशाल रैलियां आयोजित कर सकती थी, वहां बुनियादी संगठनों को कायम रखने में हमारी नाकामयाबी की वजह से पार्टी और मजदूर वर्ग को नुकसान पहुंचा है। इसी तरह, दिल्ली में, जहां मजदूर वर्ग और ट्रेड यूनियन आन्दोलन में हम एक ताकत थे और काम के आगे बढ़ने की संभावना थी, वहां काम को नुकसान पहुंचा है। तामिल नाडु में भी ऐसी नाकमयाबी से हमारे काम पर असर पड़ा है और वहां कुछ बुनियादी संगठनों को खत्म होने दिया गया है।

लेनिन और स्टालिन की शिक्षाओं और अपने अनुभवों के आधार पर हमारी पार्टी ने यह सीखा है कि बुनियादी संगठन बनाये बिना, काम करने का कोई झटपट तरीका नहीं है। यह हमारे दूसरे महाअधिवेशन के फैसले में और पिछले 6 सालों में उस फैसले को लागू करने की पार्टी की कोशिशों में देखा जा सकता है। जहां–जहां और जब–जब हमने बुनियादी संगठनों को बनाने व मजबूत करने पर डट कर काम किया है, वहां और तब हमने बड़े शानदार नतीजे देखे हैं। जहां–जहां और जब–जब बुनियादी संगठनों की भूमिका और महत्व की उपेक्षा की गई है, वहां और तब हम पार्टी के काम की गति को बनाये नहीं रख पाये हैं या उसे तेज़ नहीं कर पाये हैं।

लेनिन ने कम्युनिस्ट पार्टी में बुनियादी संगठन की अनिवार्यता को स्थापित कर दिया था। इस आविष्कार की हिफ़ाज़त करना और इसे विकसित करना तथा जनता के बीच एवं आधुनिक कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर के दूसरे संगठनों और समूहों के बीच, बुनियादी संगठन के काम को कुशलतम बनाना, यह आज कम्युनिस्टों का फ़र्ज है। हम यह समझते हैं कि बुनियादी संगठनों को बनाने की कोशिश को दुगुनी ताकत के साथ और बीते समय की गलतियों को सुधार कर, जारी रखना होगा। पार्टी में सक्रिय, जवान सदस्यों की बढ़ती संख्या को देखते हुऐ, जनता के बीच पार्टी की लाइन की पहुंच को गहराई तक फैलाने के इस काम को विस्तृत करने के लिये हमें ऊंचे लक्ष्य तय करने पड़ेंगे।

इलाका समितियां/राज्य समितियां

हमारी पार्टी में किसी इलाके या राज्य के बुनियादी संगठन उस इलाका/राज्य समिति के तले काम करते हैं और सीधा उसे अपने काम की रिपोर्ट देते हैं। इलाका/राज्य समिति पार्टी की केन्द्रीय समिति को अपने काम की रिपोर्ट देती है।

हालांकि इलाका समिति अपने इलाके के किसी भी बुनियादी संगठन की जगह किसी भी तरह नहीं ले सकती, पर इलाके के काम को अगुवाई देने में उसकी भूमिका को नजरअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। इसलिये हमने सभी इलाकों में इलाका समितियां बनाने और उन्हें मजबूत करने के लिये भी जबरदस्त संघर्ष किया है। इन समितियों को यह अहम जिम्मेदारी दी जाती है कि वे उस इलाके की सभी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें और यह सुनिश्चित करें कि पार्टी इन घटनाओं में फौरन सही हस्तक्षेप कर सके। संगठनात्मक तौर पर इलाका समितियों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने इलाके के बुनियादी संगठनों की मीटिंगों के मिनिट्स और काम की रिपोर्ट नियमित तौर पर लें, उन्हें बुनियादी संगठनों के स्वास्थ्य और काम–काज के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिये तथा जरूरत के अनुसार बुनियादी संगठनों को मदद व मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिये।

हमने इलाका समितियों की नियमित मीटिंगें आयोजित करने की कोशिश की है, जिनमें सोच–समझकर अजेंडा तैयार किया हुआ होता है। इसी तरह

इलाके के काम का मूल्यांकन करने के लिये, इलाका विचार–गोष्ठी नियमित तौर पर आयोजित की जाती हैं। हमने यह मांग की है कि इलाका समिति नियमित तौर पर अपने काम की रिपोर्ट और अपनी मीटिंगों के मिनिट्स केन्द्रीय समिति को दें।

जहां इलाका समितियां इन पार्टी कायदों के अनुसार काम करती आयी हैं, वहां वे बुनियादी संगठनों के जरिये, पार्टी के काम को सफलतापूर्वक अगुवाई दे सकी हैं। इलाका समितियों की जिम्मेदारी है यह सुनिश्चित करना कि उसके इलाके के बुनियादी संगठन स्वस्थ हैं और ठीक से काम कर रहे हैं। इलाका समिति को अपने इलाके के काम व संगठन की आम योजना बनानी पड़ती है, बुनियादी संगठनों के काम की देखरेख करनी पड़ती है, यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि बुनियादी संगठन नियमित तौर पर मीटिंग करते हैं, अपनी योजनायें बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। जहां इलाका समितियां इसमें कमज़ोर रही हैं, वहां बुनियादी संगठनों के जीवन पर उसका बुरा असर पड़ा है और बुनियादी संगठन खत्म हो गये हैं।

इलाका समितियों के काम–काज में भी हमें कई हानिकारक रुझानों के खिलाफ़ संघर्ष करना पड़ा है। एक ऐसा रुझान है, सहमति से तय की गयी योजनाओं को डट कर लागू करने के बजाय, जल्द नतीजों की उम्मीद करना। जो ऐसे जल्द नतीजों की उम्मीद करते हैं, वे हौसला खो बैठते हैं जब नतीजे उतनी जल्दी नहीं मिलते जितनी जल्दी वे चाहते हैं। फिर वे उस काम को छोड़कर कुछ और 'ज्यादा उत्साहजनक' काम उठाने की सफाई देते हैं। इसके फलस्वरूप, ठीक जिस समय सबसे बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं, जब लगन और दृढ़ता से काम करने पर खूब तरक्की की जा सकती हैं, उसी समय सहमति से उठाये गये कार्यों को छोड़ दिया जाता है।

अपनी तथा अपने साथ काम करने वालों की गलतियों के प्रति उदारतावाद, इस बहाने कि हम "उनकी समस्याओं को समझते हैं", इस दौर में, यह एक कारण रहा है जिससे इलाका समितियों के निर्माण में बाधा आयी है। इलाका समितियों के कुछ कामरेड बार–बार ऐसे गलत और कम्युनिस्ट–विरोधी तरीके से काम करते हैं, जो "तू मेरा यार, मैं तेरा यार" का तरीका कहलाता है, यानि तुम मेरी गलतियां मत बताओ और मैं तुम्हारी गलती नहीं बताऊंगा। साथ ही साथ, किसी पार्टी संगठन

में एक साथ काम करने वाले कामरेडों के सामने यह चुनौती है कि एक–दूसरे की इज्ज़त करें, एक–दूसरे की बात ध्यान से सुने, और सभी नकारात्मक रुझानों के खिलाफ़ डटकर लड़ाई करके एक–दूसरे की ताकत बढ़ायें।

लोकतांत्रिक केन्द्रीयवाद

हमारी पार्टी ने अपनी स्थापना के समय से लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद के संगठनात्मक असुलों की पुष्टि व हिफाज़त की है और उन्हें अमल में लाने के लिये लगातार संघर्ष किया है।

लोकतांत्रिक केन्द्रीयवाद संगठन का सबसे अगुवा सिद्धांत है, जिसे समाज के सबसे इंकलाबी वर्ग, आधुनिक सर्वहारा ने जन्म दिया है। कामरेड लेनिन ने लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद के असूलों की व्याख्या की थी। उन पर अमल करके सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) का निर्माण किया गया था, और इस पार्टी ने मजदूर वर्ग द्वारा राज्य सत्ता पर कब्ज़ा करने और 20वीं सदी में दुनिया का पहला समाजवादी राज्य बनाने में अगुवाई दी थी।

पार्टी के हरेक व्यक्ति और समूह के अधिकारों को मान्यता देने और उनकी हिफ़ाज़त करने के आधार पर हमारी पार्टी में फैसले लेने की ताकत लोकतांत्रिक केन्द्रीयवाद के अनुसार है। हमारी पार्टी में केन्द्रीयकरण का आधार है सभी सदस्यों को फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल करना। सभी सदस्यों की ताकत व पहल शक्ति को काम में लगाये जाने से और एक केन्द्रीयकृत योजना के अनुसार सारे काम करने से पूरी पार्टी एक अखण्ड फौलादी शक्ति की तरह काम करती है।

पार्टी का हरेक सदस्य कम से कम एक पार्टी संगठन का सदस्य होता है, जहां वह फैसले लेने में भाग लेता है। पार्टी संगठन के हर स्तर पर, फैसले लेने के अधिकार के साथ–साथ, सामूहिक फैसलों को लागू करने में योगदान देने की जिम्मेदारी भी होती है। हमारे काम करने का असूल है सामूहिक फैसले लेना और व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाना। पार्टी के महाअधिवेशन में, महाअधिवेशन के प्रस्तावों को अपनाने में और केंद्रीय समिति को चुनने में, पार्टी के सभी सदस्य सर्वोच्च फैसले करने का अपना अधिकार लागू करते हैं।

हरेक पार्टी संगठन में, समूह की मीटिंग में योजनायें बनायी जाती हैं और हरेक सदस्य को उसका काम सौंपा जाता है। लिये गये फैसलों के अमल पर जांच और समीक्षा भी इन मीटिंगों में की जाती है। सभी सदस्य खुले दिलो–दिमाग से अपने विचार रखते हैं, एक–दूसरे की बात सुनते हैं, बातचीत से और सूझबूझ से मतभेद दूर किये जाते हैं; उसके बाद फैसला लिया जाता है। किसी भी मतभेद को रिकार्ड किया जाता है परन्तु एक बार, जरूरत के अनुसार बहुमत के वोट से, कोई सामूहिक फैसला लिया जाता है, तब उसे लागू करना हर सदस्य का फर्ज़ बनता है, जब तक कि समूह की किसी अगली मीटिंग में उस फैसले को दुबारा समीक्षा के लिये नहीं उठाया जाता।

हमने यह सुनिश्चित करने के लिये हमेशा संघर्ष किया है कि पार्टी के हर स्तर पर फैसले लेने का अधिकार समूह के हाथ में हो, न कि किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी संगठनों से बाहर के किसी गुटों के हाथों में।

हमने यह सुनिश्चित करने के लिये डटकर संघर्ष किया है और हमें ऐसा करते रहना होगा, कि हरेक पार्टी संगठन को, उसे रिपोर्ट करने वाले सभी दूसरे पार्टी संगठनों से नियमित तौर पर मिनिट्स और रिपोर्ट मिलते रहें, तथा हरेक पार्टी संगठन ऊपर के संगठन को नियमित तौर पर मिनिट्स और रिपोर्ट देता रहे। तथ्यों की पूरी खोज करके, पार्टी के दस्तावेज़ों का अध्ययन करके और तथ्यों से निकलने वाली बातों का विश्लेषण करके ही सभी संगठनों को काम की योजनायें बनानी चाहिये।

कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर वर्ग का नेता है। इसलिये पार्टी के अंदर सदस्यों को तथाकथित नेताओं और अनुचरों में बांटने को हमने कभी नहीं सहा है। हमने हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को एक ऐसी पार्टी के रूप में निर्माण करने के लिये संघर्ष किया है, जिसमें हरेक सदस्य मजदूर वर्ग को नेतृत्व देने का काम करता है।

हमने 'समानता' या किसी और दूसरे बहाने से, केन्द्रीयकृत नेतृत्व के कायदों को त्यागने से इंकार किया है। हमने लगातार अति–लोकतंत्रवाद के रुझान का विरोध किया है, जिसके चलते, अलग–अलग व्यक्ति नेतृत्व के लिये आपस में होड़ लगाते हैं और पार्टी संगठन के कायदों को मानना नहीं चाहते हैं।

हमने चमचागिरी की परंपरा को ठुकराया है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक केन्द्रीयवाद के अनुकूल नहीं है, बल्कि यह नौकरशाही केन्द्रीयवाद के अनुकूल है। चमचागिरी का मतलब है कि कोई 'वरिष्ठ कामरेड' जो कुछ कहता है उसके हां में हां मिलाना और फिर अपने 'कनिष्ठ कामरेडों' से भी ऐसे बर्ताव की उम्मीद करना।

हम यह सुनिश्चित करने के लिये लगातार संघर्ष करते हैं कि किसी भी पार्टी संगठन का हरेक सदस्य उस पार्टी संगठन का जागरुक और पूरी तरह से भाग लेने वाला सदस्य है और हरेक पार्टी संगठन अपने स्तर पर फैसले लेने के काबिल है। जब पार्टी के महाअधिवेशन ने एक बार आम कार्यदिशा को तय कर लिया है, तब बुनियादी संगठनों से लेकर केन्द्रीय समिति तक, सभी पार्टी संगठनों को उस कार्यदिशा को लागू करना पड़ता है, जो उस संगठन की सामूहिक योजना और फैसले के अनुसार किया जाता है। इसका यह मतलब है कि हरेक पार्टी सदस्य को अपनी पूरी पहलशक्ति के साथ उस फैसले को सोच–समझ कर लागू करना चाहिये और अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिये।

हमारी पार्टी के हर संगठन में वैधानिक और कार्यकारिणी की ताकतें मिली हुयी हैं, यानि कि जो कामरेड फैसले लेते हैं, वे उन्हें लागू करने के लिये भी जिम्मेदार 1हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि हरेक व्यक्ति समूह के प्रति जवाबदेह है और हरेक समूह ऊपर के निकायों के प्रति जवाबदेह है। इस पर अमल करते हुये, हमने पार्टी के काम में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। जब–जब कोई पार्टी सदस्य या संगठन नौकरशाही तरीके से "ऊपर के आदेशों" का इंतजार करता रहा है, तब–तब वहां काम रूक गया है और काम को आगे बढ़ाने के मौके खोये गये हैं। इसी तरह, जब व्यक्तिगत सदस्यों ने अपनी मर्जी से काम किया है और सामूहिक फैसलों का उल्लंघन किया है, तब उन्होंने अपने काम और समूह को बहुत नुकसान पहुंचाया है।

लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद के असूलों का घोर उल्लंघन करते–करते सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) इंकलाब के पथ से हट गयी। लेनिन और स्टालिन की इंकलाबी पार्टी को नये हुक्मरान वर्ग की नौकरशाह केंद्रीयवादी पार्टी में तब्दील कर दिया गया। 20वीं सदी के आखिरी पचास सालों में, सोवियत संघ को एक समाजवादी राज्य से बदल कर एक सामाजिक साम्राज्यवादी

राज्य बनाने में वह पार्टी मुख्य कारक थी। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन में 'मां पार्टी', 'बड़ी पार्टी' और 'सत्तारूढ़ पार्टी' जैसी मार्क्सवाद–लेनिनवाद–विरोधी अवधारणाओं को थोपकर, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी सारी दुनिया के कम्युनिस्ट और मजदूर आन्दोलन को नष्ट करने का मुख्य साधन बन गई।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी लोकतांत्रिक केन्द्रीयवाद के असूल का उल्लंघन किया। उसने सैनिकवादी लाइन का पालन किया, पार्टी के अंदर कई गुटों के अस्तित्व को बढ़ावा दिया जो 'दो लाइनों के संघर्ष' के नाम पर आपस बीच झगड़े करते रहे।

दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियों और अपने देश की कम्युनिस्ट पार्टियों के अनुभव का अध्ययन करके, हमने यह सीखा है कि सरमायदारी संसदीय पार्टियों की तरह, 'आलाकमान' के नौकरशाह केन्द्रीयवाद के सामने घुटने टेकने के बड़े खतरनाक नतीजे होते हैं। हमने ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी की अवधारणा को भी ठुकरा दिया है, जो संघवाद के आधार पर संगठित होती है, या जिसमें राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग या जाति के आधार पर अनुपात में नुमाइंदगी और आरक्षण होता है। ऐसी सभी अवधारणाओं की वजह से मजदूर वर्ग की एकता को नुकसान पहुंचता है। इस सारे अनुभव से, इंकलाब के पथ पर डटे रहने के लिये, पार्टी को बनाने व लगातार मजबूत करने में लोकतांत्रिक केन्द्रीयवाद के असूलों और कायदों पर टिके रहने के, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के भरोसे व इरादे की पुष्टि हुयी है।

पार्टी के प्रकाशन

जनवरी 1998 में पार्टी की केन्द्रीय समिति की विस्तृत परिपूर्ण सभा में यह जोर दिया गया था कि पार्टी के अखबार को मजदूर वर्ग और उसके निकट मित्रों, मसलन किसानों को संगठित करने की भूमिका निभानी होगी।

विस्तृत परिपूर्ण सभा में हिन्दोस्तानी भाषाओं में पार्टी के अखबार को प्रकाशित करने का काम फौरन उठाने के लिये अजेंडा पर रखा गया। परिपूर्ण सभा ने पार्टी के कामरेडों से आह्वान किया कि वे लेनिन द्वारा बताये गये नुस्खे पर चलें, जिसके अनुसार सभी पार्टी संगठनों, सभी इलाकों के बुनियादी संगठनों

को अपने समय व ताकतों का कम से कम एक–चौथाई हिस्सा पार्टी के अखबार के लिये देना चाहिये। इसका यह मतलब है कि सभी बुनियादी संगठनों को जनसमुदाय के बीच जाकर अखबार को बेचने में भाग लेना चाहिये। अखबार के प्रति मजदूरों और दूसरे कम्युनिस्टों की प्रतिक्रिया पर बुनियादी संगठन में गंभीरतापूर्वक चर्चा करनी चाहिये और बुनियादी संगठन में कामरेडों को अखबार में लिखी बातों पर अपना विचार भी देना चाहिये। कामरेडों को पार्टी के अखबार के लिये अपने काम की रिपोर्ट लिखनी चाहिये। पार्टी अखबार बांटने, उसमें लेख, रिपोर्ट, पत्र तथा पाठकों की प्रतिक्रिया लिखने में पार्टी संगठन कितना गंभीर और क्रियाशील है, यह उस पार्टी संगठन के स्वास्थ्य की स्थिति का सूचकांक है।

दूसरे महाअधिवेशन के बाद पार्टी की केन्द्रीय समिति के मुख्य पाक्षिक अखबार हिन्दी में *मजदूर एकता लहर*, अंग्रेजी अख़बार *पीपल्स वायस* (जनता की आवाज़) और तामिल मासिक अखबार *तोड़िलालर ओट्टुमई कुरल* (मजदूर एकता की आवाज़), लगातार प्रकाशित किये गये हैं। दूसरे महाअधिवेशन में यह फैसला लिया गया था कि मेहनतकशों की असली चिंताओं और आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिये मजदूर वर्ग के बीच लेखकों और वितरकों के दल बनाकर पार्टी के अखबार में लिखे गये विषयों को और अखबार के वितरण को मजबूत किया जायेगा। इसमें पार्टी को काफी सफलता मिली है, जिसका सबूत यह है कि पार्टी का सब–तरफा इजाफा हुआ है और कई इलाकों में नये नौजवान सदस्य पार्टी में आये हैं।

हिन्दी अखबार को मजबूत बनाने का एक नतीजा जो देखा जा सकता है, वह हिन्दी भाषी इलाकों–दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में पार्टी सदस्यों की बढ़ती संख्या है। 26 फरवरी 2003 को संसद पर हुयी विशाल मजदूर रैली में देश–भर से आये हुये मजदूर कार्यकर्ताओं के साथ मजदूर एकता लहर के संवाददाताओं ने साक्षात्कार किये थे और इन्हें अखबार में फौरन प्रकाशित किया गया। इस घटना के बाद पार्टी को हिन्दोस्तान के अलग–अलग राज्यों में पार्टी के काम में दिलचस्पी रखने वाले मजदूरों और कार्यकर्ताओं से बहुत सारे पत्र मिले।

दूसरे महाअधिवेशन के ठीक बाद, हिन्दी अखबार को नियमित तौर पर निकालना हमारे सामने फौरी चुनौती थी। हम इस प्रयास में कामयाब हुये हैं। साथ ही साथ, हमने अखबार के विषय और रूप में उन्नति लाने पर भी बहुत ध्यान दिया है, दोनों छपे तथा वेब प्रकाशनों में।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की वेब साइट को नया रूप दिया गया है। वेबसाइट के विषयों को लगातार समय के अनुसार बदलने का काम और मजबूत करना होगा। वेब साइट के काम को जारी रखने के लिये और अधिक संसाधनों व काबिलियत की जरूरत है। अलग–अलग इलाकों की भाषाओं में वेब प्रकाशन के कार्य को आने वाले समय में उठाना होगा।

इस दौरान पार्टी के अखबार के संपादकीय मंडल को मजबूत करने के लिये केन्द्रीय समिति ने कुछ ठोस कदम लिये हैं। इस दौर में, संपादकीय मंडल ने अपने काम का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है और अपने काम की कमजोरियों को सोच–समझकर दूर करने का प्रयास शुरु किया है। विचारध ाारात्मक–राजनीतिक मतभेदों को नजरअंदाज़ करने के रुझान के खिलाफ़ एक अहम संघर्ष जारी है। इस रुझान को परास्त करने के लिये संपादकीय मंडल ने मार्क्सवाद–लेनिनवाद के विज्ञान और इस दौर की आम कार्यदिशा के अनुसार विचारों को अखबार में पेश करने के लिये पार्टी के दस्तावेज़ों और मार्क्सवाद–लेनिनवाद के ग्रंथों का मन लगाकर अध्ययन करने का अनवरत संघर्ष किया है, जो अभी भी जारी है। संपादकीय मंडल के अंदर संघर्ष होता है, यह सुनिश्चित करने के लिये कि अहम मुद्दों पर लिखने से पहले जरुरी जांच और चर्चा हो।

हाल में पार्टी प्रेस के तकनीकी आधार को बहुत मजबूत किया गया है। संपादकीय मंडल भाषाओं के तकनीकी उत्पादन यूनिट के साथ नज़दीकी से काम करता आया है ताकि उत्पादन व वितरण समय पर होना सुनिश्चित हो सके। अनुवाद करने वालों का दल बनाने व विकसित करने के लिये कदम उठाये गये हैं, अलग–अलग इलाकों की भाषाओं और अंग्रेजी भाषा के लिये भी एक साझा शब्द कोश बनाया गया है।

इस दौर में एक नई पहल हर इलाके में संपादकीय उप–समितियां स्थापित करने की कोशिश रही है। इन उप–समितियों की स्थापना अब तक ज्यादा कामयाब नहीं हो पायी है। आने वाले समय में हमें सभी इलाकों में संपादकीय उप–समितियां स्थापित करने के काम को प्राथमिकता देनी होगी। तभी हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पार्टी प्रेस हिन्दोस्तानी इंकलाब से संबंधित सभी घटनाओं और संघर्षों को पूरी तरह उठा सकेगा तथा सभी इलाकों में संगठन बनाने के काम को मदद दे पायेगा।

बीते 6 सालों में हमने संगठन बनाने के साधन बतौर पार्टी के अखबार की भूमिका को मजबूत करने के लिये संघर्ष किया है। हमने इस समय के अहम मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान दिया है एवं जन प्रदर्शनों व रैलियों में पार्टी के अखबार को फैलाने पर ध्यान दिया है। इसकी वजह से पार्टी के अखबार के पाठकों की संख्या बढ़ी है तथा पार्टी का नये लोगों से संपर्क हुआ है। हमने इस बात पर जोर दिया है कि फैक्टरी गेट, काम की जगहों व मेहनतकशों के रिहायशी इलाकों में अखबार की बिक्री आयोजित करने का परखा हुआ तरीका किसी भी बहाने पर रोकना नहीं चाहिये।

पार्टी के अखबार को फैलाना, उसमें छपे विषयों पर नियमित तौर पर चर्चा करना और उसके लिये रिपोर्ट, लेख व पत्र बतौर योगदान देना, यह सब बुनियादी संगठनों द्वारा उठाये जाने के लिये हमने संघर्ष किया है। इसमें सभी कमजोरियों के खिलाफ़ हम जोरदार संघर्ष करते आये हैं व करते रहेंगे।

यह परिस्थिति की मांग है कि आने वाले समय में, छपे हुये प्रकाशनों के नियमित पाठकों की संख्या तेजी से बढ़ाई जाये। हमें मजदूरों और किसानों में पार्टी के अखबार के पाठकों की संख्या को तथा छात्रों, श्रमशील बुद्धिजीवियों और समाज के दूसरे तरक्की पसंद तबकों में हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के वेब साइट के दर्शकों की संख्या को बढ़ाना होगा। हमें अपने लिये ऊंचे लक्ष्य तय करने होंगे।

पाठकों की संख्या में एक छलांग लगाना जरूरी है और यह मुमकिन भी है, अगर इसके लिये दो शर्तें पूरी की जायें। पहली शर्त है बुनियादी संगठनों को मजबूत करना, ताकि इंकलाबी वर्गों व तबकों से और सभी इलाकों से, पार्टी

के अखबार के लिये प्रशिक्षित रिपोर्टरों, लेखकों व वितरकों की संख्या बढ़ायी जा सके। दूसरी शर्त है सिद्धान्त विकसित करने के काम को और मजबूत करना, ताकि नये समाज के नज़रिये की और मजदूरों व किसानों की हुकूमत स्थापित करने के कार्यक्रम की व्याख्या की जा सके।

सैद्धांतिक और विचारधारात्मक काम

इस अवधि के लिये, जब विश्व इंकलाब पीछे हटने की हालत में है, आम कार्यदिशा व कार्यक्रम दूसरे महाअधिवेशन में तय किये गये थे। दूसरे महाअधिवेशन की रिपोर्ट में बताया गया था कि हिन्दोस्तानी इंकलाब के सिद्धांत को विकसित करने के लिये, मजदूर वर्ग को पुराने यूरोकेंद्रीयवादी विचारों और हिन्दोस्तानी विचारों की प्रतिक्रियावादी सरमायदारी व्याख्या को चुनौती देनी पड़ेगी। यह भी बताया गया था कि निरंतर संकट की वर्तमान परिस्थितियों के अंदर ही इंकलाब के बीज मौजूद हैं; उन बीजों का पोषण करने का रास्ता सिद्धांत द्वारा उज्ज्वल करना होगा, ताकि इंकलाब और समाजिक तरक्की का दरवाजा खुल सके। सब सैद्धांतिक काम की शुरुआत उभरते तथ्यों व घटनाओं का अध्ययन है। वर्तमान परिस्थिति में वर्ग संघर्ष का विश्लेषण करने में इंकलाबी सिद्धांत को सहायक होना चाहिये। केन्द्रीय समिति ने इस काम को करने का तरीका फिर से स्थापित किया है। अपने नेतृत्व के तले काम करने वाले सैद्धांतिक दल को उसने मजबूती दी है।

हमारी पार्टी यह समझती है कि पार्टी में और मजदूर वर्ग व दूसरे प्रगतीशील आंदोलनों में विचारों और कार्यों की एकता और आगे बढ़ने की दिशा की हिफ़ाज़त करने के लिये, लगातार अडिग विचारधारात्मक संघर्ष करना आवश्यक है। हमने यह समझा है कि विचारधारात्मक संघर्ष का उद्देश्य है उन झूठों, भ्रमों और गुमराह करने की कोशिशों का पर्दाफाश करना व उन्हें हराना, जिन्हें सरमायदार, मजदूर वर्ग और दूसरे असंतुष्ट जनों पर उछालते रहते हैं। यह संघर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलन के अंदर बैठे दुश्मनों के खिलाफ़ किया जाना चाहिये, यानि उन तत्वों के खिलाफ़ जो मजदूरों और किसानों के बीच सरमायदारी भ्रम फैलाने के साधन बतौर काम कर रहे हैं।

पार्टी ने लगातार इस सोच के खिलाफ़ संघर्ष किया है कि कोई जीनियस व्यक्ति या एक्सपर्ट दल ही सिद्धान्त को विकसित कर सकता है और विचाधारात्मक संघर्ष को अगुवाई दे सकता है। इस 'एक्सपर्ट लाइन' के खिलाफ़ संघर्ष करने के लिये सैद्धांतिक और विचारधारात्मक काम में ज्यादा से ज्यादा कामरेडों को शामिल किया गया है। केंद्रीय समिति ने इस काम में ज्यादा से ज्यादा कमरेडों की भागीदारी के लिय माहौल बनाने की सोची–समझी कोशिश की है। इससे सिद्धांत को विकसित करने का काम बहुत मजबूत हुआ है। कार्यदिशा को और विकसित करने के साथ–साथ, इस काम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह रहा है कि सभी सदस्यों का विचारधारात्मक – राजनीतिक स्तर ऊंचा हुआ है।

दूसरे महाअधिवेशन के बाद के दौर में, सैद्धांतिक दल ने कई शिविरें आयोजित की हैं। इनमें बहुत से कामरेड लंबे समय के लिये कुछ चुने विषयों पर गहन खोज और सैद्धांतिक विश्लेषण करने के लिये इकट्ठे हुये हैं। इनमें कुछ विषय हैं – कम्युनिज़्म और अधिकारों की पुष्टि, कृषि और किसान सवाल का आर्थिक आधार, हिन्दोस्तानी राज्य और इंकलाब के चरण की विशेषता का सवाल और इंकलाब के पीछे हटने के दौर में बढ़ते फाशीवाद का सवाल।

सभी दूसरे पार्टी कामों की तरह, सैद्धांतिक और विचारधारात्मक काम के लिये भी हम सामूहिक नेतृत्व और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के असूल पर निर्भर रहे हैं। सैद्धांतिक दल महाअधिवेशन और केन्द्रीय समिति की परिपूर्ण सभाओं के फैसलों के अनुसार अपने काम का अजेंडा बनाता है और केन्द्रीय समिति के सचिव दल को नियमित रिपोर्ट देता है। व्यक्तियों और दलों को खास काम दिये जाते हैं। दल में सभी कामरेडों के काम की पूरी समीक्षा की जाती है। उन पर चर्चा होती है और उसके बाद ही उन्हें केन्द्रीय समिति के सचिव दल को दिया जाता है। केन्द्रीय समिति की पूर्ण सभा ही केन्द्रीय समिति के नाम से प्रकाशित होने वाले किसी भी दस्तावेज़ को मंजूरी देती है।

अपने सैद्धांतिक और विचारधारात्मक काम के दौरान, हमने वैज्ञानिक तरीकों और समूह में सहमति से लिये गये फैसलों को लागू करने की हिफ़ाज़त में कड़ा संघर्ष किया है। वैज्ञानिक तरीके के अनुसार, हम पार्टी के दस्तावेजों और मार्क्सवाद–लेनिनवाद के ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर, असली तथ्यों से शुरु

करते हैं और आज जिस तरह समस्या पेश आ रही है उसका विश्लेषण करते हैं। तथ्यों, पार्टी के मूल दस्तावेजों और मार्क्सवाद–लेनिनवाद के ग्रंथों का अध्ययन किये बिना लिखना शुरु करने के रुझान के खिलाफ़ हमने लगातार संघर्ष किया है।

दूसरे महाअधिवेशन में हिन्दोस्तानी समाज के आधार में बदलाव का स्वभाव और दुनियाभर में वर्तमान दौर की विशेषता को स्थापित किया गया था और नव निर्माण के फौरी कार्यक्रम को अपनाया गया था, जिसका लक्ष्य है मजदूरों और किसानों को हिन्दोस्तान का मालिक बनाना। सरमायदारों के हमलों के आधार को समझाने व उसका पर्दाफाश करने में और नये समाज के नजरिये को पेश करने के काम में हमने सिद्धान्त को मार्गदर्शक बनाया है। हमने इस समय के अहम मुद्दों के साथ नजदीकी का संबंध रख कर विचारधारात्मक संघर्ष किया है। पिछले 6 सालों में हमने इज़ारेदार पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की वर्तमान अवस्था में पूंजीवाद के नियमों के क्रियान्वन का और अधिक पर्दाफाश किया है। निजीकरण–उदारीकरण कार्यक्रम और तथाकथित आतंकवाद पर जंग के पीछे असली मुद्दों को हमने खोजा और सबके सामने स्पष्ट किया। हमने जिस कार्यक्रम को अपनाया है, उसके बुनियादी सैद्धांतिक विचारों पर हमने और विस्तार किया है। इन सभी कार्यों से समाज–विरोधी कार्यक्रम के खिलाफ़ मजदूर वर्ग के संघर्ष के मुख्य मुद्दों को विकसित करने में योगदान मिला है। इससे किसानों, नौजवानों और सभी शोषितों के जन संगठनों के कार्यक्रमिक नारों को विकसित करने में योगदान मिला है।

सैद्धांतिक दल के काम की वजह से केन्द्रीय समिति पिछले 6 सालों में कम्युनिस्टों और मजदूर वर्ग कार्यकर्ताओं के बीच, बहुत सारी गोष्ठियां आयोजित करने में कामयाब रही। इनमें पहली थी दिसंबर 2000 की ऐतिहासिक कानपुर कम्युनिस्ट गोष्ठी।

अब तक किये गये काम का गंभीर मूल्यांकन करने के आधार पर, हमें यह समझना होगा कि वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक प्रक्रिया की विस्तृत व्याख्या करने में हम अभी भी पीछे हैं। नई राज्य सत्ता और आर्थिक व्यवस्था और मजदूरों व किसानों को राज्यसत्ता में लाने के लिये जरूरी राजनीतिक संस्थानों, यानि हिन्दोस्तान में मजदूरों व किसानों की हुकूमत के

राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे के नज़रिये की व्याख्या करने का काम, पार्टी के सामने मुख्य चुनौती है। आने वाले समय में सैद्धांतिक तौर पर उठाये गये सभी मुख्य मुद्दों को हमें पूरा करना होगा। इनमें हिन्दोस्तान के राष्ट्रों का सवाल और किसानों का सवाल के मुद्दे शामिल हैं, जिन्हें अपने देश की खास ऐतिहासिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुये जांचने होंगे। हमें वैज्ञानिक और संगठित आधार पर यह काम जारी रखना होगा और इस चुनौती को निभाने का आत्मविश्वास हासिल करना होगा।

समाज–विरोधी हमले के खिलाफ़ संघर्ष में

दूसरे महाअधिवेशन में हमने समाज–विरोधी हमले के खिलाफ़ संघर्ष में मजदूर वर्ग को अगुवा स्थान लेने के लिये संगठित करने का काम उठाया था। हमने यह समझा है कि सरमायदारों के इस समाज विरोधी आर्थिक कार्यक्रम और राजनीतिक हमले के खिलाफ़ संघर्ष में हमें इस बात की पुष्टि करनी होगी कि सभी इंसानों के, इंसान होने के नाते, कुछ मूल अधिकार हैं। इंसान समाज में पैदा होते हैं और अपनी रोजी–रोटी समाज के जरिये ही पा सकते हैं। अतः राज्य और सरकार का गठन इस प्रकार होना चाहिये ताकि जनता के रोजी–रोटी के अधिकार समेत सारे मानव अधिकार हासिल हों तथा सुरक्षित किये जायें।

दूसरे महाअधिवेशन के फैसलों को लागू करने में हमारे अनुभव बहुत सकारात्मक रहे हैं। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के काम से हाल के सालों में मजदूर वर्ग की जागरूकता और राजनीतिक क्रियाओं में काफी चढ़ाव आया है, जिसकी वजह से सरमायदारों के समाज–विरोधी हमलों को और तीव्र करने के रास्ते में रुकावटें आयी हैं। हमारे काम से सरमायदारों के हमलों के खिलाफ़ मजदूर–किसान गठबंधन का आधार बनाने में भी योगदान मिला है।

हमारी पार्टी ने यह समझा है कि सरमायदारों का समाज–विरोधी हमला एक सब तरफा हमला है – आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक और विचारधारात्मक। यह बीसवीं सदी में मजदूर–मेहनतकशों द्वारा हासिल किये गये सभी अधिकारों पर हमला है। हिन्दोस्तानी सरमायदार खुद एक महान साम्राज्यवादी ताकत बनने के अपने सपनों को साकार करने के लिये हिन्दोस्तान

को पीछे खींच रहे हैं। सरमायदार उदारीकरण और निजीकरण के जरिये अपनी पूंजी का और ज्यादा वैश्वीकरण करने, अर्थव्यवस्था का और ज्यादा फौजीकरण करने तथा राज्य को और ज्यादा फाशीवादी बनाने पर तुले हुये हैं। वे राजकीय आतंकवाद एवं साम्प्रदायिक जनसंहार के अपने पसंदीदा हथियार को और कुशल बना रहे हैं। सरमायदारों के राजनीतिक हमलों से आर्थिक हमले के खिलाफ़ मजदूरों, किसानों और सभी शोषितों के एकजुट संघर्ष की कोशिशों को बहकाया, बांटा, कुचला और रोका जा रहा है। विचारधारात्मक हमला, जिसके अनुसार यह कहा जा रहा है कि "इस व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है", यह दोनों, राजनीतिक और आर्थिक हमलों को मदद देता है।

मजदूर वर्ग का एकजुट संघर्ष

13 वर्ष पहले, जब नरसिंह राव की सरकार के चलते, सरमायदारों ने अपना आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरु किया था, उस समय मजदूर वर्ग अपनी रोजी–रोटी और अधिकारों की हिफ़ाज़त करने के लिये उस हमले का एकता से प्रतिराध करने की हालत में नहीं था। उसकी वजह यह थी कि मजदूर वर्ग का नेतृत्व सरमायदारों के साथ समझौता करने वालों के हाथों में था। 'समाजवादी नमूने के समाज' की हिफ़ाज़त करने, सरमायदारी राज्य से रियायतों की भीख मांगने और मेहनतकशों की हालत में सुधार लाने के लिये संसदीय लोकतंत्र पर भरोसा रखने की दिशा का मजदूर वर्ग आन्दोलन पर बहुत ही तबाहकारी असर पड़ा। इससे मजदूर वर्ग की इंकलाबी वर्ग चेतना कुण्ठित हो गयी। उसका नतीजा यह था कि सरमायदार वर्ग के साथ समझौता करना ही जीवन का तरीका बना दिया गया और पूंजीवाद व समाजवाद के बीच का रास्ता ढूढ़ना ही अंतिम लक्ष्य बना दिया गया।

1964 में कम्युनिस्ट आन्दोलन के बंटवारे के बाद, काफी अरसे तक मजदूर वर्ग आन्दोलन बार–बार अलग–अलग यूनियनों में बंटता गया और हरेक यूनियन को इस या उस संसदीय पार्टी की जागीर माना जाने लगा। ट्रेड यूनियन अधिकारों और वेतन तरक्कियों के लिये कई संघर्ष जरूर किये गये, परन्तु राजनीतिक और विचारधारात्मक तौर पर, मजदूर वर्ग को, विचारों व अभ्यास में सरमायदारों की पूंछ बना दिया गया था। 70 और 80 के दशकों में, देश के विभिन्न इलाकों में जब जबरदस्त किसान संघर्षों की लहर चली थी, तो उस

समय मजदूर वर्ग किसानों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला रवैया नहीं अपना पाया। शहरों और देहातों में दसों–लाखों असंगठित मजदूर भी नेतृत्व विहीन रह गये। मजदूरों के यूनियन, जिन पर संसदीय पार्टियों का प्रभाव हावी था, खुद मजदूरों के हितों की हिफ़ाज़त में एकजुट व असरदार संघर्ष करने की हालत में नहीं रहे थे।

'राष्ट्रीय एकता और अखंडता' की हिफ़ाज़त करने के नारे की आड़ में 80 के दशक में केन्द्रीय सरकार ने कश्मीर, पंजाब, मणिपुर, असम और नगालैंड के लोगों के मूल अधिकारों पर खूंखार हमले किये। आतंकवाद के खिलाफ़ लड़ाई की आड़ में सिख धर्म के लोगों को खूंखार हमलों का निशाना बनाया गया। ऐसी परिस्थिति में मजदूर वर्ग को मुख्यतः सरमायदारों और उनकी बस्तीवादी और फाशीवादी नीति की वाहवाही करने वाला समूह बना दिया गया था। मजदूर वर्ग के आंदोलन पर सामाजिक उग्रराष्ट्रवाद थोपा गया जिसकी वजह से, मुक्ति व राष्ट्रीय संप्रभुता के लिये संघर्ष कर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को मजदूर वर्ग आन्दोलन से अलग कर दिया गया।

इन सब कारणों की वजह से, जब सरमायदारों ने 90 के दशक में सुधारों का कार्यक्रम शुरु किया, तब मजदूर वर्ग, किसानों व शहरी मध्यम तबकों और राष्ट्रीय आंदोलनों व दूसरे संभावित मित्रों से, अलग–थलग, एक तितरी–बितरी अवस्था में था।

प्रतिरोध संघर्ष का पहला दौर हिन्दोस्तान के डंकल ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने तथा विश्व व्यापार संगठन (डबल्यू.टी.ओ.) में शामिल होने के खिलाफ़ संघर्ष से शुरु हुआ। देश भर के किसान संगठनों ने मिलकर तथा अलग–अलग संघर्ष किये। मजदूर वर्ग भी अपनी रोजी–रोटी व अधिकारों की हिफ़ाज़त के लिये सड़कों पर उतरने लगा।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के दूसरे महाअधिवेशन में जो कार्यक्रम शुरु किया गया, "हम हैं इसके मालिक, हम हैं हिन्दोस्तान, मजदूर, किसान, औरत और जवान", वह समाज–विरोधी हमले को रोकने के लिये एक संयुक्त योजना बनाने के हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों के शुरुआती प्रयासों में से एक था। सारी दुनिया में इंकलाब के पीछे हटने की हालतों में, सामाजिक प्रगति का द्वार

खोलने के लिये यह एक कार्यक्रम व योजना है। यह जनता की जरूरतें पूरी करने के लिये अर्थव्यवस्था को नई दिशा देकर गरीबी के खिलाफ़ जंग लड़ने का कार्यक्रम है। यह राजकीय आतंकवाद के खिलाफ़ लड़ने और व्यक्तिगत, सामूहिक तथा राष्ट्रीय अधिकारों की हिफ़ाज़त करने का कार्यक्रम है। यह पार्टीवादी सरकार तंत्र को खत्म करने व लोगों का प्रत्यक्ष राज स्थापित करने का कार्यक्रम है। यह लोकतंत्र के नवीकरण का और हिन्दोस्तानी संघ को पुनर्स्थापित करने का कार्यक्रम है। यह सभी राष्ट्रीयताओं के मजदूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों के हाथों में संप्रभुता दिलाने का कार्यक्रम है; दक्षिण एशिया और पूरी दुनिया में शान्ति के लिये एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लोकतांत्रिक बनाने के लिये कार्यक्रम है।

इन बीते 6 सालों में, दूसरे महाअधिवेशन में अपनाये गये कार्यक्रम से लैस होकर, पार्टी के काम से जनता के प्रतिरोध आन्दोलन को राजनीतिक एकता व मजबूती मिली है। सरमायदारों ने यह विचारधारात्मक दबाव डाला कि निजीकरण, तालाबंदी, छंटनी, ठेकेदार मजदूरी प्रथा के विस्तार, मजदूरों की रोजी–रोटी और अधिकारों पर दूसरे हमलों, आदि का "कोई विकल्प नहीं है", परन्तु मजदूर इसके खिलाफ़ लड़ने लगे और मजदूरों में यह विश्वास जगने लगा कि सरमायदारों के मजदूर–विरोधी, किसान–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी कार्यक्रम का अवश्य ही एक विकल्प है।

दूसरे दौर के सुधारों को औपचारिक रूप से जनवरी 2000 में शुरु किया गया, जब केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाले मुनाफेदार उद्यम, माडर्न फूड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (एम.एफ.आई.एल.) को बहुराष्ट्रीय कंपनी हिन्दोस्तान लीवर लिमिटेड के हाथों बेच दिया गया। जब दिल्ली में एम.एफ.आई.एल. के मजदूरों ने फरवरी 2000 में, संसद सत्र के पहले दिन, जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, तब कानपुर के बंद कपड़ा मिलों के सैकड़ों मजदूर, मिलों को फिर से खोलने की मांग लेकर, उनके साथ प्रदर्शन में जुड़े। फरवरी 2000 के उस संयुक्त प्रदर्शन के बाद, हमारी पार्टी ने सरमायदारों के निजीकरण कार्यक्रम के खिलाफ़ संघर्ष को असरदार बनाने के लिये मजदूर वर्ग को विचारधारा से लैस करने पर बहुत ध्यान दिया है।

हमारी पार्टी ने अलग–अलग शहरों में और हरेक युनिट में, पार्टी सदस्यता को मुद्दा न बनाते हुये, एम.एफ.आई.एल. के मजदूरों की एकता बनाने का काम

किया। साथ ही साथ हमने एम.एफ.आई.एल. के मजदूरों के संघर्ष के लिये सभी ट्रेड यूनियनों का सक्रिय समर्थन पाने का भी प्रयास किया। सार्वजनिक सम्पत्ति को निजी कंपनियों के हाथों बेचने के केन्द्रीय सरकार के अधिकार को, कानूनी तरीके से तथा सड़कों पर प्रदर्शन करके, चुनौती देने में हमारी पार्टी ने मजदूरों को अगुवाई दी है।

कपड़ा मिलों और दूसरे तथाकथित घाटे पर चल रहे कारोबारों को बंद करने की जरूरत को हमने चुनौती दी है। सड़कों पर प्रदर्शन करने के साथ–साथ, हमने ऊंचे दर्जे की राजनीतिक मीटिंगें भी आयोजित की हैं, जिनमें देश के तरह–तरह के ट्रेड यूनियनों ने भाग लिया हैं। निजीकरण के खिलाफ़ संघर्ष को अगुवाई देने का काम हमें ऐसे समय पर करना पड़ा जब कम्युनिस्ट आन्दोलन में कुछ दल यह मान चुके थे कि निजीकरण का "कोई विकल्प नहीं है"। वे ऐसा सोचने व प्रचार करने लगे थे कि जिन–जिन क्षेत्रों को घाटे पर चलने वाला घोषित किया जायेगा, उनका निजीकरण होना, उनका बंद होना अनिवार्य है। उन क्षेत्रों में तालाबंदी और निजीकरण के खिलाफ़ मजदूरों के संघर्षों को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) या माकपा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) नीत केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों ने कोई समर्थन नहीं दिया। एम.एफ.आई.एल. के मजदूरों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया और बिजली बोर्डों, कपड़ा मिलों तथा राजकीय क्षेत्र के दूसरे "घाटे पर चल रहे" कारोबारों के मजदूरों के साथ भी ऐसा ही किया गया।

हमारी पार्टी ने संघर्ष में जुटे मजदूरों को संगठित करके यह सवाल रखा कि ये कारोबार घाटे पर क्यों चल रहे थे, घाटे के लिये कौन दोषी था तथा किसे इन सारे नुकसानों की भरपायी करनी चाहिये। जब तत्कालीन विनिवेश मंत्री, अरुण जेटली ने खुलेआम ऐलान किया था कि "ब्रेड बनाना सरकार का काम नहीं है", तब एम.एफ.आई.एल. के मजदूरों ने उनसे उल्टा यह सवाल पूछा था कि "फिर सरकार का काम क्या है, जनता की ओर सरकार की क्या जिम्मेदारी है?"

जैसे–जैसे संघर्ष विकसित होता गया, वैसे–वैसे हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी ने निजीकरण के असली रंग–रूप एवं मजदूर वर्ग व पूरे समाज पर उनके असर का पर्दाफाश करने के लिये निरंतर अभियान चलाया। पार्टी ने यह स्पष्ट किया कि निजीकरण कार्यक्रम का मकसद है मजदूरों और समाज

के आम हितों की बलि चढ़ाकर, सिर्फ चंद निजी हितों को और मालदार बनाना। पार्टी ने यह साफ किया कि निजी मुनाफों को अधिक से अत्याधिक बनाने का उद्देश्य ही वर्तमान आर्थिक समस्याओं की मुख्य वजह है। पार्टी ने मजदूर वर्ग को यह ऐलान करने के लिये सक्षम किया कि कार्यपालक, यानि तत्कालीन सरकार का, सार्वजनिक संपदा को निजी कंपनियों के हाथों बेचने का कोई अधिकार नहीं है।

तमाम मजदूरों और कार्यकर्ताओं द्वारा सरमायदारों के हमलों के खिलाफ़ मजदूर वर्ग और सभी शोषितों के एकजुट संघर्ष को अगुवाई देने वाले एक संगठन बनाने के दबाव की वजह से, नैशनल प्लैटफार्म ऑफ मास ऑरगेनाइजेशंस (एन.पी.एम. ओ. – जन संगठनों का राष्ट्रीय मंच) का गठन हुआ जिसमें अलग–अलग पार्टियों से जुड़े दल शामिल हुए। लोगों को अपना आजाद लड़ाकू कार्यक्रम बनाने और संघर्ष की योजना बनाने में समर्थ करने की जगह, माकपा के नेतृत्व ने इस मंच को अपने संसदीय लक्ष्यों और गठबंधन बनाने की कोशिशों के अधीन रखा। एक ''आलाकमान'' यह निर्णय लेती थी कि मजदूरों, किसानों, महिलाओं व नौजवानों के कौन से संगठन इस मंच का हिस्सा बन सकते हैं और कौन से नहीं, इस आधार पर कि कौन सा संगठन किस पार्टी से जुड़ा है।

माडर्न फूड के मजदूरों के दिलेर और अनवरत संघर्ष ने निजीकरण के असर के बारे में संगठित मजदूर वर्ग की आंखें खोल दी। जब बाल्को के मजदूर भी संघर्ष की राह पर उतरे और दूसरे कारोबारों तथा राज्य बिजली बोर्डों के मजदूर भी उसी राह पर चल पड़े, तब निजीकरण के खिलाफ़ आन्दोलन जोर पकड़ने लगा। 26 फरवरी 2003 को हुई मजदूर वर्ग की विशाल रैली में मजदूर वर्ग की क्षमता, उसमें एकता की चाहत और सरमायदारों के समाज–विरोधी हमलों को परास्त करने के लिये संघर्ष करने की उसकी इच्छा साफ नजर आई। हमारी पार्टी ने उस रैली में भाग लेकर मजदूरों को समझाया कि मजदूर वर्ग के एक सांझे कार्यक्रम पर चर्चा करने और एकता बनाने के लिये हर फैक्टरी में मजदूर वर्ग का संगठन बनाने का वक्त अभी आ गया है।

तेल कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ़ मजदूर वर्ग के बढ़ते विरोध और इस अहम ऊर्जा क्षेत्र पर किसका एकाधिकारी नियंत्रण बनेगा, इस मुद्दे पर अंतर–पूंजीवादी अंतर्विरोधों की वजह से तेल निजीकरण कार्यक्रम को कुछ

समय के लिये स्थगित कर दिया गया। निजीकरण के संपूर्ण रास्ते को चुनौती देने, उसे रोकने और पलटने के लिये कानूनी संघर्ष तथा सड़कों पर संघर्ष करने का मौका सामने आ गया। मार्च 2004 में मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार की हिफ़ाज़त में सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों की राष्ट्र व्यापी हड़ताल ने यह दिखला दिया कि हिन्दोस्तान का मजदूर वर्ग सरमायदारों के खिलाफ़ कट्टर संघर्ष करना चाहता है। अलग–अलग पार्टियों के ट्रेड यूनियनों ने इस संघर्ष में हिस्सा लिया।

इस परिस्थिति में मजदूर–किसान गठबंधन पर आधारित एक इंकलाबी मोर्चा बनाने के बजाय, कम्युनिस्ट आन्दोलन की संसदीय शाखा, भाजपा के 'साम्प्रदायिक फाशीवाद' से लड़ने के बहाने, कांग्रेस पार्टी के साथ एक मोर्चे में मिल गयी है। यानि, समाज–विरोधी हमले के खिलाफ़ संघर्ष को कम महत्व देते हुये, उसी समाज–विरोधी रास्ते पर चलने वाली दूसरी सरमायदारों की पार्टी को, सत्तारूढ़ पार्टी की जगह पर लाने के संसदीय संघर्ष को ज्यादा महत्व दिया गया। निजीकरण के खिलाफ़ संघर्ष को, निजीकरण के एक तरीके के बदले दूसरे तरीके को लाने की प्रक्रिया में तब्दील कर दिया गया। वास्तव में, माकपा की अगुवाई में, संसद में कम्युनिस्ट प्रतिनिधियों की हरकतों से निजीकरण व उदारीकरण कार्यक्रम के खिलाफ़ मजदूर वर्ग की राजनीतिक एकता को काफी चोट पहुंची है।

सरमायदारों के हमलों का एक पहलू ठेकेदारी मजदूरी को कानूनी बनाने और उसके दायरे को विस्तृत करने की कोशिश है जिससे मजदूरों के अधिकारों को सीमित किया जाता है और मजदूरों का अत्यधिक शोषण किया जाता है। कई क्षेत्रों के उत्पादक काम को सहायक सेवायें करार दिया जाता है, जिनमें पार्ट टाइम और दैनिक मजदूरी पर काम की इजाज़त दी जाती है और जहां मजदूरों को पीस रेट पर काम करना पड़ता है। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी असंगठित व कम संगठित मजदूरों के बुनियादी अधिकारों की हिफ़ाज़त के संघर्ष में एक सक्रिय ताकत रही है।

काफी लंबे संघर्ष के बाद, तामिल नाडु के निर्माण मजदूरों ने मजदूर कल्याण और दुर्घटना मुआवज़े के लिये निर्माण मजदूर कोष स्थापित करने को, राज्य सरकार को मजबूर किया। उन्होंने सफलतापूर्वक यह दावा किया कि

अलग–अलग पूंजीपति मालिकों के लिये काम करने वाले सभी मजदूरों को राज्य से सुविधायें पाने का अधिकार है। इससे पूरे हिन्दोस्तान के निर्माण मजदूरों को ऐसी मांग के लिये संघर्ष करने का प्रोत्साहन मिला है। दूसरे असंगठित मजदूर तबकों, बीड़ी, वस्त्र, हीरा व स्टेनलेस स्टील कर्मियों तक, इस संघर्ष का विस्तार करने की कोशिश की जा रही है। अगस्त 2004 में, पूरे महाराष्ट्र से 15,000 मजदूर, आधे से ज्यादा महिलायें, मुंबई में एकत्रित हुये, और उन्होंने रोजगार की सुरक्षा, यूनियन बनाने के अधिकार और पर्याप्त वेतन की मांगें रखीं।

वस्त्र मजदूर हिन्दोस्तानी मजदूर वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है। इन कुशल मजदूरों को बहुत ही असुरक्षित हालतों में, बहुत कम वेतन पर, और कई बार किसी भी सुविधा के बिना, काम करना पड़ता है। उदारीकरण कार्यक्रम का इस उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हमारी पार्टी मुंबई के वस्त्र मजदूरों को इस हमले के खिलाफ़ लड़ने के लिये युनियनों में संगठित कर रही है और इस काम के दौरान हमें काफी कीमती अनुभव मिला है। बागान मजदूरों, हम्माली मजदूरों और अभियांत्रिकी, बस परिवहन, बिजली सप्लाई, नगर निगम सेवाओं, रेल, बंदरगाह व दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के बीच हम सक्रियता से काम कर रहे हैं।

आपस में विरोधी संसदीय पार्टियां साथ मिल कर मजदूरों को राजनीति से दूर रखती हैं। वे मजदूरों के रक्षक संगठनों, ट्रेड यूनियनों को शक्तिहीन बनाने में योगदान दे रही हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि सरमायदार वर्ग और सरमायदार पार्टियां समाज–विरोधी हमले को तेज करने में एकजुट रही हैं परन्तु मजदूर वर्ग को बांट कर किनारे पर रखा गया है। समाज विरोधी हमले के खिलाफ़ संघर्ष में ट्रेड यूनियन जरूरी और अनिवार्य रक्षक संगठन हैं। अतः बिना झिझक मजदूरों के सामूहिक हित के लिये लड़ने वाली युनियनों को बनाना व मजबूत करना बेहद जरूरी है। परन्तु यह सुनिश्चित करने के लिये, कि मजदूर वर्ग राजनीतिक आधार पर एकजुट हो जाता है और समाज–विराधी हमले के खिलाफ़ संघर्ष में सभी शोषितों और पीड़ितों का नेता बनकर आगे आता है, इसके लिये ट्रेड यूनियन काफी नहीं है। बीते 13 सालों के अनुभव इसके स्पष्ट सबूत पेश करते हैं। अगर मजदूर वर्ग को कुछ हासिल करना है तो वह सिर्फ ट्रेड यूनियनों में संगठित होने तक सीमित नहीं रह सकता है।

मजदूरों का एक इंकलाबी केन्द्र बनाना जरूरी है – एक राजनीतिक आधार पर एकजुट मजदूर वर्ग मोर्चा – जो निजीकरण और समाज–विरोधी हमले के खिलाफ़ संघर्ष को अगुवाई देने की जरूरी शर्त है।

हमारी पार्टी ने अलग–अलग इलाकों में मजदूरों की एकता के संगठनों को बनाने व उन्हें चलाने में योगदान दिया है। पार्टियों की सीमा रेखा को पार करने वाले, मजदूरों के एकजुट संघर्ष के संगठनों को बनाने के हमारे प्रयासों में काफी उतार–चढ़ाव आये हैं। हमने इनमें से कुछ संगठनों को खत्म होते देखा है। ये संगठन इसलिये खत्म हो गये क्योंकि इनमें काम करने वाले कामरेडों ने इन्हें लोकतांत्रिक केंद्रीयवादी तरीके से बनाने से इंकार किया। अगर लोकतांत्रिक केन्द्रीयवाद के आधार पर काम किया जाता तो मजदूरों की पहलशक्ति विकसित होती और मजदूरों के सांझे मत को अहमियत दी जाती। ट्रेड यूनियन संगठनों के सरमायदार तौर–तरीकों को अपनाया गया है, एक या दो नेताओं की प्रधानता चली है, कानूनी संघर्ष का मोर्चा मजदूर संगठन पर हावी रहा है और राजनीतिक संघर्ष को कानूनी मोर्चे से कम अहमियत दी गयी है। इन कारणों की वजह से ये संगठन खत्म हो गये हैं। इस काम के खत्म होने का मुख्य कारण पहचाना जा चुका है, जो अलग–अलग फैक्टरियों व काम के स्थानों पर संघर्षरत मजदूरों के बीच पार्टी के बुनियादी संगठन बनाने की असफलता है। पूरे देश के स्तर पर एक इंकलाबी केन्द्र जो मजदूर वर्ग को दिशा दिखा सके और मार्गदर्शन कर सके, उसे बनाने के काम को दुगनी ताकत से करना पड़ेगा। इस काम में पहले आयी समस्याओं की समीक्षा करके उनको हटाना होगा।

दूसरी पार्टियों द्वारा शुरु किये गये जन संगठनों के विभिन्न मोर्चों में भी काम करने का हमें अनुभव मिला है, जिनमें एन.पी.एम.ओ., दिल्ली और मुंबई में ट्रेड यूनियन समन्वय दल, आदि शामिल है। इनमें हमारी संख्या कम होने की वजह से, हमें किनारे पर कर देने का काफी दबाव रहा है। साथ ही साथ, हमने यह स्थापित कर दिया है कि हम एकता के कारक हैं; इसीलिये, किसी भी मजदूर वर्ग मोर्चे से हमारी पार्टी के कामरेडों को बाहर नहीं रखा जा सका है।

हमारी पार्टी के कामरेडों के सामने यह चुनौती है कि हम इस काम पर डटे रहें, चाहे नतीजों में उतार–चढ़ाव क्यों न हो। बीते समय में इन मोर्चों की

अहमियत और संभावनाओं के गलत मूल्यांकन की वजह से इस काम को नुकसान पहुंचा है। कभी–कभी हमारे कामरेडों ने इनकी अहमियत को कम करके आंका है और इन मोर्चो में जितना हिस्सा लिया जा सकता था, उतना नहीं लिया गया है। कभी–कभी हमने इस काम में कुछ समय के लिये जोश से भाग लिया है, पर जब कांग्रेस पार्टी से समझौता करने वालों ने रुकावटें पैदा की हैं, तब हमने इस काम को छोड़ दिया है।

मजदूर वर्ग मोर्चे को ऊपर से और नीचे तक बनाना होगा, पर मुख्यतः नीचे से। मजदूरों को अलग–अलग पार्टियों से संबंधित मजदूरों को मिलाकर, फैक्टरी व औद्योगिक समितियां तथा औद्योगिक क्षेत्र की समितियां बनानी होंगी, जिनमें मजदूर वर्ग से और मजदूर वर्ग के लिये लड़ने वाले नेता व योद्धा शामिल होने चाहियें। इन समितियों में पूरी चर्चा होनी चाहिये कि सरमायदारों के समाज–विरोधी कार्यक्रम के खिलाफ़ कैसे लड़ना चाहिये और उसे कैसे रोकना चाहिये। मजदूरों व किसानों की हुकूमत स्थापित करने के वैकल्पिक कार्यक्रम पर भी उन्हें चर्चा करनी चाहिये।

विभिन्न मजदूर वर्ग मोर्चों में काम करने के अनुभव से कुछ अहम सवाल उठते हैं, जिनका जवाब हमें निकालना होगा। ऐसे मजदूर वर्ग मोर्चे में राजनीतिक पार्टियों की क्या भूमिका होनी चाहिये? क्या यह ऐसा मोर्चा होना चाहिये जो तब सक्रिय हो जब भाजपा सत्ता में है और तब निष्क्रिय हो जब कांग्रेस पार्टी, वाम मोर्चे के सहयोग के साथ सत्ता में है? यह संपूर्ण मजदूर वर्ग के लिये चिंता का विषय है। क्या मजदूर वर्ग के व्यापक संघर्ष के मोर्चे को फैसले लेने के अधिकार, मजदूर वर्ग के हाथों में रखने के लिये, संगठित होना चाहिए या क्या उसे किसी पार्टी और उसके संसदीय कार्यक्रम की पूंछ बन जाना चाहिये? क्या उसे सभी ट्रेड यूनियनों और मजदूर संगठनों को शामिल नहीं करना चाहिये, चाहे उनका किसी भी विचारधारा या पार्टी से संबंध हो? इन सवालों पर चर्चा करने और समाधान निकालने में मजदूर वर्ग के सभी संगठकों और कार्यकर्ताओं को शामिल करना जरूरी हो गया है।

मजदूर वर्ग के सामने आज जो हालत है, उसमें इन सवालों का जवाब निकालना बहुत अहमियत रखता है। संसदीय वामदल अपने ट्रेड यूनियनों पर बहुत दबाव डाल रहे हैं कि वे कोई ऐसा कदम न लें जिससे संयुक्त

प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार को धक्का पंहुचे। इस तरह कठिन बनाई गई हालतों के बावजूद, सरमायदारों के हमले के खिलाफ़ संघर्ष को तेज़ करना मजदूर वर्ग के सामने चुनौती है। एकजुट होकर संघर्ष की राह पर आने और संप्रग सरकार के "मानवीय चेहरे" के बारे में किसी बंटवारा कराने वाले दबाव या भ्रम का शिकार न बनने के लिये मजदूरों को शिक्षित, संगठित और प्रेरित करने में बड़ी लगन से काम करने की आवश्यकता है। *एक फैक्टरी में एक यूनियन* की जरूरत पर बड़े उद्योगों, जैसे कि रेल व बंदरगाह में यूनियनों में संगठित मजदूरों के बीच उत्साहजनक प्रचार करने की जरूरत है। सरमायदारों की योजनाओं और कांग्रेस–वाम मोर्चा गठबंधन की तरकीबों को ध्यान में रखते हुये, चुने शहरों के खास क्षेत्रों में इस काम को आगे ले जाने की संभावना का गंभीरता से मूल्यांकन करके, ठंडे दिमाग से योजना बनाने की जरूरत है।

6 जुलाई, 2004 को संसद पर ट्रेड यूनियनों, किसान संगठनों, लोकतांत्रिक अधिकारों के संगठनों और महिला संगठनों की जनसामूहिक रैली से यह देखा गया कि जनसमुदाय तथा उनके संगठन अपने संघर्ष पर लगे रहना चाहते हैं। उस रैली में मजदूर और किसान संगठनों और लोकतांत्रिक अधिकारों के कार्यकर्ताओं ने एक संयुक्त संघर्ष का ऐलान किया तथा अपने आजाद कार्यक्रम के कुछ तत्वों को पेश किया। यह दिखाता है कि वर्तमान हालतों में, एक साझे कार्यक्रम के इर्द–गिर्द मजदूरों, किसानों और सभी शोषितों की राजनीतिक एकता बनाना मुमकिन है।

मजदूर-किसान गठबंधन

हमारी पार्टी ने विश्लेषण किया कि यह पूंजीवाद, सामंतवाद के अवशेष और साम्राज्यवाद व बस्तीवाद का ढांचा ही है जो हिन्दोस्तानी किसानों का दमन करता है। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मेहनतकशों की अधिकतम लूट–खसौट में सहायक पूंजीवादी–साम्राज्यवादी व्यवस्था और दमनकारी राज्य की बस्तीवादी विरासत, के खिलाफ़ कार्यक्रम के इर्द–गिर्द मजदूर–किसान गठबंधन बनाकर ही, हम, सभी किसानों की इंकलाबी काबिलियत को एक प्रबल शक्ति बना सकते हैं।

हमारी पार्टी ने यह विश्लेषण किया कि हिन्दोस्तानी बड़े सरमायदार खुद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का साम्राज्यवादी खिलाड़ी बनने की चाह में, किसानों से असमान व्यापार के द्वारा अधिकतम मुनाफे बनाने पर तुले हुये हैं। अभी चलाई जा रही तथाकथित 'दूसरी हरित क्रांति' से किसानों की जिन्दगी तबाह हो गई है, कई किसान कर्ज़ में डूब गये, तो कईयों ने आत्महत्या कर ली। कई राज्यों में देहातों के धनी तबकों और केन्द्रीय हुकूमत पर नियंत्रण रखने वाले बड़े सरमायदारों के बीच पहले जो गठबंधन थे, वे अब टूटने लगे हैं, क्योंकि एकाधिकारी पूंजीपति देहातों में अपनी लूट को और तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ताधारी सरमायदारों के किसान–विरोधी, राष्ट्र–विरोधी, और समाज–विरोधी रास्ते के खिलाफ़ देश भर में संघर्ष तेज हुए हैं और आने वाले सालों में ये अधिक तीव्र होंगे। मजदूर–किसान गठबंधन बनाने के लिए भूमि उपजाऊ है।

महाराष्ट्र के तीस लाख से अधिक कपास उत्पादकों ने राज्य सरकार के खिलाफ़ एक अहम जीत तब हासिल की जब 2004 में तात्कालित मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को, एकाधिकार कपास खरीदी योजना (एम.सी.पी.एस.) को बरकरार रखने का ऐलान करना पड़ा। सरकार इस व्यवस्था को बड़ी इज़ारेदार पूंजीवादी कंपनियों के हित में खत्म करना चाहती थी। पंजाब के किसान गन्ने की खरीद पर बकाया पैसा न मिलने पर और धान की फसल के लिए उचित दाम की मांग को लेकर, सड़क पर उतर आये क्योंकि खेती के लिए जरूरी सामग्रियों के दाम बहुत बढ़ गये हैं। किसानों ने यह मांग भी की कि, जबकि राज्य सरकार खेती की विविधता बढ़ाने की बात करती है, वह इसके लिए जरूरी सामग्रियां, जैसे बिजली और ऋण, देने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है।

भारतीय किसान युनियन (हरियाणा) की अगुवायी में हरियाणा के दसों हजारों किसानों ने बिजली बिल के बकाया के जबरदस्ती से वसूले जाने के खिलाफ़ संघर्ष किया है क्योंकि अगर उनसे यह बकाया वसूला जाये तो वे दिवालिया हो जायेंगे। राजस्थान में सिंचाई के लिए पानी की मांग को लेकर जबर्दस्त संघर्ष फूट पड़ा है। दर्जनों किसान पुलिस की गोलीबारी में शहीद हो गये और सैकड़ों अपने अधिकारों के खातिर लड़ने के लिये जेल में बंद हैं। उन पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया गया है! लेकिन इन सब से डरे बिना,

किसान–मजदूर–व्यापारी संघर्ष समिति और किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में किसान अपने संघर्ष पर डटे हैं। हमारी पार्टी ने इन संघर्षों को सक्रियता से समर्थन दिया है।

मजदूर–किसान गठबंधन बनाने में प्रगतिशील ताकतों ने महत्वपूर्ण पहल ली है। 19 सितंबर, 2003 को, लोक राज संगठन द्वारा नौहर, राजस्थान में आयोजित की गई किसानों की रैली में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान नेता भी इस रैली में शामिल थे। इसमें यह संकल्प लिया गया कि अब किसान पार्टीवादी सरकार तंत्र को और बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यह उन्हें राजनीतिक सत्ता से वंचित करता है। उन्होंने गांव और ढाणी (उपगांव) के स्तर पर लोगों के गैर–पार्टीवादी लड़ाकू संगठन बनाने का भी फैसला किया।

नौहर रैली के बाद से राजस्थान में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता अपना काम बढ़ाते जा रहे हैं। उन्होंने नकली बीजों का सवाल उठाया है और सिंचाई के लिए पानी के वितरण के नियंत्रण पर किसानों की भूमिका के मसले पर राज्य सरकार को चुनौती दी है। इन दिनों पानी और राज्य द्वारा किसानों के दमन के मसले पर उन्होंने संघर्ष छेड़ रखा है जो उस राज्य के दो विकसित खेती वाले जिलों में फैल गया है।

एक अहम मसला जिस पर देशभर के किसान चिंतित हैं, वह है हिन्दोस्तानी सरकार द्वारा विदेशी व्यापार नीति का उदारीकरण। हिन्दोस्तान द्वारा जी.ए.टी. टी. (गैट) पर हस्ताक्षर करने और डबल्यू.टी.ओ. (विश्व व्यापार संगठन) में प्रवेश करने के बाद कई अहम नीतिगत बदलाव आये हैं जिससे कृषि और उससे संबंधित उत्पादों पर आयात शुल्क में गिरावट आई है और कृषि उत्पादों के आयात और निर्यात पर पहले लगाये गये मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाया गया है। दक्षिण–पूर्वी एशियाई देशों से सस्ते खाद्य तेल के आयात से तिलहन का उत्पादन करने वाले लाखों किसानों और तेल उत्पादन करने वाली छोटी कंपनियों की रोजी–रोटी के साधन नष्ट हो गये हैं। यही हाल काली मिर्च, रबड़, इलाइची, इत्यादि जैसे कृषि उत्पादों की पैदावार से जुड़े किसानों का हुआ है। पार्टी ने सरमायदारों के इस दावे का भी पर्दाफाश किया कि कृषि

उत्पादों के आयात का उदारीकरण बहुसंख्यक ग्राहकों के हित में है। हमने यह दिखाया कि इस आयात के उदारीकरण से कृषि व्यापार में इज़ारेदारी कंपनियों को सबसे अधिक फायदा होता है, और यह नीति कृषि क्षेत्र को हिन्दोस्तानी और अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी कंपनियों के नियंत्रण में लाने के मकसद से बनाई गई है।

सरमायदारों के हमले के खिलाफ़ किसानों के संघर्ष को विचारधारात्मक हथियार से लैस करते हुए, पार्टी ने यह बात साफ तौर से कही कि देशभर में कृषि को अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए किसानों को जरूरी सामग्रियां और प्रौद्योगिकी मुहैया कराना राज्य का फर्ज़ है। साथ ही, किसानों से अनाज की खरीद की गारंटी और लालची इजारेदारी पूंजी के हमले से सुरक्षा समेत रोजी–रोटी सुनिश्चित करना राज्य का फर्ज़ है। यह मांग करना किसानों का अधिकार है कि कृषि उत्पादों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने और आयात शुल्क कम करने के कदमों को पलट दिया जाये।

पार्टी ने हमेशा लोगों के अनुल्लंघनीय अधिकारों की हिफ़ाज़त की है तथा उन्हें विस्तृत करने का काम किया है, जैसे कि मजदूरों और किसानों, मछुआरों, वनवासियों और आर्थिक सुधार कार्यक्रम से पीड़ित अन्य लोगों के अधिकार; हिन्दोस्तानी संघ में शामिल सभी राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं और जनजातियों के लोगों के अधिकार; और आधुनिक समाज में रहने वाले सभी इंसानों के अधिकार। बाजारों पर आधारित अर्थव्यवस्था में हर किसी को सिर्फ अपना हित देखना चाहिए, इस सरमायदारी विचारधारात्मक दबाव के खिलाफ़ लोगों को लैस करने में इस कार्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

पार्टी अखबार में किसान संघर्षो की खबरें और अधिक गहराई व विस्तार से छापी जा रही हैं। पार्टी ने किसानों के संघर्षों को और उनकी मुख्य मांगों को अखबार के माध्यम से लोकप्रिय बनाया है, जैसे कि कृषि के लिये जरूरी सामग्रियों की आपूर्ति, अनाज और उत्पादों की उचित दाम पर खरीद की गारंटी, पानी समेत सभी प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकार, और साहूकारों, बैंकों और बीमा कंपनियों की बेबर्दाश्त मांगों से छुटकारा। मजदूर वर्ग व किसानों के सांझे संघर्ष के कार्यक्रम को विकसित करने के लिये पार्टी के काम को और मजबूत करने की जरूरत है।

कम्युनिस्ट आंदोलन में दो दगाबाज धाराओं ने किसान आंदोलन को मजदूर वर्ग की अगुवाई से वंचित रखा है; वे हैं–संसदवाद की धारा और व्यक्तिगत आतंकवाद की धारा। फलस्वरूप, किसान आंदोलन की अगुवाई प्रांतीय सरमायदारों के एक या दूसरे तबके ने हथिया ली है। किसानों की रोजी–रोटी पर निरंतर बढ़ते हमले और कृषि का गहराता संकट मजदूर वर्ग और कम्युनिस्टों के सामने यह चुनौती पेश कर रहा है कि वे मजदूर–किसान गठबंधन बनाने का काम गंभीरता से आगे बढ़ायें। इसके लिये वे किसानों के हर एक संघर्ष में हिस्सा लें, लड़ाकू तबकों के साथ संबंध बनाएं, उनके संघर्षों को बेझिझक समर्थन दें और सरमायदारों के झूठे प्रचार और गुमराह करने वाली चालों का पर्दाफाश करें। ऐसा करने के लिये किसानों के सभी तबकों के, खास तौर पर गरीब किसानों के संगठन बनाने होंगे व उन्हें मजबूत करने होंगे। ऐसा करने के लिये बहादुर किसानों को इंकलाब व समाजवाद का रास्ता अपनाने के लिये प्रोत्साहन देना होगा। इस काम में सफलता प्राप्त करने के लिये संघर्ष को आयोजित करने के साथ–साथ, कम्युनिस्टों के बुनियादी संगठन बनाना निर्णायक है।

साम्राज्यवादी जंग, राजकीय आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ़

विश्लेषण करने के पश्चात हमारी पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है कि समाज–विरोधी हमले को हराने के लिए मजदूर वर्ग और किसानों को सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा, बढ़ते फाशीवाद, सभी तरह के राजकीय आतंकवाद, साम्राज्यवाद और जंग के खिलाफ़ लड़ने वाली सभी ताकतों का एक मजबूत मोर्चा तैयार करना होगा।

जब हिन्दोस्तान और पाकिस्तान के बीच कारगिल जंग छिड़ी तो हमारी पार्टी ने उस जंग की भर्त्सना की और हमने "गरीबी के खिलाफ़ जंग" छेड़ने का ऐलान किया। सड़कों पर प्रदर्शनों, मीटिंगों, इत्यादि के जरिये हमारी पार्टी ने सभी लोकतांत्रिक ताकतों को जंग की खिलाफत के लिये तैयार करने में अगुवायी दी। जब कम्युनिस्ट आंदोलन में कुछ दलों ने इस जंग के खिलाफ़ आवाज उठाने से इंकार किया क्योंकि या तो वे पाकिस्तान के खिलाफ़ हिन्दोस्तानी राज्य का समर्थन करते हैं, या फिर शासक वर्गों द्वारा फैलाये गये

उग्र राष्ट्रवाद के खिलाफ़ अपनी आवाज उठाने से डरते हैं, ऐसे माहौल में हमारी पार्टी अपने रवैये पर बहादुरी से डटी रही।

सितंबर 2001 में न्यूयार्क में हुए आतंकवादी हमलों के साथ ही अमरीका और उसके समर्थक देशों द्वारा "आतंकवाद पर जंग" का ऐलान किया गया। यह इस बात का इशारा था कि अब अमरीका और अन्य साम्राज्यवादी देशों में आंतरिक तौर पर फाशीवाद बढ़ेगा और दुनिया का पुनःबंटवारा करने के लिए जंग को बढ़ावा मिलेगा। हमारी पार्टी ने इस "आतंकवाद पर जंग" के असली इरादों का पर्दाफाश किया और अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले की भर्त्सना की। इसकी वजह से हमारे साथियों को हिन्दोस्तानी राज्य के हमलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो कोई अमरीका की अगुवाई में चलाये जा रहे जंग का विरोध कर रहा था, उसे हिन्दोस्तानी राज्य "आतंकवादी" करार दे रहा था। शुरुआत में ऐसी बहुत कम ताकतें थीं जो अफगानिस्तान पर चल रहे जंग के खिलाफ़ संघर्ष से जुड़ने को तैयार थीं। माकपा ने "तालीबानी रूढ़ीवाद" को इसके लिए बराबर जिम्मेदार बताकर साम्राज्यवादी हमले के साथ समझौता किया।

हमारी पार्टी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों पर हो रहे हमलों से उनकी रक्षा करने के लिए हिन्दोस्तान की सभी लोकतांत्रिक ताकतों के साथ एकजुट हो गयी। हमने इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के जमीर के अधिकार की हिफाजत की, क्योंकि उन पर यह दबाव डाला जा रहा था कि वे इस्लामी रूढ़ीवाद का विरोध करें और 'उदारवाद' पर विश्वास करके, अफगानिस्तान पर हमले का समर्थन करें, वरना उन्हें आतंकवादी करार दिया जायेगा।

2002 के गुजरात जनसंहार में सैकड़ों बेगुनाह लोगों को बेहद वहशी तरीके से मौत के घाट उतारा गया। हमारी पार्टी के कामरेडों और समर्थकों ने गुजरात के जनसंहार के पीड़ितों को राहत देने के कार्य में हिस्सा लिया। जनसंगठनों में काम कर रहे पार्टी कामरेडों ने यह अहम राजनीतिक सवाल उठाया कि साम्प्रदायिक हिंसा को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाये। जन संगठनों ने इस प्रश्न पर सक्रियता से चर्चा करने के लिये बहुत सी आम सभायें आयोजित की। गुजरात जनसंहार के लिए हिन्दोस्तानी राज्य की भूमिका की कड़ी निंदा करते हुए, देश भर में कई रैलियों और प्रदर्शनों में हमारे कामरेडों ने हिस्सा लिया।

नवंबर 2002 में, हिन्दोस्तानी राज्य और इंकलाब, इस विषय पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्य भाषण को पेश करते हुए पार्टी ने बताया कि हिन्दोस्तानी राज्य द्वारा आयोजित साम्प्रदायिक हिंसा उसके समाज विरोधी हमले का अभिन्न अंग है। पहले साम्प्रदायिक हिंसा और नफरत को भड़काना और फिर शांति और सद्भावना कायम करने के नाम पर हिन्दोस्तानी राज्य द्वारा हस्तक्षेप करना, यह बस्तीवाद के समय से चलती आ रही परखी हुई चाल है। इस चाल का मकसद है लोगों के प्रतिरोध को गुमराह करना व बांटना, और लोगों के जायज़ संघर्षों को साम्प्रदायिक रंगों से रंग कर, उन पर हमला करना।

एशिया और पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए चलाई जा रही अमरीकी साम्राज्यवाद की रणनीति को, "आतंकवाद पर जंग" और 'इस्लामी कट्टरवाद' पर जंग के रूप में पेश किया जा रहा है। ठीक इसी तरह, हिन्दोस्तान में भी आर्थिक सुधारों के दूसरे दौर के बढ़ते विरोध को गुमराह करने और उसे दबाने के लिए, हिन्दोस्तानी हुक्मरान सरमायदार साम्प्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंक के दूसरे तरीके तथा जंग भड़काऊ प्रचार का इस्तेमाल कर रहे हैं।

राज्य द्वारा आयोजित साम्प्रदायिक हिंसा के खिलाफ़ लड़ाई में सबसे बड़ी रुकावट हिन्दोस्तानी कम्युनिस्ट आंदोलन का वह दस्ता है जो इस विचार को फैला रहा है कि समस्या की जड़ हिन्दोस्तानी राज्य नहीं बल्कि कोई पार्टी है। माकपा के नेता यह दावा करते हैं कि हिन्दोस्तानी राज्य की 'धर्मनिरपेक्ष बुनियादें' हैं, जबकि यह राज्य जड़ से ही साम्प्रदायिक है। गुजरात जनसंहार का विरोध करते हुए माकपा ने भाजपा पर साम्प्रदायिकता का स्रोत होने का आरोप लगाया और कांग्रेस पार्टी के जघन्य गुनाहों पर लीपा–पोती कर दिया।

सांप्रदायिक कत्लेआम आयोजित करने के गुनहगारों को सजा दिलाने और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिये लोकतांत्रिक ताकतों के संघर्ष का हमारी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है। नवंबर 1984 में दिल्ली और अन्य जगहों पर हुए सिखों के जनसंहार के 20 साल बाद, 1 नवंबर 2004 को संसद पर आयोजित किया गया जन प्रदर्शन, कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक दलों के मुंह पर एक करारा तमाचा था।

जब भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने पोटा अधिनियम जारी किया, तो हमारी पार्टी ने इसको बर्खास्त करने के लिए सारे देश में अभियान चलाने की पहल ली। इस सवाल पर हमने सभी लोकतांत्रिक शक्तियों को सफलतापूर्वक लामबंध किया। दिल्ली, मुंबई, तिरुवनंतपुरम और अन्य शहरों में कई सभाएं और प्रदर्शन आयोजित किये गये जिनमें मानव अधिकारों के संघर्ष के कई जाने–पहचाने कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस विधेयक के प्रस्तुत करने से लेकर हाल में संप्रग सरकार द्वारा इसको हटाने तक, इस सारे अंतराल में, हमारी पार्टी ने इस फाशीवादी कानून के खिलाफ़ संघर्ष में कार्यशील भूमिका अदा की है। पोटा को हटाने के साथ–साथ संप्रग सरकार ने गैर कानूनी कार्य (प्रतिबंध) कानून, 1967 (यू.ए.पी.ए.) को मजबूत किया है, जिससे इस संघर्ष को जारी रखने की जरूरत का संकेत मिलता है। पोटा के तहत गिरफ्तार लोगों की रक्षा करने में जुटे प्रगतिशील और जनतांत्रिक ताकतों के संघर्ष का हमारी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है। इन गिरफ्तार लोगों में शमिल हैं – संसद पर हमले और गोधरा ट्रेन दुर्घटना के आरोपी। हमारी पार्टी ने कम्युनिस्ट और मजदूर आंदोलन में शामिल उन ताकतों के खिलाफ़ संघर्ष किया, जो हिन्दोस्तानी राज्य की उस लाईन के साथ समझौता कर रहे हैं कि आतंकवाद का विरोध करने के लिए फाशीवादी कानूनों की जरूरत है।

पिछले कई महिनों से, मणिपुर के सभी लोग सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) कानून 1958 (ए.एफ.एस.पी.ए.) को बर्खास्त करने के लिए अप्रत्याशित संघर्ष चला रहे हैं। हिन्दोस्तानी राज्य द्वारा मणिपुरी लोगों पर किये जा रहे हमलों के खिलाफ़ देश–व्यापी अभियान चलाने में हमारी पार्टी ने अगुवायी ली। फाशीवादी सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) कानून को बर्खास्त करने और पूरे क्षेत्र से बिना किसी शर्त के हिन्दोस्तानी सेना को वापस बुलाने की उनकी जायज़ मांगों को हमने समर्थन दिया है। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के नौजवान कम्युनिस्टों ने मजदूरों व शोषित जनसमुदाय के बीच, मणिपुर के लोगों के संघर्ष के लिये बड़े पैमाने पर समर्थन जगाया। दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बैंगलोर और अन्य जगहों पर सभाएं आयोजित की गई, जिनमें सभी लोकतांत्रिक व फाशीवाद–विरोधी ताकतों ने सक्रियता से हिस्सा लिया। इस काम की वजह से मणिपुरी लोगों को अपने जायज संघर्ष के खिलाफ़ केंद्रीय राज्य के झूठे प्रचार और घेराबंदी को तोड़ने में मदद मिली।

हमारी पार्टी ने इराक पर अमरीका नीत हमले और हिन्दोस्तानी फौज को इराक भेजने के खिलाफ़ देशव्यापी अभियान चलाया। इस तरह से हम इस मसले पर बहुत सारी पार्टियों और जाने–माने लोगों की आम राजनीतिक एकता बनाने में अपना योगदान दे पाये और इसकी वजह से हिन्दोस्तानी राज्य इराक को फौज नहीं भेज सका।

समाज विरोधी हमलों के खिलाफ़ चल रहे आंदोलन में एक गंभीर समस्या यह है कि इसे अलग–अलग धाराओं में बांट कर देखने की कोशिश की जा रही है – जैसे कि जंग–विरोधी, साम्प्रदायिकता–विरोधी, निजीकरण–विरोधी, वैश्वीकरण–विरोधी, हिन्दोस्तान–पाकिस्तान शांति आंदोलन, साम्राज्यवाद–विराधी आंदोलन, आदि। इस तरह से बांटने के रवैये में समस्या यह है कि इससे इन सभी आंदोलनों को एक नजरिये के साथ, एक मकसद के लिए, एक संयुक्त संघर्ष में विकसित करने के रास्ते में रुकावट पैदा होती है। इससे सरमायदार अपनी आपसी कुत्ते–बिल्ली की लड़ाई में और अन्य साम्राज्यवादी ताकतों के साथ अंतर्विरोधों में इन संघर्षों का आसानी से इस्तेमाल भी कर लेते हैं। इन अलग–अलग धाराओं के साथ काम करते हुये भी, हमारी पार्टी ने अपने संघर्ष को हमेशा बड़े सरमायदारों और उनके केन्द्रीय राज्य के खिलाफ़ केन्द्रित रखने का प्रयास किया है।

जनवरी 2004 में मुंबई में वर्ल्ड सोशल फोरम (विश्व सामाजिक मंच) के दौरान लाखों लोग इकट्ठे हुये और उन्होंने वैश्वीकरण, उदारीकरण, एवं निजीकरण और साम्राज्यवाद, फाशीवाद, और जंग के खिलाफ़ एक संयुक्त मोर्चा बनाने की चाहत जताई। इस मौके पर हिन्दोस्तान कि कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी ने पर्चे बांटे, जिनमें इस बात पर जोर दिया गया कि मजदूर वर्ग और सभी दबे–कुचले लोगों को अपना संघर्ष 'अपने' सरमायदारों और विश्व साम्राज्यवाद, दोनों के खिलाफ़ एक साथ चलाना होगा। बड़ी बहादुरी के साथ हमने उस पर्चे के जरिये, एक ऐसी दुनिया का नजारा पेश किया जो साम्राज्यवाद और जंग से मुक्त होगा। साथ ही, हमनें लड़ाकू ताकतों को जन आंदोलन के उन तत्वों से आने वाले खतरे से सतर्क किया, जो पूंजीवाद को दफनाने की तैयारी करने के बजाय, यह भ्रम फैला रहे हैं कि पूंजीवाद को सुधारा जा सकता है। इसमें इस बात पर भी ध्यान आकर्षित किया गया कि कम्युनिस्ट आंदोलन की फूट

उसकी अपरिपक्वता का प्रतीक है; और असूली तौर पर कम्युनिस्टों को अपने बीच एकता पुनर्स्थापित करना चाहिये ताकि सभी लड़ाकू ताकतों की एकता बनाने में सहयोग मिले।

इस समय, समाज–विरोधी हमले के खिलाफ़ संघर्ष में मजदूर वर्ग की अगुवाई स्थापित करने की कोशिशों को आगे बढ़ाने की उत्साहजनक, मगर मुश्किल, स्थिति है। दुनियाभर में और हिन्दोस्तान में भी देश के विभिन्न राष्ट्रों और राष्ट्रीयताओं के मजदूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों के बहादुर संघर्ष से हिन्दोस्तानी और दुनियाभर के सरमायदारों के अहंकार को कुछ हद तक चोट पहुंची है। लड़ाकू ताकतों में यह आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि वे सरमायदारों के हमले को रोक सकते हैं। साथ ही साथ, सरमायदारों के साथ समझौता करने वाले मजदूर वर्ग में यह भ्रम फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को मानवीय चेहरा देना संभव है। वे आज की राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक प्रक्रिया का गुणगान करने में व्यस्त हैं, जिसमें अधिकांश लोगों को सत्ता से वंचित रखा जाता है।

ऐसे हालातों में हमारी पार्टी और सभी कम्युनिस्टों के सामने यह चुनौती है कि वे मजदूरों, किसानों और उन सभी लोगों का एक मजबूत संयुक्त मोर्चा बनाएं, जो आज की व्यवस्था में सत्ता से वंचित हैं। यह इंकलाबी मोर्चा ऊपर और नीचे, दोनों तरफ से बनाया जाना चाहिये, पर खास तौर पर नीचे से।

आम जनता को सक्षम बनाने के लिये संगठनों का निर्माण

दूसरे महाअधिवेशन में यह समझा गया था कि आम जनता को सक्षम बनाने के राजनीतिक लक्ष्य के साथ, चल रहे जन संघर्षों के नज़रिये और राह को नयी आकृति देनी होगी। यह समझा गया कि मजदूरों, किसानों और सभी शोषितों को इस वर्तमान सत्ताहीन स्थिति से उठाकर समाज के हुक्मरानों की स्थिति में लाने के पार्टी के कार्यक्रम और योजना को सरमायदारों के समाज–विराधी हमलों के खिलाफ़ चल रहे विरोध संघर्षों का अभिन्न हिस्सा बना देना होगा। दूसरे महाअधिवेशन में यह फैसला भी लिया गया कि

मजदूर–मेहनतकशों को खुद अपने संघर्षों के अनुभव की समीक्षा करके इस कार्यक्रम को और विकसित करना होगा। इसी तरह ही, एकजुट मजदूर वर्ग, किसानों और सामाजिक व राष्ट्रीय आजादी के सभी आन्दोलनों के साथ निकट गठबंधन बनाकर, एक प्रबल राजनीतिक ताकत बतौर उभर कर आ सकेगा, जो यथास्थिति को चुनौती देगा और सरमायदारों को किनारे करके उन्हें पराजित करेगा।

जन संगठनों में काम करने के हमारे अनुभव के आधार पर हमने यह समझा कि ऐसा राजनीतिक आन्दोलन, जो शोषकों के हाथों से संप्रभुता छीनकर जनता को संप्रभु बनाने के लिये प्रतिबद्ध है, यह एक ढीला संघ नहीं हो सकता। यह किसी एक मुद्दे पर कुछ समय के लिये इकट्ठे हुये संगठनों का गठबंधन नहीं हो सकता। इसे एक सुसंबद्ध संगठन के रूप में बनाना होगा, जो एक स्वर में बोलता है और एक संयुक्त लक्ष्य के साथ काम करता है। जनता को सशक्त बनाने के ऐसे संगठन के निर्माण का आधार लोकतांत्रिक केन्द्रीयवाद का संगठनात्मक असूल होना चाहिये और इस बात की पुष्टि करनी होगी।

दूसरे महाअधिवेशन ने यह फैसला किया कि जनता को सशक्त बनाने के आन्दोलन को संगठनात्मक आकृति दिलाने के लिये पार्टी को पहल लेनी चाहिये, ताकि यह समाज के सभी शक्तिहीन व दरकिनार किये गये वर्गों और श्रेणियों को एकजुट करने का केन्द्र बन सके। इसमें यह एक मुख्य चुनौती पहचानी गई कि कैसे यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे संगठन का अगुवा निकाय खुद अपना जीवन विकसित करता है, जरूरी राजनीतिक पहल लेता है, राजनीतिक घटनाओं पर तत्परता से कदम उठाता है और दूसरे संगठनों के साथ मिलकर लोगों के बीच में राजनीतिक काम आयोजित करता है। पार्टी ने गुटवाद के सभी लक्षणों के खिलाफ़ कठोर संघर्ष किया है और यह समझाया है कि इंकलाबी संयुक्त मोर्चा तभी बनाया जा सकता है अगर कम्युनिस्ट जनता को सशक्त बनाने के आन्दोलन में सक्रिय दूसरे लोगों के साथ नज़दीकी से काम करते हैं। कम्युनिस्टों को हमेशा राजनीतिक एकता के हित में काम करना चाहिये, कभी असूलों पर समझौता नहीं करना चाहिये पर राजनीतिक एकता बनाने के लिये लचीला भी होना चाहिये।

जनवरी 1999 में हुई केंद्रीय समिति की दूसरी परिपूर्ण सभा में उन मुद्दों पर चर्चा शुरु हुई, जिन्हें उठाना जरूरी था, ताकि राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक प्रक्रिया के लोकतांत्रिक नवनिर्माण के जरिये जनता को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ काम करने वाला ऐसा संगठन बनाया जा सके। ऐसे संगठन में भाग लेने के लिये समाज के किन वर्गों व श्रेणियों को निशाना बनाकर लामबंध करना चाहिये? यह फैसला किया गया कि हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिये जिसकी देश भर में फैली हुयी तमाम प्रादेशिक व स्थानीय शाखायें होंगी, जिसमें मजदूरों, किसानों और सभी सत्ता से वंचित तबकों के लोगों की सदस्यता होगी। यह फैसला किया गया कि इसकी सदस्यता इसके कार्यक्रम और राजनीतिक लक्ष्य के आधार पर होगी, किसी पार्टी या विचारधारा से संबंध के आधार पर नहीं।

हमारी पार्टी के कामरेडों ने एक ऐसा संगठन बनाने पर ध्यान दिया है, जिसमें मजदूर और किसान, मेहनतकश पुरुष और महिलायें राजनीतिक नेताओं, ज्ञानी प्रोफेसरों, सेवानिवृत्त अफसरों और न्यायविदों के साथ–साथ काम कर सकेंगे। हमने इसे एक ऐसा संगठन बनाने के लिये संघर्ष किया है, जो जनता के अधिकारों की हिफ़ाज़त में तथा जनता को सक्षम बनाने के अपने कार्यक्रम के साथ, राजनीतिक मंच पर हस्तक्षेप करेगा। इस काम को बढ़ाने की जिम्मेदारी जिन पार्टी संगठनों को दी गयी, उन्होंने प्रगतिशील लोकतांत्रिक ताकतों को महत्वपूर्ण पहल लेने के योग्य बनाया है, जिसमें एक लोकप्रिय वेब साइट की रचना भी शामिल है। इस वेबसाइट ने सूचना और विचारों की लेनदेन के लिये और सांझे राजनीतिक रवैयों को विकसित करने के लिये एक साधन बतौर काम किया है। इसने साम्राज्यवादी जंग और अफगानिस्तान व इराक के अवैध कब्ज़े के खिलाफ़, और मजदूरों व किसानों, महिलाओं व सभी इंसानों के विवेक के अधिकार समेत सभी अधिकारों की हिफ़ाज़त में तथा हिन्दोस्तान के अन्दर राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं और लोगों के अधिकारों की हिफ़ाज़त में सभी को एकजुट करने की भूमिका निभाई है।

आर्थिक 'सुधार' कार्यक्रम और फाशीवाद व जंग की ओर सरमायदारों की प्रवृत्ति के खिलाफ़ अडिग संघर्ष करने के दौरान हमने यह संगठन बनाया है और हमें इसे बनाते रहना पड़ेगा। सरमायदारों के समाज–विरोधी कार्यक्रम का विरोध करने के दौरान ही संघर्षरत ताकतें समाज के मालिक बनने और सभी

की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिये अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिलाने के वैकल्पिक कार्यक्रम के इर्द–गिर्द लामबंध हुये हैं तथा आगे भी होंगे।

पहले की तरह, पूंजी की नाजायज़ हुकूमत और बाकी समाज की कीमत पर चंद लोगों के अधिकतम निजी मुनाफे हासिल करने की उसकी बेलगाम दौड़ के खिलाफ़ एक सांझे कार्यक्रम के इर्द–गिर्द राजनीतिक एकता बनाने पर, संगठनात्मक काम को अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। धर्मनिरपेक्ष/साम्प्रदायिक नज़रिया, धार्मिक दृष्टिकोण, जाति के अंतर या किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध जैसी विचारधारात्मक सोच के आधार पर जनसमुदाय को बांटने के दबाव के खिलाफ़ हमें संघर्ष करते रहना होगा।

जनता को समाज के मालिक बनने के लिये तैयार करने का एक अहम भाग मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक प्रक्रिया में परिवर्तन के लिये आन्दोलन चलाने का काम है। चुनाव अभियानों के दौरान और दूसरे समय, ऐसे आन्दोलन का अनुभव यह दिखाता है कि राजनीतिक प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन के लिये लोगों में तमन्ना काफी विस्तृत है। चुनाव प्रक्रिया में सुधारों का एक व्यापक कार्यक्रम पेश करने और उसके इर्द–गिर्द अधिक से अधिक लोगों को एकजुट करने, जनसमुदाय पर बड़ी सरमायदार पार्टियों की पकड़ का विरोध करने वाले व्यक्तियों व छोटी पार्टियों को आकर्षित करने का अब वक्त आ गया है। पार्टियों के वर्चस्व से मुक्त प्रक्रिया से जनता द्वारा चुनी गयी संविधान सभा के जरिये हिन्दोस्तानी संघ के संविधान की पुनः समीक्षा करने का प्रस्ताव पेश करने का वक्त आ गया है।

काम के इस मोर्चे पर पार्टी के सामने यह सुनिश्चित करना एक चुनौती है कि मेहनतकशों और दबी–कुचली बहुसंख्या को संप्रभु बनाने के आन्दोलन को अगुवाई देने वाला राजनीतिक संगठन, अपने कार्यक्रम को लागू करने के काबिल एक निकाय के रूप में परिपक्व हो जाये। ऐसे संगठन में जनसमुदाय की सदस्यता बनाने व बढ़ाने की कोशिशों में कम्युनिस्टों को आगे होना होगा तथा आन्दोलन में दूसरों के साथ मिलकर काम करना होगा। आने वाली अवधि में, जनसमुदाय की सदस्यता और नियमित काम करने वाली स्थानीय समितियों के सवाल पर पार्टी को खास घ्यान देना होगा, जो कि एक मुख्य चुनौती बनी हुई है।

नौजवानों के बीच काम

पार्टी की स्थापना के समय से ही हमने नौजवानों के बीच काम पर विशेष ध्यान दिया है। नौजवानों का यह चरित्र है कि वे समाज में रूढ़ीवाद और पुरानी सोच के खिलाफ़ बगावत करते हैं और समाज की प्रगति के लिये नये और आधुनिक दृष्टिकोण की ओर आकर्षित होते हैं।

आज हमारे देश के अधिकांश नौजवान, जो मजदूर वर्ग और शहरी मध्यम वर्ग से आते हैं, उन्हें एक अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ता है; अच्छी शिक्षा, अच्छी जीवन की हालतें और रोजगार इत्यादि के उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। समाज में बढ़ती असमानता और अन्याय उन पर गहरा असर डालते हैं और वे इन हालातों को बदलने को प्रेरित होते हैं। इंकलाबी नेतृत्व के अभाव में नौजवान या तो मुख्यधारा की सरमायदारी पार्टियों के चंगुल में फंस जाते हैं, जो उनकी ताकत और बल का इस्तेमाल अपने गुनहगारी मकसद के लिए करती हैं, या फिर ये नौजवान व्यक्तिगत आतंकवाद की अंधी गली में खींच लिए जाते हैं। लेकिन मजदूर वर्ग की अगुवा पार्टी का इंकलाबी नेतृत्व इन नौजवानों को इंकलाब की एक महत्वपूर्ण ताकत बतौर लामबंद कर सकती है। इस नज़रिये के साथ हम नौजवानों के बीच काम करते आये हैं।

पिछले 6 वर्षों में पार्टी की महत्वपूर्ण पहलों में से एक रही है, नौजवानों को अपना संगठन खुद बनाने के काबिल बनाना, एक ऐसा संगठन जिसका नारा है "संगठित हों, हुक्मरान बनें और समाज को बदल डालें!" इस तरह के संगठन की जरूरत महसूस करते हुए, व्यापक चर्चा के आधार पर केंद्रीय समिति ने यह निर्णय लिया। इस बात को ध्यान में रखा गया कि खुद को संगठित करके, इंकलाबी बदलाव के लिए एक ताकत बनने के लिए नौजवानों की लड़ाकू भावना को कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत है, और साथ ही उन्हें राजनीतिक शिक्षा और प्रशिक्षण की जरूरत है।

केन्द्रीय समिति ने यह तय किया कि नौजवानों को राजनीतिक आधार पर संगठित किया जाना चाहिए, एक नये हिन्दोस्तान को बनाने के नजरिये के साथ, जहां मेहनतकश लोग मालिक होंगे और अर्थव्यवस्था उनकी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में चलायी जायेगी। नौजवानों को इस तरीके से संगठित

किया जाना चाहिये, जिससे वे अन्य पार्टियों, संगठनों और आंदोलनों से जुड़े सैकड़ों असंतुष्ट नौजवानों को इंकलाबी दिशा और कार्य की ओर आकर्षित कर सकेंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, केन्द्रीय समिति में, नौजवानों के साथ और अन्य इलाका समितियों में कामरेडों के साथ, लंबी चर्चा के बाद पार्टी ने एक नौजवान जन संगठन गठित करने का फैसला किया, जिसका समाज को बदलने का स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रम होगा। इस संगठन की सदस्यता उन सभी नौजवानों के लिये खुली होगी जो इसके कार्यक्रम से सहमत हैं और उसे अमल में लाने के लिये काम करना चाहते हैं।

यह नौजवान संगठन लोकतांत्रिक केन्द्रीयवाद के संगठनात्मक असूलों के आधार पर खड़ा किया गया है। लोकतांत्रिक केन्द्रीयवाद का मतलब है–सामूहिक फैसले लेना और व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाना। इस संगठन को नेतृत्व देने के लिये एक अखिल हिन्दोस्तानीय समिति चुनी जाती है, जिसकी अगुवाई एक मंत्रीमंडल करता है। हरेक इलाके में काम को चलाने के लिये समितियां हैं, जिनके अपने–अपने प्रांतीय मंत्री मंडल हैं। समितियां फैसले लेने वाले निकाय हैं, जब कि मंत्री मंडल कार्यकारी दल हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि समिति के फैसले लागू किये जा रहे हैं।

प्रांतीय समितियां अपनी बैठकें करके अपने इलाकों में कार्य की योजना बनाती हैं और उसे अमल में लाने के लिए अपने इलाकों के सदस्यों और अन्य नौजवानों को, जो अभी सदस्य नहीं हैं, उन्हें लामबंध करती हैं, सदस्यता मुहिम चलाती हैं, जनसभाएं आयोजित करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, राजनीतिक अध्ययन करती हैं और अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यों को आयोजित करती हैं। इन कार्यों की रिपोर्ट प्रांतीय मंत्री मंडल के जरिये अखिल हिन्दोस्तानीय समिति को दी जाती है।

इस नौजवान संगठन के अखबार का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। नौजवानों और समाज के ज्वलंत सवालों पर स्पष्ट और उच्च राजनीतिक दृष्टिकोण और आकर्षक प्रस्तुति इस अखबार की खासियत रही है। पार्टी ने नौजवानों को प्रशिक्षण देने की ओर विशेष ध्यान दिया है ताकि नौजवान अपने विचार लेख और कला के माध्यम से कुशल तरह से प्रकट कर सकें। अब इस अखबार के लिए कई गांवों और शहरों के सदस्यों से योगदान मिल रहे हैं।

स्पष्ट राजनीतिक भूमिका के साथ एक जीवंत और कार्यशील नौजवान राजनीतिक ताकत बतौर इस नौजवान संगठन के सदस्य और समर्थक, आज सभी शोषित और पीड़ित लोगों के आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। यह एक कार्यशील संगठन है जिसमें खूब जान है, जो नियमित तौर पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाता है, जैसे कि युवा कैंप का आयोजन, अन्य प्रांतों का दौरा, खेल प्रतियोगिता, नाटक कार्यशाला, और अध्ययन सत्र।

जहां कहीं और जब कभी पार्टी के बुनियादी संगठनों और इलाका समितियों ने सुचारू रूप से काम किया है, वहां नौजवान संगठन का कार्य आगे बढ़ा है। लेकिन जहां कहीं और जब कभी पार्टी ने बुनियादी संगठनों या इलाका समितियों के चलने में समस्याएं आई हैं, वहां नौजवान संगठन के काम की गति धीमी रही है। इसके अतिरिक्त, नौजवानों को संगठित करने की अपनी खास समस्याएं रही हैं। इनमें से कुछ हैंः परिवार और माता–पिता का दबाव, खासकर लड़कियों के ऊपर; पढ़ाई व परीक्षाओं का दबाव; रोजगार की समस्या; गरीबी और पैसे का अभाव; रोजगार की खोज में शहर/गांव छोड़ना; आम सामाजिक दबाव और मानसिक उलझनें; आपसी मनमुटाव, इत्यादि। नौजवान महिला और पुरूष साथियों के बीच एक स्वस्थ कार्यसंबंध बनाने और अनुचित व अस्वस्थ प्रवृतियों को जड़ से खत्म करने की ओर पार्टी ने विशेष ध्यान दिया है। नौजवानों को *नये इंसान* की छवि और असूलों के आधार पर संगठित होना और साथ मिलकर काम करना सीखना चाहिये।

एक प्रांत में नौजवान संगठन ने अपने एक सदस्य को विधान सभा चुनाव में खड़ा करने का निर्णय लिया। प्रत्याशी का चयन एक भरी आम सभा को बुलाकर किया गया, जिसमें उस चुनाव क्षेत्र के निवासी मौजूद थे और इनमें से अनेक निवासियों ने, अन्य राजनीतिक दलों से नाता रखने के बावजूद, मंच पर आकर इस नौजवान संगठन के सदस्य के चयन का समर्थन किया। चुनाव अभियान को नौजवान संगठन के सदस्यों और समर्थकों ने अपने बलबूते पर चलाया। इस दौरान कई नये इलाकों में संपर्क बने, और अब इन इलाकों से संगठन में नये सदस्य आने की पूरी संभावना है।

बड़ी राजनीतिक पार्टियों और बड़े उद्योगपतियों द्वारा चुनाव अभियानों में पैसा डालने की परंपरा से नाता तोड़ते हुए, हमारे नौजवान साथियों ने उस चुनाव

क्षेत्र के आम लोगों से खुले दिल से चुनाव अभियान के लिए योगदान देने की अपील की, क्योंकि वह उन लोगों द्वारा खुद खड़ा किया गया प्रत्याशी था। इससे न केवल चुनाव अभियान के लिये पैसा इकट्ठा हुआ, बल्कि इस प्रत्याशी और नौजवान संगठन के प्रति लोगों के दिलों में आदर बढ़ा, क्योंकि वे इस तरह के असूल लागू कर रहे थे। हमारे नौजवान साथियों ने लोगों को समझाया कि यह असूल चुनावी प्रक्रिया पर बड़े सरमायदारों की पार्टियों की पकड़ को खत्म करने की दिशा में एक कदम है और लोगों को सक्षम बनाने के राह में एक छोटा लेकिन अहम योगदान है।

आज हमारे पास एक जीवंत और बढ़ता हुआ नौजवानों का संगठन है, जिसमें युवा पीढ़ी को आकर्षित करने की और उनकी ताकत को समाज के इंकलाबी बदलाव की दिशा में प्रवाहित करने की काबिलियत है। आने वाले समय में, नौजवान संगठन और इसके काम को और मजबूत व विस्तृत करने के लिये, पार्टी को खास ध्यान देना होगा।

कम्युनिस्ट एकता की पुनर्स्थापना के लिए कार्य

मजदूर वर्ग खुद अपने कार्यक्रम के आधार पर अपनी एकता बनायें, इसके लिए दूसरे महाअधिवेशन में हमने अपनी पार्टी की कार्य योजना बनाई थी। साथ ही, हमने यह भी माना कि हमारी पार्टी के अलावा भी देश भर में कई कम्युनिस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट आंदोलन की किसी और पार्टी या दल से जुड़े हुए हैं। इन अलग–अलग पार्टियां व दलों की अपनी–अपनी योजनायें व कार्यक्रम हैं और वे मजदूर वर्ग को भिन्न–भिन्न संदेश देते हैं। इसीलिये सर्वहारा वर्ग सरमायदारों के खिलाफ़ इंकलाबी मोर्चे को अगुवाई देने के लिए नहीं उभर पा रहा है। यह हालात सरमायदारों को अपना स्वार्थी कार्यक्रम जारी रखने में और मजदूर वर्ग को दिशाहीन रखने में सहायता देता है। विचार और अभ्यास में इस बंटवारे को खत्म करने के लिये पार्टी ने, इस समय के एक सबसे निर्णायक कार्य बतौर, एक अगुवा पार्टी के तले सभी कम्युनिस्टों की एकता को पुनर्स्थापित करने का काम उठाया है।

एक अगुवा पार्टी तले कम्युनिस्ट एकता की पुर्नस्थापना किन असूलों के आधार पर होगी, यह स्थापित करने के लिए हमने काफी संघर्ष किया है। हमने यह समावेश किया कि आज के दौर के लिए उभर रही आम कार्य दिशा और हिन्दोस्तान की मुक्ति के सिद्धांत को विस्तारपूर्वक विकसित करके ही कम्युनिस्ट एकता पुनर्स्थापित की जा सकती है। मजदूर वर्ग के अपने वर्ग हितों के प्रति जागरुक बनने, एक शासित वर्ग से बदलकर एक शासक वर्ग बनने के दौरान, मजदूर वर्ग के विचारधारात्मक और राजनीतिक स्तर को ऊंचा उठाकर ही कम्युनिस्ट एकता को पुर्नस्थापित किया जा सकता है। सरमायदारों, उनकी विचारधारा और सिद्धांत के खिलाफ़ लगातार डटकर संघर्ष करके ही यह एकता बनाई जा सकती है। कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर सरमायदारी विचारधारा से समझौता करने वालों के खिलाफ़ कठोरतम विवादात्मक संघर्ष करके ही यह एकता पुनर्स्थापित की जा सकती है।

हमने इस जहरीले भ्रम का विरोध और खंडन किया, कि कम्युनिस्ट आंदोलन की अलग–अलग पार्टियों के उच्च नेताओं के आपसी समझौतों के बाद इन पार्टियों के एक दूसरे में विलीन हो जाने से कम्युनिस्ट एकता पुनर्स्थापित हो जायेगी। इस भ्रम का नतीजा यह होगा कि हम, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को कम्युनिस्ट एकता के लिए निर्णायक आत्मगत कारक बतौर खड़ा करने और मजबूत करने के काम की जरूरत को कम कर देंगे। हमने यह कई बार दोहराया है कि कम्युनिस्ट एकता के लिए हालात सभी कम्युनिस्टों के बीच, विचार और कार्य में एकता के माध्यम से, पार्टी की अगुवाई में, बुनियादी तौर पर बनाने होंगे।

जब कम्युनिस्ट, मजदूर वर्ग की समस्याओं से हटकर, विचारधारात्मक संघर्ष के नाम पर, एक दूसरे पर हमले करने लगते हैं, तो इससे आंदोलन में बंटवारे और कमजोरी होती है। इससे मजदूर वर्ग के लिये कोई असली प्रगति नहीं होती, और यह बात कम्युनिस्ट आंदोलन में सभी मानते हैं। कौन कम्युनिस्ट है और कौन नहीं है, यह अंतर तभी स्पष्ट होगा जब सोशल डेमोक्रेसी के साथ समझौता करने वालों के खिलाफ़ संघर्ष को उसके अंत तक ले जाया जायेगा। वर्ग संघर्ष के तेज होने से ही यह बात स्पष्ट होगी कि कम्युनिस्ट वे ही हैं जो असलियत में मजदूरों व किसानों को, राज्य सत्ता पर कब्ज़ा करके हिन्दोस्तान के नये हुक्मरान बन कर

आगे आने के लिये संगठित कर रहे हैं। वर्ग संघर्ष के तेज होने से उन ताकतों का पर्दाफाश होगा जो मजदूरों और किसानों को सरमायादारों के कार्यक्रम से बांध कर रखने का काम कर रही हैं और उन ताकतों को किनारे पर किया जायेगा। आज ऐसी ताकतें सक्रिय हैं और सरमायदारी लोकतंत्र तथा 'मानवीय चेहरे' वाले पूंजीवाद के बारे में भ्रम फैला रही हैं।

इस दौरान हमने सभी कम्युनिस्टों और मजदूर वर्ग के कार्यकर्ताओं के सामने, खुलेआम, कम्युनिस्ट आंदोलन में विचारधारात्मक संघर्ष विकसित करने के लिए कई बार पहल की है। अक्तूबर 1999 में जलंधर के देश भगत यादगार हॉल में आयोजित कम्युनिस्ट एकता पर एक गोष्ठी में हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के प्रवक्ता ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य कई पार्टियों के वक्ताओं के विचारों के साथ–साथ, अपनी पार्टी के विचार पेश किये। हमारी पार्टी के प्रवक्ता ने यह सवाल किया कि 1964 की फूट से मजदूर वर्ग को क्या फायदा हुआ था। गोष्ठी में मौजूद कई पार्टियों के सदस्यों ने इसका जोश सहित स्वागत किया। इस अनुभव से हमें पूरा विश्वास हो गया कि हमें अपनी पार्टी के विचार बहादुरी से, खुले तौर पर सभी कम्युनिस्टों के सामने रखने के लिए सभी मौकों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने इस बात की पुष्टि की है कि ऐसी गोष्ठियों का आयोजन करना चाहिए, जिनमें सभी कम्युनिस्टों को बुलाना चाहिए।

दिसंबर 2000 में हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट गदर पार्टी ने हिन्दोस्तान की धरती पर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए कानपुर में एक कम्युनिस्ट संगोष्ठी और रैली का आयोजन किया। इस ऐतिहासिक संगोष्ठी की खासियत यह थी कि इसमें कई अलग पार्टियों से आये कम्युनिस्टों ने हिस्सा लिया और यह संकल्प लियाः *एक मजदूर वर्ग, एक कार्यक्रम, एक कम्युनिस्ट पार्टी*।

कानपुर कम्युनिस्ट संगोष्ठी 2000 के बाद पार्टी ने हिन्दोस्तान के कम्युनिस्टों के बीच कई मसलों पर चर्चा और वाद–विवाद आयोजित करने की पहल ली, जैसे–हिन्दोस्तानी राज्य व इंकलाब और लोगों के अनुल्लंघनीय अधिकार। हाल ही में हमने कम्युनिस्टों और मजदूर वर्ग व किसानों के कार्यकर्ताओं के बीच एक गोष्ठी आयोजित की जिसका विषय था "संप्रग सरकार आने से क्या

बदला है और क्या नहीं बदला है?" इन चर्चाओं को आयोजित करने में पार्टी की केंन्द्रीय समिति ने राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करने और विश्लेषण के आधार पर उस पर मिले–जुले कार्यक्रम आयोजित करने में विभिन्न दलों के कम्युनिस्टों को शामिल करने के लिए नये तरीके ईजाद किये।

जब हमारी पार्टी इस तरह की गोष्ठियां आयोजित करती है तो यह मानकर चलती है कि सिद्धांत और तरकीबों से संबंधित मसले एक दिन में नहीं सुलझाए जा सकते हैं। हम यह मान कर चलते हैं कि कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े सभी को इन विषयों पर जरूर कुछ न कुछ कहना है और हो सकता है कि जितने व्यक्ति या संगठन होंगे, उतनी अलग–अलग राय भी होंगी। कम्युनिस्ट आंदोलन में आप किससे बात कर सकते हैं और किससे बात नहीं कर सकते, यह पहले से तय करने के कम्युनिस्ट आन्दोलन में मौजूद गुटवादी रवैये को हमने कभी स्वीकार नहीं किया है। इसके विपरीत, हम इस बात पर विश्वास करते हैं और उसके मुताबिक काम करते हैं, कि कम्युनिस्ट आंदोलन में इतनी प्रौढ़ता होनी चाहिये, कि वह अपनी गलत लाईनों की आलोचना कर सके और संघर्ष करके उन्हें खत्म कर सके।

इन संगोष्ठियों के आयोजन में हमने इस तरह का महौल बनाया है, जो कि मजदूर वर्ग के अगुवा दस्ते को शोभा देता है, जहां सभा के आयोजन में लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद पर अमल को सुनिश्चित किया जाता है और उसकी रक्षा की जाती है। इस तरह का माहौल मीटिंग आयोजित करने के सरमायदारी तरीकों के ठीक विपरीत है। यह अनचाहा तरीका कम्युनिस्ट आंदोलन में घुस गया है, जहां विचारों का आदान–प्रदान और चर्चा इस आधार पर चलती है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, जहां किसी व्यक्ति या दल को चर्चा से बाहर रखने के लिए बंद कमरों में साजिशें रची जाती हैं।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि तमाम कम्युनिस्टों के बीच चर्चा मजदूर वर्ग के सामने की जाये। दूसरे शब्दों में, इन चर्चाओं में सक्रियता से हिस्सा लेने के लिये हमारी पार्टी ने अपने सदस्यों और समर्थकों को पूरी तरह से लामबंध किया है। यह हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा यह मानना है कि सभी सदस्य इन चर्चाओं में अपना

योगदान दे सकते हैं और इनसे सीख सकते हैं। हमारा यह भी मानना है कि हिन्दोस्तान के मजदूरों और किसानों को इस तरह की पार्टी की कोई जरूरत नहीं है, जहां मुट्ठीभर नेतागण इंकलाब के सिद्धांत और तरकीबों पर उनके पीठ पीछे चर्चा करके मजदूरों व किसानों को गुमराह कर सकते हैं।

समाज–विरोधी हमले के खिलाफ़ संघर्ष को अगुवायी देने के लिये मजदूर वर्ग को संगठित करने का पार्टी का काम निश्चित तौर से कम्युनिस्ट आंदोलन की अलग–अलग धाराओं के बीच अंतर को खुलकर सामने ला रहा है, और ऐसा होना अनिवार्य है। यह अंतर विकसित हो रहा है, उन दो धाराओं के बीच, एक जो मजदूर वर्ग को अपने ही आजाद कार्यक्रम के आधार पर संगठित करके मजदूरों और किसानों का राज बसाना चाहता है, और दूसरा जो मजदूर वर्ग को सरमायदारों के किसी न किसी तबके की पूंछ बना कर ही रखना चाहता है। हमारी पार्टी के कामरेडों ने मजदूर वर्ग के आजाद कार्यक्रम की लाइन को लागू करने में बहादुरी से संघर्ष छेड़ा है। इससे पार्टी को उन तेजी से बढ़ती संख्या में कम्युनिस्टों, प्रगतिशील व्यक्तियों और दलों के बीच इज्ज़त हासिल हुई है, जो मजदूर वर्ग की अगुवाई के लिए एक संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी बनाने का समर्थन करते हैं और उसे हासिल करने के लिये कोशिश कर रहे हैं।

इस तरह से, धाराओं का अंतर आज के सभी ज्वलंत सवालों पर उभर कर आ रहा है। निजीकरण व उदारीकरण का सवाल, पाकिस्तान के खिलाफ़ जंग का सवाल, राजकीय आतंकवाद और साम्प्रदायिक हिंसा का सवाल, इन सभी सवालों पर एक तीव्र टक्कर इन दो धाराओं के बीच उभर कर आ रही है, एक जो सरमायदारों के खिलाफ़ बगैर समझौते का संघर्ष चलाना चाहते हैं और दूसरा जो सरमायदारों के रवैयों और नारों के साथ समझौता करना चाहते हैं।

कम्युनिस्ट आंदोलन में यह अंतर उन दो धाराओं के बीच उभर कर आ रहा है, एक जो निजीकरण के कार्यक्रम को रोकना चाहते हैं, और दूसरा जो इसी कार्यक्रम को दूसरे तरीके से अमल में लाना चाहते हैं। यह अंतर उन दो धाराओं के बीच उभर कर आ रहा है, एक जो मानव अधिकारों और राष्ट्रीय अधिकारों की इस आधार पर रक्षा कर रहे हैं कि इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता, और दूसरा जो सरमायदारी–साम्राज्यवादी सोच के मुताबिक

यह कह रहे हैं कि 'राष्ट्रीय सुरक्षा', 'आतंकवाद पर जंग' और तथाकथित 'हिन्दोस्तान की एकता–अंखडता की हिफाजत' के आधार पर इन अधिकारों को छीन लिया जा सकता है या फिर बहाल किया जा सकता है।

एक कम्युनिस्ट पार्टी होने के नाते, हमारी पार्टी ने सभी राष्ट्रों के आत्मनिर्धारण के अधिकारों को माना है, जिनमें अलग हो जाने का अधिकार भी शामिल है। जब कभी किसी भी तबके के हिन्दोस्तानी लोगों पर सेना द्वारा आतंक चलाया गया है और उनके मानवीय अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, तो इसका विरोध हमने हमेशा किया है। मणिपुर के लोगों द्वारा उठाई गई, सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) कानून को रद्द करने की जायज़ मांग को पार्टी ने पूरा समर्थन दिया है। माकपा और अन्य संसदीय कम्युनिस्ट पार्टियों ने, कांग्रेस, भाजपा और अन्य सरमायदारी पार्टियों के साथ मिलकर यह ऐलान किया कि यह कानून रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि देश की 'एकता और अखंडता' को 'अलगाववादियों और उग्रवादियों' के खतरे से बचाने के लिये इसकी जरूरत है।

देश की प्रभुसत्ता का असूल, राष्ट्रों का आत्मनिर्धारण का अधिकार, विवेक के अधिकार के समेत सभी मानव अधिकारों, इन सभी पर सरमायदारों ने इस दौर में हमला किया है। सरमायदारों के खिलाफ़ सर्वहारा वर्ग के ऐतिहासिक संघर्ष के दौरान स्थापित किये गये इन मूल असूलों और विचारों की हिफ़ाज़त करने में हमारी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमने कम्युनिस्ट आन्दोलन में उन सभी की कड़ी आलोचना की है, जो 'राष्ट्रीय एकता और अखंडता' की रक्षा के बहाने लोगों की संप्रभुता पर हमला करने की सरमायदारी लाइन से समझौता करते हैं।

कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर, एक तरफ वे जो इस उपमहाद्वीप में हमारे पूर्वजों से प्राप्त असूलों की धरोहर के आधार पर जमीर के अधिकार को अनुल्लंघनीय मानते हुए, उसकी हिफाजत करते हैं, और दूसरी तरफ वे जो यूरोकेंद्रीयवाद से समझौता करते हुये धर्मनिरपेक्षता या रूढ़ीवाद के आधार पर लोगों को बांटते हैं, इनके बीच अंतर विकसित हो रहा है।

गुजरात में फैली सांप्रदायिक हिंसा और इस्लाम धर्म के लोगों के कत्लेआम के बाद पार्टी ने फिर से बताया कि हिन्दोस्तानी राज्य सांप्रदायिक है और हमें

ऐसा कोई भ्रम नहीं होना चाहिये कि केवल भाजपा सांप्रदायिक है और कांग्रेस पार्टी साम्प्रदायिकता–विरोधी। आम लोगों को हमने बड़े संयम के साथ यह समझाया कि धर्मनिरपेक्षता और साम्प्रदायिकता, दोनों ही शोषित–पीड़ित लोगों को बांटने और उन पर राज करने के हिन्दोस्तानी राज्य के हथकंडे हैं। ये बर्तानवी बस्तीवादी हुकूमत की विरासत के हिस्से हैं।

वर्तमान समय में, खुद को 'कम्युनिस्ट' कहलाने वालों में से एक तबका आर्थिक सुधारों के 'मानवीय चेहरे' और कांग्रेस पार्टी की 'धर्मनिरपेक्षता' के बारे में भ्रम फैला रहा है। इतना ही नहीं, वह सरमायदारों को ऐसी नीतियां व ऐसे कार्यक्रम बनाने में बड़ी सरगर्मी से मदद कर रहा है, जिनसे लोगों में यह झूठा विश्वास पैदा होता है कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है। माकपा और अन्य पार्टियों के नेताओं द्वारा सरमायदारों का इस तरह से खुलकर साथ देने से, यह बेहद जरूरी हो गया है कि कम्युनिस्टों के बीच विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष के स्तर को और ऊंचा किया जाये।

मुख्य उपलब्धियों का लेखा–जोखा

अक्तूबर 1998 के बाद, किये गये काम की समीक्षा से यह कहा जा सकता है कि हमने इस दौरान दूसरे महाअधिवेशन के फैसलों को अमल में लाने में महत्वपूर्ण सफलतायें पाईं हैं।

दूसरे महाअधिवेशन में पार्टी की आम कार्यदिशा निर्धारित करके और पार्टी का कार्यक्रम अपनाकर, हमने पिछले 6 वर्षों में महाअधिवेशन के फैसलों को अमल में लागू करने के काम पर ध्यान दिया। पार्टी संगठनों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देने की वजह से, आज हम पार्टी के इस तीसरे महाअधिवेशन में, पार्टी की लाईन और कार्यक्रम के आधार पर फौलादी एकता के साथ खड़े हैं। हमारी एक मजबूत केन्द्रीय समिति है, जो गुटबाजी से मुक्त है और सभी तरह के सरमायदारी दबावों को मात देकर पार्टी को अगुवाई देने की काबिलियत रखती है। संगठन को मजबूत करने के काम पर हमें आने वाले सालों में भी जोर देते रहना होगा।

आने वाले समय में हमें काम के विभिन्न मोर्चों पर प्राप्त सफल अनुभवों को दोहराने की ओर ध्यान देना होगा। किसी एक इलाके में प्राप्त सकारात्मक अनुभवों को पूरे देश में दोहराया जा सकता है और हमें दोहराना होगा। पहले महाअधिवेशन में स्वीकार किया गया असूल, कि **हम खुद ही अपने नमूने हैं**, को अपना पथ–प्रदर्शक बनाकर, हम अपनी सबसे अच्छी कृतियों का **अनुसरण करें** और पार्टी व पार्टी की लाईन को देश के कोने–कोने में फैलाएं।

साथियों, हमारी कामयाबियों को विजय में बदलने की कुंजी हमारी पार्टी की मजबूती है, मजदूर वर्ग और आम मेहनतकशों के बीच हमारी पार्टी की गहरी व विस्तृत जड़ें हैं। हमें बुनियादी संगठनों से लेकर केंद्रीय समिति तक, सभी पार्टी संगठनों को मजबूत करना होगा। हमें पार्टी के अखबार में प्रकाशित विषयों मे उन्नति लानी होगी, अखबार के लेखकों व वितरकों की संख्या बढ़ानी होगी और पाठकों की संख्या बढ़ानी होगी; साथ–साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि अखबार में सभी इलाकों के संघर्षो की झलक हो तथा लोगों को संगठित करने में वह काम आये। हमें सिद्धांत को विकसित करने का काम और मजबूत करना होगा, ताकि नये समाज के नज़रिये की व्याख्या की जा सके और उसे हासिल करने का रास्ता रोशन किया जा सके। हमें लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद के असूलों की हिफ़ाज़त करनी होगी और सभी प्रकार की सरमायदारी विचारधारा के खिलाफ़ डटकर संघर्ष करना होगा।

पार्टी को मजबूत करके, हम कम्युनिस्ट आंदोलन में एकता पुनर्स्थापित करने की हालतों और मजदूरों व किसानों की हुकूमत तथा स्वेच्छा पर आधारित हिन्दोस्तानी संघ स्थापित करने की हालतों को तैयार कर सकेंगे। सभ्यता के ऊंचे मार्ग पर आगे बढ़ते इंकलाबी हिन्दोस्तान के प्रतीक बतौर, लाल किले पर लाल झंडा फहराने की हालतों को हम तैयार करेंगे।

मजदूरों और किसानों की हुकूमत और स्वेच्छा पर आधारित हिन्दोस्तानी संघ की ओर

परिचय

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का तीसरा महाअधिवेशन ऐसे समय पर हो रहा है जब दुनिया के तौर पर इंकलाब पीछे हटने की दशा में है और प्रतिगामी ताकतें दुनिया भर में हावी हैं। सबतरफा अतिशोषण के अधिक तीव्र होने, असहनीय गरीबी और दुख–दर्द के बढ़ने, फाशीवाद के पनपने और प्रतिक्रियावादी जंग के भड़क उठने के खतरे दुनियाभर के लोगों के सिर पर मंडरा रहे हैं। इसके साथ ही, सरमायदारी सुधारों के खिलाफ़ मजदूर और किसान संघर्ष में उतर रहे हैं; दुनिया भर के राष्ट्र और लोग, साम्राज्यवादियों के आदेशों और नाजायज़ जंग, एवं अपने अधिकारों पर हमलों को स्वीकार करने से इंकार कर रहे हैं। इंकलाब के पीछे हटने के इस दौर में वर्ग संघर्ष और अधिक तेज हो रहा है और यह अहसास दिला रहा है कि जल्दी ही इंकलाब की लहर फिर से भाटे से ज्वार में तब्दील होगी।

दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बनने की दौड़ में, अमरीकी साम्राज्यवाद दुनिया की सुरक्षा के उन सभी सिद्धांतों और संस्थाओं को नष्ट कर रहा है, जो नाज़ी फाशीवाद पर विजय हासिल करने के बाद और शीतयुद्ध के दौरान स्थापित किये गये थे। इन सबकी जगह, वह ऐसे सिद्धांत और संस्थायें बना रहा है जो अमरीकी साम्राज्यवाद के आज के मंसूबों के साथ मेल खाते हैं। अफ़गानिस्तान और इराक पर हमला और उन पर कब्जा करने के लिये बर्तानवी–अमरीकी

नेताओं द्वारा दिये गये तर्क केवल झूठ और फरेब थे; इसका पूरा पर्दाफाश हो चुका है। अमरीकी साम्राज्यवाद एक ऐसी शक्ति है जो विभिन्न देशों के बीच के संबंधों के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अहंकार के साथ उल्लंघन करती है, इस बात का पर्दाफाश हो रहा है और दुनिया में वह अकेला होता जा रहा है। दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा लोग यह मानने लगे हैं कि राष्ट्रों की संप्रभुता और दुनिया में शान्ति और सुरक्षा के लिये अमरीकी साम्राज्यवाद सबसे बड़ा खतरा है।

दुनिया भर में अफ़गानिस्तान और इराक पर जंग के खिलाफ़, फिलिस्तीनी लोगों पर किये जा रहे अपराधों के खिलाफ़, और अमरीकी साम्राज्यवाद की लूट–खसौट की कार्यवाहियों के खिलाफ़ दुनिया भर में विशाल प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं। अमरीका की इन लूट–खसौट की कार्यवाहियों का मकसद है एशिया पर कब्जा करके सारी दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाना। जिन देशों की सरकारों ने इराक के खिलाफ़, अमरीका नीत गठबंधन में हिस्सा लिया था, वे सरकारें अपने ही देश में बदनाम हो गयी हैं और अपने–अपने बचाव में लगी हुई हैं।

अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा अपनी हुकूमत के अधीन एक ध्रुवी–दुनिया बनाने की कोशिश फ्रांस, जर्मनी और अन्य साम्राज्यवादी ताकतों की योजनाओं और लक्ष्यों से टकरा रही है। अंतर–साम्राज्यवादी अंतर्विरोधों की वजह से न केवल इराक पर जंग और उसके कब्जे के मसले पर यूरोप में बंटवारा हुआ है, बल्कि यूरोपीय संघ और नाटो के भविष्य पर भी यह टकराव उभर कर आ रहा है। इसके साथ ही, अमरीकी साम्राज्यवाद की योजनाओं और रूस, चीन, हिन्दोस्तान और ब्राजील के लक्ष्यों और मंसूबों के बीच भी टकराव है।

दुनिया का पुनः बंटवारा करने में जुटे देशों के गिरोह में हिन्दोस्तान अपनी जगह बनाना चाहता है। अपने साम्राज्यवादी मंसूबे पूरे करने के लिये बड़े हिन्दोस्तानी सरमायदार अमरीका के अलावा, यूरोपीय संघ और रूस के साथ भी और नजदीकी से हाथ मिलाना चाहते है। हालांकि हिन्दोस्तानी सरमायदार चीन को अपना प्रतियोगी मानते हैं, पर वे चीन के साथ सहयोग करने की संभावना भी देखते हैं। हिन्दोस्तानी सरमायदार अन्य साम्राज्यवादी ताकतों के साथ टकराने के साथ–साथ, सहयोग भी कर रहे हैं, एवं दुनिया भर में, और खासकर मध्य और दक्षिण–पूर्व एशिया में, अपने प्रभाव का क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

पूंजीवाद की चरम अवस्था – साम्राज्यवाद, एक ऐसी व्यवस्था है जो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों पर मौत और बरबादी लाये बिना जीवित नहीं रह सकती, इस सत्य का खुलासा प्रतिदिन होता जा रहा है। फौजीकरण और कब्जाकारी जंग के बगैर, मेहनतकश लोगों का शोषण और गरीबी बढ़ाये बगैर, राष्ट्रों और पूरे महाद्वीपों को बरबाद किये बगैर, यह व्यवस्था अपने आप को बरकरार नहीं रख सकती, इसका भी पर्दाफाश हो रहा है। उदारीकरण व निजीकरण और वित्तीय स्थिरीकरण के जरिये पूंजीवादी वैश्वीकरण का मकसद दुनिया भर की कुछ बड़ी और उभरती ताकतों के एकाधिकारों और वित्तीय अल्पतंत्रवादियों के हित में सभी राष्ट्रों और लोगों की बेपनाह लूट है, इस बात का भी पर्दाफाश हो रहा है।

ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि सन् 2001 में दुनिया के 273 करोड़ लोगों की आमदनी 2 डॉलर (लगभग 90 रु.) प्रति दिन से भी कम थी। इसमें से आधे से ज्यादा लोग दक्षिण एशिया और अफ्रीका के सहारा इलाके में रहते हैं। 84 करोड़ से भी अधिक लोग लगातार कुपोषित रहते हैं। अफ्रीका के सहारा इलाकों, पश्चिम एशिया, कैरिबियन और दुनिया के अन्य इलाकों में यूरोप की पुरानी बस्तीवादी एवं साम्राज्यवादी ताकतों और अमरीका ने खूनी कत्लेआम और गृहयुद्ध का सिलसिला चला रखा है। इन इलाकों के उम्दा प्राकृतिक और खनिज संसाधनों पर अपना एकाधिकारी नियंत्रण जमाने के लिये इन साम्राज्यवादी ताकतों ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। जब कोई सरकार इन साम्राज्यवादी ताकतों और पूंजीवादी एकाधिकार कंपनियों के लुटेरे प्रयासों के लिये बाधक बनती है तो किसी न किसी बहाने से उसका तख्तापलट किया जाता है।

जिन देशों में पूंजीवादी लोकतंत्र है, उन देशों की सरकारें अपने ही देश के मजदूर और मेहनतकश लोगों की खुशहाली और अधिकारों की कितनी उपेक्षा करती हैं, यह खुलेआम दिख रहा है। ये सरकारें वित्तीय पूंजी और सबसे बड़े एवं सबसे आक्रमक पूंजीवादी एकाधिकारों के हाथों में टट्टू हैं, इस बात का भी पर्दाफाश होता जा रहा है। सरमायदारी लोकतंत्र की राजनीतिक प्रक्रिया, वह चाहे संसदीय प्रणाली हो या राष्ट्रपति प्रणाली, यह प्रक्रिया चंद मुट्ठीभर लोगों के हाथों में राजनीतिक सत्ता बनाये रखने और अधिकांश लोगों को सत्ता से बाहर रखने के लिये बनायी गयी है, इस बात का भी पर्दाफाश हो गया है।

ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसी प्रक्रिया के खिलाफ़ आवाज उठा रहे हैं, जो उन्हें सत्ता से बाहर रखती है। लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि केवल कुछ–कुछ सालों बाद, सरमायदारों की किसी पार्टी या गठबंधन को वोट देकर सत्ता में लाने के अलावा जनता की कोई भूमिका नहीं है।

अमरीकी साम्राज्यवाद अपने कुकर्मों को सही साबित करने के लिये लोकतंत्र और आजादी के जिन नारों का इस्तेमाल करता है, वे अब लोगों की नजर में पूरी तरह बदनाम हो चुके हैं। अमरीका जिसे 'राष्ट्र निर्माण' कहता है, लोग उसे मानने से इंकार कर रहे हैं। नवम्बर 2004 में हुये अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव ने अमरीकी लोकतंत्र की राजनीतिक प्रक्रिया का पर्दाफाश किया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एकाधिकारी सरमायदारों की मर्जी को लोगों पर थोपा जाता है और विभिन्न एकाधिकारी खेमों के आपसी अंतर्विरोधों को सुलझाया जाता है, इस बात का पर्दाफाश हुआ है। अमरीका के इस तथाकथित "मुक्त और निष्पक्ष चुनाव" से एक ऐसी सरकार सत्ता में आयी है, जो अमरीका में लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमलों और समाज–विरोधी हमलों को और बढ़ाने पर तुली हुई है और दूसरे देशों पर जंग छेड़ने और हमला करने के लिये कटिबद्ध है।

मेक्सिको से लेकर दक्षिण कोरिया तक, पिछले 6 सालों में दुनिया भर के सभी देशों में पूंजीवादी हमले के खिलाफ़ जन प्रतिरोध बढ़ रहा है। उत्तरी अमरीका और पश्चिम यूरोप के देशों में मजदूर वर्ग के साथ–साथ, बेरोजगार, छोटे किसान, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, महिलायें और नौजवान सड़कों पर उतर रहे हैं। जन संगठनों के बीच आपसी संपर्क के सहारे बड़े पैमाने पर संयुक्त रैलियां और प्रदर्शन उन देशों में अब आम बात हो गयी हैं और इस तरह का संयुक्त कार्य आपसी संपर्कों को अधिक व्यापक और मजबूत बना रहा है।

अपने देश पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ़ इराक के लोगों का बहादुर संघर्ष एक के बाद एक सफलता हासिल कर रहा है। इराक पर चलते कब्जे के खिलाफ़ दुनिया भर में प्रदर्शन व रैलियां एक आम बात हो गयी हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था और सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमरीकी साम्राज्यवाद जैसी खतरनाक ताकत का बोलबाला है। वह अपने हित के मुताबिक 'तख्ता

पलटने' के लिये मतपेटी और बम, दोनों का इस्तेमाल करता है। ऐसी खतरनाक साम्राज्यवादी ताकत के खिलाफ़ दुनिया के लोग अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं।

क्यूबा के खिलाफ़ अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों व दबावों के बावजूद क्यूबा की सरकार और लोग अपनी राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेटिन अमरीका में कैरिबियन और दक्षिण अमरीका के देशों पर अमरीकाओं का आजाद व्यापार क्षेत्र (एफ.टी.ए.ए.) के माध्यम से अमरीका अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहा है, जिसका लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। इस इलाके के कई देशों में लोकप्रिय सरकारें सत्ता में आ रही हैं, जो अमरीकी दादागिरी का विरोध करती रहीं हैं। साम्राज्यवादी दबावों और हुक्मशाही को कई देशों की सरकारें चुनौती दे रही हैं, जैसे कि अफ्रीका में जिम्बाब्वे और सुडान, एशिया में उत्तर कोरिया, ईरान, मलयेशिया, चीन, इत्यादि।

दुनिया भर में चल रही घटनायें यह दिखाती हैं कि सरमायदार वर्ग लोगों की समस्याओं को सुलझाने के काबिल नहीं है। इसके साथ ही इन घटनाओं से यह बात भी खुलकर सामने आ रही है कि दुनिया भर में सरमायदारी–साम्राज्यवादी हमले के खिलाफ़ उठ रहे जनसंघर्ष के संदर्भ में पूंजीवादी देशों के सर्वहारा की वर्ग चेतना में भी काफी बढ़ोतरी हुयी है। जनवरी 2004 में मुबंई में आयोजित विश्व सामाजिक मंच (वर्ल्ड सोशल फोरम) जैसे मंचों में, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ़ लोग एक विकल्प की चाहत लेकर आये थे, ऐसा स्पष्ट था। जन आंदोलनों को गुमराह करने की सरमायदारों के भयानक इरादे भी इससे साफ नजर आ रहे थे।

दुनिया भर में हालात अगर खतरे से भरे हैं तो साथ ही इन हालातों में खूब सारे ऐसे मौके भी हैं जिनका इस्तेमाल इंकलाबी ताकतों को करना चाहिये। कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां और अन्य तरक्की पसंद ताकतें जन आंदोलनों को ऐसी चेतना और संगठन प्रदान करने की कोशिश कर रही हैं, जो सरमायदारी हमले को परास्त करने के लिये जरूरी है। एक विकल्प की आवश्यकता है, यह बात सड़कों पर उतरे गुस्साये लोगों के दिलों व दिमागों में बसने लगी है। सरमायदारों को अकेला करके उन्हें परास्त करने के फौरी कार्यक्रम के आधार पर, जन

आंदोलन को अगुवायी देने के लिये मजदूर वर्ग को तैयार करने का संघर्ष जारी है। कम्युनिस्ट आंदोलन में मौजूदा फूट की वजह से यह कार्य बहुत जटिल हो गया है। कम्युनिस्ट आंदोलन में ऐसी कई पार्टियां और धारायें हैं जिन्होंने इंकलाब के रास्ते और समाजवाद एवं कम्युनिज़्म के लक्ष्य को त्याग दिया है और पूंजीवादी सुधारों को चलाने का 'बेहतर ढंग' तलाशने के रास्ते को अपना लिया है। सभी कम्युनिस्टों के सामने यह चुनौती है कि वे आज के हालातों में लोगों के सामने ऐसी दुनिया की झांकी और कार्यक्रम पेश करें जो साम्राज्यवाद, जंग और सभी लोगों और राष्ट्रों के शोषण और दमन से मुक्त है।

पिछले 6 सालों में हिन्दोस्तान में वर्ग संघर्ष और तेज हुआ है, जिसमें मजदूरों, किसानों और दूसरे क्षेत्रों व इलाकों के मेहनतकशों के संगठनों ने सक्रिय हिस्सा लिया है। मजदूरों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों तथा छोटे उद्यमी लोगों ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के विरोध में बड़े–बड़े प्रदर्शन आयोजित किये हैं। पिछले 6 सालों में कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी और अन्य इंकलाबी ताकतों के कार्य से मजदूर वर्ग, सरमायदारों के बाजारों पर आधारित सुधार कार्यक्रम के खिलाफ़ चल रहे व्यापक संघर्ष की अगुवा पंक्तियों में आया है। राजकीय आतंकवाद और साम्प्रदायिक हिंसा, जंग और फाशीकरण के खिलाफ़ संघर्ष में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग सड़कों पर उतर आये हैं। शोषित–पीड़ित राष्ट्र, राष्ट्रीयतायें व लोग केन्द्रीय राज्य द्वारा अपनी संप्रभुता के हनन को मानने से इंकार कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हिन्दोस्तानी लोग अब चुपचाप यह मानने को तैयार नहीं हैं कि बहुपार्टीवादी प्रतिनिधियों वाला लोकतंत्र ही लोकतंत्र की आखिरी परिभाषा है। लोग खुद सत्ता में आने के रास्ते तलाश रहे हैं।

भाजपा नीत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की जगह पर कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार को सत्ता में लाने के पीछे सरमायदारों का मकसद है – हमारे देश में बढ़ते हुये वर्ग संघर्ष को ठंडा करना। इसका मकसद है, मजदूरों और किसानों को शांत करना और ट्रेड यूनियनों, किसान संगठनों आदि को सरमायदारी राज को स्थायी करने के कार्यक्रम से समझौता करवाना और पूंजीवादी सुधारों को 'मानवीय चेहरा' दिलाकर सजाना–संवारना। ऐसे हालातों में यह निहायत जरूरी है कि

कम्युनिस्ट सरमायदारों द्वारा फैलाये जा रहे भ्रम के खिलाफ़ और मजदूर वर्ग के कार्यक्रम की रक्षा के लिये बगैर समझौता का संघर्ष करें। मजदूरों व किसानों के कार्यक्रम की रक्षा के कार्य को वे लोग और अधिक जटिल बना रहे हैं जो कम्युनिस्ट आंदोलन के भीतर बैठकर कांग्रेस पार्टी के 'मध्य मार्ग' का समर्थन कर रहे हैं और संप्रग सरकार को स्थायी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिस्ट आंदोलन के भीतर बैठकर वर्ग समझौते की हिमायत करने वाले, तेजी से बढ़ते जन प्रतिरोध को इंकलाबी आंदोलन में परिवर्तित करने के रास्ते में सबसे बड़ी रूकावट हैं।

यह समय की पुकार है कि सभी हिन्दोस्तानी कम्युनिस्ट मिलकर मजदूर वर्ग, किसानों, मेहनतकश बुद्धिजीवियों, उत्पीड़ित राष्ट्रों और राष्ट्रीयताओं, जनजातियों, दलितों, महिलाओं और नौजवानों की राजनीतिक एकता बनाने के लिये अपनी कोशिशें दुगुनी कर दें। इस तरह की राजनीतिक एकता सरमायदारों और उनके समाज–विरोधी कार्यक्रम के खिलाफ़ बगैर समझौते के संघर्ष के आधार पर बनायी जा सकती है और बनानी होगी। यह राजनीतिक एकता हिन्दोस्तान के नवनिर्माण के कार्यक्रम को हकीकत में बदलने के लिये बनानी होगी। हिन्दोस्तान के नवनिर्माण का यह कार्यक्रम आर्थिक और राजनीतिक मायनों में बस्तीवादी परंपरा से नाता तोड़कर हिन्दोस्तान को विश्व साम्राज्यवादी व्यवस्था से बाहर निकालने का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम मजदूरों व किसानों की हुकूमत बसाने और स्वेच्छा पर आधारित हिन्दोस्तानी संघ को बनाने का कार्यक्रम है, जिसमें अर्थव्यवस्था को मजदूरों व किसानों की जरूरतें पूरी करने की दिशा में चलाया जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन का एक दस्ता होने के नाते, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी इस तरह की तरकीबें अपनायेगी जिनसे सरमायदार वर्ग और उसके साथ समझौता करने वालों की हार का रास्ता खुलेगा और हिन्दोस्तान के नवनिर्माण के कार्यक्रम की जीत होगी।

अंतर्राष्ट्रीय हालात

वर्ष 1990 में उत्तरी अमरीका, पश्चिमी यूरोप और जापान के साम्राज्यवादियों ने मिलकर एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये थे, जिसे पेरिस चार्टर कहते हैं। इस चार्टर के मुताबिक सारी दुनिया के सभी देशों पर मुक्त बाजार सुधारों और

बहु–पार्टीवादी लोकतंत्र को थोपा जाने वाला था। शीत युद्ध में जीती हुयी ताकतों ने यह ऐलान करना शुरू कर दिया कि समाजवाद मर गया है और अब जंग का कोई खतरा नहीं रहा है। इस ऐलान के साथ इन ताकतों ने पूर्वी यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों को आपस में बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने यह ऐलान किया कि अब पूंजीवाद शांतिमय तरीके से, बगैर किसी संकट के और बगैर इंसानी जीवन को नष्ट किये, पनपेगा। लेकिन साम्राज्यवादियों के बीच यह एकता ज्यादा दिन तक नहीं चली। युगोस्लाविया के बंटवारे और पूर्वी यूरोप एवं सोवियत संघ के विघटन से पैदा हुये नये आजाद राज्यों पर अपना प्रभाव और नियत्रंण जमाने के मसले पर इन साम्राज्यवादियों में टकराव शुरू हो गये। उस समय से यह टकराव और अंतर्विरोध और अधिक तीव्र हो गये हैं, मसलन पहले इराक पर कब्जे के सवाल को लेकर और बाद में युक्रेन के मसले को लेकर। जैसे–जैसे साम्राज्यवादी ताकतों के बीच ये टकराव तेज होंगे, वैसे–वैसे एशिया, यूरोप और सारी दुनिया को एक नये अंतर–साम्राज्यवादी युद्ध की ओर धकेलने का खतरा और अधिक बढ़ेगा।

पैरिस चार्टर में यह ऐलान किया गया था कि दुनिया के सभी देशों पर मुक्त बाजार सुधारों और बहु–पार्टीवादी लोकतंत्र की व्यवस्था को थोपा जायेगा। यह ऐलान किया गया कि किसी भी देश को एक सभ्य राष्ट्र कहलाने के लिये न्यूनतम जरूरत है कि उस देश में बाजारों पर आधारित अर्थव्यवस्था और अर्थनीति हो और ऐसी चुनावी प्रक्रिया हो जिसमें दो या अधिक पार्टियों का दबदबा हो।

1990 के दशक में हुई घटनाओं ने पूंजीवाद के शांतिमय विकास के सरमायदारों के इन सपनों को चूर–चूर कर दिया। इन घटनाओं ने दुनिया भर के लोगों की चेतना को बहुत आगे बढ़ाया। मजदूर वर्ग और लोगों के सामने यह हकीकत पेश आई, कि मुक्त बाजार सुधार कुछ और नहीं बल्कि पूंजीवादी कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा मजदूर वर्ग और लोगों की बेपनाह शोषण और लूट का ही दूसरा नाम है। उदारीकरण, निजीकरण और 'वित्तीय संयम' का मतलब है एकाधिकार पूंजी के हित के लिये सारे समाज को गिरवी रखना, जबकि पूंजी की भूख सभी हालातों में सबसे अधिक मुनाफों की दर पाकर ही मिट सकती है।

सरमायदारी–साम्राज्यवादी हमले के शुरूआत के पड़ावों में, 1991 से 1997 के बीच दुनिया के स्तर पर पूंजीवादी विकास साधारण तौर से आगे बढ़ा। यह विकास कुछ हद तक इंफार्मेशन टेक्नालॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन क्षेत्र में हुयी तकनीकी–वैज्ञानिक क्रांति की बदौलत हुआ। सोवियत संघ और अन्य पूर्वी यूरोप के देशों में वित्तीय पूंजी और एकाधिकार कंपनियों द्वारा लूट के लिये दरवाजे खुल जाना भी इसके पीछे एक और कारक था।

1991 और 1997 के बीच हालांकि पूंजीवादी विकास साधारण गति से आगे बढ़ा, यह विभिन्न इलाकों और देशों में बेहद असमान था। भूतपूर्व सोवियत संघ के अधिकांश लोगों को उत्पादन और आमदनी में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। रूस में उदारीकरण, निजीकरण और वित्तीय स्थिरीकरण के कार्यक्रम की वजह से बड़े पैमाने पर औद्योगिक संपत्ति नष्ट हो गयी और प्राकृतिक संसाधनों की भारी मात्रा में लूट की गयी। इस कार्यक्रम के लिये अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक ने पैसा दिया था। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के संस्थानों द्वारा रूस में डाले गये अरबों डॉलर, येल्तसिन और उसके माफिया गिरोहों के स्विस बैंक खातों में गये और सत्ता पर उनकी पकड़ मजबूत करने के काम आये। यही येल्तसिन और उसके माफिया गिरोह, सोवियत रूस के पतन के बाद नये एकाधिकार और अल्पतंत्रवादी बनकर उभरे और रूस की राजनीतिक सत्ता पर जा बैठे। इससे रूसी जनता के सिर पर कर्जा बढ़ता गया। सार्वजनिक संसाधन लुट गये और उनके कर्जे आसमान चूमने लगे, जबकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप्प हो गयी। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2000 में रूस का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 1989 के मुकाबले दो–तिहाई से कम था, जबकि युक्रेन में यह केवल एक–तिहाई था।

1991–1997 में हुये घटनाक्रम ने विश्वव्यापी संकट, मंदी और उत्पादन व पूंजी संचय की गति में गिरावट के एक और दौर को रास्ता दिया। इस दौर में तथाकथित एशियाई बाघ कहलाने वाले देशों में वित्तीय और मुद्रा का भारी संकट आया। जापान की बैंकिंग व्यवस्था में भारी संकट आया और देश के आर्थिक उत्पादन में गिरावट आयी। जापान पर बकाया कर्ज़ 1995 में सकल घरेलू उत्पाद के 50 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004 में 180 प्रतिशत पर जा

पहुंचा। सारा यूरोप आर्थिक निष्क्रियता और बढ़ती बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। जर्मनी को भारी आर्थिक मंदी के दौर से गुजरना पड़ा, जिससे यूरोपिय संघ में जर्मनी की साख पर भी आंच आयी। इस दौर में दुनिया भर में शेयर बाजारों में भारी नुकसान हुआ और आई.टी. का गुब्बारा भी फूट गया। इस घटनाक्रम ने यह दिखा दिया कि पूंजीपति वर्ग के न चाहने पर भी, पूंजीवादी मुनाफे की औसतन दर किस हद तक गिर गयी है।

आई.टी. शेयर में आई बढ़ोतरी धमाके के साथ गिर गयी। इससे पूंजीवादी व्यवस्था में निहित अंतर्विरोधों का पर्दाफाश हो गया। इस व्यवस्था में श्रम की उत्पादकता में बढ़ोतरी सारे समाज को फायदा पहुंचाने के बजाय मुनाफे के सामान्य दर में गिरावट का कारण बनती है, जिससे शेयर बाजारों में भारी गिरावट आती है और अर्थव्यवस्था संकट में डूबती चली जाती है। श्रम की उत्पादकता में बढ़ोतरी बेरोजगारी की समस्या को और विकट बनाती है तथा बगैर रोजगार संवर्धन जैसी प्रक्रिया को भी जन्म देती है।

1998 में हमारी नजरों के सामने चल रहे आर्थिक संकट का हमने विश्लेषण किया और यह माना कि पूंजीवादी संकट की जड़ उत्पादन के क्षेत्र में है, हालांकि इसका असर सबसे पहले वितरण के क्षेत्र में वित्तीय और मुद्रा के संकट या शेयर बाजारों में गिरावट के रूप में साफ प्रकट होता है। दूसरे महाअधिवेशन की रिपोर्ट में हमने कहा था कि "बर्तानवी–अमरीकी सरमायदार जिसे पहले केवल 'एशिया का संकट' के रूप में पेश कर रहे थे, अब वह संकट विश्व पूंजीवादी व्यवस्था का संकट बनकर उभर रहा है"। इस संकट ने अमरीका और दुनिया की दूसरी विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे यह साबित हो गया कि यह संकट विश्व पूंजीवादी व्यवस्था का संकट है, जिस व्यवस्था पर दुनियाभर की वित्तीय पूंजी और एकाधिकार कंपनियों का दबदबा है।

पूंजीवादी एकाधिकारी कंपनियों के अधिकतम मुनाफे की दर सुनिश्चित करने के लिये, सरमायदारी सरकारों द्वारा तमाम तरह के कदम उठाये जाने के बावजूद, वे पूंजीवाद के वस्तुगत नियमों के अंजाम से नहीं बच पाये। इन नियमों में मुनाफे की औसतन दर के गिरने की प्रवृति शामिल है। इस प्रवृति

का मुकाबला करने के लिये सरमायदार श्रम के शोषण को और अधिक तीव्र करते हैं और किसानों तथा छोटे उत्पादकों की लूट को और अधिक बढ़ाते हैं। सरमायदारों के इस कदम से आम मेहनतकश लोगों की क्रय शक्ति और सीमित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक मंदी आती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास की दर गिरती जाती है। 1997–2001 के दौर में चली आर्थिक मंदी से यह फिर साबित हो गया कि, आम इस्तेमाल की वस्तुओं की कुल मांग का सीमित होना, दुनिया के स्तर पर पूंजीवादी विकास के रास्ते में एक बड़ी रूकावट है। यह रूकावट पूंजीवादी व्यवस्था खुद खड़ी करती है और फिर इस पर काबू पाने में असमर्थ रहती है।

पिछले कुछ सालों में दुनिया में पूंजीवादी विकास की दर फिर एक बार आगे बढ़ रही है और वर्ष 2002 में 3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2003 में 3.9 प्रतिशत हो गयी है। इसमें अधिकांश योगदान एशिया के देशों, चीन, हिन्दोस्तान और दक्षिण–पूर्वी एशियाई देशों में हुयी बढ़त से हुआ है। इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं की कुल बढ़त वर्ष 2002 में 6.4 प्रतिशत थी, जो 2003 में 7.8 प्रतिशत हो गयी है। विकसित पूंजीवादी देशों में आर्थिक विकास निचले स्तर पर ही रहा, या फिर बेहद न्यूनतम स्तर से उठकर साधारण तौर से आगे बढ़ा, या फिर इन देशों में फौजीकरण और हथियार का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया गया, जिसका आर्थिक विकास में कोई असली योगदान नहीं होता है।

दुनिया की सभी मुख्य साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्थाओं में पिछले कुछ वर्षों में फौजीकरण और हथियारों पर खर्चा काफी तेजी से बढ़ा है। इसमें एकमात्र अमरीका का ही योगदान करीब 50 प्रतिशत रहा है। 11 सितंबर की घटना और अफगानिस्तान और इराक पर जंग के बाद से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अमरीका की अर्थव्यवस्था, मुख्य तौर से फौजीकरण और हथियारों पर खर्चे के सहारे चल रही है।

अमरीकी अर्थव्यवस्था में हुये घटनाक्रम और संकट से निकलने के लिये अमरीकी साम्राज्यवादी सरमायदारों द्वारा उठाये गये नीतिगत कदम पूंजीवादी व्यवस्था में निहित समस्याओं का खुलासा करते हैं। 1990 के दशक में अमरीकी अर्थव्यवस्था पश्चिमी यूरोप की तुलना में काफी तेजी से बढ़ी।

हालांकि इस दशक के ज्यादातर सालों में मजदूर वर्ग की असली आमदनी में गिरावट आयी, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं की मांग में बढ़ोतरी हुयी। यह बढ़ोतरी क्रेडिट कार्ड के व्यवसाय में वृद्धि और घर बनाने के लिये बैंकों द्वारा सस्ते ऋण उपलब्ध कराने से आयी थी। लेकिन पूंजीवादी विकास के इस तथाकथित पुनर्जीवित में अब कोई दम नहीं बचा है। आम लोगों का दिवालियापन इस हद तक बढ़ चुका है कि उसे बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। अमरीका में घरेलू बचत की औसतन दर 1 प्रतिशत से कम तक गिर चुकी है, जबकि यह दर यूरोप में लगभग 10 प्रतिशत है। सरमायदारी अर्थशास्त्रियों को भी अब यह शक होने लगा है कि अमरीका और दुनिया भर में इस तरीके से तेज चलाया गया आर्थिक विकास और कितने दिनों तक चल सकता है।

डॉलर के विनिमय मूल्य को बनावटी तरीकों से ऊंचा रखकर, यानि *मजबूत डॉलर* नीति अपनाकर, अमरीकी साम्राज्यवादी सरमायदार सस्ते उधारों के सहारे अपने जंग के बजट को बनाये रखने में तथा अमीरों पर लगाये जाने वाले करों में कटौती करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन एक के बाद दूसरी अमरीकी सरकार द्वारा अपनायी गई इस मजबूत डॉलर नीति की वजह से व्यापार का घाटा खूब बढ़ गया है। विश्व व्यपार में यूरो मुद्रा के उदय ने दुनिया की अर्थव्यवस्था में अमरीकी डॉलर के रुतबे को अब खतरा होने लगा है। अमरीकी राजकोष को अब डॉलर का अवमूल्यन करना पड़ रहा है ताकि निर्यात को बढ़ावा मिले तथा व्यापार का घाटा और न बढ़े।

ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वर्ष 2004 में एशिया में आर्थिक विकास की दर 7 प्रतिशत से ऊपर पहुंच चुकी है। यह दर 1997–98 के संकट के बाद की सबसे उंची दर है। बड़ी एकाधिकार कंपनियों द्वारा पूंजी के निर्यात से मुनाफे की सर्वोच्च दर हासिल करने के लिये अपने व्यवसाय को फैलाने के सबसे बढिया मौके, इस समय चीन और हिन्दोस्तान में मौजूद हैं। पिछले कुछ वर्षों में हिन्दोस्तान में और उससे पहले चीन में विदेशी पूंजीनिवेश विशाल व दीर्घकालीन ढांचागत परियोजनाओं में किये गये हैं, जिनके लिये उन राज्यों को विदेशी पूंजी निवेशकों को मुनाफे की गारंटी देनी पड़ी है और उन राज्यों ने ऐसी गारंटी दी है।

यदि आर्थिक विकास को क्रय शक्ति समानता के आधार पर नापा जाये तो चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। पिछले तीन वर्षों में विश्व के आर्थिक विकास में चीन की हिस्सेदारी करीब एक तिहाई थी, जो कि अमरीका से भी ज्यादा है। विश्व की अर्थव्यवस्था की दयनीय हालात के संदर्भ में चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। जबकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था मंदी के चक्रव्यूह में फंसी थी और वहां बगैर रोजगार संवर्धन व असमान विकास हो रहा था, तो पिछले एक दशक में चीन की अर्थव्यवस्था औसतन 10 प्रतिशत की दर से विकसित हुयी। लेकिन अब यह दर कम होती जा रही है। हिन्दोस्तानी अर्थव्यवस्था 1990 के दशक में प्रतिवर्ष औसतन 5 प्रतिशत से अधिक दर से विकसित हुयी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी की उम्मीद है कि आने वाले समय में हिन्दोस्तानी अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास होने की संभावनायें हैं। लेकिन हिन्दोस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत निर्णायक रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और कृषि क्षेत्र गहरे संकट से गुजर रहा है। यह संकट हिन्दोस्तान में पूंजीवाद के तेज विकास के लिये एक गंभीर चुनौती है।

रूसी अर्थव्यवस्था जो कि पिछले दशक के अंत तक भारी गिरावट की दशा में थी, अब पुनर्जीवित होने का संकेत दिखा रही है। लेकिन रूस द्वारा साम्राज्यवादी वित्तिय संस्थानों से लिया गया भारी कर्ज़ और वहां की राजनीतिक अस्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के लिये गंभीर समस्यायें खड़ी कर रही हैं।

जब विश्व अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हुआ, जैसे कि आई.टी. क्षेत्र में तेजी के दौरान, तो उन सालों में भी आर्थिक विकास का फायदा कुछ मुट्ठीभर लोगों के हाथों में ही रह गया। आर्थिक विकास में वृद्धि हो या स्थगन, दोनों ही दौरों में, अमीर और अधिक अमीर हुये हैं जबकि गरीबों की संख्या खूब बढ़ी है और इसके साथ ही, मध्यम वर्ग के लोगों के भविष्य के बारे में अनिश्चितता और बढ़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2003 में अमरीका के 12.5 प्रतिशत लोग सरकारी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे। यही हालत कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अन्य विकसित पूंजीवादी देशों में है।

एक तरफ पूंजीवाद के फैलने का दायरा दिन–ब–दिन सीमित होता जा रहा है दूसरी तरफ, एकाधिकार पूंजीपतियों और साम्राज्यवादी व्यवस्था से बंधे हुये राज्यों के बीच आपसी टकराव बढ़ते जा रहे हैं। पूंजीवाद के संकट से

अनिवार्यतः, पूंजी और सामग्रियों के निर्यात के लिये बाजारों पर, कच्चे माल के स्रोतों और उनकी आपुर्ति के रास्तों के नियंत्रण पर तथा स्पर्धाकारी राज्यों के अपने–अपने इलाकों व प्रभाव क्षेत्रों पर टकराव दिन–ब–दिन तीखा होता जा रहा है।

इन सब घटनाओं से लेनिन के उस सिद्धांत की फिर से पुष्टी और स्पष्टीकरण होता है कि पूंजीवाद, जो कि अपनी चरम अवस्था, साम्राज्यवाद पर पहुंच चुका है, वह बगैर जंग के और बगैर जान और उत्पादक संपत्ति को नष्ट किये, जिन्दा नहीं रह सकता।

1995 में डबल्यू.टी.ओ. की स्थापना साम्राज्यवाद की कोशिशों में एक महत्वपूर्ण मीलपत्थर था। डबल्यू.टी.ओ. की स्थापना करके साम्राज्यवादियों ने, दुनिया भर के सभी देशों के बाजारों पर अपना वर्चस्व जमाने और उन्हें लूटने के लिये रास्ते खोल दिये। अमरीका और यूरोपिय संघ के देश अपने कृषि निर्यात को सस्ता बनाने के लिये हर साल अरबों डॉलर की सब्सिडी देने का अपना अधिकार बनाये रखते हैं। परन्तु डबल्यू.टी.ओ. में अधिकांश गरीब और निर्भरशील देशों को आयात शुल्क और सब्सिडी कम करने पर मजबूर किया जाता है। इस प्रकार डबल्यू.टी.ओ. में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पहले ही असमान शर्तों के चलते, अमीर देशों का पलड़ा और भारी हो गया है। व्यापार के उदारीकरण के अजेंडे के खिलाफ़ प्रतिरोध पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है, जिसकी वजह से डबल्यू.टी.ओ. में इस मसले पर गतिरोध सा आ गया है।

मेक्सिको के कानकुन में डबल्यू.टी.ओ. की शिखर वार्ता में इस मसले पर समझौता करने की कोशिश की गयी, जो कि नाकामयाब रही। अमरीकी साम्राज्यवाद, यूरोपिय संघ और 21 देशों के एक गठबंधन (जी–21) के बीच गहरी फूट और टकराव की वजह से ऐसा हुआ। 21 देशों के इस गठबंधन में चीन, हिन्दोस्तान और ब्राजील भी शामिल हैं। इस असफलता के बाद, अमरीका और यूरोप के साम्राज्यवादियों ने परामर्श सभायें आयोजित की। इन सभाओं में जी–21 की सिर्फ कुछ बड़ी ताकतों को ही शामिल किया गया। इस तरह से बड़ी साम्राज्यवादी ताकतों ने जी–21 में फूट डालकर साम्राज्यवादी दबदबे के खिलाफ़ प्रतिरोध को कमजोर करने की योजना बनायी। उनकी इस चाल में हिन्दोस्तानी सरमायदार भी हिस्सा ले रहे हैं।

हिन्दोस्तान के बड़े सरमायदार साम्राज्यवादी लक्ष्य और मंसूबे रखते हैं। ये सरमायदार एक महाद्वीप जैसे बड़े देश पर नियंत्रण करते हैं, जो कि विश्व में रणनैतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। हिन्दोस्तानी सरमायदारों के नियंत्रण में दुनिया का एक सबसे बड़ा बाजार और अतिकुशल श्रमिकों व सस्ते कच्चे माल के स्रोत हैं। अपने साम्राज्यवादी मंसूबों को हासिल करने के लिये हिन्दोस्तानी सरमायदार अन्य साम्राज्यवादी ताकतों के साथ समझौता भी कर रहे हैं और टक्कर भी ले रहे हैं। हिन्दोस्तानी बड़े सरमायदार जब मर्जी अपने आप को 'तीसरी दुनिया' के 'लीडर' के रूप में पेश करते हैं, ताकि जनता की साम्राज्यवाद–विरोधी भावनाओं का फायदा उठा कर, बड़ी ताकतों के साथ सौदेबाजी करके अपने विस्तार की संभावनायें बढ़ा सकें। एशिया में बदलते भूगोलिक–राजनीतिक हालातों के संदर्भ में, हिन्दोस्तानी बड़े सरमायदारों ने एशिया के सुरक्षा ढांचे को पुनर्गठित करने के रास्ते पर कदम रखा है, क्योंकि इस कदम से वह दुनिया की एक बड़ी ताकत माने जाने का दावा कर सकता है।

हिन्दोस्तानी सरमायदारों के पास हिन्दोस्तानी राज्य का विशाल और शक्तिशाली तंत्र है, जिसमें बस्तीवादी शैली की नौकरशाही व्यवस्था और फौजी ताकत शामिल है। इस राज्य तंत्र के द्वारा वे यह सुनिश्चित करते हैं कि इस विशाल देश की पूरी जमीन, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन उनके हितों में इस्तेमाल किये जायेंगे। हिन्दोस्तानी बड़े सरमायदार हिन्दोस्तान के इलाके के अंदर बसे सभी राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं और लोगों के प्रति बस्तीवादी और साम्राज्यवादी नीति चलाते हैं। इस नीति के चलते लोगों की पहचान और राष्ट्रीय अधिकारों के गंभीर सवालों का हल होने का रास्ता रुका हुआ है। ये सवाल वर्तमान हिन्दोस्तानी संघ के विभिन्न राज्यों, जैसे कश्मीर, पंजाब, मणिपुर, नगालैंड और अन्य पुर्वोत्तर राज्यों में, बार–बार उभर कर आते हैं।

दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के प्रति हिन्दोस्तान के सरमायदारों का रवैया, विस्तारवादी और बड़ी ताकत की दादागिरी का रवैया रहा है। हिन्दोस्तान के बड़े सरमायदारों का यह रवैया दक्षिण एशिया के सभी लोगों और देशों की साम्राज्यवाद के खिलाफ़ एकता विकसित करने के रास्ते में सबसे बड़ी रूकावट है। इस इलाके में अमरीकी साम्राज्यवाद की योजना के साथ हिन्दोस्तानी सरमायदारों के लक्ष्य एक हो गये हैं, जिसमें पाकिस्तान के साथ 'न जंग, न शान्ति' की नीति भी शामिल है।

हाल के दिनों में, हिन्दोस्तान–पाकिस्तान शांति के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है। यह सिलसिला पहले वाजपेयी और मुशर्रफ के बीच चला और अब मनमोहन सिंह और मुशर्रफ के बीच चल रहा है। इस दरमियान वाशिंगटन ने, इस 'शांतिमय दौर' में दोनों हिन्दोस्तान व पकिस्तान को आधुनिक हथियार बेचने का मौका नहीं गंवाया है।

आज के अंतर्राष्ट्रीय हालातों को देखते हुये, यह साफ है कि अमरीकी साम्राज्यवाद की सारी दुनिया पर अपना रौब जमाने की कोशिश और साथ ही साथ, हिन्दोस्तानी और पाकिस्तानी हुकूमतों के एक दूसरे के प्रति तथा अन्य लोगों के प्रति साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी मंसूबे दक्षिण एशिया इलाके में जंग के स्रोत हैं। हिन्दोस्तान–पाकिस्तान शांति की बात तभी कोई असली मायने रखेगी जब इस शांति के आधार बतौर, हिन्दोस्तान और पाकिस्तान अपने–अपने साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी मंसूबों को त्याग देगें और अमरीकी या किसी और साम्राज्यवादी ताकत की इस इलाके में दखलंदाजी के खिलाफ़ दोनों देश असूलों पर आधारित भूमिका अदा करेंगे। ऐसे करते हुये ही दोनों देश, बगैर किसी दबाव के, एक साथ बैठ कर अपनी समस्याओं को हल कर पायेंगे। पर ऐसा कोई सबूत नजर नहीं आता जिससे यह माना जा सके कि हिन्दोस्तान और पाकिस्तान ने अपने–अपने प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के साम्राज्यवादी मंसूबों को छोड़ा है। ऐसा कोई सबूत नहीं नज़र आता जिससे यह माना जाये कि इन में से कोई भी देश दुनिया में जंग के खिलाफ़ चल रहे आन्दोलन का समर्थन करता है। हकीकत में, हिन्दोस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों ने अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले का समर्थन किया था। दोनों में से किसी ने भी अमरीका नीत ताकतों द्वारा इराक पर जंग और कब्जे का खुलकर विरोध नहीं किया है।

हिन्दोस्तान और पाकिस्तान के लोगों ने जाहिर किया है कि वे अपने दोनों देशों के बीच शांति और दोस्ती चाहते हैं। लेकिन इस समय चलायी जा रही हिन्दोस्तान–पाकिस्तान वार्ता के पीछे लोगों की यह चाहत नहीं, बल्कि कुछ और है। हमारे दोनों राज्यों के बीच इस अस्थायी संघर्ष विराम को बनाने की कोशिशों के पीछे, कई भूगोलिक–राजनीतिक कारण हैं। हिन्दोस्तान द्वारा इस इलाके के सुरक्षा ढांचे को पुनर्गठित करने की कोशिश, एशिया पर कब्जा करने

की अमरीकी और यूरोपीय ताकतों के लक्ष्य, चीन का एशिया का एकमात्र 'ध्रुव' बनने का लक्ष्य, ये इसके पीछे कुछ कारण हैं। पाकिस्तान राज्य घोर अंदरूनी संकट में उलझा हुआ है और टुकड़े–टुकड़े हो जाने की कगार पर है। इन सब की वजह से हिन्दोस्तान और पाकिस्तान ने इस समय शांति वार्ता के नाम पर आपस में बातचीत करने का फैसला किया है। इस 'हिन्दोस्तान–पाकिस्तान शांति प्रक्रिया का समर्थन' जोरों से करते हुये, सभी बड़ी ताकतें, साथ ही साथ, दक्षिण एशिया में होने वाले जंग में हिस्सा लेने की पूरी तैयारी कर रही हैं। सच तो यह है कि वर्तमान समय में, 'शन्ति' में इस रूचि के पीछे हिन्दोस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों के खुदगर्ज साम्राज्यवादी मंसूबे छिपे हुये हैं और इन मंसूबों को हासिल करने के लिये दोनों देश नये इंतजाम कर रहे हैं।

11 सितंबर के हमलों के तीन साल बाद, पाकिस्तान को अमरीका का गैर–नाटो मित्र राष्ट्र बनाया गया है। जबकि हिन्दोस्तानी फौज के लिये अमरीका से आधुनिक हथियार खरीदे जा रहे हैं और साथ ही उसके रूसी और यूरोपीय हथियारों का स्तर बढ़ाया जा रहा है। 'आतंकवाद पर जंग' की आड़ में दक्षिण एशिया के सभी देशों में अमरीकी फौजी सलाहकार अपनी जगह बना रहे हैं। दक्षिण एशिया के पर्वतों, समुद्रों और आसमानों में संयुक्त फौजी अभ्यास आयोजित किये जा रहे हैं। साथ ही, 'कश्मीर समस्या का समाधान' थोपने के लिये एक राजनीतिक अभियान चलाया जा रहा है।

हाल में हुयी कई घटनाओं से यह सामने आ रहा है कि कश्मीर के लोगों के हितों के खिलाफ़, कश्मीर के बंटवारे को और गहरा करने की नयी कोशिशें की जा रही हैं। अमरीका ने औपचारिक तौर पर नियंत्रण रेखा को स्थाई रेखा न मानने के अपने रवैये को पलट दिया है। पाकिस्तान भी 1948 के संयुक्त राष्ट्र (सं.रा.) के फैसले से हटने को तैयार है। हिन्दोस्तान भी अब अपने परंपरागत रवैये पर जोर नहीं दे रहा है कि संयुक्त कश्मीर हिन्दोस्तान का अखंड हिस्सा है, और युद्ध–विराम की रेखा को स्थायी सीमा मानने की मंजूरी जता रहा है। कश्मीर के लोगों को बांटने के आधार पर अगर कोई 'समाधान' निकाला जाता है तो यह दक्षिण एशिया में शांति के लिये बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि ऐसा करने से इस इलाके में नई साम्राज्यवादी दखलंदाजी के लिये संभावनायें बढेंगी।

चीन को इस तरह के बदलाव का पहले से ही अंदाजा था और वह अपने आप को इसके लिये तैयार करता आया है। चीन हिन्दोस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंध तथा रूस और हिन्दोस्तान के साथ या फिर रूस, कोरिया और जापान के साथ बहुपक्षीय संबंध बनाने में अपनी पहल ले कर आगे आ रहा है। हिन्दोस्तान म्यानमार को चीन के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। हिन्दोस्तानी हुक्मरान श्रीलंका, बांगलादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों के साथ व्यापार, पूंजी निवेश और फौजी समझौतों, जैसे बांगलादेश–हिन्दोस्तान–म्यानमार–श्रीलंका–थायलैंड–आर्थिक सहयोग (बिमस्टेक) के जरिये एशिया में चीन और पाकिस्तान की तुलना में, अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान और कश्मीर के मामले में पाकिस्तान ने अपने मंसूबों को नहीं छोड़ा है; मुशर्रफ इस उम्मीद से अमरीका का आदेश पालन कर रहा है, कि अमरीका हिन्दोस्तान को एशिया का राजा तय करने वाली शक्ति बनने से रोकेगा। दुनिया भर में अमरीकी दुःसाहस के लिये (शांति रक्षक के रूप में) थल सैनिकों की आपुर्ति करने में बांगलादेश सबसे आगे निकला है, जबकि श्रीलंका और नेपाल में अमरीकी फौज के विशेष दस्तों को हमले के लिये तैनात रखने के इंतजाम किये जा रहे हैं और साथ ही साथ, तमाम तरह के हथियारों को वहां पर जमा किया जा रहा है। नेपाल में लोगों के संघर्ष को दबाने के लिये हिन्दोस्तानी सरकार अमरीका के साथ मिलकर नेपाल की सरकार को फौजी मदद दे रही है।

इस इलाके के बड़े औद्योगिक घरानों और सरकारों के बीच नये आर्थिक और राजनीतिक संबंध तेजी से बनाये जा रहे हैं। इनमें से कुछ हैं हिन्दोस्तान–श्रीलंका सुरक्षा समझौता, बांगलादेश में टाटा कंपनी द्वारा पूंजी निवेश की योजना, हिन्दोस्तान और रूस के बीच तेल और प्राकृतिक गैस के लिये समझौते, हिन्दोस्तान और म्यानमार के बीच समझौते जिसके तहत पूर्वोत्तर हिन्दोस्तान और म्यानमार के लोगों की संप्रभुता के जज्बातों को दबाया जायेगा, इत्यादि। हर एक सरकार और सरमायदार जल्द से जल्द ही समझौता कर लेना चाहते हैं, इसके पहले कि प्रतिस्पर्धी आकर बीच में टांग अड़ाये। इस बीच हिन्दोस्तानी और पाकिस्तानी राज्य तेजी से अपनी फौजों को मजबूत कर रहे हैं। दक्षिण एशिया में चल रही इन घटनाओं से इस इलाके के लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिये। हम इस भ्रम में नहीं रह सकते कि इस इलाके के देशों के

हुक्मरान शांति चाहते हैं या कि विभिन्न साम्राज्यवादी हितों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग से इस इलाके मे जंग का खतरा कम हो जायेगा।

सारी दुनिया पर अपना एक ध्रुवीय राज थोपने की अमरीका की कोशिश को फ्रांस और जर्मनी चुनौती दे रहे हैं। डबल्यू.टी.ओ., संयुक्त राष्ट्र संघ (सं.रा.) और नाटो में अमरीका और यूरोपीय ताकतों के बीच अंतर्विरोध और अधिक तीव्र होते जा रहे हैं। अमरीका और यूरोप की पुरानी ताकतों के बीच अंतर्विरोधों की वजह से अफ्रीका के लोगों के आपसी संहारक जंग तेज होते जा रहे हैं। कौन सी साम्राज्यवादी ताकत किस इलाके पर नियंत्रण करेगी, इसके बारे में साम्राज्यवादी ताकतों के बीच टकराव है, लेकिन लोगों के साम्राज्यवाद–विराधी संघर्षों को दबाने के लिये ये सभी ताकतें एक हो जाती हैं।

यूरोप की बड़ी ताकतों ने अफगानिस्तान पर बर्तानवी–अमरीकी जंग का समर्थन किया। लेकिन इराक पर हमले और फिर उस पर कब्जे को लेकर इन साम्राज्यवादी ताकतों में तीखे मतभेद उभर कर आये। इराक पर जंग के मसले ने पुराने यूरोप की ताकतों को दो हिस्सों में बांट दिया। 'यूरो राष्ट्रवादी' खेमे के नेता फ्रांस और जर्मनी, यूरोपीय संघ को अगुवाई देकर, उसे अमरीका को चुनौती देने वाला सत्ता–केन्द्र बनाना चाहते हैं। ब्रिटेन और इटली 'अटलांटिक वादी' खेमे के नेता हैं तथा वे फ्रांस और जर्मनी के मंसूबों को रोकने के लिये, उत्तर–अटलांटिक गठबंधन में अमरीका की नेतागिरी वर्चस्व बरकरार रखना चाहते हैं। पूर्वी यूरोप के देश, जो नये खिलाड़ी हैं, उनमें से अधिकतर देश बर्तानवी–अमरीकी गठबंधन का साथ दे रहे हैं, ताकि वे प्रतिशोधी जर्मनी और साम्राज्यवादी रूस से बच सके।

सारी दुनिया पर एक–ध्रुवीय राज थोपने के अमरीकी मंसूबों को केवल पुराने यूरोप की ताकतें ही चुनौती नहीं दे रही हैं। बल्कि अमरीका को चीन, हिन्दोस्तान, रूस और ब्राजील, जैसी नयी उभरती ताकतों के मंसूबों के साथ भी टकराना पड़ रहा है। अमरीकी साम्राज्यवाद चीन में अपने पूंजी निवेश को बरकरार रख कर और बढ़ाना चाहता है और साथ ही 'मानव अधिकारों का हनन' का मसला उठाकर चीन पर दबाव बनाये रखना चाहता है। अमरीकी साम्राज्यवाद हिन्दोस्तानी बड़े सरमायदारों के साथ अपने गठबंधन को और मजबूत करना चाहता है, और वह 'आतंकवाद के खिलाफ़ जंग' और 'इस्लामी रूढ़ीवाद' के विरोध के मसले पर

हिन्दोस्तान को अपना 'स्वाभाविक दोस्त' करार देता है। रूस–चीन–हिन्दोस्तान धुरी, जिसे रूसी सरमायदारों ने शुरू किया था, उसका अमरीकी साम्राज्यवाद विरोध कर रहा है। बेहद सक्रिय रूप से अमरीका पूर्व–सोवियत गणराज्यों पर अपना अधिकार जता रहा है और इस मसले पर रूस से उसकी टक्कर हो रही है। ईरान से लेकर, पाकिस्तान से गुजरती हुई, हिन्दोस्तान तक तेल पाईप लाईन के प्रस्ताव का भी अमरीका विरोध कर रहा है, क्योंकि इसके लिये पाकिस्तान को ईरान और हिन्दोस्तान को सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। बुश प्रशासन ने यह बात किसी से छुपायी नहीं है कि 'आतंकवाद के खिलाफ़ जंग' में उसका अगला निशाना ईरान हो सकता है।

हाल ही में जर्मनी और जापान के साथ हिन्दोस्तान और ब्राजील ने सं.रा. सुरक्षा परिषद (सु.प.) में स्थायी सदस्यता के लिये मिलकर दावा किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये ताकतें यह मानती हैं कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के जरिये अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपना दबदबा चलाने वाली पांच बड़ी ताकतों के साथ मिलकर काम करना, इनका 'जन्म सिद्ध अधिकार' है, जिससे इन्हें 'नाजायज़ तरीके से वंचित' रखा गया है।

एक–ध्रुवीय दुनिया या फिर कई बड़ी साम्राज्यवादी ताकतों के बीच फिर से बंटी हुई बहु–ध्रुवीय दुनिया, इन दोनों की हिमायत करने वाली ताकतें दुनिया में नये अंतर–साम्राज्यवादी जंग का खतरा बढ़ा रही हैं। दुनिया को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा अमरीकी साम्राज्यवाद से है और उसके बढ़ते कदमों को रोकने के लिये हमें पूरा दम लगाना होगा। परन्तु कम्युनिस्टों को अंतर–साम्राज्यवादी टकराव की वजह से उभरी राजनीतिक संभावनाओं का भी फायदा उठाना होगा। लेकिन बहु–ध्रुवीय दुनिया की हिमायत करने वाली साम्राज्यवादी ताकतों की भूमिका के बारे में कम्युनिस्टों को कोई भ्रम नहीं रखना चाहिये।

पिछले एक साल में जर्मनी और स्पेन में ऐसी सरकारें बनी जिन्होंने इराक पर जंग का विरोध किया। ऐसी घटनायें दुनिया भर में चल रहे जंग–विरोधी आंदोलन के महत्व को दर्शाती हैं। इराक में बगावत संघर्ष और फिलिस्तीनी व अफगान लोगों के संघर्ष दुनिया भर के लोगों को जंग के खिलाफ़ संघर्ष करने के लिये नई प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं।

11 सितंबर के बाद की घटनाओं से देखा गया है कि सरमायदार आर्थिक हमलों के साथ साथ राजनीति में बढ़ते तौर पर फाशीवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीका, हिन्दोस्तान और बहुत से अन्य देशों में 'आतंकवाद पर जंग' के नारे के साथ, लोगों के अधिकारों पर हमले बढ़ाये गये हैं और नागरिक आजादियां छीन ली गयीं हैं। अमरीका में पेट्रीयट कानून, तो हिन्दोस्तान में पोटा को लागू किया गया। अब पोटा को हटाकर, उससे कहीं ज्यादा कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (प्रतिबंध) कानून लागू किया गया है। जार्ज बुश के फिर से चुने जाने के बाद, अमरीका में लोगों के अधिकारों को और सीमित करने के लिये कई कदम उठाये जा रहे हैं।

दुनिया भर में साम्राज्यवाद ही जंग और आतंकवाद का स्रोत है, इस सच्चाई को धुंधलाने के लिये 'इस्लामी रूढ़ीवाद' के खिलाफ़ नस्लवादी और सांप्रदायिक प्रचार फैलाया जा रहा है। बहु–पार्टीवादी लोकतंत्र, जिसमें एकाधिकार कंपनियों और वित्तीय अल्पतंत्रों का बोलबाला है, उसी के ढांचे के अंदर रहते हुये, राज्यतंत्र को अमरीकी साम्राज्यवाद और अधिक फाशीवादी बना रहा है। हिन्दोस्तानी सरमायदार अपनी हुकूमत को 'परिपक्व जनतंत्र' के रूप में पेश करते हैं, क्योंकि राजकीय आतंकवाद और व्यक्तिगत आतंकवाद चलाकर लोगों के संघर्षों को खून में डुबोने में उसे अमरीकी साम्राज्यवादियों से ज्यादा लम्बा अनुभव है।

हिन्दोस्तान और कई दूसरे पूंजीवादी देशों में मजदूर वर्ग निजीकरण के खिलाफ़ और स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवा जैसे सामाजिक कल्याण सेवाओं पर हमलों के खिलाफ़ बढ़ती तादाद में सड़कों पर उतर रहा है। जी–8, डबल्यू.टी.ओ., अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.)–विश्व बैंक के खिलाफ़ सियेटल, जिनेवा, कानकुन, दक्षिण अफ्रीका और अन्य जगहों पर हुए भारी प्रदर्शन इस बात को दर्शाते हैं। हिन्दोस्तान और दक्षिण कोरिया में प्रदर्शन, अक्तूबर 2004 में एम्सटरडेम में मजदूरों की विशाल रैली, नवंबर 2004 में अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव के पहले और बाद में लड़ाकू प्रदर्शन, ये सब इस बात के सबूत हैं कि पिछले 6 सालों में मजदूर वर्ग का पूंजीवाद के खिलाफ़ संघर्ष काफी तेज हुआ है।

अमरीका और अन्य देशों द्वारा चलाई गयी 'आतंकवाद पर जंग' कुछ समय के लिये सरमायदारों के समाज विरोधी हमले से जनता के ध्यान को गुमराह करने में कामयाब जरूर हुयी। लेकिन हाल के घटनाओं से हम देख सकते हैं कि

लोगों का संघर्ष आगे बढ़ा है। पूंजीवादी सुधारों के खिलाफ़ बढ़ते विरोध की झलक हमें कई देशों में मजदूरों और किसानों के संघर्षों में मिलती है।

अमरीका में आतंकवाद से लड़ने के नाम पर, लोगों पर हमले और बढ़े हैं जैसे कि सुरक्षा सतर्कता के तमाम स्तरों का ऐलान करना, लोगों की नस्ल के आधार पर पहचान करना तथा पुलिस और आप्रवासन अधिकारियों द्वारा तंग करना, गुंडों द्वारा पुलिस की पनाह में नस्लवादी हमले करना, इत्यादि। लाखों की तादाद में मजदूर और मेहनतकश लोग, महिलायें, नौजवान और बेरोजगार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और दूसरे देशों पर चलाई जा रही जंग के खिलाफ़ और अर्थव्यवस्था की दिशा के खिलाफ़ आवाज उठा रहे हैं। उनका नारा है – "यह सब हमारे नाम पर नहीं चलेगा!"

भूतपूर्व सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व–समाजवादी देशों के लोग अपने कड़वे अनुभव से सीख रहे हैं कि समाजवादी व्यवस्था के सभी अवशेषों को नष्ट करके पूंजीवादी सुधार लागू करने से, उन्हें फायदे से ज्यादा नुकसान ही हुआ है। रूस सहित लगभग इन सभी देशों में प्रति व्यक्ति आमदनी 1990 के मुकाबले में गिरी है। पूंजीवाद और पूंजीवादी सुधारों के खिलाफ़ इन लोगों का असंतोष बढ़ रहा है।

पिछले 6 वर्षों में कृषि के क्षेत्रों में पूंजीवादी एकाधिकारों की घुसपैठ और लूट तेजी से बढ़ी है। यह घुसपैठ और लूट आई.एम.एफ., विश्व बैंक और डबल्यू. टी.ओ. जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और व्यापार संगठनों के जरिये की गयी है। इस हमले के चलते भूमंडलीकरण और तथाकथित आर्थिक सुधार कार्यक्रम के खिलाफ़ किसानों और गांव की गरीब जनता का रोष काफी बढ़ता जा रहा है। इन लोगों के बढ़ते रोष की वजह से कृषि सब्सिडी के मसले पर अमरीका और यूरोपीय संघ के बीच अंतर्विरोध उभर कर आये हैं जैसे कि डबल्यू.टी.ओ. में देखा जा सकता है।

देहाती जनता के बढ़ते असंतोष से संप्रभुता की रक्षा में चल रहे संघर्ष को और राष्ट्रों व लोगों के आत्मनिर्धारण के अधिकार के लिये चल रहे संघर्ष की आग को भी हवा मिली है। हिन्दोस्तान में इस की वजह से, केन्द्र और राज्यों के चुनावों में, पहले से सत्ता में बैठी पार्टी के खिलाफ़ वोट देने की प्रवृति को भी

बढ़ावा मिला है क्योंकि हिन्दोस्तान के अधिकतम मतदाता देहातों में रहते हैं। मजदूरों और किसानों के बीच, शहरों और देहातों में बढ़ते असंतोष की वजह से और तेजी से बढ़ती गरीबी, जिसे छुपाया नहीं जा सकता, इसकी वजह से पूंजीवादी सरकारों, विश्व बैंक और आई.एम.एफ. को अपने पैंतरे बदलने पड़े हैं। अब यह संस्थायें 'संवर्धन के साथ गरीबी उन्मूलन' और 'मानवीय चेहरे के साथ सुधारों' जैसे वायदे कर रहे हैं।

1998 के बाद की घटनायें यह दिखा रही है कि दुनिया के स्तर पर पूंजीवादी लोकतंत्र और उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का पर्दाफाश हुआ है, और उन पर जनता का भरोसा काफी हद तक घट गया है। अमरीका और इंगलैंड की सरकारों का पर्दाफाश हो गया है, कि ये सरकारें अपने तंग स्वार्थों के लिये दूसरे देशों पर जंग छेड़ रही हैं, जिसके लिये उन सरकारों को न तो अपने लोगों का समर्थन प्राप्त है और न ही अपनी फौजों का। जिन सरकारों ने लोगों के विरोध के बावजूद निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण का जन–विरोधी रास्ता अपनाया उनका भी पर्दाफाश हुआ है। हिन्दोस्तान की राजग सरकार का यही हश्र हुआ है।

सरमायदारों के सामने सबसे बड़ा संकट, विश्वसनीयता का संकट है। यह संकट इस वजह से उभर कर आ रहा है क्योंकि अब उस बात का तेजी से पर्दाफाश हो रहा है कि बहु–पार्टीवादी लोकतंत्र और 'मुक्त व निष्पक्ष चुनाव', केवल आम लोगों को राज्य सत्ता से बाहर रखने के साधन हैं। जिन देशों में यह बहु–पार्टीवादी लोकतंत्र की व्यवस्था मौजूद है, उन सभी देशों में तेजी से बढ़ते वर्ग संघर्ष के साथ, राजतंत्र पर नियंत्रण के लिये विभिन्न एकाधिकार घरानों के बीच तीखे टकराव की वजह से सरमायदारी लोकतंत्र की विश्वसनीयता का संकट और अधिक गहरा होता जा रहा है। यह प्रक्रिया हिन्दोस्तान, अमरीका, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया और आस्ट्रेलिया में देखी जा रही है। लोगों के बीच यह चेतना तेजी से बढ़ती जा रही है कि इस व्यवस्था में मुट्ठीभर लोग ही समाज से संबंधित सारे फैसले लेते हैं और सारे समाज पर अपनी हुकूमत चलाते हैं। विभिन्न देशों में, बढ़ती तादाद में लोग इस बहु–पार्टीवादी व्यवस्था और उसकी चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ़ अपनी आवाज उठा रहे हैं। वे यह समझ रहे हैं कि बहु–पार्टीवादी व्यवस्था में ऐसी कोई गुंजाईश नहीं कि

आम लोग अपने देश की दिशा तय कर सकें। एक नयी राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक प्रक्रिया इजाद करने के लिये संघर्ष जोर पकड़ रहा है; एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक प्रक्रिया, जिसमें राजनीतिक पार्टियों का वर्चस्व खत्म होगा और लोगों को सत्ता से दूर रखना खतम किया जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमरीका एकतरफा फौजीवादी और जंग भड़काऊ नीति अपना रहा है, जिससे वह एक–ध्रुवीय दुनिया का एकमात्र नेता बनने का लक्ष्य हासिल करना चाहता है। अमरीका बड़ी सक्रियता के साथ सं.रा. को अस्थिर और बेअसर बनाने का काम कर रहा है। सं.रा. ढांचे के बाहर वह "राजी देशों का गठबंधन" जैसी नयी संस्थायें बना रहा है। अमरीका ने ऐहतियाती जंग को उचित ठहराया है। अमरीका की इन कार्यवाहियों के चलते, दुनिया के लोग अमरीका से नफरत करने लगे हैं। अमरीका की इस नीति के चलते, सं.रा. के अन्य सदस्य देशों के साथ भी अमरीका का टकराव तीव्र होता जा रहा है। सं. रा. के दूसरे सदस्य देश यह मानने लगे हैं कि अमरीका एक बेहद आक्रमक, निरंकुश, साम्राज्यवादी ताकत है, एक दुष्ट राज्य है जो सं.रा. के फैसलों को नहीं मानता, जो अपनी मन–मर्जी से किसी दूसरे देश को 'दुष्ट राज्य' करार देता है और उस पर हमला करने का फैसला करता है। दुनिया के अधिकांश देश और लोग यह चाहते हैं कि सं.रा. अपनी सही भूमिका अदा करे और सभी देशों को साम्राज्यवादी ताकतों के खतरों से सुरक्षा प्रदान करे। वे चाहते हैं कि सभी फैसले लेने का अधिकार सं.रा. की आम सभा को हो, न कि वीटो ताकत युक्त सु.प. के स्थायी सदस्यों को।

राष्ट्रों और लोगों के आत्मनिर्धारण के अधिकार के लिये संघर्ष की झलक सं.रा. की आम सभा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देखने को मिली है। इससे यह साबित होता है कि सभी राष्ट्र और लोग अब साम्राज्यवादी दादागिरी को और बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। इराक के लोगों के बहादुर संघर्ष ने अमरीकी कब्जाकारी फौजों को भारी नुकसान पहुंचाया है, और इसी के साथ दुनिया भर में जंग–विरोधी और साम्राज्यवाद–विरोधी आंदोलन भी तेज हुआ है। अमरीका नीत "राजी देशों का गठबंधन" अब संकट में फंस गया है। इस्राइल के जाउनवादी राज्य की नरसंहारक नीति के खिलाफ़ फिलिस्तीनी लोग अपने राष्ट्रीय अधिकारों के लिये अपने निरंतर बहादुर संघर्ष की वजह से अधिकांश

देशों का समर्थन जीत पाये हैं, जबकि इस्राइल और अमरीका इस मसले पर पूरी तरह से अकेले हो गये हैं। अमरीका द्वारा आर्थिक नाकाबंदी और फौजी ब्लैकमेल के खिलाफ़ क्यूबा के लोगों और सरकार के निरंतर चलते बहादुर संघर्ष की वजह से क्यूबा को दुनिया भर के लोगों का समर्थन मिला है।

लातिनी अमरीका के देशों में जो भी ताकत अमरीकी साम्राज्यवाद, विश्व बैंक और आई.एम.एफ. के नुस्खों के रास्ते से नाता तोड़ने की हिमायत करती है, उसे लोकप्रिय समर्थन मिलता है। अफ्रीका और एशिया के कई देश, जैसे जिंबाब्वे, उत्तरी कोरिया, ईरान, मलयेशिया और चीन, साम्राज्यवादी दबावों और आर्थिक नाकाबंदी को चुनौती देते हुये अपनी पसंद की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं पर चलने की हिम्मत दिखा रहे हैं।

ये सारी घटनायें यह दिखाती हैं कि पूंजीवाद अपनी मरणासन्न अवस्था, यानि साम्राज्यवाद में, लोगों पर मौत और बर्बादी बरसाये बगैर और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों और आजादियों को सीमित किये बगैर, ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। सरमायदारों ने 1990 में यह दावा किया था कि सोवियत संघ के विघटन के बाद एक नयी जोश–भरी पूंजीवादी व्यवस्था पैदा होगी, जिसमें न तो कोई संकट होगा और न ही जंग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूंजीवाद के संकट और इस संकट से निकलने की सरमायदारों की कोशिशों की वजह से शोषकों और शोषितों के बीच अंतर्विरोध और तेज हुये हैं। इसके साथ ही साथ, शोषकों के खेमे में विभिन्न दलों के बीच आपसी अंतर्विरोध भी काफी बढ़ गये हैं। एक छोर पर साम्राज्यवाद और एकाधिकारी पूंजी, और दूसरे छोर पर उत्पीड़ित राष्ट्रों और लोगों, के बीच अंतर्विरोध भी बहुत तेज हुये हैं। साथ ही साथ, सरमायदारी लोकतंत्र की विश्वसनीयता का संकट और गहरा हो गया है तथा यह साफ होता जा रहा है कि सरमायदारी लोकतंत्र ही बढ़ते हुये फाशीवाद की प्रेरक शक्ति है।

पूंजीवाद और पूंजीवादी सुधारों के खिलाफ़, साम्राज्यवाद और साम्राज्यवादी जंग के खिलाफ़ संघर्ष तेज हो रहा है, बहु–पार्टीवादी व्यवस्था और राजनीतिक प्रक्रिया के खिलाफ़ लोगों का असंतोष बढ़ रहा है। राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने और अपना भविष्य खुद तय करने का अधिकार जीतने के लिये लोगों

की चेतना और संघर्ष तेजी से बढ़ रहे हैं। इन हालातों में तमाम देशों के साम्राज्यवादी सरमायदार, अपने मजदूर वर्ग और मेहनतकशों को इंकलाब करने से रोकने के लिये, अपनी तरकीबें बदल रहे हैं। अमरीका और दूसरी साम्राज्यवादी ताकतें अपने देश के भीतर फाशीवाद बढ़ाने और दूसरे देशों पर कब्जाकारी जंग छेड़ने की तैयारी में जुट गये हैं। विभिन्न देशों के प्रतिक्रियावादी सरमायदार नस्लवाद और उग्र राष्ट्रवाद भड़का रहे हैं तथा संघर्षरत लोगों के खिलाफ़ आतंक फैला रहे हैं। सरमायदार मजदूर वर्ग व लोगों के तेजी से बढ़ते हुये विरोध को दबाने, गुमराह करने और बांटने के लिये, उन पर सीधे हमले और दिखावटी रियायतों, इन दोनों ही हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

1998 के बाद हुयी घटनाओं से यह नजर आता है कि दुनिया के स्तर पर इंकलाब अभी भी पीछे हटने की दशा में है। लेकिन इसके साथ ही, इस दौर में तीव्र अंतर्विरोध और झगड़े भी हो रहे हैं, जिनकी वजह से साम्राज्यवाद–विरोधी और पूंजीवाद–विरोधी ताकतों को आगे बढ़ने की नयी संभावनायें मिल रही हैं और इंकलाब की लहर के फिर से प्रवाह में तब्दील होने का समय निकट आ रहा है।

यह समय की पुकार है कि मजदूर वर्ग और सभी तरक्की पसंद लोग, आजादी पसंद लोग और शांति पसंद लोग, सभी राज्यों और लोगों के संप्रभु अधिकारों की हिफाजत के लिये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपना संघर्ष तेज करें। इन अधिकारों में, सभी लोगों और राष्ट्रों का, बगैर किसी बाहरी दबाव या दखलंदाजी के, अपनी पसंद की आर्थिक नीति तय करने और राजनीतिक व्यवस्था चुनने का अधिकार भी शामिल है। सं.रा. का नये, आधुनिक आधार पर लोकतांत्रीकरण करना निहायत जरूरी हो गया है। इस आधुनिक आधार के मुताबिक, फैसले लेने का अधिकार सं.रा. की आम सभा में निहित होना चाहिये। व्यापार के उदारीकरण के नाम पर चलाये जा रहे साम्राज्यवादी कार्यक्रम का विरोध करना और आतंकवाद पर जंग के नाम पर चलाये जा रहे साम्राज्यवादी कब्जाकारी जंगों का विरोध करना, यह एक असूल का मामला है। आई.एम.एफ. और विश्व बैंक की अगुवाई में तमाम साहुकारी संस्थाओं के वित्तीय दावों को चुनौती देनी होगी और हमें अपनी सरकारों से यह मांग करनी होगी कि इन संस्थाओं का कर्ज़ वापस करने पर कुछ देर तक रोक लगायी जाये। इससे बचाये गये पैसे का लोगों की खुशहाली के लिये फिर से निवेश किया जाये।

यह वक्त की पुकार है कि स्थायी शांति की जरूरी शर्तें बतौर, राष्ट्रों की संप्रभुता की हिफाजत के लिये और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लोकतांत्रीकरण करने के लिये, साम्राज्यवादी व्यवस्था के खिलाफ़ व्यापक राजनीतिक एकता बनाने में, सभी कम्युनिस्ट मजदूर वर्ग को अगुवाई दें। हरेक देश में, कम्युनिस्टों को, मजदूर वर्ग को 'अपने ही' देश के सरमायदारों के खिलाफ़ व्यापक राजनीतिक एकता बनाने में अगुवाई देनी होगी, जिससे लोकतंत्र का नवीकरण किया जा सकेगा और मेहनतकशों के सभी अधिकार हकीकत बनेंगे।

हिन्दोस्तानी समाज का संकट

1991 में उदारीकरण और निजीकरण के जरिये वैश्वीकरण का कार्यक्रम बड़े धूमधाम के साथ शुरू किया गया था। उसके 14 साल बाद, आज हिन्दोस्तानी समाज एक सब–तरफा संकट में फंसा हुआ है। इस कार्यक्रम की शुरूआत करते हुये सरमायदारों ने यह वादा किया कि भूतपूर्व 'समाजवादी नमूने के समाज' के अंतर्गत पूंजीवादी विकास में जो समस्यायें पैदा हुयी थी, वे सारी समस्यायें निजीकरण और उदारीकरण के कार्यक्रम से हल हो जायेंगी। साल दर साल, यह साफ होता रहा है कि यह कार्यक्रम मुट्ठीभर अत्यधिक अमीर औद्योगिक घरानों को और अधिक अमीर बनाने के लिये अपनाया गया है, जबकि इस कार्यक्रम से बेरोजगारों की फौज बढ़ी है और आत्महत्या करने पर मजबूर किसानों की संख्या बढ़ गई है। इस कार्यक्रम से अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और अधिक चौड़ी हो गयी है और विभिन्न राज्यों के बीच तथा हर एक राज्य के लोगों के बीच असमानता बढ़ी है। सरमायदारों ने यह वादा किया था कि यही सभी की खुशहाली का रास्ता है, लकिन यह स्पष्ट हो गया है कि इस कार्यक्रम के चलते बहुसंख्या की असुरक्षा बढ़ी है तथा मुट्ठीभर लोगों की दौलत तेजी से बढ़ी है।

सरमायदार उसी रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे हैं, बड़े औद्योगिक हितों को छोड़कर, समाज के हर दूसरे तबके को राज्य द्वारा दी जा रही सहूलियतें वापस ले रहे हैं। साथ में अब यह वादा जोड़ा गया है कि यह समाज–विराधी और अमानवीय कार्यक्रम किसी तरह मानवीय तरीके से लागू किया जायेगा। इस तथाकथित सुधार कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हर

एक परिवार किसी तरह से बाजार में खुद अपनी देखभाल करे, जबकि पूंजी निवेश के लिये बेहतर माहौल बनाने के नाम पर पूंजीपतियों के लिये अधिकतम मुनाफों की गारंटी दिलाने पर केन्द्र और राज्य सरकारें, अपनी सारी कोशिशें केंद्रित करेंगी। पूंजीपति पूंजी निवेशकों को खुश करने और उनकी निजी संपत्ति और साम्राज्य को बढ़ाने के लिये सबसे बढ़िया माहौल बनाने के बाद, सरकार बेरोजगारी जैसे लोगों की ज्वलंत समस्याओं को हल करने के लिये भी कदम उठायेगी, लेकिन उतना ही जितना कि मौजूदा संसाधन इजाज़त देते हैं। बढ़ती हुयी तादाद में देश भर में लोग सरकार के इस तर्क को मानने से इंकार कर रहे हैं। लोग यह मांग कर रहे हैं कि उनके सभी दावों को बुनियादी अधिकार मान कर पूरा किया जाये।

समाज पर मजदूरों और किसानों के दावों को पूरा करने में आर्थिक व्यवस्था की नाकामयाबी, राजनीतिक प्रक्रिया में जनता को फैसले लेने का अधिकार दिलाने की नाकामयाबी से जुड़ी हुयी है। आर्थिक सुधारों को चलाने के साथ–साथ लोगों के राजनीतिक अधिकारों को दबाया गया है और राजकीय आतंकवाद व सांप्रदायिक हिंसा फैलायी गई है। बढ़ती तादाद में लोग इस चक्रव्यूह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते समय–समय पर किये गये चुनावों के माध्यम से एक प्रतिक्रियावादी सरमायदारी सरकार की जगह दूसरी प्रतिक्रियावादी सरमायदारी सरकार बनती है जो बड़े सरमायदारों का वही समाज–विरोधी कार्यक्रम चलाती है, अलबत्ता नये नारों के साथ, पुराने वायदों को नया जामा पहनाकर।

आर्थिक और राजनीतिक, दोनों ही मायनों में, सरमायदार आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में नाकामयाब है। जिन्दगी की बढ़ती असुरक्षा, शोषण और गरीबी, अधिकारों का मनमानी से उल्लंघन, ऐसी हालतों को मानने से लोग इंकार कर रहे हैं। हिन्दोस्तानी समाज में आज फैले हुये संकट की ये सारी विभिन्न विशेषतायें हैं।

ऐसे हालातों में जब सारा समाज एक सब–तरफा संकट में फंसा हुआ है, हिन्दोस्तान के बड़े सरमायदार अपनी पूंजी, बाजारों और प्रभाव क्षेत्रों का वैश्वीकरण करने की राह पर आगे बढ़ने को प्रतिबद्ध हैं। इसके लिये सरमायदार हिन्दोस्तान में शोषण को और बढ़ाना तथा विदेशों में अपने

कारोबार का और विस्तार करना चाहते हैं। खुद एक बड़ी साम्राज्यवादी ताकत बनने के लक्ष्य के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया के पुनःबंटवारे के लिये साम्राज्यवादी ताकतों के बीच चल रही होड़ में खुद एक सक्रिय खिलाड़ी होने के नाते, साम्राज्यवादी लूट में से अपने हिस्से का दावा कर रहे हैं। हिन्दोस्तानी सरमायदार आधुनिक हथियारों की खरीदी पर अधिक खर्चा करके अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहे हैं। यह केवल देश की रक्षा के लिये नहीं बल्कि मुख्यतः दूसरे देशों पर संभावित हमलों के लिये और कब्जाकारी जंग में हिस्सा लेने के मकसद से किया जा रहा है।

दुनियाभर की पूंजीवादी एकाधिकारी कंपनियां और वित्तीय अल्पतंत्रवादी हिन्दोस्तान को आज एक "उभरता बाजार" मान कर, उसकी ओर नजर लगाये हुये हैं। हिन्दोस्तान में आधुनिक प्रोद्योगिकी के साथ–साथ सस्ते दामों में उपलब्ध बहुत सारे कम्प्यूटर शिक्षित नौजवान मेहनतकश मौजूद हैं। इस वजह से हिन्दोस्तानी अर्थव्यवस्था में मुनाफे की औसतन दर अन्य देशों के मुकाबले अधिक रही है। मुनाफे की अधिकतम दर हासिल करने के लिये हिन्दोस्तानी और विदेशी कंपनियां आई.टी. संबंधी सेवाओं में पूंजी लगा रही हैं। कई क्षेत्रों में हिन्दोस्तान में विदेशी पूंजी निवेश तेजी से बढ़ रहा है और साथ ही अन्य देशों को हिन्दोस्तानी पूंजी के निर्यात में भी बढ़ोतरी हुयी है।

विजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) से, हिन्दोस्तानी और विदेशी बड़े एकाधिकार पूंजीपतियों को ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। बीपीओ का मतलब है कि हिन्दोस्तान में हिन्दोस्तानी लोग कम्प्यूटर पर बैठकर अमरीका या यूरोप या कहीं और बैठे मालिक के लिये काम करते हैं। इस 'नई अर्थव्यवस्था' में रोजगार अति–शोषण के आधार पर चलता है और यह रोजगार मैन्यूफैक्चरिंग उद्योगों और पुरानी प्रकार की सेवाओं से संबंधित दसों लाखों बरबाद हुई पुरानी नौकरियों की जगह ले रहा है। इस क्षेत्र में पढ़े लिखे कम्प्यूटर प्रशिक्षित नौजवान मजदूर हैं, जिनका वेतन अमरीका या यूरोप में उसी काम के लिये मिलने वाले वेतन का एक छोटा अंश मात्र है। इसके अलावा, उनकी रोजगार की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इस आधुनिक युग के इन वेतनभोगी गुलामों के पास वे न्यूनतम अधिकार भी नहीं हैं जिन्हें फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों ने वर्षों के संघर्ष के दौरान हासिल किये थे। मजदूर वर्ग रोजगार की असुरक्षा को जीवन का सत्य मानकर स्वीकार कर

ले, इसके लिये सरमायदार नये मानदंड बना रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र में श्रम शक्ति के विस्तार की वजह से हिन्दोस्तान के मजदूर वर्ग की शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हो रहा है और इस आधुनिक प्रौद्योगिकी को मजदूर वर्ग के हित में इस्तेमाल करने की संभावना बढ़ रही है।

1991–97 के दरमियान, बिजली उत्पादन, टेलीकम्युनिकेशन (दूरसंचार), और निर्यात के लिये कृषि–व्यवसाय आदि, इन आधारभूत ढांचागत क्षेत्रों में निजी पूंजी का काफी निवेश हुआ। कृषि उत्पादों के आयात–निर्यात पर प्रतिबंध हटने से और इस क्षेत्र के खोले जाने से, दसों लाखों किसानों, ग्रामीण गरीबों, जनजातियों और पर्वतीय लोगों की रोजी रोटी के पारंपरिक साधन बड़े पैमाने पर नष्ट हो गये हैं। इस वजह से कृषि का गहरा संकट शुरू हुआ है और बढ़ती तादाद में किसान और अन्य ग्रामीण लोग बड़े सरमायदारों के तथाकथित सुधार कार्यक्रम के खिलाफ़ उठ खड़े हुये हैं।

1997 के बाद, जब दुनियाभर में आर्थिक मंदी चल रही थी, तब हिन्दोस्तान के बड़े सरमायदारों ने अपनी पूंजी को विलयन और अधिग्रहण के जरिये पर पुर्नगठित करने की ओर ध्यान दिया। इस विलियन और अधिग्रहण से खास हुनर और ताकत वाले कुछ गिने–चुने बड़े व्यवसायी दल उभर कर आये हैं। इन दलों के पास कुछ खास क्षेत्रों में दुनिया के स्तर पर अपना वर्चस्व जमाने की काबिलियत है – जैसे कम्प्यूटर साफ्टवेयर, पेट्रो रसायन, दवाईयां, दो पहिया वाहन, इत्यादि। इस दौरान बड़े सरमायदारों ने इस इलाके में अपनी फौजी प्रधानता को बरकरार रखने तथा उसे और बढ़ाने पर जोर दिया। इसके साथ–साथ, हिन्दोस्तान के बड़े सरमयदारों ने एक परमाणु ताकत बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया और सबसे आधुनिक विनाशक हथियारों पर खर्चा बढ़ाया।

भाजपा नीत राजग सरकार ने निजीकरण के कार्यक्रम को तेजी से अमल में लाना शुरू किया। इस निजीकरण से ऐसी निजी एकाधिकारी कंपनियों को फायदा हुआ, जो बिजली, तेल और दूरसंचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर अपना सीधा नियंत्रण चाहती थीं। विनिवेश मंत्रालय की अगुवाई में जैसे–जैसे एक के बाद एक क्षेत्र निजीकरण कार्यक्रम की चपेट में आता गया, वैसे–वैसे इस कार्यक्रम के खिलाफ़ यूनियनों में संगठित मजदूरों का प्रतिरोध भी बढ़ता गया।

राजग की सरकार ने आयात नीति के उदारीकरण को भी तेजी से आगे बढ़ाया। इसके चलते, कृषि सामग्रियों और कृषि पर आधारित औद्योगिक उत्पादों, जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थो के आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाये गये और आम औद्योगिक सामग्रियों पर आयात शुल्क घटाये गये। सरकार के इन कदमों से तिलहन, मसाले और अन्य फसलें पैदा करने वाले दसों लाखों किसानों की आमदनी पर भारी दबाव आया, क्योंकि इन वस्तुओं का अन्य देशों से कम दाम पर भारी मात्रा में आयात किया जाने लगा।

1990 के दशक में, विभिन्न राज्यों में जो भी पार्टी सत्ता में आयी, वह चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा, या फिर कोई अन्य सरमायदारी पार्टी, इन सभी पार्टियों ने निजीकरण और उदारीकरण के जरिये वैश्वीकरण की नीति को अपनाया। जब कोई पार्टी विपक्ष में होती है तो वह मजदूरों व किसानों से सहानुभूति रखने का ढोंग करती हैं पर जैसे ही वह सत्ता में आती है तो सरमायदारों की तारीफ पाने के लिये खुद को अन्य पार्टी से अधिक वफादार 'सुधारवादी' सरकार साबित करने की जी जान से कोशिश करती है।

पिछले 6 वर्षों की यह खासियत रही है कि मजदूरों और मजदूर–यूनियनों ने अपनी पार्टियों और उद्योग क्षेत्रों की सभी सीमाओं को दरकिनार कर, सरमायदारी हमले के खिलाफ़ एक–दूसरे के साथ हाथ मिलाया है। कांग्रेस पार्टी, भाजपा और अन्य सरमायदारी पार्टियों ने उनकी पार्टियों से जुड़े यूनियनों को इस संघर्ष से जुड़ने से रोकने की बहुत कोशिश की। माकपा ने मजदूर वर्ग के संघर्ष को अपने चुनावी दांवपेंच में इस्तेमाल करके भाजपा को सत्ता से हटाकर, वाम मोर्चा के समर्थन से एक सरमायदारी सरकार को सत्ता में बिठाने की पूरी कोशिश की। परन्तु इन सबके बावजूद मजदूरों ने अपनी एकता को मजबूत करने की कोशिश जारी रखी है।

जब वाजपयी सरकार ने दूसरे दौर के सुधारों को शुरू किया, और मजदूरों ने निजीकरण कार्यक्रम के खिलाफ़ एकजुट होकर एक शक्तिशाली संघर्ष चलाने की मांग की, तब माकपा और भाकपा ने मजदूरों का साथ नहीं दिया। उन्होंने मजदूरों को अपने हाल पर छोड़ दिया। ऐसे मुश्किल हालातों में हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी और अन्य कम्युनिस्टों ने सरमायदारी हमले के

खिलाफ़ सफलतापूर्वक लड़ाई करने के लिये मजदूर वर्ग को विचारधारात्मक हथियारों से लैस करने का बीड़ा उठाया। माडर्न फूड्स को हिन्दोस्तान लीवर के हाथों बेचे जाने के खिलाफ़ वहां के मजदूरों ने बहादुर संघर्ष चलाया। इस संघर्ष से निजीकरण के खिलाफ़ लड़ने के लिये पूरे मजदूर वर्ग को प्रेरणा मिली।

हालांकि सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं ने सरमायदारों के कार्यक्रम के साथ समझौता करने का रवैया अपनाया, इसके बावजूद मजदूरों ने एकता हासिल की। बड़े औद्योगिक घरानों के बीच मुख्य आधारभूत ढांचे के क्षेत्रों पर सीधा नियत्रंण पाने के लिये आपसी अंतर्विरोध भी थे। इन सब की वजह से, मजदूर वर्ग को कुछ आंशिक सफलताएं हाथ लगी है, जैसे कि मजदूर वर्ग कुछ समय के लिए तेल कंपनियों, बैंकों और कुछ अन्य क्षेत्रों में निजीकरण को रोकने में सफल हुआ है।

पार्टी के दूसरे महाअधिवेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में पूंजीवाद के विकास से अधिकांश किसानों की जिंदगी में कोई सुधार नहीं आया है। हरित क्रांति से व्यवसायिक कृषि का विस्तार हुआ और ज्यादा किसान अब बाजारों पर निर्भर हो गये। आज एक छोटे जमीन के टुकड़े पर भी व्यवसायिक खेती की जा सकती है, बेशक किसानों को बीज, सिंचाई, बिजली और अन्य जरूरी चीजों के लिए ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। इस वजह से खेती में पैसा लगाना काफी खतरे का काम हो गया है और किसान वित्तीय संस्थानों और स्थानीय साहुकारों के चुंगल में फंसते चले जा रहे हैं।

दूसरा महाअधिवेशन इस नतीजे पर पहुंचा कि पूंजीवादी रास्ते पर चलकर किसानों को शोषण और दमन की नयी और पुरानी बेड़ियों से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस आधार पर हमारी पार्टी ने यह मांग रखी कि जमीन की खरीदारी के मामले में सभी निजी सौदेबाजी पर रोक लगाई जाए, और कृषि और विदेशी थोक व्यापार से सभी निजी खिलाड़ियों को खत्म किया जाए। हिन्दोस्तान के किसानों की रोजी रोटी की हिफ़ाज़त करने के लिये और उनकी साम्राज्यवादी लूट को घटाने के लिए ऐसा करना निहायत जरूरी है। दूसरा महाअधिवेशन इन नतीजे पर पहुंचा कि कृषि क्षेत्र के संकट को सुलझाने के लिए किसानों

की जमीन और रोजगार की हिफ़ाज़त करना फौरी तौर पर जरूरी है। इसके साथ, जमीन का स्वेच्छा के आधार पर सामुहिकीकरण करना होगा और राज्य द्वारा किसानों को मुफ्त तकनीकी सहायता प्रदान करनी होगी। दूसरे महाअधिवेशन ने मजदूर वर्ग से अपील की कि व्यापार के उदारीकरण के खिलाफ़ और राज्य द्वारा रोजी–रोटी की गारंटी के लिए किसानों के चल रहे संघर्ष को मजदूर पूरा समर्थन दें।

पिछले 6 सालों में हुई घटनाओं से पार्टी के दूसरे महाअधिवेशन का विश्लेषण सही साबित हुआ है। इस दौरान पूंजीवाद ने देश के सभी इलाकों में कृषि क्षेत्र में अपने पैर और फैलाए हैं, लेकिन किसानों का विनाश बढ़ता गया है। हिन्दोस्तान में कृषि का संकट और अधिक गहरा हुआ है। व्यापार उदारीकरण, कांट्रेक्ट खेती और जमीन के लिये बाजार विकसित करने के कदमों के विनाशकारी परिणामों के साथ ही देश में हर साल व्यापक सूखा पड़ा है। पूंजीवादी विकास की वजह से देश के कई प्रदेशों में भूमिगत पानी का स्तर खतरनाक सीमाओं तक गिरा है।

आमदनी की बढ़ती असुरक्षा और साहुकारों की अड़ियल मांगों के बीच किसान पिस रहे हैं। किसानों को तेजी से बिगड़ती हालतों और आसमान छूने वाले कर्ज़ एवं बीमा किश्तों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बड़े सरमायदार और उसकी वित्त संस्थाएं और दूसरी तरफ सभी तबकों के किसान, इनके बीच अंतर्विरोध और बढ़ गये हैं। किसानों को बैंको से और अधिक कर्जे दिलाने के अलावा सरमायदारों के पास इस समस्या का कोई हल नहीं हैं। ऐसा करने से किसान और भी कर्ज़ में डूबता चला जायेगा, क्योंकि इस समय सभी बैंक अपना धंधा अधिकतम मुनाफा दर पाने की दिशा में चला रहे हैं।

1990 के दशक की शुरुआत में, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने यह भ्रम फैलाया कि व्यापार के उदारीकरण और डबल्यू.टी.ओ. के समझौतों से किसानों को फायदा होगा। किसानों को बाजारों में बिक्री हेतु नगदी फसल की पैदावार के लिए कर्ज़ दिया गया, न कि परिवार के उपभोग के जरूरी खाद्यानों की पैदावार के लिये। कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए सरकार द्वारा रियायतें दी

गयीं। लेकिन 21वीं सदी के पहले के कुछ ही सालों में इन में से कई भ्रम चकनाचूर हो गये। ऐसा कहा जा सकता है कि एक कालचक्र पूरा हो गया है। जिन पार्टियों और नेताओं ने किसानों को दूध–मलाई के सुनहरे सपने दिखलाकर सत्ता हासिल की थी, वे सत्ता में आते ही किसानों के खिलाफ़ हो गये और उनका जबरदस्त पर्दाफाश हो गया। इन भूतपूर्व भ्रमों से आजाद हुए किसानों ने यह मांग रखनी शुरु कर दी कि राज्य को उन्हें समर्थन की गारंटी देनी होगी, एक एहसान बतौर नहीं बल्कि एक अधिकार बतौर। इन घटनाओं से कम्युनिस्टों और मजदूर वर्ग के सामने, मजदूरों और किसानों के गठबंधन को मजबूत बनाने की बहुत सी संभावनाए पैदा हो गई हैं।

पूंजीवादी सुधारों के अमानवीय नतीजों का सबसे बड़ा सबूत यह है कि इसकी वजह से बढ़ती संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि हाल के दिनों में ही 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की और उसमें सबसे अधिक आत्महत्यायें आंध्र प्रदेश में हुई हैं। इतने बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा आत्महत्या से सारा देश कृषि के संकट की गहरायी से वाकिफ हो गया। इन किसानों में कई ऐसे भी किसान थे जो उतने 'गरीब नहीं थे'। देहाती जनसमुदाय ने अपने गुस्से को पिछले चुनावों में साफ–साफ दर्शाया और सत्ता में बैठी सरमायदारी पार्टियों को हटाया। आंध्र प्रदेश में पूंजीवादी सुधारों के समर्थक मुख्य मंत्री चंद्रबाबू नायडू को चुनावों में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा।

समाज–विरोधी हमले और इसके खिलाफ़ बढ़ते विरोध की वजह से देश में राजनीतिक संकट काफी गहरा हो गया है। मिसाल के तौर पर, वित्तीय समायोजन और बिजली क्षेत्र में सुधारों के नाम पर किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती करने की राज्य सरकारों की कोशिशों की वजह से राज्य सरकारों और कई प्रांतों के ग्रामीण सरमायदारी हितों के बीच टकराव पैदा हो गये हैं। इससे राज्य स्तर पर राजनीतिक सत्ता के बंटवारे के मौजूदा इंतजाम खतरे में आ गये हैं। आंध्र प्रदेश के विधान सभा चुनावों में पूंजीवादी सुधार कार्यक्रम के प्रवर्तक माने जाने वाले चंद्रबाबू नायडू को हटाकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। सत्ता में आते ही कांग्रेस पार्टी ने किसानों को 'मुफ्त बिजली' देने का ऐलान किया। ऐसा करके कांग्रेस पार्टी अब बड़े सरमायदारों और तटीय

आंध्र प्रदेश के ग्रामीण सरमायदारी दलों के बीच गठबंधन को दुबारा से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। नई दिल्ली में केंद्रीय सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी पूंजीवादी सुधारों के कार्यक्रम को लागू करने के लिए ऐसे तरीके खोजने की कोशिश कर रही है जिससे ग्रामीण मतदाता उससे नाराज न हो जाये। 'मानवीय चेहरे के साथ सुधारों' के नारे के पीछे भी असली मकसद यही है। हथियारों को खरीदने के लिए और केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों द्वारा साहुकारों को कर्ज़ लौटाने के लिए किया जा रहा खर्चा निरंतर बढता ही जा रहा है, जिससे राजकोषीय संकट तेज हो रहा है। लोगों से इकट्ठा किये गये राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा हथियारों और कर्ज़ चुकाने जैसे अनुत्पादक कार्यों में चला जाता है, जिनसे आधारभूत ढांचे पर और जनता को सामाजिक बुनियादी सेवायें मुहैया कराने पर पूंजीनिवेश के लिये कुछ भी नहीं बचता है। साथ ही, राज्य के भ्रष्टाचारी आला अफसरों और अधिकारियों द्वारा राज्य की तिजौरी की लूट से यह समस्या और भी गंभीर होती जाती है। सार्वजनिक सेवाओं के लिए लोगों की मांग और हथियारों के सौदागरों एवं साहुकारों की मांग के बीच टकराव और अधिक तेज हो रहे हैं, क्योंकि हथियारों के सौदागर और साहुकार सरकारी राजस्व के सबसे बड़े हिस्से पर अपना पहला अधिकार जताते हैं। इस संदर्भ में, कर्ज़ वापस करने पर रोक लगाने और हथियारों की खरीद में कटौती करने की इन दो मांगों को लोकप्रिय बनाने के लिए, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी ने काफी काम किया है। हिन्दोस्तान की सरकार की तिजौरी में 120 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा मौजूद है। इन हालातों, में यह मांग की जानी चाहिए की सभी विदेशी वित्त संस्थानों के कर्जों की वापसी पर रोक लगाई जाए और कोई नया विदेशी कर्ज़ नहीं लिया जाए।

पिछले 20 वर्षों से हिन्दोस्तान के बड़े सरमायदारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना ओहदा बनाने और हिन्दोस्तान को एक बड़ी साम्राज्यवादी ताकत बनाने के अपने रणनैतिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाया है। इसके लिए बड़े सरमायदारों ने शोषण की व्यवस्था को अपने हित में और अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए तथाकथित सुधारों का कार्यक्रम चलाया है। अपने इस मंसूबे को हासिल करने के लिए बड़े सरमायदार देश को एक बेहद खतरनाक रास्ते पर ले जा रहे हैं, और इस रास्ते पर डटे हुये हैं, चाहे मेहनतकश सड़कों पर उतरकर इसका कितना ही विरोध क्यों न करें। आर्थिक

नीति के कदमों के हर पड़ाव पर लोगों को गुमराह करने, उनमें आतंक फैलाने और उनके संघर्ष को खून की नदियों में डुबा देने के लिए, बड़े सरमायदारों ने नस्ल और धर्म के आधार पर देश के विभिन्न लोगों के खिलाफ़ राजकीय आतंकवाद का खूब इस्तेमाल किया है।

पिछले दो दशकों में हुई खूब सारी घटनाएं यह दिखाती हैं कि राजकीय आतंकवाद, सांम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक हिंसा, जंगफरोशी और जंग, ये सब बड़े सरमायदारों के हथकंडे हैं। समाज–विरोधी हमले चलाने के लिए इन हथकंडों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें शामिल हैं – 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद आयोजित किया गया सिखों का कत्लेआम, बाबरी मस्जिद का गिराना और उस गुंडागर्दी वाली हरकत के बाद आयोजित सांप्रदायिक हिंसा, "इस्लामी रूढ़ीवाद" और "सीमा–पार आतंकवाद" के खिलाफ़ लड़ाई के नाम पर मुसलमानों की प्रताड़ना, कारगिल युद्ध और पाकिस्तान सीमा पर सैनिक मौजूदगी व तनाव में लगातार बढ़त, और 2002 में गुजरात में नरसंहार। हाल में ही हुए चुनावों से सरमायदारों के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के खिलाफ़ लोगों के बढ़ते रोष और असंतोष की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन चुनावों से वर्तमान राजनीतिक प्रक्रिया के खिलाफ़ लोगों के गुस्से और असंतोष का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। लोग इस बात से खफ़ा हैं कि यह एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया है जिसमें गुनहगार पार्टियों का ही बोलबाला है। धर्म और जाति के आधार पर, निहित स्वार्थों के लिए, बड़े सरमायदारों की सेवा में लगी हुई पार्टियों द्वारा चलाई जा रही वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ़ मतदाताओं ने अपनी नफरत जताई।

राजनीति के सभी आयामों पर, टी.वी. पर समय देना, इत्यादि में भी, 6 'मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियों' के एकाधिकार के बावजूद, चुनाव परिणामों से यह साफ झलकता है कि बढ़ती तादाद में लोग इन पार्टियों के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। इन 6 पार्टियों के खिलाफ़, प्रदेश स्तर पर मान्यता प्राप्त 45 पार्टियों और 700 से भी अधिक पंजीकृत पार्टियों, जिन्हें चुनाव आयोग ने मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा नहीं दिया है, इन बाकी पार्टियों को प्राप्त वोट और जीती गई सीटों की तादाद पिछले दस सालों में बढ़ी है। अप्रैल–मई 2004 में हुए 14वीं लोक सभा चुनावों में जो पार्टियां भाजपा नीत

गठबंधन और कांग्रेस पार्टी नीत गठबंधन में शामिल नहीं थी, ऐसी पार्टियों को 137 चुनाव क्षेत्रों में सफलता मिली है। पिछली लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस बार 24 अधिक चुनाव क्षेत्रों में इन पार्टियों ने सफलता हासिल की है। इन पार्टियों को लगभग 27 प्रतिशत वोट मिले हैं, जो कि भाजपा या कांग्रेस पार्टी को मिले वोटों से ज्यादा है। इन सारी पार्टियों के अलावा, 2,369 निर्दलीय उम्मीदवारों ने इन चुनावों में हिस्सा लिया। ये सारी घटनाएं हमें यह दिखाती हैं कि अधिकांश लोग, राज्य सत्ता से बाहर रखे जाने की स्थिति को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं।

14वीं लोकसभा के चुनावों ने इस बात को फिर एक बार दिखा दिया कि लोग देश की दिशा बदलना चाहते हैं। इन चुनावों के दौरान तमाम तरह की पहल कदमी और कोशिशें सामने आयी हैं। इनमें से कुछ कम्युनिस्टों की अगुवाई में ली गई थी और कई अन्य जगहों पर स्थानीय और प्रांतीय संगठनों की पहलकदमी थी। यह सारी कोशिशें जनता द्वारा राजनीति में खुद को कार्यशील करने के लिए अपनी आवाज उठाने के नये तरीके इजाद करने की कोशिशें थी। इनके माध्यम से आम लोगों ने लोकप्रिय मांगों को पेश किया और उसी समाज–विरोधी कार्यक्रम को लागू करने के लिये गतिबद्ध विभिन्न सरमायदारी पार्टियों के बीच तथाकथित चयन प्रक्रिया को ठुकराया। पर इन चुनावों के बाद बड़े सरमायदार फिर एक बार ऐसी सरकार बनाने में कामयाब हो गये, जो सरमायदारों के समाज–विरोधी कार्यक्रम को चलायेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि सरकार अब यह कार्यक्रम लोगों की मनोभावना को भांपकर चलायेगी, ताकि लोग उसी समाज विरोधी कार्यक्रम को ज्यादा आसानी से स्वीकार कर लें।

हालांकि भाजपा को सिर्फ 21 प्रतिशत और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 22 प्रतिशत वोट ही मिले, परन्तु बड़े सरमायदारों ने यह सुनिश्चत किया कि भाजपा नीत गठबंधन की जगह पर कांग्रेस पार्टी नीत गठबंधन को सत्ता में लाया जाये। हालांकि अधिकतम जनता ने बहुत साफ–साफ दिखा दिया था कि सरमायदारों की नीतियां हमें मंजूर नहीं हैं, पर इसके बावजूद, अब हमारे ऊपर एक ऐसी सरकार थोप दी गयी है जो उसी रास्ते पर चलने को वचनबद्ध है, बेशक उसके नारे व तरकीबें कुछ नये अंदाज की हैं।

परिवर्तन लाने का दावा करने वाली और अपने आपको 'प्रगतिशील' कहलाने वाली, सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी नीत गठबंधन और उसका साझा न्यूनतम कार्यक्रम राजनीतिक प्रक्रिया में जनता को सत्ता में लाने वाली तब्दीलियों की जनता की मांगों का कोई समाधान नहीं देते हैं। सच्चाई तो यह है कि जनता की तमाम कोशिशों के बावजूद, राजनीतिक सत्ता अभी भी जनता की पहुंच के बाहर है। इसकी वजह यह है कि पार्टीवादी राजनीतिक प्रक्रिया, जो 'बहुपार्टीवादी प्रतिनिधियों वाला लोकतंत्र' कहलायी जाती है, उसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य सत्ता के प्रबंधन का काम सिर्फ बड़े सरमायदार वर्ग की पार्टियों को ही सौंपा जायेगा।

सरमायदारों ने चुनावों के जरिये अपने प्रबंधन दल को तथा पूंजीवादी सुधारों को लागू करने के अपने तौर–तरीकों को बदल लिया। खुलेआम कम्युनिस्ट विरोधी और हमलावर भाजपा की जगह पर अब एक कांग्रेस पार्टी नीत गठबंधन है, जो 'मानवीय चेहरे' के साथ पूंजीवादी सुधारों को लागू करने का वादा करता है। इसकी सलाहकार परिषद में माकपा और 'वाम अभिजात' के दूसरे सदस्यों को शामिल किया गया है। जनता की मनोभावना को ध्यान में रखते हुये, हुक्मरान वर्ग ने अपनी तरकीबें बदल ली हैं। यह सरकार पहले के ही रणनैतिक लक्ष्य को हासिल करने के लिये काम कर रही है, पर साथ ही साथ, वर्ग अंतर्विरोधों को अपने पक्ष में हल करने की कोशिश कर रही है। ऐसा करने के लिये, मजदूर वर्ग और कम्युनिस्ट आन्दोलन में सोशल डेमोक्रेसी के साथ समझौता करने वालों के साथ एक विश्वासघाती सौदा किया जा रहा है। मजदूर वर्ग को सरमायदारों की पूंछ बनाये रखने का काम इन समझौता करने वालों को सौंपा गया है।

प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह यह दावा करते हैं कि उनकी सरकार को 'मानवीय चेहरे के साथ सुधारों' और 'सुशासन' के रूप में परिवर्तन लाने का जनादेश प्राप्त हुआ है। उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि माकपा के नेता जैसे कम्युनिस्टों का वे आदर करते हैं और उनके साथ मित्रतापूर्वक काम करने की आशा रखते हैं। जमीनी तौर पर, उनकी सरकार का क्या हिसाब–किताब रहा है? कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में तथाकथित सुरक्षा बलों द्वारा बलात्कार और आतंक। कश्मीर, मणिपुर और दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र बल

तैनात हैं और जनता में कुछ वैसा ही खौफ फैला रखे हैं, जैसा कि अमरीकी साम्राज्यवादी सैनिक इराक के अबु घरैब जेल के कैदियों में फैला रहे हैं। और प्रधान मंत्री जी बुश तथा ब्लेयर की ही भाषा में 'सुशासन' की बात करते हैं, जबकि मानव अधिकारों के इस खुलेआम हनन को 'राष्ट्रीय सुरक्षा', 'देश की एकता–अखंडता की हिफ़ाज़त' और 'आतंकवाद व उग्रवाद' कुचलने के बहाने जायज़ ठहराया जा रहा है।

8 जुलाई, 2004 को वित्त मंत्री चिदंबरम ने संप्रग सरकार की पहली बजट पेश की। इससे यह स्पष्ट संदेश मिला कि नई सरकार उसी रास्ते पर आगे बढ़ने वाली है, जिस पर भूतपूर्व सरकार चल रही थी। यह सरकार भी उसी तथाकथित दूसरे दौर के सुधारों का कार्यक्रम लागू करने पर डटी हुई है, जिसका उद्देश्य है समाज की बाकी जनता को चूसकर अमीर से अमीर एकाधिकारी कंपनियों और वित्त दानवों के अधिकतम मुनाफा दर सुनिश्चित करना। बजट में यह अनुमान लगाया गया कि 2004–05 वर्ष में हिन्दोस्तानी सरकार के सकल राजस्व का 84 प्रतिशत तक, विश्व बैंक, एशियन डेवेलपमेंट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और तमाम दूसरे साहुकार संस्थानों तथा वाणिज्य बैंकों की तिजौरियों में पहुंचेगा। सेना और हथियारों पर और 17 प्रतिशत खर्च किया जायेगा और इसी में पूरा राजस्व का धन खत्म हो जायेगा। दूसरी जरूरतों, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा और रोजगार जनन कार्यक्रम, के लिये सरकार फिर से विश्व बैंक व दूसरे वित्त संस्थानों से कर्जा लेना चाहती है तथा "शिक्षा उपकर" जैसे नये–नये कर वसूलना चाहती है।

किसानों की रोजी–रोटी का संकट अब भी बहुत ही गंभीर है, क्योंकि बैंक और बीमा कंपनियां चाहती हैं कि कर्जे चुकाने की समय तालिका का सख्ती से पालन किया जाये। कर्ज़ में डूबे लोगों की खुदकुशी करने की खबरें आती जा रही हैं, बढ़ती और फैलती जा रही हैं। इस सवाल पर और दिन–ब–दिन बिगड़ने वाली बेरोज़गारी के सवाल पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिये अपना बचाव करना मुश्किल हो रहा है। तथाकथित गरीब–उन्मुखी कार्यक्रम और साझा न्यूनतम कार्यक्रम में लिखे हुये वादों को लागू कर दिखाने का उन पर चारों तरफ से दबाव आ रहा है। किसानों को किये 'नये वादे' भी अब खोखले लगने लगे हैं।

सरमायदारों के प्रचार में यह दावा किया जाता था कि बाजार के अनुसार किये गये सुधारों से नई नौकरियां पैदा होंगी और बेरोजगारी घटेगी, मगर जीवन के असली अनुभवों ने उन दावों को खोखला साबित कर दिया है। अब सरमायदारों को फिर से रोजगार जनक सरकारी कार्यक्रमों की बात करनी पड़ रही है, हालांकि सरकार के पास ऐसे कार्यक्रम लागू करने का धन नहीं है। मोनटेक सिंह आहलूवालिया, जो आई.एम.एफ. में अपनी नौकरी छोड़कर योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना है, उसने सरकारी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्कूल भोजन योजना, काम के बदले भोजन, आदि, इन पर 2004–05 में कुछ हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्चा करने का बंदोबस्त किया है। वित्त मंत्रालय और विश्व बैंक के बीच बड़ी सरगर्मी के साथ बातचीत चल रही है, कि गरीबी उन्मूलन का काम तेजी से करने के बहाने, वित्त पूंजी के इस सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से लिये गये कर्जे और बढ़ा दिये जायें।

किसी भी राजनीतिक जागरुकता वाले दल को यह स्पष्ट होना चाहिये कि भाजपा नीत गठबंधन की जगह पर कांग्रेस पार्टी नीत गठबंधन के आने से न तो राज्य सत्ता पर हावी वर्ग बदला है और न ही अर्थव्यवस्था की दिशा। पर इस सरकार परिवर्तन के बारे में लोगों के बीच तरह–तरह के भ्रम फैलाये जा रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), जो तीन और पार्टियों को अगुवाई देती हुई, कांग्रेस पार्टी और उसके साझा न्यूनतम कार्यक्रम को समर्थन दे रही है, वह मजदूर वर्ग और सरमायदारों के इस तथाकथित सांझे कार्यक्रम के बारे में ज्यादा से ज्यादा भ्रम फैला रही है। माकपा यह झूठा प्रचार कर रही है कि इस साझा न्यूनतम कार्यक्रम को लागू करने से भूख और बेरोज़गारी मिट जायेगी और मजदूरों व किसानों की हालतें सुधर जायेंगी, साथ ही साथ, हिन्दोस्तानी और विदेशी वित्त पूंजीपतियों के मुनाफे सुरक्षित रहेंगे और फौजीकरण की गति तेज कर दी है। माकपा यह भ्रम भी फैला रही है कि 'ध र्मनिरपेक्ष' कांग्रेस पार्टी नीत गठबंधन के सत्ता में आने से साम्प्रदायिक हिंसा का खतरा घट गया है। माकपा यह भी दावा करती है कि सरकार बदलने से "लोकतंत्र की गुंजाइश" कुछ बढ़ गयी है।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी और दूसरी प्रगतिशील ताकतों ने संगठित होकर यह सुनिश्चित किया कि 6 जुलाई, 2004 को संसद के बाहर

जन प्रदर्शन से नई सरकार की पहली बजट का स्वागत किया जायेगा। उस राजनीतिक प्रदर्शन में व्यक्तिगत व सामूहिक अधिकारों की हिफ़ाज़त में लड़ने वाले मजदूरों, किसानों, मेहनतकश बुद्धिजीवियों, महिलाओं, नौजवानों आदि के कई संगठनों ने हिस्सा लिया। उन्होंने एक संयुक्त ऐलाननामा जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि जब तक हम खुद अपने भविष्य के संप्रभु मालिक नहीं बन जाते, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। उस ऐतिहासिक प्रदर्शन से एक नया गुण उभर कर आगे आया – मजदूरों और किसानों की हुकूमत स्थापित करने के लिये एक वैकल्पिक कार्यक्रम के इर्द–गिर्द और सरमायदारों के हमलों के खिलाफ़ सभी शोषितों की राजनीतिक एकता।

मजदूरों और किसानों को सत्ता में लाने का कार्यक्रम सरमायदारों के समाज विरोधी हमलों के खिलाफ़ आन्दोलन के अंदर पैदा हुआ है। यह कार्यक्रम अभी भी शुरुआती स्तर पर है। इसके आगे बढ़ने की संभावनायें तो हैं, पर इसके सामने कई बड़े खतरे भी हैं। हमारे और सभी हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों के सामने यह चुनौती है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मजदूरों व किसानों का राज स्थापित करने और राज़ी राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं और लोगों की स्वेच्छा पर आधारित संघ के रूप में हिन्दोस्तान का पुनर्गठन करने का यह लड़ाकू कार्यक्रम अवश्य आगे बढ़े, मजदूरों व किसानों के बीच में खूब फैले और कम्युनिस्ट आन्दोलन में से सभी प्रकार की मौकापरस्ती और पूंजीवादी सुधारों के साथ समझौते करने वालों को उखाड़ कर फेंक दे।

हिन्दोस्तान के कम्युनिस्टों के सामने चुनौती

आज हिन्दोस्तानी समाज में, सरमायदारों की हुकूमत और उनके समाज–विरोधी हमलों के विरोध की विविध धाराऐं नज़र आ रहीं हैं। अपनी अगुवा पार्टी के नेतृत्व में मजदूर वर्ग के सामने यह बहुत ही चुनौतीभरा काम है, कि विरोध की इन विविध धाराओं को एकजुट करके एक ऐसी प्रबल ताकत बनायी जाये, जो सत्ता पर बैठे सरमायदार वर्ग को हराकर उसका तख्तापलट कर सकेगी। इसके लिये एक सुसंगत नीति और योजना की जरूरत है, जो सबसे अगुवा फलसफा और राजनीतिक सिद्धान्त से मार्गदर्शित होगा, फौरी और आखिरी लक्ष्यों के एक ठोस कार्यक्रम और उस कार्यक्रम पर अमल करने के लिये सचेत

संगठन की जरूरत है। इंकलाब के इन आत्मगत हालातों को हासिल करने की राह में रुकावट बन कर खड़े हैं कम्युनिस्ट आन्दोलन के वे दल जो संघर्ष और उसके उद्देश्यों की सरमायदारी अवधारणायें पेश कर रहे हैं।

मजदूरों और किसानों के आजाद कार्यक्रम का लक्ष्य राजनीतिक सत्ता पर कब्ज़ा करना है, यानि मजदूरों और किसानों को देश के हुक्मरान बनाना। यह आजाद कार्यक्रम उभर कर आया है और इसका पोषण करना जरूरी है। जो कम्युनिस्ट इस कार्यक्रम का पोषण करना चाहते हैं और उसका विस्तार करना चाहते हैं, तथा कम्युनिस्ट आन्दोलन के अंदर वे लोग जो 'बाजार के लिये बेहतर रास्ता' ढूंढ़ने के सरमायदारी कार्यक्रम के इस या उस विवरण को बढ़ावा दे रहे हैं, इन दोनों के बीच संघर्ष होना लाजिमी है। यह समाजवाद व कम्युनिज्म का रास्ता और मरणासन्न पूंजीवाद को बरकरार रखने का रास्ता, इन दोनों रास्तों के बीच संघर्ष है।

मजदूर वर्ग, जो वस्तुगत तौर पर समाज का सबसे इंकलाबी वर्ग है, उससे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और संसदीय वाम मोर्चे की दूसरी पार्टियां यह मांग कर रही हैं कि मजदूर वर्ग अपने आजाद लक्ष्यों को छोड़ दे। माकपा मजदूर वर्ग से कह रही है कि वह कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाले संप्रग के साझे न्यूनतम कार्यक्रम को लागू करना अपना लक्ष्य मान ले। इससे पहले भी माकपा ने ऐसी भूमिका निभाई है और एक सरमायदारी गठबंधन को समर्थन दिया है। मिसाल के तौर पर, 1996–98 की अवधि में, जब संयुक्त मोर्चा सरकार बनी थी और उसमें भाकपा ने हिस्सा लिया था तथा गृह मंत्रालय को संभाला था, तब भी माकपा की ऐसी ही भूमिका थी। परन्तु वर्तमान व्यवस्था की यह विशेषता है कि खास तौर पर माकपा के नेताओं को, संप्रग सरकार के विवेक के रखवालों और सलाहकारों की प्रत्यक्ष और विशेष भूमिका सौंपी जा रही है।

हिन्दोस्तान के सामने आगे के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता वह है जिस पर चलकर देश के मजदूर वर्ग और सरमायदारों के बीच के अंतर्विरोध मजदूर–मेहनतकश के पक्ष में हल किये जायेंगे और मजदूरों व किसानों की हुकूमत स्थापित होगी। फिर हिन्दोस्तान आगे चलकर सभ्यता के ऊँचे मार्ग पर

प्रगति करेगा। दूसरा रास्ता वह है जिस पर चल कर प्रतिक्रियावादी सरमायदार, अपने साम्राज्यवादी मंसूबों को पूरा करने के लिये, हिन्दोस्तान और इस इलाके के लोगों को आपस में लड़ने को भड़कायेंगे। हिन्दोस्तानी समाज को कैसे इस दूसरे रास्ते पर जाने से रोका जाये और कैसे यह सुनिश्चित किया जाये कि हिन्दोस्तानी समाज पहले रास्ते पर ही आगे बढ़ेगा, यह आज हम कम्युनिस्टों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है।

वाम मोर्चे के समर्थन के साथ, संप्रग सरकार के सत्ता में आने से, मजदूर वर्ग की उम्मीदें बढ़ गई हैं तथा अब मजदूर इस समाज–विरोधी हमले को खत्म करने की और ज्यादा मांग कर रहे हैं। इसलिये माकपा के नेता कई मुद्दों पर जन आंदोलन का आह्वान देने को मजबूर हो रहे हैं, पर साथ ही साथ, सड़कों पर हो रहे प्रदर्शनों को उन सीमाओं के अंदर बांधकर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरमायदारों को मंजूर हो। मजदूर समुदाय की लगातार बढ़ती मांगें और उम्मीदें सरमायदारी राजनीति की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकलने के लिये मजदूर वर्ग को संगठित करने की संभावनायें पैदा कर रही हैं।

मजदूर वर्ग की जागरुकता को बढ़ाने और आने वाले संघर्षों के लिये उसकी तैयारी के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी और कम्युनिस्ट आन्दोलन में दूसरी इंकलाबी पार्टियों और दलों को उचित पहल लेनी होगी। आम तौर पर सरमायदारों के साथ समझौता करने और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के 'मानवीय चेहरे' के साथ समझौता करने की लाइन के खतरे के बारे में मजदूरों को जागरुक करना होगा। मजदूर वर्ग को अपना संदेश पहुंचाने के लिये हमें नये–नये तरीके अपनाने पड़ेंगे; यूनियन कार्यकर्ताओं और स्थानीय संगठनकर्ताओं को राजनीतिक चर्चा में शामिल करने और संयुक्त कार्यवाहियां आयोजित करने के हमें नये तरीके निकालने होंगे। मजदूर वर्ग में एकता बनाने और उसे मजबूत करने की कोशिशों में हमें लगे रहना होगा, ताकि मजदूर वर्ग उदारीकरण और निजीकरण के कार्यक्रम को समाप्त करने, हिन्दोस्तानी समाज को इस संकट से उबारने और पूंजीवाद से समाजवाद के इंकलाबी परिवर्तन का द्वार खोलने के अपने कार्यक्रम को स्पष्ट रूप से पेश कर सके।

मजदूर वर्ग कार्यकर्ताओं को यह समझाना हमारे लिये एक चुनौती है कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम के बारे में अगर मजदूरों में जरा–सा भी भ्रम हो, तो यह हमारे शोषकों, हमारे वर्ग के दुश्मनों, यानि सरमायदारों के हित में होगा। इसका मतलब होगा निजीकरण कार्यक्रम को रोकने और पलटने तथा सरमायदारों के हमले को परास्त करने के संघर्ष को त्यागना। हमें मजदूरों को आन्दोलित करना होगा, ताकि वे अपने यूनियनों को कांग्रेस पार्टी की पूंछ बन जाने की इजाज़त न दें। कोई 'बीच का रास्ता' जो दोनों, सरमायदारों और मजदूरों को खुशहाली दिलायेगा – ऐसे भ्रम का हम शिकार नहीं बन सकते।

निजीकरण कार्यक्रम को अब, भाजपा हुकूमत की अपेक्षा में, कुछ नये अंदाज के साथ चलाया जा रहा है, परन्तु इसमें मुख्य सवाल बुनियादी असूल का है – कि तत्कालीन सरकार को जनता की सम्पत्ति निजी मुनाफाखोरों के हाथों बेचने का कोई अधिकार नहीं है। कम्युनिस्टों को इस असूल की हिफ़ाज़त करनी होगी और इस सवाल पर किसी भी समझौते का विरोध करना होगा।

सरमायदारों का प्रचार उस, अनुभव के प्रतिकूल, पूर्वधारणा पर आधारित है कि समस्या निजीकरण में नहीं बल्कि निजीकरण को लागू करने के तरीके में है। मिसाल के तौर पर, क्लिंटन प्रशासन की सलाहकार परिषद के भूतपूर्व सदस्य और विश्व बैंक के भूतपूर्व मुख्य अर्थशास्त्री, जोसेफ स्टिगलिट्ज द्वारा पेश की गयी आलोचना का यही आधार है। स्टिगलिट्ल हाल ही में आई.एम.एफ. – विश्व बैंक के रूढ़ीवाद की आलोचना करने लगे हैं और वैश्वीकरण पर एक किताब प्रकाशित कर चुके हैं। इन दिनों स्टिगलिट्ज चीनी रास्ते का गुणगान कर रहे हैं और "बाजार के लिये बेहतर रास्ते" को तलाशने का आह्वान दे रहे हैं।

माकपा के नेताओं का यह कहना है कि बाजार के अनुसार सुधारों को लागू करने का भाजपा का रास्ता ज्यादा आक्रमक था, जबकि कांग्रेस पार्टी और उसके वामपंथी यार उसी अमानवीय कार्यक्रम को लागू करने का मानवीय तरीका ढूंढ़ निकाल चुके हैं। यह "मानवीय चेहरे के साथ सुधारों" का बदनाम सिद्धांत है। असल में देखा जाये तो माकपा के 'मार्क्सवादी' वही धारणा फैला रहे हैं जो सरमायदार आलोचक स्टिगलिट्ज फैला रहा है, कि विरोध उदारीकरण

और निजीकरण का नहीं बल्कि उन नीतियों को लागू करने के तरीके का करना चाहिये। सरमायदारी विचारधारा के साथ समझौता करके वे समाज–विरोधी हमले को हराने के संघर्ष के हिस्सा बतौर, निजीकरण और उदारीकरण कार्यक्रम को रोकने और पलटने के संघर्ष को जोखिम में डाल रहे हैं।

हिन्दोस्तान में सार्वजनिक क्षेत्र राजकीय एकाधिकारी पूंजीवादी क्षेत्र है तथा हमेशा ही ऐसा रहा है। इसकी स्थापना सबसे बड़े एकाधिकारी पूंजीवादी घरानों द्वारा की गई थी और इसे उन्हीं के सामूहिक हित में चलाया जाता है। मजदूरों और आम जनता को इसके बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिये। साथ ही साथ, जब सरमायदार राजकीय एकाधिकारी पूंजीवादी क्षेत्र के कारोबारों को निजी एकाधिकारी पूंजीवादी क्षेत्र में तब्दील करने के कदम उठा रहे हैं, तो मजदूर वर्ग और जनता इनके प्रति उदासीन नहीं रह सकती। हम उदासीन नहीं रह सकते क्योंकि इन कदमों का उद्देश्य है श्रम के शोषण को बढ़ाना और अब तक जो सामग्रियां व सेवायें मुफ्त या रियायती दामों पर मिल रही थी, उनके लिये एकाधिकारी कीमतें अदा करना।

मजदूर वर्ग न तो उदारीकरण व निजीकरण का समर्थन कर सकता है और न ही यथास्थिति की हिफ़ाज़त कर सकता है। मजदूर वर्ग यह मांग कर सकता है और उसे यह मांग करनी चाहिये कि निजीकरण कार्यक्रम को फौरन रोका व पलट दिया जाये, कि जो सार्वजनिक कारोबार निजी हाथों को सौंपे गये हैं, उन्हें वापस किया जाये। मजदूर वर्ग के संघर्ष का यह नज़रिया होना चाहिये कि मेहनतकशों की खुशहाली को सुनिश्चित करने के लिये, अर्थव्यवस्था के सभी अत्यावश्यक क्षेत्रों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित की जाये। सामाजिक उत्पादन के क्षेत्र में निजी पूंजीवादी उद्यमों की भूमिका को क्रमशः कम करने तथा अंत में खत्म करने का यह नज़रिया कम्युनिस्टों को पेश करना होगा।

'चुनिंदा निजीकरण' उसी रणनीति की निरंतरता है जो 'समाजवादी नमूने के समाज' की खासियत थी। सरमायदार यह फैसला करते हैं कि कौन सा क्षेत्र बड़े उद्योगपतियों के अधिकतम मुनाफों की गारंटी दिलाने के लिये राज्य द्वारा चलाया जाना चाहिये और कौन सा क्षेत्र एकाधिकारी घरानों द्वारा खुद, अपने निजी खर्चे पर, प्रत्यक्ष रूप से चलाया जाना चाहिये। जो 'चुनिंदा निजीकरण'

के रास्ते को बढ़ावा देकर उसे 'रणनैतिक बिक्री' का विपरीत बता रहे हैं, वे मजदूर वर्ग को निहत्था कर रहे हैं और निजीकरण के खिलाफ़ संघर्ष को खतरे में डाल रहे हैं।

इस समय, हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों के सामने एक अहम चुनौती यह है कि किसानों को कैसे यह समझाया जाये कि यह पूंजीवादी–साम्राज्यवादी रास्ता ही किसानों की समस्याओं की मुख्य वजह है। किसानों के सामने आज यह सबसे बड़ा खतरा है कि कृषि को कम दर्जा दिया जा रहा है और कृषि–व्यवसाय तथा व्यापारी कंपनियों के अधिकतम मुनाफा दर के लक्ष्य को ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है। पूंजीवादी संवर्धन से कुछ इलाकों के चंद किसानों को कुछ समय के लिये कुछ लाभ हो सकता है परन्तु इससे जमीन जोतने वालों के सुनिश्चित रोजगार के सवाल का कोई स्थाई समाधान नहीं हो सकता। इसके विपरीत, इससे कृषि का संकट और तीव्र हो जायेगा।

सरमायदारों के हमलों के खिलाफ़ किसानों के चल रहे संघर्ष के लिये कम्युनिस्टों को शहरों से राजनीतिक समर्थन जुटाना होगा। हमें किसानों को उन विचारधारात्मक अस्त्रों से लैस करना होगा, जिनके जरिये किसान सरमायदारों की धोखेबाज चालों को बेनकाब कर सकेंगे। हमें मजदूरों व किसानों की राज्य सत्ता की स्थापना के जरिये हिन्दोस्तानी कृषि को वर्तमान संकट से उबारने के सिद्धांत को विस्तारपूर्वक समझाना होगा। हमें समझाना होगा कि वह ऐसा राज्य होगा जो सभी जमीन जोतने वालों को सुरक्षित रोजगार देगा और मेहनतकशों को मुनासिब दामों पर सुनिश्चित खाद्य आपूर्ति मुहैया करायेगा। एकाधिकारी निगमों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा हमारे देश में घुसकर हमारी जमीन व कुदरती संसाधनों को लूटने का रास्ता रोकने के लिये हमें संगठित होना होगा।

जमीन जोतने वाले किसानों के अधिकारों के फलसफे और सिद्धांत पर कम्युनिस्टों को विस्तार करना होगा। इन अधिकारों में शामिल है जमीन के पट्टे की सुरक्षा का अधिकार और सुरक्षित रोजगार का अधिकार। हमें इस असूल की रक्षा करनी होगी कि अधिकारों को न तो दिया जा सकता है, न ही अधिकारों को छीना जा सकता है; कि जमीन जोतने वालों के अधिकारों को

मान्यता देना और उनकी सुरक्षा करना राज्य का फर्ज़ है। 'गरीबों के पक्ष में सुधार' लागू करने की आड़ में किसानों की रोजी–रोटी और अधिकारों पर हमला करने की बड़े साम्राज्यवादी सरमायदारों की चाल का हमें पर्दाफाश करना होगा और उसे हराना होगा। हमें किसानों को यह समझाना होगा कि आर्थिक सुधार के नाम पर, जिस खतरनाक रास्ते पर अर्थव्यस्था को चलाया जा रहा है, उसका उद्देश्य है किसान जनसमुदाय की रोजी–रोटी की सुरक्षा की बलि चढ़ाकर, बड़े पूंजीपति एकाधिकारी घरानों, वित्त संस्थानों व विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तिजौरियां भरना।

हम कम्युनिस्टों को हिन्दोस्तान के नवनिर्माण के लिये, अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिलाने और राजनीतिक संस्थानों का लोकतांत्रिक नवीकरण करने के कार्यक्रम के आधार पर, मजदूर–किसान गठबंधन बनाने की तरकीबें विकसित करनी होंगी। हमें मजदूर वर्ग, को वर्ग के आधार पर राजनीतिक एकता बनाने की जरूरत सिखानी होगी – सबसे पहले सभी मजदूरों की एकता, फिर उसी हुक्मरान सरमायदार वर्ग और उसके समाज–विरोधी कार्यक्रम के खिलाफ़ लड़ने वाले किसानों और दूसरे सामाजिक तबकों के साथ एकता। मजदूर–किसान सरकार बनाने की फौरी मांग के इर्द–गिर्द हमें राजनीतिक एकता विकसित करनी होगी। यह सरकार निजीकरण और उदारीकरण कार्यक्रम को रोकने और नव निर्माण का कार्यक्रम लागू करने – यानि, मजदूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों को हिन्दोस्तान के मालिक और हुक्मरान बनाने के लक्ष्य के साथ काम करने वाली होगी। इस कार्यक्रम को लागू करने के संघर्ष के दौरान हमें कांग्रेस पार्टी – वाम मोर्चा गठबंधन की चालों और 'मानवीय चेहरे' के साथ सुधारों का पर्दाफाश करना होगा।

कम्युनिस्टों के सामने एक मुख्य चुनौती है लोकतंत्र और राजनीतिक सत्ता का वैकल्पिक नज़रिया विस्तारपूर्वक पेश करना; एक ऐसा नज़रिया जो हिन्दोस्तान के मालिक बनने की मजदूरों व किसानों की मांग के अनुकूल हो। समाज–विरोधी हमले के खिलाफ़ आन्दोलन के दौरान, हमारी पार्टी ने ऐसा नज़रिया पेश किया है। दूसरे महाअधिवेशन में अपनाये गये कार्यक्रम की कुछ बुनियादी मांगों के इर्द–गिर्द राजनीतिक एकता बनाने में हम कामयाब रहे हैं। इस कामयाबी का एक सबूत तब देखा गया जब जुलाई 2004 में, चिदंबरम के

बजट की पूर्वसंध्या पर, तमाम संगठन सड़कों पर उतर आये थे और उन्होंने संघर्ष को आगे बढ़ाने का एक संयुक्त ऐलाननामा जारी किया था, जो कि हमारी कामयाबी का एक ठोस प्रदर्शन था। इससे यह देखने में आया कि मजदूरों और किसानों के कार्यकर्ता संप्रग सरकार और उसके साझा न्यूनतम कार्यक्रम को अपनी समस्याओं का समाधान मानने को तैयार नहीं हैं। यह देखने में आया कि मजदूरों व किसानों के कार्यकर्ता अपनी जायज मांगों को हासिल करने के संघर्ष में डटे रहने के इच्छुक हैं और तैयार भी हैं। यह देखने में आया कि आम जनता के बीच यह जागरुकता बढ़ रही है कि किसी एक सरमायदारी पार्टी या गठबंधन को सत्ता से हटाकर किसी दूसरी सरमायदारी पार्टी या गठबंधन को सत्ता में लाने से जनता की समस्यायें हल नहीं होंगी। यह देखने में आया कि जनता यह समझने लगी है कि हमें एक नये प्रकार की सत्ता और राजनीतिक प्रक्रिया की जरूरत है, जिसमें जनता खुद फैसले लेगी और राजनीतिक पार्टियां जनता को ऐसा करने के काबिल बनायेंगी।

हर रोज हमें जो खूब सारे सबूत मिल रहे हैं, उनका इस्तेमाल करके हमें यह खुलासा करना होगा कि बहुपार्टीवादी प्रतिनिधियों वाले लोकतंत्र की राजनीतिक प्रक्रिया व व्यवस्था सरमायदारों के राज करने और पूंजीवाद के पनपने के लिये सबसे अच्छी प्रक्रिया और व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था में बहुसंख्य जनता को राजनीतिक सत्ता से दूर रखा जाता है। हमें जनसमुदाय को राजनीतिक प्रक्रिया में परिवर्तन की ऐसी तत्कालीन मांगों के इर्द–गिर्द लामबंद करना होगा, जिनके जरिये सरमायदारों की पार्टियों के एकाधिकार पर अंकुश लगाया जायेगा और मजदूरों व किसानों को अपने बीच में से उम्मीदवारों को खड़ा करने का ज्यादा मौका मिलेगा। संसदीय लोकतंत्र के बारे में किसी भ्रम का शिकार हुये बिना और संघर्ष के इस क्षेत्र को सरमायदारों और उनकी राजनीतिक पार्टियों के लिये खुला छोड़े बिना, राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कम्युनिस्ट तरकीबें और ज्यादा विकसित करना – यह हमारे सामने चुनौती है।

लोकतंत्र व शासन तंत्र की वर्तमान परिभाषा एकाधिकारी पूंजी और साम्राज्य बनाने वालों के हितों के अनुकूल है। बर्तानवी–अमरीकी साम्राज्यवादियों की तरह, हिन्दोस्तान के बड़े सरमायदार यह दावा कर रहे हैं कि सभी लोगों को इस परिभाषा को मान लेना चाहिये, वरना उन्हें आतंकवादी, उग्रवादी, 'चरमपंथी'

आदि करार दिये जाने और केंद्रीय सशस्त्र बलों की सैनिक ताकत द्वारा कुचले जाने के खतरे का सामना करना पड़ेगा। इस सरमायदारी, साम्राज्यवादी दबाव के खिलाफ़ संघर्ष की दिशा है मजदूरों और किसानों को राजनीतिक आधार पर संगठित करना और जनता की राजनीतिक जागरुकता और सक्रियता को बढ़ाने के लिये, चुनाव के मैदान के इस्तेमाल समेत नये–नये तरीके अपनाना। मजदूर वर्ग की अगुवा पार्टी को मजदूर वर्ग की राजनीतिक चेतना बनाने और उसे नये हिन्दोस्तान के निर्माण में अगुवा ताकत बनाने के इस अत्यावश्यक काम को कभी त्यागना नहीं चाहिये।

इस अवधि में हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी और कुछ दूसरे संगठनों ने जो काम किया है, इस काम से जनता को राज्य सत्ता में लाने के आन्दोलन को और विकसित करने में काफी योगदान हुआ है। इस काम में शामिल हैं चुनावी मैदान में हस्तक्षेप करने के बहुत सारे प्रयास, जन सभाओं में जनता के उम्मीदवारों का चयन करवाना, चुनाव क्षेत्रों में स्थानीय समितियां बनाने के प्रयास, इत्यादि। मजदूरों, किसानों और अन्य मध्यम वर्गीय तबकों के बीच विभिन्न संगठन सरमायदारों की पार्टियों के एकाधिकार को खत्म करने और जनता को खुद अपने फैसले लेने के काबिल बनाने के लिये अपनी गैर–पार्टीवादी पहल लेने लगे हैं।

इस काम के स्तर और स्पष्टता को बढ़ाना आने वाले दिनों में हमारे सामने चुनौती है, ताकि जनता को सत्ता में लाने का आन्दोलन और तेजी से आगे बढ़े तथा उन सभी का संयुक्त मोर्चा बनाने में योगदान बन जाये, जो बस्तीवादी विरासत को समाप्त करना चाहते हैं और हिन्दोस्तानी समाज का नया अध्याय शुरु करना चाहते हैं। यह एक ऐसा नया समाज होगा जो अपने सभी सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने वाली आर्थिक व्यवस्था पर आधारित होगा, जिसमें लोकतंत्र की आधुनिक व्यवस्था होगी, जहां संप्रभुता जनता के हाथों में होगी, जहां सभी साम्राज्यवादी हरकतों और राष्ट्रीय अधिकारों के हनन का विरोध व खात्मा करने के लिये प्रतिबद्ध राष्ट्रों और राष्ट्रीयताओं के लोग स्वेच्छा से मिलजुलकर एक संघ में रहेंगे।

कम्युनिस्ट आन्दोलन का एक मुख्य दस्ता मजदूर वर्ग पर सरमायदारों की विचारधारा थोपने में व्यस्त है और यह दस्ता उस सरमायदारी सोच के साथ

समझौता कर रहा है कि वर्तमान हिन्दोस्तानी संघ का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। वे बस्तीवादी विरासत का तख्तापलट करने की जरूरत को नकारते हैं। वे बस्तीवादी नींव पर आधारित वर्तमान हिन्दोस्तानी संघ के वफादार रक्षक हैं। वे अलग–अलग राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं और जन जतियों की संप्रभुता और स्वेच्छा पर आधारित, हिन्दोस्तानी संघ के पुनर्गठन का या तो कट्टर विरोध करते हैं या इसे जरूरी ही नहीं समझते हैं। इस पुनर्गठित हिन्दोस्तानी संघ में हर राष्ट्र, राष्ट्रीयता और जनजाति के अधिकारों को, आत्म निर्धारण और अलग होने के अधिकार समेत, मान्यता दी जायेगी और इन अधिकारों की रक्षा की जायेगी व संविधानीय गारंटी दी जायेगी।

कांग्रेस पार्टी की सोशल डेमोक्रेटिक लाइन के साथ समझौता करते हुये, कम्युनिस्ट आंदोलन के कुछ तत्व यह नारा बुलंद करते हैं कि भाजपा और संघ परिवार के खतरे से मौजूदा हिन्दोस्तानी राज्य और उसकी 'धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक बुनियादों' की हिफ़ाज़त करनी चाहिये। इस सवाल पर कांग्रेस पार्टी की पूंछ बनकर, वे उस सच्चाई को छुपाते हैं कि बर्तानवी बस्तीवादियों द्वारा आयोजित और बस्तीवादी अवधि के बाद कांग्रेस पार्टी व उसके पदचिंहों पर चलने वाली दूसरी पार्टियों द्वारा और कुशलता से किये गये, जनता के साम्प्रदायिक बंटवारे में ही इस हिन्दोस्तानी राज्य की नींव है। वे उस सच्चाई को छुपाते हैं कि साम्प्रदायिकता और 'धर्मनिरपेक्षता', यानि 'सहनशीलता' व 'निष्पक्षता', बस्तीवादी हुकूमत के दौरान व 1947 के बाद भी, हिन्दोस्तानी लोगों को बांटने और कुचलने के दोहरे हथियार रहे हैं।

हिन्दोस्तानी समाज को बस्तीवादी विरासत से पूरी तरह नाता तोड़ना होगा। इसका यह मतलब है कि हिन्दोस्तान की साम्प्रदायिक परिभाषा, कि हिन्दोस्तान हिन्दुओं, मुसलमानों और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों का बना हुआ है, इससे भी नाता तोड़ना होगा। इसके लिये एक ऐसी नयी राज्य सत्ता की जरूरत है, जो मानव अधिकारों, हर इंसान के अपने जमीर के अनुसार चलने के अधिकार तथा किसी भी धार्मिक या अधार्मिक विचार पालन करने के अधिकार को मान्यता और संविधानीय गारंटी देगी।

"साम्प्रदायिक–फाशीवादी भाजपा से हिन्दोस्तानी राज्य की धर्मनिरपेक्ष बुनियादों की हिफ़ाज़त" की लाइन साम्प्रदायिक हिंसा के खिलाफ़ संघर्ष को हुक्मरान

सरमायदारों और उनके राज्य के खिलाफ़ जाने से रोकती है। कांग्रेस पार्टी और उसकी धर्मनिरपेक्षता की पूंछ बनकर रह जाने की यह लाइन गुनहगारों को सज़ा दिलाने के रास्ते में रुकावट खड़ा कर देती है। यह लोगों को खुद अपनी हिफ़ाज़त करने के लिये संगठन बनाने से रोकती है।

संप्रग सरकार का साथ देने वाले कम्युनिस्ट, मजदूर वर्ग से यह मांग कर रहे हैं कि हिन्दोस्तान के बड़े सरमायदारों के साम्राज्यवादी नजरिये का समर्थन किया जाये। वे 'बहुध्रुवीय दुनिया' की अवधारणा को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके अनुसार चलकर हिन्दोस्तानी लोगों को अपने शोषकों के मुनाफों के खातिर प्रतिक्रियावादी अंतर–साम्राज्यवादी जंग में फंसाया जायेगा। वे राजकीय आतंकवाद और जंग को जायज़ ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। संक्षेप में, वे यह मांग कर रहे हैं कि मजदूर वर्ग सामाजिक इंकलाब का अपना आजाद झंडा न बुलंद करे, हिन्दोस्तान के नव निर्माण के अपने कार्यक्रम के इर्द–गिर्द सभी मजदूरों और किसानों को लामबंद न करे, बल्कि सरमायदारों की पूंछ बना रहे।

समाजवाद और कम्युनिज़्म का संघर्ष एक वर्ग के खिलाफ़ दूसरे वर्ग, एक सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ़ दूसरी सामाजिक व्यवस्था, का ऐतिहासिक संघर्ष है। सरमायदार वर्ग के साथ समझौता करने वाले इस संघर्ष को एक सरमायदारी पार्टी के खिलाफ़ दूसरी पार्टी का संघर्ष, पूंजीवाद को विकसित करने की एक नीति के खिलाफ़ दूसरी नीति का संघर्ष, तक सीमित रखते हैं। परन्तु मजदूर वर्ग को समाजवाद की वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था, सर्वहारा लोकतंत्र के वैकल्पिक संस्थानों और राजनीतिक प्रक्रिया के स्पष्ट नजरिये की जरूरत है और उस नजरिये को साकार रूप दिलाने के लिये संघर्ष के ठोस कार्यक्रम की जरूरत है।

मजदूर वर्ग के तात्कालिक कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक और राजनीतिक मामलों में बस्तीवादी विरासत से नाता तोड़ना है, ताकि गहन परिवर्तनों के जरिये सामाजिक प्रगति का द्वार खोला जा सके। बस्तीवादी विरासत से नाता तोड़ने का मतलब है – लूट की आर्थिक दिशा और बहुसंख्य हिन्दोस्तानी जनता को फैसले लेने के अधिकार से वंचित रखने की राजनीतिक दिशा को खत्म करना। इसका मतलब है आर्थिक फैसलों को नई दिशा दिलाना, अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा निवेश करना, न कि अर्थव्यवस्था से ज्यादा से ज्यादा और जल्द से

जल्द लूटना, जैसा कि पूंजीवादी–साम्राज्यवादी व्यवस्था में किया जाता है। इसका मतलब है राज्य सत्ता को अलग–अलग राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं और लोगों के स्वैच्छिक संघ के आधार पर, देश के मजदूरों और किसानों की सामूहिक ताकत के रूप में पुनर्गठित करना। इसका मतलब है सभी व्यक्तियों के जमीर के अधिकार की हिफ़ाज़त करना और गारंटी देना; इस देश के सभी राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं और जनजातियों के सामूहिक अधिकारों की हिफ़ाज़त करना व गारंटी देना। वर्ग संघर्ष से और इस संघर्ष के अनुभव की आम समीक्षा करने के कम्युनिस्टों के काम से ऐसा कार्यक्रम उभरकर आया है। मजदूर वर्ग, किसानों और सभी शोषितों द्वारा यह कार्यक्रम अपनाने के लिये हमारी पार्टी उन सभी को संगठित करने की भरसक कोशिश कर रही है। इस अनुभव से सीखना, अपनी कामयाबियों का लाभ उठाना और इस कार्यक्रम को साकार रूप दिलाने के लिये काम में जुट जाना–यह हमारे सामने चुनौती है।

माकपा की अगुवाई में संसद में उपस्थित वाम मोर्चे ने बड़े सरमायदारों की विश्वासपात्र पार्टी, कांग्रेस पार्टी के साथ बैठकर, साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया है। इससे आम मजदूरों व मेहनतकशों को क्या संदेश मिलता है? यही कि मजदूर वर्ग और सरमायदारों के हितों में समझौता हो सकता है। यह संदेश दिया जा रहा है कि कोई ऐसा सांझा रास्ता है, जिस पर चलकर सरमायदारों और सर्वहारा, दोनों के हितों की हिफ़ाज़त और संवर्धन हो सकता है। वर्ग सचेत मजदूरों को यह संदेश मिलता है कि माकपा के नेताओं ने मार्क्सवाद के सबसे मूल निष्कर्ष को त्याग दिया है।

मजदूर वर्ग आन्दोलन का ऐतिहासिक अनुभव और निष्कर्ष, जो कार्ल मार्क्स के सिद्धान्त में संकलित है, वह यही है कि मजदूर वर्ग और सरमायदारों के हितों के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता है। पूंजीवादी विकास मजदूर वर्ग और किसानों को सिर्फ तबाही और विनाश ही दिला सकता है। इसके अलावा, पूंजीवाद की कब्र खोदना मजदूर वर्ग का ऐतिहासिक कर्तव्य है। और मजदूर वर्ग वह कब्र तब तक नहीं खोद सकता जब तक उसका आन्दोलन जागरुक नहीं होता, जब तक उसे अपनी अगुवा पार्टी का नेतृत्व नहीं मिलता, जब तक उस अगुवा दस्ते में से सरमायदारों के साथ समझौता करने और हाथ मिलाने वाले गुटों को उठाकर फेंक नहीं दिया जाता।

आज न तो प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह और न ही वित्त मंत्री चिदंबरम यह दावा करते हैं कि वे किसी प्रकार का समाजवाद बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे 'मानवीय चेहरे' वाला पूंजीवाद बना रहे हैं। भाकपा और माकपा, जो बीते दिनों में 'समाजवादी नमूने के समाज' के नेहरूवी नज़रिये से समझौता किया करते थे, वे अब निजीकरण और उदारीकरण के सरमायदारों के कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिये और पिछड़े रवैये अपना रहे हैं। इस पीछे हटने के कदम को जायज़ ठहराने के लिये वे यह दावा करते हैं कि पूंजीवादी सुधारों को 'मानवीय चेहरे' के साथ लागू किया जायेगा।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने खुलेआम ऐलान किया है कि वह "मानवीय चेहरे के साथ सुधारों" को लागू करने पर तुला हुआ है। माकपा नीत सरकार ने समयपूर्व सेवानिवृत्ति योजनाओं और "संयुक्त कारोबारों में तब्दीली" (जो निजीकरण के ही दूसरे नाम हैं) का तथाकथित मजदूर पक्षीय कार्यक्रम लागू किया है। वे चाहे कैसा भी दिखावा करें, हकीकत में इन 'मार्क्सवादियों' के रवैये और विश्व बैंक विशेषज्ञों के रवैये के बीच में कोई अंतर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विश्व बैंक के विशेषज्ञ भी गरीबी घटाने के साथ–साथ पूंजीवादी विकास की गति बढ़ाने वाले सुधारों का मंत्र जपते हैं।

मूल तौर पर देखा जाये तो सरमायदारों के वाम पक्ष और दाँय पक्ष, दोनों का एक ही नज़रिया है, एक सुधरे हुये पूंजीवाद का नज़रिया, जिस पूंजीवाद में उसकी हमसफर बीमारियां न हों, पर असलियत में ऐसा हो नहीं सकता है। वर्तमान स्थिति में, जब दुनिया के अधिकतर बाज़ारों पर एकाधिकारी और अल्पाधिकारी कंपनियों का वर्चस्व है, तो 'मुक्त बाजार के सुधार' कुछ और नहीं बल्कि एकाधिकारी पूंजीपतियों द्वारा निरंकुश प्रवेश व लूट और उस लूट की बढ़ती गुंजाइश का दूसरा नाम है।

आखिर में, संघर्ष सरमायदारों के वाम पक्ष और दाँय पक्ष के बीच नहीं है। संघर्ष मजदूर वर्ग और सरमायदारों के बीच है। संघर्ष पूंजीवादी सुधारों को लागू करने के किसी एक तरीके या रास्ते और उसी लक्ष्य हो हासिल करने के किसी दूसरे, तथाकथित बेहतर रास्ते के बीच में नहीं है। संघर्ष दो आपस में विरोधी सामाजिक व्यवस्थाओं – समाजवाद और पूंजीवाद – के बीच है।

वर्तमान अमानवीय व्यवस्था का विकल्प एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है, जो सामाजिक सम्पत्ति और सामाजिक उत्पादन के साधनों के नियंत्रण पर आधारित है, जो जनता की बढ़ती भौतिक व सांस्कृतिक जरूरतें अधिक से अधिक हद तक पूरी करने के उद्देश्य से काम करती है। यह समाजवादी व्यवस्था है। कम्युनिस्टों को मजदूर वर्ग के सामने यह खुलेआम ऐलान करना होगा और मजदूर वर्ग को यह शिक्षा देनी होगी कि हिन्दोस्तानी लोगों की समस्याओं को हल करने के लिये समाजवाद की स्थापना करना जरूरी शर्त है।

अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिलाने में पहला कदम है सरमायदारों के हमलों को रोकना, कर्जे चुकाने पर रोक लगाना, हथियारों पर खर्च में कटौती करना, नई मुद्रा जारी करके काले धन के भंडारों को जब्त करना और विदेशी व थोक घरेलू व्यापार पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना। इससे हिन्दोस्तान की अर्थव्यवस्था में वित्त पूंजी के वर्चस्व पकड़ पर अंकुश लगाया जा सकेगा और पूंजीवाद के पनपने पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। इससे एक आधुनिक, सर्वव्यापी सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनायी व विस्तृत की जा सकेगी, जिससे जनता के उपभोग की सारी सामग्रियों की मुनासिब दामों पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होगी। अर्थव्यवस्था का एक अहम क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू थोक व्यापार, अतिरिक्त मूल्य के नियम के दायरे से बाहर निकाल दिया जायेगा और उसे मेहनतकशों की जरूरतें पूरी करने के लिये नई दिशा दी जायेगी। मजदूर वर्ग को यह ऐलान करना होगा, और वह ऐसा करने में कामयाब है, कि उपर्युक्त कार्यक्रम को लागू करने के रास्ते में अगर कोई निजी दल रुकावट बनता है तो उसे कोई मुआवज़ा दिये बिना, उसका सम्पत्ति–हरण किया जायेगा। यानि, उनकी निजी सम्पत्ति को सामाजिक सम्पत्ति में बदल दिया जायेगा और उन्हें इसके बदले कोई कीमत नहीं दी जायेगी।

समाजवाद की ओर अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिलाने में पहला कदम लेने के लिये, कम्युनिस्टों को फौरी तौर पर मजदूर वर्ग के बीच उत्साह जगाने में अगुवाई देनी होगी। पहला कदम लेने से अगले कदम के लिये रास्ता साफ होगा, जो है समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का कदम। कम्युनिस्ट यह भ्रम कभी नहीं फैला सकते कि सिर्फ पहला कदम ही काफी है, या कि मजदूर–किसान के सत्ता में आये बिना पहला कदम भी मुमकिन है। समाजवाद और कम्युनिज़्म

के लिये मजदूर वर्ग को तैयार करने पर और फौरी कार्यक्रम के इर्द–गिर्द मजदूरों व किसानों का संयुक्त मोर्चा बनाने पर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा, और हमें ऐसे भ्रम को चकनाचूर करना होगा कि सरमायदार या कोई सरमायदारी पार्टी गरीबी की समस्या को हल कर पायेगी या कम कर पायेगी।

कम्युनिस्ट आन्दोलन के अंदर सरमायदारों के साथ समझौता करने वाले यह भ्रम फैलाते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था को क्रमशः मेहनतकशों के पक्ष में सुधारा जा सकता है, कि इसके लिये इंकलाब की कोई जरूरत नहीं है। मानवीय चेहरे के साथ सुधारों के सरमायदारी रवैये का समर्थन करके, सरमायदारों के साथ समझौता करने वाले, मजदूरों और किसानों को आर्थिक और राजनीतिक मोर्चों पर एक फौरी कार्यक्रम लेकर आगे आने और उसे लागू करने के लिये लड़ने से रोक रहे हैं। गरीबों के हित में लड़ने का नाम लेकर वे गरीबी के खिलाफ़ जंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

संप्रग सरकार का साझा न्यूनतम कार्यक्रम मजदूर वर्ग का कार्यक्रम नहीं है। यह सरमायदारों का कार्यक्रम है। इसमें कोई ऐसा कदम नहीं है जो शोषण और लूट को रोक सकता है। यह पूंजीवादी–साम्राज्यवादी लूट को मान कर चलता है, क्योंकि उनका कहना है कि उसका कोई विकल्प नहीं है। उनके अनुसार, पूंजीवाद की गाड़ी हमेशा चलती रहेगी, एक तरफ धन–दौलत पैदा करती रहेगी और दूसरी तरफ बढ़ती गुरबत भी। सरकार की तिजौरियों में जो राजस्व आता रहेगा, वह कर्जे चुकाने और हथियार खरीदने जैसे अनुत्पादक कार्यों पर खर्च होता रहेगा, फिर केंद्रीय और राज्य सरकारें सामाजिक सेवाओं और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर थोड़ा सा भी पैसा डालने के लिये और भी कर्जे लेने को मजबूर होंगी।

काम करने के अधिकार की मांग के जवाब में कांग्रेस पार्टी नीत संप्रग सरकार ने प्रस्तावित रोजगार गारंटी विधेयक पेश किया है। यह प्रस्तावित विधेयक दावा करता है कि रोजगार की गारंटी देना उसका मकसद है, परन्तु यह विधेयक असलियत में सबको नौकरी दिलाने की कोई गारंटी नहीं देता है। यह सिर्फ कुछ गरीबी ग्रस्त जिलों में हर देहाती परिवार के किसी एक सदस्य को

कुछ न्यूनतम रोज़गार दिलाने का वादा करता है। कितने लोगों का इससे फायदा होगा और कितना, यह क्रमशः पर, निर्धारित सीमित बजट के अनुसार, घटाया जा रहा है।

काम करने और रोजगार कमाने का अधिकार हरेक व्यक्ति को मिलना चाहिये, इस असूल के लिये लड़ना कम्युनिस्टों का फर्ज़ बनता है। हरेक व्यक्ति को यह अधिकार दिलाना राज्य का फर्ज़ है। सरमायदारों की यह अवधारणा है कि काम और रोज़गार विशेष अधिकार हैं जो किसी को दिये जा सकते हैं तो किसी और को नहीं। इस अवधारणा का हमें विरोध करना होगा। हमें इस सोच का भी विरोध करना होगा कि हुक्मरान पार्टी या गठबंधन की मर्जी के अनुसार, अधिकारों को दिया या वापस लिया जा सकता है। आखिर में देखा जाये तो, पूंजीवाद का तख्तापलट और समाजवाद का निर्माण ही वह जरूरी शर्त है, जो समाज के सभी सदस्यों के लिये काम करने के अधिकार को सुनिश्चित कर सकता है। इसलिये, कम्युनिस्टों को काम करने के अधिकार की हिफ़ाज़त में फौरी संघर्ष करना होगा, जो कि पूंजीवाद के खिलाफ़ और समाजवाद की स्थापना के लिये संघर्ष का हिस्सा है।

गरीबी को मिटाने और समाज के सभी सदस्यों को मानवीय हालतें दिलाने के लिये अर्थव्यवस्था को नई दिशा पर ले जाना, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो अपने स्वभाव से ही, उत्पादक काम की प्रचूर मांग पैदा करेगा – समाज के सभी परिवारों को भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, बच्चों की देखभाल आदि सेवायें दिलाने के लिये। यह एक ऐसा आर्थिक कार्यक्रम है जो काम करने के अधिकार को हासिल करने की मांग के अनुकूल है। गरीबी को दूर करने का लक्ष्य पूरी आबादी की उत्पादक क्षमता को लामबंद किये बिना हासिल नहीं हो सकता। इसमें यह भी निश्चित करना पड़ेगा कि सबको योगदान देने का मौका मिलेगा और समाज द्वारा सब की देखभाल की जायेगी।

हिन्दोस्तान की सरकार का 100 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा विदेशी कर्जा है और दूसरी ओर, लगभग उतने ही विदेशी मुद्रा के भंडार हैं। इस स्थिति में सरमायदारों के कुछ अर्थशास्त्री यह प्रस्ताव पेश कर रहे हैं कि कुछ कर्जा चुकाने के लिये इस विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल किया जाये। हिन्दोस्तान की

सरकार ने कुछ हद तक ऐसा किया भी है। मगर हिन्दोस्तान के मजदूर–मेहनतकशों की यह मांग है कि केंद्रीय सरकार विदेशी मुद्रा की अपनी तगड़ी स्थिति का फायदा उठाकर सभी विदेशी कर्जदाताओं के कर्जे चुकाने को कुछ समय तक स्थगित कर दे तथा विदेश से और कर्जे लेने पर भी कुछ समय के लिये रोक लगा दे। ऐसा कदम लेने से ही विदेशी कर्जे को चुकाने का बोझ हट जायेगा और विदेशी वित्त संस्थानों पर हिन्दोस्तान की निर्भरता घट जायेगी। फिर विश्व बैंक या किसी और विदेशी साहुकार से एक और डॉलर भी उधार लेने की कोई जरूरत नहीं होगी।

इतना विशाल विदेशी भंडार होने के बावजूद, हिन्दोस्तानी सरकार बार–बार इसलिये कर्जे लेती रहती है क्योंकि यह हिन्दोस्तानी और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी के हित में है। संसद में बैठे कम्युनिस्ट विदेशी साहुकार संस्थानों के कर्जे चुकाने पर रोक लगाने या उनसे और कर्जे लेने पर रोक लगाने की जैसी मांगें नहीं उठाते हैं। पश्चिम बंगाल में माकपा नीत वाम मोर्चा सरकार ने स्वास्थ्य केन्द्रों में पूंजीनिवेश करने के लिये एशियन डेवेलपमेंट बैंक और विश्व बैंक से उधार लेने के लिये समझौते किये हैं। वित्त पूंजी और विदेशी पूंजी के सवाल पर माकपा का रवैया बेअसूल है, सत्ता में बैठी दूसरी सरमायदारी पार्टियों की ही तरह है। माकपा के अनुसार, विश्व बैंक से कर्जे तो लेना ही पड़ेगा, विदेशी पूंजी पर निर्भर तो होना ही पड़ेगा। इसलिये वे विदेशी कर्जे चुकाने पर रोक जैसी मांगें उठाकर इस रास्ते को चुनौती देने से इंकार करते हैं और विदेशी कर्जे पर बढ़ती निर्भरता के रास्ते के खिलाफ़ संघर्ष को जोखिम में डालते हैं।

योजना आयोग की सलाहकार समितियों में अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों के 'विशेषज्ञों' के शामिल किये जाने पर माकपा ने खूब शोर मचाया था। इन 'समझदार और भले' कम्युनिस्टों को शान्त करने के लिये प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह मान गये कि यह प्रत्यक्ष तरीका नहीं अपनाया जायेगा। पहले की तरह, बंद दरवाजों, के पीछे विश्व बैंक के 'विशेषज्ञ' सलाह देते रहेंगे और निरीक्षण करते रहेंगे। जहां तक वित्त मंत्रालय में बैठे हिन्दोस्तानियों के विदेशी वित्त संस्थानों के साथ नजदीक संबंधों का मामला है, उस पर माकपा शोक मनाने के अलावा कुछ और नहीं करती।

असलियत तो यह है कि अगस्त 1947 में साम्राज्यवाद के साथ नाता नहीं तोड़ा गया था। बस्तीवादी राज्य साम्राज्यवादी व्यवस्था का हिस्सा था और बस्तीवाद उपरांत राज्य की भी यही विशेषता कायम रही है। 'समाजवादी नमूने के समाज' की पूरी अवधि के दौरान, हिन्दोस्तानी राज्य ने विभिन्न साम्राज्यवादी ताकतों और उनके संस्थानों से खूब मदद व कर्जे लिये। इस मदद के धन को कैसे इस्तेमाल किया जायेगा, अर्थव्यवस्था को कैसे चलाया जायेगा, इन सब को तय करने में साम्राज्यवादियों की काफी भूमिका होती थी। 1990 के दशक में यह प्रक्रिया और मजबूत हुयी है। आजकल हिन्दोस्तान के बड़े सरमायदार और उनके राजनीतिक प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी के प्रतिनिधियों के साथ बड़े आराम से बैठकर, हिन्दोस्तान की अर्थव्यवस्था की दिशा पर चर्चा करते हैं। बाहरी रूप अंदर के मूलतत्व के अनुसार ही होता है। हिन्दोस्तानी सरमायदारों और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पूंजीपतियों के बीच संबंध के साम्राज्यवादी मूलतत्व के खिलाफ़ माकपा असूलन संघर्ष नहीं लड़ती है। सच तो यह है कि 2020 तक हिन्दोस्तान को एक 'विकसित राष्ट्र' बनाने के साम्राज्यवादी नज़रिये को बढ़ावा देने में माकपा भी समर्थन देती है। इन परिस्थितियों में, विदेशी सलाहकारों का विरोध 'साम्राज्यवाद – विरोधी' होने का बस एक नाटक है, जिसके पर्दे के पीछे माकपा हिन्दोस्तानी और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी के वर्चस्व के साथ अपने समझौते को छिपाना चाहती है।

लोग अब ज्यादा से ज्यादा हद तक समझने लगे हैं कि इस बहुपार्टीवादी प्रतिनिधियों वाले लोकतंत्र में जनता की मर्जी नहीं चलती; कि संसदीय लोकतंत्र के दायरे के अंदर रहकर, इस बारी–बारी से कांग्रेस पार्टी और भाजपा शासन की संधि से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इससे यह तो जाहिर है कि वर्तमान व्यवस्था को पूरी तरह बदल डालना होगा, कि लोकतंत्र की प्रक्रिया का नवीकरण करना होगा, परन्तु समस्या यह है कि कम्युनिस्ट आन्दोलन के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो, अपनी सोच में भी, इस परिवर्तन को होने से रोक रहे हैं! ये लोग वेस्टमिनिस्टर शैली के संसदीय लोकतंत्र से चिपके हुये हैं और कांग्रेस पार्टी नीत गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं।

ऐसे समय पर जब ज्यादा से ज्यादा लोग अपराधपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया से नफ़रत करने लगे हैं, माकपा सरमायदारी लोकतंत्र और वर्तमान राजनीतिक

प्रक्रिया का सबसे वफादार रक्षक बनी हुयी है। कामरेड सोमनाथ चैटर्जी को लोक सभा का अध्यक्ष बनाने के कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव को माकपा ने स्वीकार कर लिया है। इसकी वजह से आज हमें यह अजीब नज़ारा देखने को मिल रहा है, कि एक कम्युनिस्ट सरमायदारी लोकतंत्र के विवेक का रक्षक बना बैठा है।

'राष्ट्रीय एकता और अखंडता' की हिफ़ाज़त करने के सरमायदारों के नारे की हिमायत करके माकपा हिन्दोस्तान में राष्ट्रीय दमन का समर्थन करती है। संघर्ष कर रहे लोगों को आतंकवादी, उग्रवादी, अलगाववादी, आदि करार देकर, माकपा उन लोगों के खिलाफ़ राजकीय आतंकवाद का समर्थन करती है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्री लंका और पाकिस्तान के प्रति हिन्दोस्तान के बड़े सरमायदारों की रौब जमाने वाली नीति को, हिन्दोस्तान के लोगों के साम्राज्यवादी और बस्तीवादी दमन को तथा हिन्दोस्तान के बड़े सरमायदारों के साम्राज्यवादी नज़रिये को माकपा अपना समर्थन देती है। अंतर–पूंजीवादी और अंतर–साम्राज्यवादी स्पर्धा में माकपा 'अपने' सरमायदारों के पक्ष में पूरे जोर–शोर से हिस्सा लेती है। पूंजीवादी व्यवस्था, संसदीय लोकतंत्र और हिन्दोस्तानी राज्य के बस्तीवादी व साम्राज्यवादी स्वभाव का पर्दाफाश करने से माकपा इंकार करती है। यानि, माकपा वर्तमान व्यवस्था व राज्य सत्ता के साथ पूरी तरह घुलमिल गई है।

बीसवीं सदी में सर्वहारा लोकतंत्र के उत्थान और पतन से सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी अपने आपको राज्य सत्ता में लाने या रखने का प्रयास नहीं कर सकती। सर्वहारा पार्टी की परिभाषा ही यह है कि वह अपने वर्ग के लिये सत्ता चाहती है, अपने लिये नहीं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये सभी शोषितों का संयुक्त राजनीतिक मोर्चा बनाना होगा और सरमायदारों का तख्तापलट करने तथा सर्वहारा लोकतंत्र स्थापित करने के संघर्ष में जनता को अगुवाई देने की जागरुकता से मजदूर वर्ग को लैस करना होगा।

माकपा को इस बात पर बहुत गर्व है कि पिछले 25 सालों से ज्यादा समय तक पश्चिम बंगाल में वह राज्य सत्ता में रही है। हमारे सिद्धान्त के ग्रंथों में यह

बताया गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर वर्ग की अगुवा पार्टी है, जिसमें मजदूर वर्ग के अगुवा तबके पाये जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी खुद मजदूर वर्ग का स्थान नहीं ले सकती। सरमायदार पार्टियां खुद अपने आपको सत्ता में लाने के लिये आपस में लड़ती हैं। ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी जो खुद सत्ता में आने के लिये लड़ती है, वह एक सरमायदारी पार्टी बन जाती है।

लेनिन और स्टालिन की अगुवाई में बोल्शेविक पार्टी ने मजदूरों और किसानों के सोवियतों के हाथों में राज्य सत्ता लाने के लिये संघर्ष किया था। उसने बोल्शेविक पार्टी के हाथों में सत्ता के लिये संघर्ष नहीं किया था। हमारी पार्टी ने अपने दूसरे महाअधिवेशन में, स्टालिन के देहांत के बाद सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) के पतन के कारणों का विश्लेषण किया था। पतन की एक मुख्य वजह यह थी कि पार्टी खुद सोवियत संघ के मजदूर वर्ग और सहकारी किसानों की जगह लेने लग गयी थी। इसके बजाय कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) सर्वहारा राज्य की अगुवा ताकत होने से आगे बढ़कर जनता को अपनी हुकूमत चलाने में अगुवाई दे, वह पार्टी खुद राज्य सत्ता में घुलमिल गई। उसने सर्वहारा की डिक्टेटरशिप को नये शोषकों की पार्टी की डिटक्टेटरशिप में तब्दील कर दिया।

एक और खतरनाक धारा भी मौजूद है, जो समाजवाद के संसदीय रास्ते का विरोध करने के नाम से, "बंदूक की नली द्वारा राज्य सत्ता पर कब्जा" के सिद्धांत को बढ़ावा देती है। मगर राज्य सत्ता पर कौन कब्ज़ा करेगा? इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है। क्या मजदूर व किसान राज्य सत्ता पर कब्ज़ा करेंगे, या कोई ऐसी पार्टी जो मजदूर व किसान का प्रतिनिधि होने का दावा करती है?

कई पार्टियां यह दावा करती हैं कि वे सशस्त्र संघर्ष आयोजित कर रही हैं। पर सवाल यह पैदा होता है कि: *सशस्त्र संघर्ष कौन कर रहा है और किस लिये?* क्या हिन्दोस्तान के मजदूर व किसान अपनी राज्य सत्ता स्थापित करने की जरूरत के बारे में जागरुक हो गये हैं और इसलिये अपने आप को हथियारों से लैस कर रहे हैं? या क्या कोई पार्टी खुद अपने आपको हथियारों से लैस कर रही है, अपने आपको एक सैनिक दल में तब्दील कर रही है और छिट–पुट हिंसा की वारदातें कर रही है? क्या पार्टी मजदूर वर्ग व किसानों को

अपनी राज्य सत्ता स्थापित करने के लिये शिक्षित और संगठित कर रही है? या क्या पार्टी मजदूर वर्ग व किसानों का स्थान लेकर खुद अपनी सत्ता के लिये लड़ रही है?

जो पार्टी खुद अपने हाथ में राज्य सत्ता लेने के लिये लड़ती है, चाहे संसद के जरिये या बंदूक की नली के जरिये, वह पार्टी वस्तुगत रूप से, मजदूर वर्ग और किसानों को अपनी राज्य सत्ता स्थापित करने से रोकती है। भूमिगत पार्टियों के हथियारबंद गिरोह अपने नियंत्रण के इलाकों में राजा या अधिपति जैसे बर्ताव करते हैं और जनता से पैसा वसूलते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हिन्दोस्तानी राज्य की पुलिस और सेना करती है। जनता बेबस देखती रह जाती है; जनता के पास अपना भविष्य निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं होता, जनता की आवाज़ नहीं सुनी जाती। असलियत में, यह उस हालत से अलग नहीं है, जहां वर्तमान व्यवस्था में जनता को "वोट डालने वाली भेड़–बकरी" जैसे इकट्ठा किया जाता है पर फिर किनारे में ही रखा जाता है।

अगर हिन्दोस्तान के मजदूरों, किसानों और आम जनता को इस देश के हुक्मरान बनना है तो लोक सत्ता के उपकरणों को बनाने व मजबूत करने के काम को हल करने के लिये फौरन कदम उठाने होंगे। मजदूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों के लड़ाकू संगठनों तथा ट्रेड यूनियनों को मजबूत करना होगा। चुनाव क्षेत्रों में जन समितियां बनाने की बड़ी जरूरत है, जो मतदाताओं को अपने राजनीतिक अधिकार जताने के काबिल बनायेंगी। हिन्दोस्तान के नवनिर्माण के आजाद कार्यक्रम के इर्द–गिर्द मजदूरों, किसानों, श्रमशील पेशेवरों, महिलाओं और नौजवानों का संयुक्त राजनीतिक मोर्चा बनाने की जरूरत है।

सब बातों को मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि वर्तमान स्थिति में कई बड़े खतरे हैं, पर साथ ही साथ, आगे बढ़ने और इंकलाब के लिये रास्ता खोलने की नई संभावनायें भी हैं। मजदूर–किसान की हुकूमत स्थापित करके अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिलाने का कार्यक्रम जन आन्दोलन में जड़ पकड़ने लगा है। निजीकरण और उदारीकरण कार्यक्रम को रोकने व पलटने की मांग, विश्व बैंक व दूसरे साहुकार संस्थानों के कर्जे–चुकाने पर खर्च रोकने की मांग, हथियारों पर खर्च घटाने की मांग, इन सारी मांगों का समर्थन बढ़ता जा रहा है।

साम्प्रदायिक कत्लेआम के गुनहगारों को सज़ा दिलाने की मांग, सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) कानून और सभी फाशीवादी कानूनों को फौरन हटाने की मांग, राजकीय आतंकवाद के तंत्रों को गिराकर, स्वेच्छा के आधार पर हिन्दोस्तानी संघ को पुनर्गठित करने की मांग, इन मांगों का समर्थन भी बढ़ रहा है।

इस स्थिति में, सरमायदारों के खिलाफ़ उनके समाज–विरोधी हमलों और साम्राज्यवादी मंसूबों के खिलाफ़, मजदूरों, किसानों और सभी शोषितों के संयुक्त राजनीतिक मोर्चे को बनाने व मजबूत करने के काम को अगुवाई देने के लिये मजदूर वर्ग को संगठित करना हिन्दोस्तान के कम्युनिस्टों के सामने चुनौती है। कम्युनिस्टों को सरमायदारों के कार्यक्रम और 'मानवीय चेहरे' के साथ सुधारों को लागू करने की चाल की कठोर आलोचना करनी चाहिये। हिन्दोस्तानी समाज को इस संकट से उबारने का एकमात्र रास्ता, मजदूरों व किसानों का राज स्थापित करना और स्वेच्छा के आधार पर हिन्दोस्तानी संघ को स्थापित करना, इस कार्यक्रम का हम कम्युनिस्टों को और ज्यादा प्रचार व विस्तार करना होगा। हिन्दोस्तान के नव निर्माण के कार्यक्रम को लागू करने पर बचनबद्ध, मजदूरों और किसानों की सरकार को जल्द से जल्द सत्ता में लाने के लिये, कम्युनिस्टों को सब जरूरी पहल लेनी होगी।

काम की योजना

हिन्दोन्तानी समाज अलग–अलग वर्गों में बंटा हुआ है। यहाँ पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति है और यह पूंजीवाद विश्व साम्राज्यवादी व्यवस्था का अभिन्न अंग है। ऐसे समाज में सिर्फ दो ही मूल प्रकार के कार्यक्रम हो सकते हैं। एक, सरमायदारों का कार्यक्रम है, यानि वर्तमान राज्य की व्यवस्था और राजनीतिक प्रक्रिया की हिफाजत करके तथा उसे और भी मजबूत बना कर, इजारेदार पूंजीवाद व साम्राज्यवाद को बरकरार रखना तथा उनका दायरा और विस्तृत करना। दूसरा कार्यक्रम है मजदूर वर्ग का कार्यक्रम, मजदूरों और किसानों की हुकूमत और स्वेच्छा पर आधारित हिन्दोस्तानी संघ की स्थापना करके, साम्राज्यवादी लूट के दरवाज़े बन्द करना और पूंजीवाद से समाजवाद में इंकलाबी परिवर्तन के दरवाजे खोलना। इस निष्कर्ष और लक्ष्य के अनुसार और समकालीन हालातों का पूरी तरह अध्ययन करके, हमारी पार्टी ने 1998 में अपने दूसरे महाअधिवेशन में अर्थव्यवस्था को नयी दिशा दिलाने; लोगों को राज्य सत्ता में लाने और हिन्दोस्तान का नवनिर्माण, यानि कि लोकतांत्रिक नवीकरण करने का कार्यक्रम अपनाया था।

पार्टी का यह कार्यक्रम सरमायदारों के समाज–विरोधी हमले के खिलाफ़ संघर्ष में मजदूरों, किसानों और सभी शोषितों को लैस करने वाला एक हथियार है। उनको सरमायदारों पर धावा बोलने के लिये तैयार करने का भी यह एक साधन है। यह कार्यक्रम आम जनता को यह मांग रखने के लिये जागृत करता है कि रोजी–रोटी हमारा अधिकार है और सभी की खुशहाली सुनिश्चित करना राज्य का फर्ज़ बनता है। यह कार्यक्रम आम जनता को यह मांग रखने के लिये जागृत करता है कि हमें जमीर का अधिकार होना चाहिये और सबको सुरक्षा दिलाना राज्य का फर्ज़ बनता है। यह कार्यक्रम आम जनता को सरमायदारों के खिलाफ़ वर्ग संघर्ष तेज करने के लिये लैस करता है। इस जवाबी हमले का लक्ष्य देश में मजदूरों और किसानों की हुकूमत कायम करना है। मजदूरों और किसानों की हुकूमत का लक्ष्य है बस्तीवाद की पूरी विरासत को खत्म

करना और हिन्दोस्तान में रहने वाले सभी लोगों के संघ के लिये आधुनिक राजनीतिक नींव डालना, ताकि वे अपनी जिन्दगी और अपने भविष्य का नियंत्रण खुद अपने हाथों में ले सकें। इंकलाबी संघर्ष के ऐसे कार्यक्रम से लैस होकर हमारी पार्टी ने "नयी सदी की है यह मांग, हिन्दोस्तान का नवनिर्माण!", के आह्वान के साथ नयी सहस्त्राब्दी का स्वागत किया।

दूसरे महाअधिवेशन के निर्णयों में, मजदूर वर्ग को सरमायदारों के हमले के खिलाफ़ संघर्ष की अगुवाई करने के काबिल बनाने के लिये संगठित करने का कार्य तय किया गया। इस महाअधिवेशन ने मजदूरों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों और पीड़ित राष्ट्रीयताओं के लोगों, आदि को हिन्दोस्तान के नवनिर्माण के कार्यक्रम को उनके अपने कार्यक्रम बतौर उठाने के काबिल बनाने का कार्य तय किया। इसमें उनको अपने सामूहिक अनुभव के आधार पर इस कार्यक्रम को और भी विकसित करने के काबिल बनाने का कार्य तय किया गया। मजदूरों व किसानों के एक लड़ाकू कार्यक्रम के इर्द–गिर्द इंकलाबी संयुक्त मोर्चा बनाने का कार्य तय किया गया। समाजवाद और पूंजीवाद के बीच, तथाकथित बीच के रास्ते के बारे में फैलाये गये तरह–तरह के भ्रमों के खिलाफ़ कठोर विचारधारात्मक संघर्ष करने का कार्य तय किया गया। सोशल–डेमोक्रेसी के साथ समझौता करने वालों के खिलाफ़ डट कर संघर्ष करके, कम्युनिस्ट एकता को फिर से स्थापित करने का कार्य तय किया गया। और इन सभी कार्यों में सफलता हासिल करने की जरूरी शर्त बतौर, पार्टी को बनाने व मजबूत करने, यानि कि मजदूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों के बीच बुनियादी संगठन बनाने और मजबूत करने का कार्य तय किया गया।

इन कार्यों को लागू करने के हमारी पार्टी के पिछले छः सालों के अनुभव से यह साबित हुआ है कि इस दौर के लिये जो कार्यक्रम हमने अपनाया है, वह बिल्कुल सही है। अपने इस अनुभव की समीक्षा करके यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस कार्यक्रम को किन दिशाओं में और विकसित करना जरूरी है। वर्ग संघर्ष के आगे बढ़ने से, कई नई मांगें उठ रही हैं, जब कि मजदूर–किसान की हुकूमत और स्वेच्छा पर आधारित हिन्दोस्तानी संघ की स्थापना करना, आज भी हमारा राजनीतिक लक्ष्य है। कम्युनिस्टों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मजदूर वर्ग के इस कार्यक्रम की हिफ़ाज़त करते हुए, इसे और आगे ले जाया जाये। सरमायदार, लोगों को इस रास्ते से भटकाने के लिये जो भी साज़िश रच रहे हैं,

जैसे कि कांग्रेस पार्टी–नीत संप्रग सरकार का तथाकथित सांझा न्यूनतम कार्यक्रम, उन सबका डटकर सामना करते हुये हमें आगे बढ़ना होगा।

मजदूरों और किसानों के कार्यक्रम के इर्द–गिर्द एक राजनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाने के संघर्ष को अगुवाई देने में मजदूर वर्ग को काबिल बनाने के लिये, पार्टी को अपना संगठनात्मक काम और बढ़ाना होगा। निजीकरण और उदारीकरण के मजदूर–विरोधी, जन–विरोधी, राष्ट्र–विरोधी कार्यक्रम को रोकने और समाज को संकट से उबारने के लिये हिन्दोस्तान का नवनिर्माण करने की जरूरत, यह इस राजनीतिक एकता का तत्कालीन आधार है। मजदूरों और किसानों को राज्य सत्ता हासिल करने के लिये एकजुट संघर्ष करना होगा, ताकि पूंजीवाद का तख्तापलट किया जा सके, क्योंकि यही लोकतांत्रिक, बस्तीवाद–विरोधी, सामंतवाद–विरोधी और साम्राज्यवाद–विरोधी संघर्ष की फतह के लिये जरूरी शर्त है। हमारी पार्टी को समाजवाद की झलक को विस्तार से पेश करते रहना होगा; साथ ही साथ, मजदूर वर्ग व किसानों के अगुवा दस्ते को सर्वहारा इंकलाबी कार्यक्रम की फतह के लिये मिलकर काम करने के लिये संगठित करना होगा और उसके इर्द–गिर्द आम जनता को भी प्रेरित और लामबंद करना होगा।

सरमायदारों और उनके दलालों, जो समाज–विरोधी हमलों के खिलाफ़ जन आंदोलन को, या तो दमन से या फिर आंदोलन को संसदीय प्रक्रिया के अन्दर शामिल करके, दबाने और बहकाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ़ पार्टी को अपना विचारधारात्मक और विवादात्मक संघर्ष तेज़ करना होगा। संप्रग सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम से किस वर्ग को असली फायदा होगा, इस सवाल पर पार्टी को अपना विवादात्मक संघर्ष तेज करना होगा।

कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर, पार्टी को इस असूल के लिये लड़ना होगा कि अपने–आप को मार्क्सवादी कहलाने वाले लोग मजदूर वर्ग के सामने कभी ऐसा प्रचार नहीं कर सकते, न ही उन्हें करना चाहिये, कि सिर्फ एक 'मानवीय चेहरे' का मुखौटा जोड़ने से, सरमायदारों की हुकूमत और कार्यक्रम के अंदर ही मजदूरों के हितों की भी देखभाल की जा सकती है। ऐसा प्रचार करने का मतलब होगा मजदूर वर्ग को यह कहना कि वह किसानों के साथ मिलकर अपना संयुक्त मोर्चा बनाने और राज्य सत्ता स्थापित करने तथा समाजवाद का द्वार खोलने का अपना

कार्यक्रम लागू करने की सोच को ही छोड़ दें। इसका मतलब होगा मजदूर वर्ग को हमेशा के लिये सरमायदारी राज्य सत्ता के संस्थानों के रहम का गुलाम बनाये रखना। कम्युनिस्ट आंदोलन के अन्दर सरमायदारी के साथ समझौता करने की इस प्रवृत्ति का मुकाबला करके इसे हराने के लिये, पार्टी को मजदूर वर्ग और मेहनतकशों को लामबंद करना होगा।

राष्ट्रीय संप्रभुता के असूल के लिये पार्टी को आंदोलन चलाना होगा और किसी भी बहाने से किये गये राष्ट्रीय संप्रभुता के हनन का विरोध करना होगा। कोई ऐसी पार्टी जो समाजवाद और कम्युनिज़्म की कसम खाती है पर 'राष्ट्रीय एकता और अखंडता की हिफाज़त' के बहाने, देश में रहने वाले राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं और जनजातियों पर फौजी शासन और राजकीय आतंकवाद को सही ठहराती है, वह तो सभी कम्युनिस्ट असूलों से बिल्कुल हट चुकी है। यह सामाजिक साम्राज्यवाद के सिवाय कुछ और नहीं है, यानि कथनी में समाजवाद और करनी में साम्राज्यवाद। कम्युनिस्ट आन्दोलन के अंदर इस मुद्दे पर सजीव बहस और आंदोलन चलाने के लिये हमारी पार्टी को उचित कदम उठाने होंगे, ताकि कम्युनिस्ट आंदोलन में कोई भी अपने कार्यों का हिसाब देने से बच न सके।

सरमायदारों की साम्राज्यवादी झलक को चुनौती देने में, और एक आधुनिक, सभ्य हिन्दोस्तान की मजदूर वर्ग की अपनी झलक पेश करने में, पार्टी को मजदूर वर्ग को अगुवाई देनी होगी। राजनीतिक तौर पर, मजदूर वर्ग की झलक यह है कि हमारे देश की हर राष्ट्रीयता के मजदूर और किसान, और देश के हर एक इलाके के लोग खुद अपने फैसले करें; और स्वेच्छा के आधार पर इकट्ठे होकर, पूरे देश के स्तर पर, आपसी हित की व्यवस्थाओं की रचना करें। वे अपने सांझे दुश्मनों का मुकाबला करने और अपनी सांझी समस्याओं को हल करने के लिये इन व्यवस्थाओं की रचना करेंगे। स्वेच्छा के आधार पर बने संघ का यह मतलब है कि इस संघ के सभी लोग खुद अपनी तकदीर के मालिक होंगे और मिलकर इस संघ के जरिये, साम्राज्यवादी लुटेरों का मुकाबला करेंगे। ऐसी राज्य सत्ता इस इलाके में, एशिया तथा सारी दुनिया में, जंग के खिलाफ़ एक मजबूत किलेबंदी होगी।

मजदूर वर्ग की झलक है *हिन्दोस्तान के मजदूरों और किसानों के गणराज्यों के संघ* की रचना करना। यह एक आधुनिक सर्वहारा लोकतांत्रिक राज्य होगा,

जो एक नये बुनियादी कानून और संविधान पर आधारित होगा। इसमें समाज के हर सदस्य को एक इंसान माना जायेगा और जमीर के अधिकार तथा रोजगार के अधिकार, इंसान और महिला बतौर महिलाओं के अधिकार समेत सभी मानव अधिकारों की संविधानीय गारंटी दी जायेगी तथा इनको हकीकत में बदलने के तंत्र होंगे। इस राज्य में चुनने व चुने जाने, कानून प्रस्तावित करने और चुने गये प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार समेत सर्वव्यापी लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी दी जायेगी। यह एक ऐसा राज्य होगा जिसमें हिन्दोस्तान में रहने वाले सभी लोगों के राष्ट्रीय अधिकारों की संविधानीय गारंटी दी जायेगी। और अगर इस संघ की व्यवस्था किसी इलाके के लोगों की प्रगति की जरूरतों के अनुकूल नहीं होगी तो उन्हें इससे अलग होने का अधिकार भी दिया जायेगा।

ऐसे *हिन्दोस्तान के मजदूरों और किसानों के गणराज्यों का संघ* गरीबी के खिलाफ़ जंग लड़ने और जीतने का एक हथियार होगा। यह जंग सामंती दमन व साम्राज्यवादी लूट को खत्म करके, तथा सामाजिक उत्पादन के क्षेत्र में निजी पूंजीवादी उद्यम की भूमिका को लगातार कम करके और अंत में पूरी तरह खत्म करके जीती जायेगी। उस संघ का इस्तेमाल करके, आत्म–निर्भरता के असूल के आधार पर, हिन्दोस्तानी जनता खुद अपनी नीति और समाज की दिशा तय करेगी। यह संघ आई.एम.एफ., विश्व बैंक व डबल्यू.टी.ओ. जैसे वित्त संस्थानों और साम्राज्यवादी तंत्रों को हमारे देश की नीतियां बनाने या नीतियों पर अपना असर डालने की कोई इजाज़त नहीं देगा। यह ऐसे सभी कदम उठायेगा, जो मेहनतकश जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है। जो भी निजी गुट इस लक्ष्य के रास्ते में बाधा डालेगा, उसका सब कुछ जब्त कर लिया जायेगा और उसे कोई मुआवज़ा भी नहीं दिया जायेगा।

इस उत्साह के साथ हमें मजदूरों, किसानों, मेहनतकश बुद्धिजीवियों, महिलाओं व नौजवानों के बीच पार्टी के बुनियादी संगठनों को, अधिक से अधिक संख्या में, बनाना होगा। जनता के बीच जाकर जनसंगठन और संघर्ष समितियां बनाने व मजबूत करने के जरिये, हर बुनियादी संगठन को इंकलाबी वर्ग संघर्ष तेज करने का काम उठाना होगा। पार्टी के प्रचार माध्यम (पार्टी प्रेस) और उससे संबंधित काम के जरिये इंकलाबी वर्ग संघर्ष की लाइन के असर को विस्तृत करना, यह हमारे सामने चुनौती है।

मजदूर वर्ग को तमाम जनसमुदाय के चल रहे संघर्ष की अगुवाई देने में सक्षम बनाने के लिये, मजदूरों और दूसरे संघर्षरत तबकों के बीच कम्युनिस्ट बुनियादी संगठन बनाना जरूरी शर्त है। पार्टी प्रेस राजनीतिक संगठनात्मक काम के लिये मार्गदर्शन करेगा। यह मजदूर वर्ग आंदोलन में सरमायदार वर्ग के साथ समझौता करने वालों का असर मिटाने की जरूरी शर्त है। यह उस भ्रम को चकनाचूर करने की शर्त है कि सरमायदारों के कार्यक्रम का कोई विकल्प सरमायदारी लोकतंत्र के अंदर ही, बड़े सरमायदारों के एक गुट के साथ गठबंधन बनाकर, पाया जा सकता है; कि पूंजीवाद और बड़े औद्योगिक घरानों के हितों को चोट पहुंचाये बिना गरीबी को मिटाया जा सकता है। कम्युनिस्ट बुनियादी संगठन जनता को अपने संघर्ष के स्थानीय तंत्रों और सत्ता के संभावित तंत्रों को बनाने के लिये संगठित करें, यह मजदूरों और किसानों की हुकूमत और स्वेच्छा पर आधारित हिन्दोस्तानी संघ बनाने की शर्त है।

आज, जब विश्व साम्राज्यवादी व्यवस्था फाशीवादी हुकूमत और दुनिया को फिर बांटने के लिये तबाहकारी जंग की ओर बढ़ रही है, तो ऐसा संघ स्थापित करना निहायत जरूरी हो गया है। एशिया पर कब्जा करने की दौड़ में, अमरीकी साम्राज्यवाद आतंकवाद से लड़ने की आड़ में, क्रूर बलप्रयोग के जरिये एशिया के कई देशों में उनके राज्यों व राष्ट्रों का विनाश करके, उन पर बर्तानवी–अमरीकी शैली के 'लोकतांत्रिक गणराज्यों' को थोपने का प्रयास कर रहा है। अफगानिस्तान व इराक जैसी 'राष्ट्र निर्माण' परियोजनायें पूंजी के, कहीं भी जाकर अपना वर्चस्व जमाने के, निरंकुश अधिकारों की अवधारणा पर आधारित हैं, जिसमें संप्रभु अधिकारों वाले राष्ट्रों के अस्तित्व को ही नकारा जा रहा है।

दक्षिण एशिया बड़ी नौजवान आबादी वाला इलाका है। यह रणनैतिक स्थान पर स्थित है और इसके पास तमाम कुदरती संसाधन हैं। यह संभावित तौर पर कच्चे माल और मानव संसाधनों का महत्वपूर्ण स्रोत व विशाल बाजार है। पर इसके आलावा, यह एक ऐसा इलाका भी है जहां बहुत सारे राष्ट्रों और राष्ट्रीयताओं के लोग बसे हुये हैं, जिनकी आकांक्षायें पूरी नहीं हुई हैं। बस्तीवादी विरासत और बस्तीवाद के पश्चात लोगों के साम्प्रदायिक बंटवारे के आधार पर बनायी गई व्यवस्थाओं के अंतर्गत पूंजीवादी विकास की वजह से इन लोगों की संप्रभुता छिन गयी है। पंजाब, बंगाल और कश्मीर के बंटवारे से पैदा हुई, अन–सुलझी समस्याओं, मणिपुर व अन्य इलाकों के लोगों का

हिन्दोस्तानी संघ में जबरन संयोजन तथा वहां के लोगों पर राजकीय दमन, इनके अलावा बहुत सारे अंतरराज्यीय झगड़े भी हैं। अपने पारंपरिक भूमि व जल संसाधनों के मुद्दों पर जनजातियों के लोग राज्य के साथ टकरा रहे हैं।

इस इलाके में अमरीकी दखलंदाजी खूब बढ़ गयी है; साथ ही साथ, एक बड़ी ताकत बनने की हिन्दोस्तान के बड़े सरमायदारों की कोशिशें भी खूब बढ़ गयी हैं। हमलावर ताकतों द्वारा अपने हक में एशिया के देशों की सीमाओं को फिर से अंकित करने की कोशिशों की वजह से, दक्षिण एशिया के खतरनाक व तबाहकारी जंग में फंस जाने के खतरे भी खूब बढ़ रहे हैं।

हिन्दोस्तान के बड़े सरमायदार अपने साम्राज्यवादी मंसूबों को हासिल करना चाहते हैं। वे अपना प्रभाव क्षेत्र विस्तृत करने के लिये दूसरी साम्राज्यवादी ताकतों के साथ समझौता भी कर रहे हैं तथा टकरा भी रहे हैं, जैसे कि नेपाल और अफगानिस्तान में। हिन्दोस्तानी हुक्मरान वर्ग के इस खतरनाक साम्राज्यवादी रास्ते के खिलाफ़ मजदूर वर्ग व मेहनतकश लोगों को लामबंद करना निहायत जरूरी हो गया है।

दक्षिण एशिया के देशों के लोगों के बीच एक साम्राज्यवाद–विरोधी, बस्तीवाद–विरोधी, आधुनिक नींव पर भ्रात्रिय एकता बनाने में पार्टी को अपना काम बढ़ाना होगा। दक्षिण एशिया को टुकड़े–टुकड़े करके उस पर अपना प्रभुत्व जमाने की साम्राज्यवादियों की दुष्ट योजनाओं को लाज़मी ही रोकना होगा और रोका भी जा सकता है। हिन्दोस्तान और दक्षिण एशिया इलाके को प्रतिस्पर्धाकारी साम्राज्यवादी हितों का मैदान–ए–जंग और एशिया में जंग व अस्थायीपन का स्त्रोत बन जाने से बचाना होगा। हिन्दोस्तान और दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के लोगों को साम्राज्यवादी जंगफरोश ताकतों, खासकर अमरीकी साम्राज्यवादियों को रोकने में निर्णायक भूमिका निभानी होगी।

हिन्दोस्तानी सरकार और इस इलाके की दूसरी सरकारें जिस तरह साम्राज्यवादी बलों की सांठगांठ में काम कर रही हैं, पार्टी को उसका तीखा पर्दाफाश और आलोचना करनी चाहिये। पार्टी को यह मांग लोकप्रिय बनाना चाहिये कि दक्षिण एशिया का हर राज्य अपना फौजीकरण कार्यक्रम रोके तथा हथियारों पर खर्चा घटाये। कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर जो दल हिन्दोस्तान की बड़े

सरमायदारों के उग्रराष्ट्रवाद और बस्तीवादी व प्रसारवादी नीति से समझौता करते हैं, उनकी आलोचना को भी हमें और तीखा करना होगा।

हिन्दोस्तान के विभिन्न दबे–कुचले लोगों के संघर्षों के आगे बढ़ने से यह साफ हो गया है कि हिन्दोस्तानी संघ हमारे देश के सभी राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं व जन–जाति लोगों के लिये एक कारागार जैसा है, और यह लोगों के अपनी तकदीर पर नियंत्रण करने के, संप्रभु अधिकार को हासिल करने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। हिन्दोस्तान की सरकार के पास इसके लिये दमन के अलावा कोई और समाधान नहीं है। संप्रभुता की मांग अब सिर्फ मणिपुर और हिन्दोस्तानी संघ के कुछ सरहदी इलाकों से ही नहीं, बल्कि देश के तमाम इलाकों से उठायी जा रही है। वह सभी अपनी यह मांगें उठा रहे हैं जो, 'मुक्त बाजार की ताकतों' और बड़ी सरकारी परियोजनाओं के शिकार बनकर बरबादी झेल रहे हैं। केन्द्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे की वर्तमान व्यवस्था पर वे राज्य सरकारें सवाल उठा रही हैं, जिनकी खनिज संपदा लूटी जा रही है और उसके बदले उन्हें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। यह निहायत जरूरी है कि पार्टी विभिन्न लोगों की संप्रभुता की हिफाजत करने में मजदूर वर्ग की अगुवाई करे और स्वेच्छा पर आधारित हिन्दोस्तानी संघ के पक्ष में सभी संघर्षरत ताकतों को लामबंद करे, वरना यह खतरा बढ़ता जायेगा कि साम्राज्यवाद और प्रतिक्रियावादी सरमायदार इस हालत को अपने हित में व लोगों के हित के खिलाफ़ इस्तेमाल करेंगे।

वर्तमान राजनीतिक प्रक्रिया में तब्दीली लाने की मांगें और सरकार चलाने में लोगों की भागीदारी के प्रस्ताव आज, पहले से कहीं ज्यादा, बार–बार उठाये जा रहे हैं। सरमायदारों के विचारक इन मांगों को, सरमायदारों को जो 'सुशासन' मंजूर है, उसके दायरों के अंदर सीमित रखने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिस्ट आंदोलन में सरमायदार वर्ग के साथ समझौता करने वाले, वर्तमान स्थिति के सबसे बड़े संरक्षक हैं, बहुपार्टीवादी प्रतिनिधियों वाले लोकतंत्र की राजनीतिक प्रक्रिया के सबसे बड़े संरक्षक हैं। इन जटिल हालातों में पार्टी को जरूरी सैद्धांतिक काम और अमल में लाने योग्य कदमों की योजना बनानी होगी, ताकि लोकतंत्र और उसकी राजनीतिक प्रक्रिया को नई परिभाषा दिलाने एवं उसका नवीकरण करने के लिये एक जोरदार अभियान चलाया जा सके।

लोगों के अधिकारों को संविधानीय गारंटी दिलाने के अभियान को और विकसित करने तथा उस गारंटी के पालन को सुनिश्चित करने के सक्षम तंत्र बनाने के लिये पार्टी को कदम उठाने होंगे। पार्टी को 'राजकोषीय दायित्व' कानून को फौरन रद्द करने की मांग को लेकर, जनता को संगठित करना होगा, क्योंकि यह कानून साहुकार संस्थाओं के दावों को पूरा करने की गारंटी देता है, जब कि मजदूरों और किसानों के दावों को पूरा करने की राज्य की जिम्मेदारी को मान्यता नहीं देता है। पार्टी को कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर उन सभी का पर्दाफाश करना होगा, जो हिन्दोस्तानी राज्य की इस लाइन से समझौता करते हैं, कि सभी हिन्दोस्तानियों के लिये रोजी–रोटी का अधिकार एक न्यायसिद्ध अधिकार बनाना नामुमकिन है।

रोजगार और सुरक्षित रोजी–रोटी की मेहनतकशों की मांग सत्ता में बैठी हुई पार्टियों द्वारा दिये गये बहानों से टकरा रही है। सत्ता में बैठी पार्टियां यह बहाना देती हैं कि साहुकार संस्थानों और सैनिक बलों के दावों को पूरा करने के बाद सब को रोजगार की गारंटी देने के लिये पैसा नहीं बचता है। अर्थशास्त्रियों तथा संसद समेत सभी राजनीतिक लोगों के बीच एक ऐसा अभियान चलाने के हालात तैयार हैं, जिसमें यह मांग रखी जाये कि हिन्दोस्तान की सरकार कर्जों पर ब्याज का भुगतान–अगली सूचना तक–फौरन रोक दे और उससे प्राप्त धन को मजदूरों व किसानों की रोजी–रोटी सुरक्षित करने पर खर्च किया जाये। अगर सिर्फ एक साल के लिये ब्याज का भुगतान रोका जाये, तो 130,000 करोड़ रुपये तुरंत मिल जायेंगे, जो कि 2004–05 में संप्रग सरकार की 'रोजगार गारंटी योजना' के लिये वित्त मंत्री चिदंबरम द्वारा नियुक्त की गई रकम से 26 गुना ज्यादा है।

ऐसे अभियानों को कामयाबी से चलाने के लिये, यह निहायत जरूरी है कि सभी गैर पार्टी संगठनों और संस्थानों को बनाने के समूचे काम को सुनियोजित, संगठित और पेशेवर तरीके से किया जाये और अपने बीच में से अराजकता व अनाड़ीपन को खत्म किया जाये। यह जरूरी है कि हम ऐसे सुनियोजित कार्य करें, ताकि सरमायदारों के सुधार कार्यक्रम के विकल्प की परिभाषा देने व उसे विकसित करने में, मजदूर, किसान, महिला, जवान और दूसरे शोषित तबके भाग ले सकें। हमें राजनीतिक एकता स्थापित करने के काम में रुकावट बनने वाले उदारतावाद व गुटवाद से डटकर लड़ना चाहिये। 6 जुलाई 2004

को जन संगठनों द्वारा जारी किया गया संघर्ष का संयुक्त ऐलाननामा जैसे सकारात्मक अनुभवों का अनुकरण करने की जरूरत है।

जनता को राज्य सत्ता दिलाने के लिये इंकलाबी संयुक्त मोर्चा बनाने के काम में सभी प्रगतिशील ताकतों को शामिल करने का कार्य पार्टी को तेजी से बढ़ाना होगा। पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस दिशा में विभिन्न जन संगठन अपनी भूमिका निभायें और पहल लें। इसमें उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रदर्शन भी करने होंगे तथा जनसमूह की सदस्यता वाली स्थानीय समितियां भी बनानी होंगी। पिछले छः सालों में, इस काम में काफी अनुभव पाकर, हमें अब अपने सामने यह लक्ष्य रखना होगा कि अगले कुछ ही सालों के अंदर, यह संयुक्त मोर्चा राजनीतिक मंच पर आगे आ सके और गंभीरता से राज्य सत्ता पर दावा जता सके। इसके लिये यह जरूरी है कि स्थानीय समितियां नियमित तौर पर काम करें, सिर्फ चुनावों से पहले ही नहीं बल्कि लगातार और नियमित तौर पर मिलें और जनता को चिंतित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करें। ऐसी समितियां लोगों को, अपना मांगपत्र बनाने और सभी स्तरों के चुनावों के लिये अपने ही बीच में से प्रत्याशियों का चयन करने में सक्षम बना सकती हैं। ये समितियां मजदूरों और किसानों के लोकतंत्र की नई व्यवस्था और प्रक्रिया रूपी इमारत की ईटें होंगी।

अगर अलग–अलग वर्गों और तबकों को एकजुट होकर अपनी खुद की राज्य सत्ता स्थापित करनी है तो यह निहायत जरूरी है कि इस संयुक्त मोर्चे का हरेक घटक सरमायदारी हमलों के खिलाफ़ जोरदार और अडिग संघर्ष करे। यह जरूरी है कि समाज के हर शोषित वर्ग और तबके को अपनी सारी मांगें, अपने आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की मांगें स्पष्ट करने में सक्षम बनाया जाये। इसलिये मजदूरों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों, पीड़ित राष्ट्रीयताओं और जनजातियों के जन संगठनों को बनाने व मजबूत करने पर पार्टी को खास ध्यान देना होगा। इन सभी तबकों में जन संगठनों को बनाने व मजबूत करने के काम, लाजमी ही सरमायदारों के खिलाफ़ व्यापक संयुक्त मोर्चा बनाने के काम के साथ–साथ चलना चाहिए।

निजीकरण और उदारीकरण कार्यक्रम के खिलाफ़ और प्रस्तावित श्रम कानून सुधारों के खिलाफ़ मजदूरों का संघर्ष आगे बढ़ रहा है और पिछले 6 सालों में, इस संघर्ष ने कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न

क्षेत्रों के मजदूरों को संगठित करने में पार्टी ने काफी अनुभव पाया है। हमें अपने सकारात्मक और नकारात्मक अनुभवों से सीखना होगा, ताकि विभिन्न शहरों व इलाकों में, पार्टी सीमाओं को दरकिनार करके, संयुक्त मजदूर वर्ग मंच बनायें और मजबूत किये जा सकें। बीते दिनों के हमारे अनुभवों से हमने एक सबक सीखा है, कि मजदूर वर्ग के बीच बुनियादी संगठनों को बनाये और उन की संख्या बढ़ाये बिना, यह काम जारी नहीं रखा जा सकता है। यह सबसे मुख्य कार्य है जिसे हल करने के लिये उठाना होगा। हर शहर में और पूरे देश के स्तर पर, मजदूर वर्ग का इंकलाबी केन्द्र स्थापित करने की समस्या को हल करने का यही उपाय है। मजदूर वर्ग संघर्ष का एक आज़ाद केन्द्र स्थापित करने के काम के साथ–साथ, हमें जन संगठनों का राष्ट्रीय मंच, जैसे मौजूदे मंचों में भी सक्रिय राजनीतिक भागीदारी लेनी चाहिये।

हमें मजदूरों के बीच यह आंदोलन चलाना होगा कि निजीकरण कार्यक्रम के साथ किसी भी समझौते की इजाजत नहीं देनी चाहिए, जैसा कि आजकल 'चुनिंदा विनिवेश' के नाम से किया जा रहा है। निजीकरण कार्यक्रम को पूरी तरह रोकने और अब तक लिये गये मजदूर–विरोधी, समाज–विरोधी कदमों, जैसे कि माडर्न फूड और बाल्को का निजी कंपनियों को बेचा जाना, इन्हें पलटने की मांग को थोड़ा सा भी नहीं घटाया जा सकता है। हमें मजदूरों के अनुल्लंघनीय अधिकारों की हिफ़ाज़त के लिये और रोजगार की सुरक्षा और हड़ताल करने के अधिकार की मांगों को बिल्कुल भी घटाये बिना, आंदोलन चलाना होगा। जो भी अपना श्रम बेचते हैं जैसे कि ठेके पर काम करने वाले मजदूर, आई.टी. मजदूर, 'असंगठित' क्षेत्रों के मजदूरों और विशेष निर्यात क्षेत्रों के मजदूरों के अधिकारों के लिये भी हमें ऐसा ही करना होगा। डबल्यू.टी.ओ. की शर्तों को मानने के नाम पर राष्ट्रीय संप्रभुता के किये जा रहे हनन के खिलाफ़ हमें आंदोलन चलाना होगा।

कृषि व्यापार और कृषि व्यवसाय के वैश्वीकरण के इरादे से चलाये जा रहे सरमायदारी सुधार कार्यक्रम के खिलाफ़ किसानों का संघर्ष काफी आगे बढ़ा है। दुनिया भर के किसान साम्राज्यवादियों और इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा अपनी जमीन की लूट और गैर–बराबरी व्यापार के जरिये किसानों की लूट के खिलाफ़ उठ खड़े हो रहे हैं, और इससे भी हमारे देश के किसानों को प्रोत्साहन मिला है। किसानों के रोजगार की सुरक्षा दिलाने के लिये जरूरी

फौरी कदमों की मांग करने व उनके लिये संघर्ष करने में किसानों को सक्षम बनाने के साथ–साथ, हमें किसानों को यह जागरुकता दिलानी होगी कि मजदूर वर्ग के साथ एकजुट हो कर नयी राज्य सत्ता के लिये साझा संघर्ष करके ही किसानों के हितों की सुरक्षा की जा सकती है।

सरमायदार और उनके राजनीतिक प्रतिनिधि यह दावा करते हैं कि केन्द्रीय और राज्य सरकारें सभी किसानों को टिकाऊ दामों पर जरूरी सामग्रियों की आपूर्ति की गारंटी तथा मुनासिब दामों पर फसल की खरीद की गारंटी नहीं दिला सकती है। पार्टी को बहादुरी से यह कहना होगा कि जमीन जोतने वालों को रोजगार की गारंटी दिलाना जरूरी भी है और मुमकिन भी। यह तब मुमकिन होगा जब केंद्रीय और राज्य सरकारें शहरी व देहाती जनता की जरूरतें पूरी करने के लिये थोक व्यापार को अपने हाथों में लेकर चलायेंगी और अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में निजी कंपनियों की भूमिका हटा देंगी। यह तब मुमकिन होगा जब बैंकिंग और बीमा को किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिये नई दिशा दी जायेगी, जब बिना नफा और बिना नुकसान, खरीदी कीमत पर, किसानों को सभी सेवायें प्रदान की जायेंगी।

यह जरूरी है कि पार्टी किसानों को समझाये कि पूंजीवादी उन्नति व सरमायदारी सुधार कार्यक्रमों का मतलब है शहरों द्वारा गांवों का बढ़ता शोषण। इसका मतलब है सबसे बड़ी हिन्दोस्तानी व बहुराष्ट्रीय एकाधिकारी कंपनियों द्वारा भूमि व कुदरती संसाधनों की बढ़ती लूट। वित्तीय अल्पतंत्रवादी, कर्जों व वित्तीय पूंजीनिवेश पर ब्याज की गारंटी लेकर तथा कृषि भूमि को अपने हाथों में संकेन्द्रित करके, पूरी अर्थव्यवस्था का खून चूस रहे हैं। ऐसे हालातों में, पार्टी को, एकाधिकारी पूंजी और उसकी बढ़ती हुक्मशाही के खिलाफ़ संघर्ष में किसानों व छोटे उत्पादकों का मार्गदर्शक करना चाहिये। पार्टी को उनका पर्दाफाश करना चाहिये, जो यह तर्क देते हैं कि खेती में सब्सिडी बंद करनी चाहिये क्योंकि यह सिर्फ अमीर किसानों को फायदा देती है। यह तर्क वित्तीय पूंजी के हित में है, न कि गरीब किसान के हित में।

इस जंग में पहला कदम है शहरों और देहातों के बीच व्यापार पर निजी कंपनियों के वर्चस्व और निर्देशन की संभावना को खत्म करना। मजदूरों और किसानों की जरूरतें पूरी करने और सभी की रोजी–रोटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये,

यह निहायत जरूरी कदम है। विदेशी व देशी थोक व्यापार पर सामाजिक नियंत्रण से एक ऐसी आधुनिक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को विकसित करना तथा सर्वव्यापक बनाना मुमकिन होगा, जो यह सुनिश्चित कर पायेगी कि किसी को रोटी, कपड़ा, मकान से वंचित न रहना पड़े। ऐसे पारस्परिक हितकारी व्यापार के लिये, इस असूल को लागू करना निहायत जरूरी है कि इस कार्यक्रम के खिलाफ़ काम करने वाले किसी भी निजी दल को बिना कोई मुआवज़ा दिये, उनकी संपत्ति छीन कर, उसे सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दी जायेगी।

मजदूर वर्ग, किसान व सभी दबे–कुचले लोगों की राजनीतिक एकता असरदायक तरीके से तब तक नहीं बन सकती जब तक महिलायें सक्रियता से राजनीति में नहीं उतरतीं। हमारी पार्टी ने बीते सालों में महिलाओं को, महिला होने के नाते व मानव होने के नाते, अपने अधिकारों के लिये डटकर संघर्ष करने के लिये आयोजित करने में अनमोल अनुभव पाया है। अब समय आ गया है कि महिलाओं को समाज–विरोधी हमले व जंग के खतरे के खिलाफ़ और हिन्दोस्तान के नवनिर्माण के लिये संगठित करने में और इस मोर्चे पर सक्रिय काम करने में नयी पहल ली जाये।

नौजवानों को खुद को राजनीतिक तौर पर संगठित करने में सक्षम बनाने के काम में हाल के सालों में प्राप्त सफलताओं को हमें और आगे ले जाने की जरूरत है। हमें नौजवानों को कम्युनिज्म के लिये, उनके सपनों के नये समाज को बनाने के लिये लामबंद करना होगा। हमें अपने सफल अनुभवों को दोहराना है ताकि पहले कम से कम दो–तीन इलाकों में नौजवान संगठन की शाखायें सक्रिय हों तथा उसके बाद और इलाकों में भी।

इंकलाब की आत्मगत परिस्थिति तैयार करने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोगों की चेतना में इंकलाबी परिवर्तन लाने के लिये कला व संगीत को विकसित करने में हमें बहुत अनुभव है। हमारे साथ कई ऐसे नौजवान कामरेड हैं जो नुक्कड़ नाटक व दूसरे सांस्कृतिक माध्यमों के जरिये लोगों को राजनीतिक चेतना दे रहे हैं। हाल में पार्टी ने सिनेमा के क्षेत्र में नया अनुभव प्राप्त किया है। आने वाली अवधि में हमें अवश्य ही इन सफलताओं को और आगे ले जाने के लिये काम करना चाहिए।

पार्टी के सबतरफे काम की वजह से हम इस स्थिति में हैं जहाँ से कम्युनिस्ट एकता को पुनःस्थापित करने के काम में हम नयी पहल ले सकते हैं। पार्टी को संयुक्त कार्यक्रमों में, परिस्थितियों पर सांझे राजनीतिक मत बनाने और परिस्थितियों का विश्लेषण करके उस विश्लेषण के अनुसार काम करने में सभी कम्युनिस्टों को शामिल करना चाहिये।

अपने सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावादी फर्ज़ के एक हिस्से बतौर, पार्टी को, दुनिया भर की दूसरी मार्क्सवादी–लेनिनवादी पार्टियों व प्रगतिशील संगठनों के साथ नजदीकी और मजबूत संबंध बनाने के लिए काम करना चाहिए।

इस काम की योजना को लागू करने में सफलता की कुंजी है पार्टी को बनाना व सुदृढ़ करना, जिसमें पार्टी का हरेक संगठन इस कार्यक्रम को लागू करने में पहल ले और इसके लिये अपनी भूमिका पूरी तरह निभाये।

पार्टी का संविधान, जिसे यह महाअधिवेशन अपनायेगा, वह आने वाले समय में पार्टी को बनाने व उसकी सदस्यता बढ़ाने के लिये एक हथियार है। यह ऐसा हथियार है जिससे पार्टी की फौलादी एकता और मजबूत की जा सकती है तथा पार्टी की इंकलाबी पहल को और बेहतर बनाया जा सकता है – जिससे आने वाले समय में पार्टी की कथनी करनी में बदल जायेगी व हमारी सफलतायें जीत में बदल जायेंगी।

आओ साथियों, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट गदर पार्टी के जीवन के 25वें साल में, हम सर उठा कर आगे बढ़ें! सभी पार्टी संगठन अपने लिये साहसी लक्ष्य तय करें ताकि इस साल के अन्त में, जब हम हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट गदर पार्टी के 25 साल और हिन्दोस्तान की धरती पर कम्युनिस्ट पार्टी के जन्म के 80 साल मनाऐंगे, तब तक ये लक्ष्य हासिल हो सकें। आओ समाज के विकास का रास्ता खोलें और इंकलाब को आगे बढ़ाऐं! हम अपने इन महान इरादों को हासिल करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं और जीत हमारी अवश्य होगी!

इंकलाब जिन्दाबाद!

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का परिचय

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी, हिन्दोस्तान के मजदूर वर्ग की पार्टी है, जिसका उद्देश्य है मजदूर वर्ग को खुद के और पूरे हिन्दोस्तानी समाज को इंसानों द्वारा इंसानों के हर प्रकार के शोषण व दमन से मुक्त कराने के संघर्ष में अगुवाई देना। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी, हिन्दोस्तान में कम्युनिज़्म स्थापित करने के काम में कार्यरत है, जो मजदूर वर्ग व सारे समाज की मुक्ति के लिये जरूरी शर्त है। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को पूरा विश्वास है कि सरमायदारी व्यवस्था को समाजवाद व कम्युनिज़्म में तब्दील करने के लिये सरमायदारी व्यवस्था को क्रांति के जरिये उखाड़ फेंकना व सर्वहारा की हुकूमत स्थापित करना एक लाज़मी शर्त है।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी हिन्दोस्तानी समाज की प्रगति का रास्ता खोलने के लिये मजदूरों व किसानों की हुकूमत बसाने और स्वेच्छा पर आधारित हिन्दोस्तानी संघ स्थापित करने के लिये कार्यरत है। सर्वहारा की हुकूमत स्थापित करने के लिये शुरुआत में, हमारे देश में मजदूरों व किसानों की लोकतांत्रिक हुकूमत स्थापित करनी होगी।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी ने वर्तमान दौर के लिये निश्चित कार्य हाथ में लिये हैं, जिनके इर्द–गिर्द वह मजदूर वर्ग व आम लोगों की एकता बनाने का काम करती है। ये काम हैंः सरमायदारो के मजदूर–विरोधी, लोक–विरोधी व राष्ट्र–विरोधी, निजीकरण व उदारीकरण के कार्यक्रम को तुरंत रोकना; समाज को संकट से निकालने के लिये हिन्दोस्तान का नवनिर्माण,

अर्थात पूर्णरूप से नवीकरण करना; सरमायदारी व्यवस्था का तख़्ता पलटना, जो लोकतांत्रिक, बस्तीवाद–विरोधी, सामंतवाद–विरोधी और साम्राज्यवाद–विरोधी संघर्ष को पूरा करने के लिये जरूरी शर्त है, तथा क्रांति के जरिये समाजवाद का निर्माण करना।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी हिन्दोस्तानी लोगों की देशभक्त और क्रांतिकारी परम्पराओं की वारिस है, जिनमें 1857 के वीर योद्धा, गदरी बाबा कहलाने वाले देशभक्त, बस्तीवाद–विरोधी संघर्ष के शहीद और तेलंगाना, तेभागा व नक्सलबाड़ी के वीर योद्धा शामिल हैं।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन की एक टुकड़ी है। हिन्दोस्तान में इंकलाब की जीत के लिये काम करने के साथ–साथ, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी सभी देशों के मजदूर वर्ग के अपने देशों के सरमायदार–विरोधी संघर्षों की और सभी दबे–कुचले लोगों व राष्ट्रों के साम्राज्यवाद–विरोधी आजादी व संप्रभुता के संघर्षों की हिमायत करती है। दुनिया के पैमाने पर कम्युनिज़्म की कल्पना को साकार करने की दृष्टि से यह अन्य देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ भ्रात्रीय रिश्ते स्थापित करने व उन्हें मजबूत करने की पूरी कोशिश करती है।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी मजदूर वर्ग व सभी दबे–कुचले लोगों के हाथों में राज्य सत्ता लाने का साधन है। यह मजदूर वर्ग की जगह नहीं लेती। यह खुद अपने लिये सत्ता नहीं चाहती। पार्टी, चुनाव प्रक्रिया का इस्तेमाल, मजदूर वर्ग के कार्यक्रम को लोगों में ले जाने व आम जनता की राजनीतिक चेतना को ऊँचा उठाने के लिये करती है। यह एक चुनावी यंत्र नहीं है। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी यूरोपीय प्रतिनिधित्व के लोकतंत्र की विद्यमान व्यवस्था की जगह प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने के लिये वचनबद्ध है, जिसमें जनसाधारण खुद शासन करेंगे और जिसमें राजनीतिक पार्टियों की भूमिका लोगों में जागृति लाने की व उनके सामने एक नजरिया रखने की होगी।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी इस सिद्धांत की पुष्टि करती है कि सभी इंसानों के, चाहे वे किसी भी देश के क्यों न हों, इंसान होने के नाते अधिकार हैं, जो न तो दिये जा सकते हैं और न ही छीने जा सकते हैं; इनमें जमीर, जीवन

और रोजी–रोटी के अधिकार शामिल हैं। पार्टी समाज में समूहों के उन अनुल्लंघनीय अधिकारों की हिमायत करती है, जो समूहों के अपने अस्तित्व के हालातों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं व लोगों के आत्मनिर्धारण के अधिकार और महिलाओं, मजदूरों व जमीन जोतने वालों के अधिकार। पार्टी को यह विश्वास है कि सामाजिक उत्पादन के साधनों की निजी मालिकी का सरमायदारी 'अधिकार', जिसके जरिये उनके लिये दूसरों की मेहनत पर जीना संभव होता है, अब यह सामाजिक विकास के रास्ते में रुकावट बन गया है और इसीलिये मेहनतकश बहुसंख्यक लोगों के और समाज के आम हितों को ध्यान में रखते हुये, इसे दबाना व इसको अस्वीकार करना जरूरी हो गया है।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के सभी कार्यों का मार्गदर्शक मार्क्सवाद–लेनिनवाद है। समकालीन मार्क्सवादी–लेनिनवादी विचार के संरक्षण व विकास के लिये पार्टी वचनबद्ध है।

समकालीन मार्क्सवादी–लेनिनवादी विचार, समाजवादी क्रांति व समाजवाद के निर्माण के, और आधुनिक संशोधनवाद व पूंजीवाद की पुनःस्थापना के खिलाफ़, संघर्ष में मार्क्सवाद–लेनिनवाद के अमल के अनुभवों का निचोड़ है। यह फाशीवाद के खिलाफ़, सैन्यकरण के खिलाफ़ व साम्राज्यवाद के खिलाफ़ लोगों के संघर्ष और साथ ही सभी सामाजिक पिछड़ेपन के खिलाफ़ के संघर्ष में मार्क्सवाद–लेनिनवाद के अमल का भी निचोड़ है। समकालीन मार्क्सवादी–लेनिनवादी विचार, इंकलाब के अभ्यास द्वारा संवर्धित और विकसित मार्क्सवाद–लेनिनवाद है। यह मार्क्सवाद– लेनिनवाद के मूलभूत सिद्धांतों का पुष्टिकरण है और उनका उच्चतर विकास है। समकालीन मार्क्सवादी–लेनिनवादी विचार, वर्तमान परिस्थितियों में मार्क्सवाद–लेनिनवाद का अन्तिम रूप नहीं है बल्कि उसकी निरंतरता व संवर्धन।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी, हिन्दोस्तान के क्रांतिकारी सिद्धांत के विकास के लिये वचनबद्ध है – एक ऐसा सिद्धांत जो हिन्दोस्तान के हालातों से निकला हो और इन हालातों में कम्युनिज्म के विकास के लिये उपयुक्त हो। पार्टी *दर्शन* के हिन्दोस्तानी फलसफे के आधुनिकीकरण के लिये वचनबद्ध है जिसकी मूलभूत आधारिका यह है कि माया – पदार्थ व विचार का पूरा ब्रम्हांड, आवागमन – अस्तित्व में आने और अस्तित्व से जाने – की अवस्था में

विद्यमान है; तथा सभी वस्तुयें व गतिविधियां, अपनी गतिमानता व विकास की अवस्था में अपने आप को प्रकट करती हैं।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का विश्वास है कि हिन्दोस्तानी नज़रिये की ऐसी भौतिकवादी प्रस्तुति, हिन्दोस्तानी इंकलाबी सिद्धांत के विकास के लिये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आधुनिक हिन्दोस्तानी इंकलाबी सिद्धांत, अवश्य ही, इस जमाने के सबसे उन्नत फलसफे व सिद्धांत, मार्क्सवाद–लेनिनवाद व समकालीन मार्क्सवादी–लेनिनवादी विचार से मेल खाने वाला होगा और साथ ही साथ इनका संवर्धन करेगा।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी मार्क्सवाद–लेनिनवाद के मूल असूलों में संशोधन करने के खिलाफ़ है और सोशल–डेमोक्रेसी से किसी भी तरह के समझौते व पूंजीवादी तथा समाजवादी व्यवस्थाओं के 'बीच' के रास्ते के किसी भी विचार के खिलाफ़ लगातार संघर्ष में अगुवाई देती है। हिन्दोस्तानी संघ का राज्य, जो बस्तीवादी विरासत का किला है और पूंजीवादी व सामंतवादी शोषण व साम्राज्यवादी लूट का साधन है, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी इस राज्य के बारे में भ्रम फैलाने वाली सब हरकतों का विरोध करती है। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी उन सब का विरोध करती है जो 'राष्ट्रीय एकता और अखण्डता' की आड़ में राजकीय आतंकवाद की सफाई देते हैं।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी, "एक मजदूर वर्ग, एक कार्यक्रम, एक कम्युनिस्ट पार्टी" की प्राप्ति के लिये संघर्षरत है। पार्टी का विश्वास है कि पूंजीवादी व्यवस्था को इंकलाब के जरिये उखाड़ फैंक कर समाजवाद स्थापित करने के लक्ष्य के इर्द–गिर्द मजदूर वर्ग का एक राजनीतिक ताकत बतौर एकताबद्ध होना जरूरी है और उसकी अगुवाई में एक इंकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी का होना जरूरी है। वर्ग संघर्ष का नेतृत्व करते हुये और इंसानों द्वारा इंसानों के शोषण का खात्मा करने और हिन्दोस्तान की धरती पर इंकलाब और कम्युनिज़्म की जीत के लिये आत्मगत परिस्थिति तैयार करते हुये, पार्टी सभी कम्युनिस्टों की, चाहे वे किसी भी पार्टी में क्यों न हों, एकता बनाने में कार्यरत है। पार्टी, मजदूर वर्ग की चिंताओं से परे, विचारधारात्मक संघर्ष के नाम पर हिन्दोस्तानी कम्युनिस्ट आंदोलन में फूट डालने वाली प्रक्रिया के बिल्कुल खिलाफ़ है।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी उन सचेत क्रांतिकारियों से गठित है जिन्होंने समाजवाद व कम्युनिज़्म के ध्येय के लिये स्वेच्छा से संघर्ष का रास्ता अपनाया है। पार्टी अपने सदस्य हिन्दोस्तान के सबसे राजनीतिक तौर पर जागरूक व सक्रिय मजदूरों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों और मेहनतकश बुद्धीजीवियों में से भर्ती करती है, जिनमें विदेश में रहने वाले हिन्दोस्तानी भी शामिल हैं।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी सभी कम्युनिस्टों व प्रगतिशील ताकतों को और मूलभूत परिवर्तन चाहने वाले सभी लोगों को पार्टी में शामिल होने का आह्वान करती है। इंकलाब हमारा अधिकार और कर्तव्य है। चलिये, हम संकट को खत्म करने के लिये व हिन्दोस्तानी समाज की प्रगति का द्वार खोलने के लिये एकता के साथ कदम बढ़ायें।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की उत्पत्ति

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की स्थापना एक ऐसे समय की गयी जब हिन्दोस्तान में कम्युनिस्ट आंदोलन बहुत से टुकड़ों में बंटा हुआ था। 1964 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) स्थापित करने वालों द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में डाली गयी बड़ी फूट की वजह से कम्युनिस्ट आंदोलन गुटवादी झगड़ों का शिकार बन गया। अलग–अलग गुटों ने, हिन्दोस्तानी सरमायदारों व हिन्दोस्तानी राज्य के बारे में, संसदीय लोकतंत्र व नेहरूवी ''समाजवादी नमूने के समाज'' के भ्रमों को फैलाकर, अपनी ध्वंसकारी भूमिका अदा की।

अप्रैल 1967 में नक्सलबाड़ी आंदोलन ने कम्युनिस्ट आंदोलन पर हावी हुई वर्ग समझौते की राजनीति को झकझोरा और कम्युनिस्ट आंदोलन में एक नयी जान डाली। नक्सलबाड़ी की ललकार ने यह सच्चाई पूरी तरह से स्पष्ट कर दी कि हिन्दोस्तानी समाज की कोई सच्ची तथा स्थायी प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक सामाजिक इंकलाब के जरिये सभी बस्तीवादी अवशेषों को उखाड फैंका नहीं जाता। नक्सलबाड़ी की ललकार ने भाकपा व माकपा द्वारा फैलाये उस भ्रम को भी जबरदस्त झटका लगाया कि इंकलाब के बिना तथाकथित शांतिपूर्ण तथा संसदीय मार्ग से समाजवाद स्थापित करना संभव है।

नक्सलबाड़ी की ललकार को देश तथा विदेश में इंकलाबी हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों ने स्वीकार किया। नक्सलबाड़ी धारा से निकली, नयी इंकलाबी पार्टी – भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी), या भाकपा (मा–ले) के झंडे तले, कामरेड चारू मजूमदार की अगुवाई में इंकलाबी हिन्दोस्तानी कम्युनिस्ट एकजुट हुये। भाकपा (मा–ले) के काम में और हिन्दोस्तानी इंकलाब में अपना

योगदान देने के लिये विदेश में रहने वाले हिन्दोस्तानी क्रांतिकारियों ने हिन्दोस्तानी ग़दर पार्टी – परदेशवासी हिन्दोस्तानी मार्क्सवादी–लेनिनवादियों का संगठन (एच.जी.पी.–ओ.आई.एम.एल.ए.), की स्थापना की।

भाकपा (मा–ले) कुछ ऐसे सिद्धांतों के प्रभाव में आई जो मार्क्सवाद–लेनिनवाद के विज्ञान एवं मजदूर वर्ग के हित के अनुकूल नहीं थे, जैसे 'शहरों को गाँवों से घेरना', पार्टी के अन्दर दो कार्यदिशाओं का संघर्ष', आदि। शहरों के मजदूरों को सरमायदार वर्ग से समझौता करने वालों व सरमायदारी सुधारवादियों के हाथों में छोड़ दिया गया। हिन्दोस्तानी राज्य के जबरदस्त दमन के चलते, भाकपा (मा–ले) कई अलग–अलग गुटों में टूट गयी। वे गुट दो कार्यदिशाओं के बीच संघर्ष के नाम पर खुल कर एक दूसरे से लड़ने लगे।

इन हालातों में इंकलाबी हिन्दोस्तानी कम्युनिस्ट, हालात का ब्यौरा लेने के लिये एक बार फिर इकट्ठे हुये। इस दौरान हिन्दोस्तान में तथा विदेश में कई विशेष विचार गोष्ठियां व सभायें आयोजित की गई। इन चर्चाओं में ये कम्युनिस्ट इस नतीजे पर पहुँचे कि मार्क्सवाद–लेनिनवाद पर आधारित एक अगुवा पार्टी की पुनर्स्थापना करना, हिन्दोस्तानी इंकलाब के लिये सबसे अहम काम है। इस तरह की एक इंकलाबी पार्टी बनाकर हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों की एकता की पुनःस्थापना चाहने वालों का मासिक अखबार बतौर, 1978 में *पीपुल्स वॉइस* का प्रकाशन शुरु हुआ। इस मासिक अखबार के जरिये मार्क्सवाद–लेनिनवाद के बुनियादी असूलों की हिफ़ाज़त के लिये तथा सभी संशोधनवाद व मौकापरस्ती के खिलाफ़, लगातार संघर्ष छेड़ा गया। इस पूरे काम में एच.जी.पी.–ओ.आई. एम.एल.ए. ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अगस्त 1980 में जलंधर में कम्युनिस्टों की एक विशेष गोष्ठी आयोजित की गयी, जिसमें हिन्दोस्तान से तथा विदेश से आये 95 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी कम्युनिस्टों से संपर्क करने तथा एक अगुवा पार्टी में एकजुट होने की दिशा में किये कार्य में प्रगति पर इस गोष्ठी में चर्चा हुई। इस गोष्ठी ने यह निश्चय किया कि कम्युनिस्ट आंदोलन को संसदवाद तथा गुटवादी झगड़ों के दलदल से बाहर निकालने के लिये एक पार्टी स्थापित करना जरूरी है। एक ऐसी पार्टी, जो मजदूर वर्ग को एकजुट करके इंकलाब के रास्ते पर नेतृत्व देने

में काबिल हो। इस पार्टी की स्थापना का महाअधिवेशन नयी दिल्ली में 25 दिसम्बर 1980 को हुआ और इस नयी पार्टी का नाम हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी रखने का निश्चित किया गया।

पार्टी के स्थापक महाअधिवेशन के बाद के प्रथम 10 सालों में, पार्टी ने मजदूर वर्ग तथा उसके मित्र वर्गों में अपनी जड़ें जमायी। देश के प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों से इसकी शुरुआत की गई। कई इलाकों में पार्टी संगठन कायम किये गये और उनका निर्माण किया गया। बुनियादी संगठन अपनी–अपनी इलाका समितियों के तहत काम करते थे और रिपोर्ट करते थे। वे सभी पार्टी की कार्यदिशा तथा केन्द्रीय समिती के इर्द–गिर्द फौलाद की तरह एकजुट थे तथा किसी भी तरह के गुटवाद के खिलाफ़ सतर्क रहते थे।

वर्ग संघर्ष को अगुवाई देने के कई अमली तरीके पार्टी संगठनों ने विकसित किये। मजदूरों, किसानों, महिलाओं तथा नौजवानों के बीच जन संगठन बनाकर उनकी अगुवाई कैसे करना होगा, यह हम सभी सीखे। 1980 के दशक में हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी, राजकीय आतंकवाद तथा राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ़ लड़ने वाली, एक निडर तथा अडिग योद्धा बतौर उभर कर आई।

पार्टी का प्रथम महाअधिवेशन मुंबई में 25–26 दिसंबर 1990 में हुआ। उन दिनों में दुनियाभर में कई आकस्मिक बदलाव हो रहे थे। विश्व के प्रथम समाजवादी राज्य, सोवियत संघ के पतन की वह पूर्वसंध्या थी। शुरु हुए इस दौर में हिन्दोस्तानी इंकलाब पर होने वाले असर के बारे में, पहले महाअधिवेशन ने बड़ी दूरदर्शिता उचित कदम उठाये। इस नये दौर में आम कार्यदिशा को विस्तृत रूप से पेश करने का काम महाअधिवेशन ने तय किया। *हम खुद ही अपने नमूने हैं,* इस महत्वपूर्ण असूल को महाअधिवेशन ने फिर दोहराया। इसका मतलब था कि किसी विदेशी अनुभव या किसी विदेशी पार्टी को नमूना मानने की पुरानी आदत से नाता तोड़ना। इसका मतलब था मार्क्सवाद–लेनिनवाद के बुनियादी सिद्धांतों एवं निष्कर्षों के प्रति वफादार रहना और हिन्दोस्तानी इंकलाबी सिद्धांत विकसित करने के काम की ओर ध्यान देना।

प्रथम महाअधिवेशन के बाद, 1990 के दशक में हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी ने देश के स्तर पर कई परामर्शात्मक गोष्ठियों और इलाका गोष्ठियों का आयोजन किया। इस नये दौर में आम कार्यदिशा तथा कार्यक्रम क्या होना चाहिये इस विषय पर पार्टी के सभी सदस्यों को चर्चा में शामिल किया गया। इस दौर में हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों के बीच चर्चा के लिये कई दास्तावेज भी प्रकाशित किये गये जैसे, *किस प्रकार की पार्टी?* (दिसंबर 1993), *हिन्दोस्तान किस दिशा में?* (दिसंबर 1995) और *बाधाओं को तोड़ कर* एकता बनायें (जनवरी 1998)।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का दूसरा महाअधिवेशन अक्टूबर 1998 में नई दिल्ली में हुआ। इस दौर के लिए आम कार्यदिशा इस महाअधिवेशन में स्थापित की गई। साम्राज्यवाद तथा सर्वहारा इंकलाब के युग में यह एक नया दौर है, इस निष्कर्ष की महाअधिवेशन ने पुष्टि की। महाअधिवेशन ने इस समय के निश्चित अमली कार्यों को भी निर्धारित किया, जिसके इर्द–गिर्द मजदूर वर्ग तथा सभी दबे कुचले लोगों की एकता राजनीतिक आधार पर बनाना आवश्यक है।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के दूसरे महाअधिवेशन में हिन्दोस्तान की अर्थव्यवस्था की दिशा का पुनर्निर्धारण करने, लोगों के हाथों में राजनीतिक सत्ता दिलाने तथा हिन्दोस्तान का लोकतांत्रिक नवीकरण करने का कार्यक्रम स्वीकृत हुआ। इसका उद्देश्य मजदूरों, किसानों, महिलाओं व नौजवानों को हिन्दोस्तान के मालिक बनाना। सम्पूर्ण बस्तीवादी विरासत से नाता तोड़ कर व एक आधुनिक राज्य व अर्थव्यवस्था का गठन कर के ही यह हासिल किया जा सकेगा और उसका उद्देश्य होगा सभी के सुख एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के दूसरे महाअधिवेशन में आम कार्यदिशा को स्थापित करने एवं पार्टी के कार्यक्रम अपनाने के बाद से, पूरी पार्टी ने इन निर्णयों को लागू करने का काम शुरू किया है। पार्टी संगठन को मजबूत करने पर पूरा ध्यान लगाने के फलस्वरूप, पार्टी तीसरे महाअधिवेशन में अपनी कार्यदिशा व कार्यक्रम के इर्द–गिर्द मजबूत एकता के साथ आयी है।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी
का संविधान

(1) पार्टी के सदस्य, उनके फर्ज़ और अधिकार

(2) पार्टी की सदस्यता

(3) पार्टी में अनुशासन

(4) पार्टी का ढांचा और अंदरूनी लोकतंत्र

(5) पार्टी के केन्द्रीय संगठन

(6) इलाकों में पार्टी संगठन

(7) पार्टी के बुनियादी संगठन

(8) सचिवों की भूमिका

(9) पार्टी का प्रसार माध्यम

(10) पार्टी और जन संगठन

(11) पार्टी के वित्तीय साधन

(12) अंतर्राष्ट्रीय संबंध

(13) पार्टी का चिन्ह और झंडा

1. पार्टी के सदस्य, उनके फर्ज़ और अधिकार

1.1 कोई भी हिन्दोस्तान का निवासी या हिन्दोस्तानी मूल का व्यक्ति जो दूसरों के श्रम का शोषण न करता हो, जो कम से कम 18 साल का हो, जो पार्टी के कार्यक्रम और संविधान को मानता है और उन्हें लागू करने के लिये सक्रियता से काम करता है, जो पार्टी के किसी संगठन में भाग लेता और काम करता है, पार्टी के सभी फैसलों को लागू करता है और नियमित तौर पर अपना सदस्यता शुल्क देता है, वह हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का सदस्य बन सकता है।

1.2 पार्टी के सदस्यों के फर्ज़ हैं:

(क) पार्टी के किसी संगठन में काम करना और उसका अनुशासन मानना;

(ख) पार्टी की एकता की डटकर हिफाजत करना, सभी गुटबाजी की हरकतों से लड़ना, सभी मजदूर वर्ग के हितों से प्रतिकूल, सरमायदारी विचारधाराओं और सिद्धांतों से लगातार लड़ना, उदारतावाद, अराजकतावाद, चापलूसी और नौकरशाहीवाद के खिलाफ़ लगातार लड़ना, पार्टी की तथा पार्टी की आम कार्यदिशा और अखंडता की हर कीमत पर हिफाजत करना, मार्क्सवाद–लेनिनवाद की शुद्धता तथा सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के असूलों की हिफाजत करना, पार्टी की नीति व फैसलों का निष्ठा के साथ पालन करना व उन्हें लागू करना।

ऐसा करने के लिये, पार्टी सदस्य द्वारा पार्टी के फैसलों को मान लेना ही काफी नहीं है। उसे उन फैसलों को लागू करने के लिये सक्रिय योद्धा भी होना पड़ेगा। पार्टी के फैसलों के प्रति कम्युनिस्टों

का अगर निष्क्रिय और औपचारिक रवैया रहे, तो पार्टी की लड़ाकू क्षमता कमजोर हो जाती है।

पार्टी सदस्य को हमेशा पार्टी के फैसलों के प्रति इंकलाबी रवैया अपनाना चाहिये।

पार्टी के अंदर दो प्रकार के अनुशासन नहीं हो सकते, एक नेताओं के लिये और दूसरा आम सदस्यों के लिये। पार्टी में एक ही अनुशासन है जो सभी पार्टी सदस्यों पर बराबर लागू होता है, चाहे उस सदस्य के कोई भी गुण हों या कोई भी पद हो;

(ग) मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धांत में कुशलता हासिल करने के लिए अनथक काम करना, उसे जिंदगी के साथ और इंकलाब के अभ्यास के साथ नजदीकी से जोड़ना, अपनी इंकलाबी जागरूकता को मजबूत करने के लिये निरंतर संघर्ष करना; अपने व्यक्तिगत हितों को मजदूर वर्ग के हितों तथा समाज के आम हितों के साथ सामंजस्य में लाना; यानि संक्षेप में, एक इंकलाबी जैसे काम करना और जीना और सभी कार्यों में कम्युनिस्ट राजनीति को आगे रखना;

(घ) जनता के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत करना, इंसाफ, ईमानदारी और विनम्रता के अपने असूलों का पालन करना; मेहनतकशों का भरोसा और आदर जीतना; सब जगह व सभी समय पर एक अगुवा योद्धा बनना; अपनी कथनी व करनी को अलग न करना; घमंड, अक्खड़पन, चापलूसी, होड़, ईर्ष्या, स्वार्थ, उदासीनता, उदारवाद और हुक्मशाही से लड़ना; जनता से सीखना और जनता का नेता व शिक्षक बनना, मेहनतकशों को पार्टी की नीति व फैसले समझाना; जन संगठनों में सक्रियता से काम करना; आन्दोलनकर्ता और प्रचारक बनना, पार्टी की लाइन का वफादार रक्षक बनना; यानि हमेशा कम्युनिस्ट नैतिकता को बुलंद रखना;

(ङ) पार्टी के हित के लिए कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल बनना, एक अनथक कार्यकर्ता बनना, अपने शैक्षणिक व सांस्कृतिक स्तर को लगातार बढ़ाना, अपनी पेशेवर योग्यताओं को बढ़ाना, तकनीकी ज्ञान में

कुशलता हासिल करना, सभी कार्यों में ऊंची गुणवत्ता हासिल करने की कोशिश करना, काम के लिये प्रतिकूल प्रवृत्तियों के खिलाफ़ लड़ना, प्रगतिशील नये विचारों का पूरी ताकत से समर्थन करना और उनके प्रचार के लिये संघर्ष करना;

(च) पार्टी के जीवन और काम में सभी कम्युनिस्टों के स्तर, सक्रियता और भागीदारी को लगातार बढ़ाते जाना; पूरी पार्टी में भाईचारे की भावना विकसित करना और नये कम्युनिस्टों के पोषण, प्रशिक्षण तथा शिक्षण के काम में बिताये गये समय व प्रयास को कभी व्यर्थ न समझना; पार्टी में नये सदस्यों को लाने के लिये भी काम करना;

(छ) अपने वर्ग के दुश्मन के खिलाफ़ हिम्मत से कट्टर संघर्ष करना, बेझिझक और बेरोकटोक वर्ग संघर्ष करना, पार्टी, मार्क्सवाद–लेनिनवाद और सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के असूलों की हिफाजत में अपनी इंकलाबी चौकसी को लगातार तेज करना; पार्टी की लाइन को लागू करने में किसी विकृति या ढुलमुलपन के खिलाफ़ हिम्मत से खड़ा होना, सरमायदारी विचारधाराओं के किसी प्रभाव के खिलाफ़ उठ खड़ा होना;

(ज) पार्टी की गुप्त बातों तथा संगठनात्मक तफसीलों की सुरक्षा को अपना पुण्य कर्तव्य मानना, अपने वर्ग के दुश्मन और पार्टी पर उसके हमलों के खिलाफ़ लगातार चौकन्ने रहना, सभी मोर्चों पर व सभी हालतों में गोपनीयता के नियमों पर टिके रहना;

(झ) पार्टी से कुछ न छुपाना; पार्टी के सामने सब कुछ खोलकर बताना;

(ञ) बेरोकटोक आलोचना व आत्म–आलोचना, खास तौर पर नीचे के स्तरों से ऊपर की ओर आलोचना, को विकसित करना, अपनी कमियों व गलतियों की ओर कठोर व बेरहम होना, इन्हें पार्टी से न छुपाना, दूसरों की गलतियों और कमियों की ओर भी कठोर व बेरहम होना, उनका पर्दाफाश करना तथा खुद मिसाल बनकर व जायज संघर्ष करके, उन्हें सुधारने में मदद करना, आलोचना को रोकने वालों या उसके विकास में रूकावट बनने वालों और इसके बजाय, बड़ी–बड़ी बातें व चापलूसी करने वालों से कभी समझौता

न करना, थोड़ी–सी कामयाबी से संतुष्ट होकर सो जाने के खिलाफ़ और सफलता से उन्मत्त हो जाने के खिलाफ़ संघर्ष करना;

(ट) काम में कमियों और गलतियों तथा नाजायज रवैयों को सुधारने के लिये पूरी ताकत के साथ हस्तक्षेप करना और, अगर जरूरत पड़े तो, केन्द्रीय समिति तक पार्टी के ऊपरी संगठनों को उनके बारे में सूचित करना, बेझिझक ऐसा करना, चाहे संबंधित व्यक्ति कोई भी हो; पार्टी के सदस्य को कभी भी किसी ऐसी असंतोषजनक स्थिति को छुपाना नहीं चाहिये, किसी ऐसी नाजायज़ हरकत की इजाजत नहीं देनी चाहिये, जो पार्टी और इंकलाब के हितों को नुकसान पहुंचाये;

अगर कोई सदस्य इन कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं निभाता है तो उसे सही तरीका सिखाने के लिये आलोचना और अनुशासनीय कदम लिये जाते हैं। जब कोई सदस्य बहुत ही गंभीर रूप से इनका उल्लंघन करता है, पार्टी की एकता को तोड़ता है, पार्टी के फैसलों का उल्लंघन करता है, पार्टी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता या पार्टी को धोखा देता है, तो इन गंभीर गलतियों के लिये सदस्य को कड़ी सजा दी जाती है, पार्टी से बाहर भी निकालाने तक।

1.3 पार्टी के सदस्य के ये अधिकार हैं:

(क) पार्टी की नीति और योजना के मुद्दों पर, पार्टी सभाओं और पार्टी के अखबार में खुलकर और सक्रियता से चर्चाओं में भाग लेना;

(ख) पार्टी की सभाओं में किसी भी पार्टी सदस्य के काम और व्यवहार की आलोचना करना, चाहे उस सदस्य का कोई भी पद हो;

(ग) पार्टी के अगुवा संगठनों के लिये मतदान करना तथा खुद चुनाव में खड़ा होना;

(घ) अपने काम या व्यवहार से संबंधित फैसले लिये जाने के हर मौके पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहना;

(ङ) केन्द्रीय समिति समेत, पार्टी के अगुवा संगठनों, को किसी भी व्यक्तिगत या पार्टी समस्या के बारे में पूछना किसी भी सवाल, गुजारिश, बयान या प्रस्ताव को उनके सामने रखना।

2. पार्टी की सदस्यता

पार्टी में भर्ती सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर की जाती है। नये सदस्यों की भर्ती पार्टी सदस्यता के उन उम्मीदवारों में से की जाती है, जिन्होंने तय की गई परख अवधि को पूरा कर लिया है। पार्टी में भर्ती किये गये नये सदस्यों को कर्तव्यनिष्ठ, सक्रिय, पक्के चरित्र वाले, अच्छे स्वभाव और नैतिकता वाले होने चाहिये, उन्हें हमेशा किसी भी कुरबानी के लिये तैयार रहना चाहिये, राजनीतिक और विचारधारात्मक तौर पर स्पष्ट होना चाहिये, अडिग इंकलाबी होना चाहिये, जनता से जुड़ा हुआ और कम्युनिज़्म के लक्ष्य के प्रति प्रमाणित वफादारी वाला होना चाहिये।

पार्टी में भर्ती के नियम इस प्रकार हैः

(क) जो भी इस संविधान की धारा 1.1 को मानता है वह पार्टी का सदस्य बनने के योग्य है;

(ख) जो भी पार्टी का सदस्य बनना चाहता है, उसे पहले एक साल तक, पार्टी के उम्मीदवार सदस्य बतौर, प्रशिक्षण अवधि पूरी करनी पड़ती है। यह अवधि बहुत निर्णायक होती है, ताकि सदस्यता का उम्मीदवार पार्टी के कार्यक्रम, नीति, रणनीति और युक्तियों से वाकिफ हो जाये, पार्टी के जीवन और काम में सक्रियता से भाग ले सके; ताकि बुनियादी संगठन उस कामरेड के गुणों, पार्टी की आम कार्यदिशा के प्रति उसकी वफादारी और कार्यदिशा पर अमल करने में उसकी निष्ठा के बारे में जान सके तथा यह समझ सके कि उस उम्मीदवार सदस्य में पार्टी का सदस्य बनने के सभी जरूरी गुण हैं या नहीं;

(ग) उम्मीदवार सदस्य बुनियादी संगठन के जीवन और काम में पूरी तरह हिस्सा लेते हैं; इन सदस्यों के वही फर्ज और अधिकार होते हैं जो

कि पार्टी के पूर्ण सदस्यों के होते हैं, सिर्फ पार्टी के किसी अगुवा संगठन या जिम्मेदारी के पद के लिये मतदान करने या चुनाव में खड़ा होने का अधिकार उन्हें नहीं मिलता है। बुनियादी संगठन में उम्मीदवार सदस्य का सलाहकार वोट देने का अधिकार है;

(घ) उम्मीदवार सदस्य को पार्टी में भर्ती के लिये तैयार करने में मदद करना पार्टी के बुनियादी संगठन का फर्ज़ है। परख अवधि के पूरा हो जाने के बाद, पार्टी के बुनियादी संगठन को फौरन अपनी सभा में उम्मीदवार की पार्टी सदस्यता का मुद्दा उठाना चाहिये और यह फैसला करना चाहिये कि वह उम्मीदवार पार्टी का सदस्य बनने के लायक है या नहीं;

(ङ) उम्मीदवार सदस्यों में से जिस व्यक्ति को पार्टी सदस्य के रूप में भर्ती किया जाता है, उसकी पार्टी सदस्यता की अवधि उसी दिन से शुरू होती है जिस दिन पार्टी की बुनियादी संगठन की सभा में उसे पार्टी सदस्य के रूप में भर्ती किया जाता है।

(च) जब पार्टी संगठन को ऐसा सबूत मिलता है कि कोई उम्मीदवार पार्टी की सदस्यता के लिये तैयार नहीं है या पार्टी की सदस्यता के लायक नहीं है, तो उस उम्मीदवार सदस्य की परख़ अवधि को बढ़ाने या उसे पार्टी की सदस्यता चाहने वाले उम्मीदवारों में से निकाल देने का फैसला लिया जाता है;

(छ) जो लोग किसी दूसरी पार्टी के सदस्य रह चुके हैं, उन्हें पार्टी में भर्ती करने के लिये तीन पार्टी सदस्यों की सिफारिश की जरूरत होती है, जिनमें से दो को कम से कम पांच सालों तक पार्टी का सदस्य रहा हुआ होना चाहिये; जब कि तीसरे को कम से कम 15 साल तक पार्टी का सदस्य रहा हुआ होना चाहिये। भर्ती सिर्फ पार्टी के बुनियादी संगठन के जरिये ही की जाती है और पार्टी की केन्द्रीय समिति की मंजूरी के बाद ही लागू होती है;

(ज) पार्टी का महाअधिवेशन या जब महाअधिवेशन का सत्र न चल रहा हो तब केन्द्रीय समिति ही पार्टी की सदस्यता के बारे में सभी सवालों पर अंतिम व सर्वोपरि अधिकार और जिम्मेदारी निभाती है।

3. पार्टी में अनुशासन

3.1 पार्टी का अनुशासन आवश्यक और अनिवार्य है; यह ऊपर से नीचे तक एक समान अनुशासन है, और सभी पार्टी सदस्यों व उम्मीदवार सदस्यों पर अनिवार्य है तथा बराबर से लागू होता है। पार्टी में दो प्रकार के अनुशासन नहीं हो सकते, एक नेताओं के लिये तो दूसरा आम सदस्यों के लिये; पार्टी में एक ही अनुशासन होता है जो सभी पार्टी सदस्यों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे व्यक्तिगत सदस्य के कैसे भी गुण हों या कोई–सा भी पद हो।

3.2 जो सदस्य पार्टी की एकता और अखंडता के खिलाफ़ काम करता है, जो पार्टी के संविधान और कार्यक्रम के खिलाफ़ काम करता है, जो पार्टी और उसके विभिन्न संगठनों के फैसलों को लागू करने में असमर्थ होता है, जो लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद के असूलों का उल्लंघन करता है, जो छः महीनों तक लगातार बुनियादी संगठन की सभाओं में उपस्थित नहीं होता और/ या सदस्यता शुल्क नहीं देता, जो अपना फर्ज़ नहीं निभाता, जो अपने रूतबे का नाजायज़ फायदा उठाता है, या जो पार्टी, मजदूर वर्ग व जनता के हितों को नुकसान पहुंचाता है, उस पर अनुशासनीय कार्यवाहियां की जा सकती हैं।

3.3 अनुशासनीय कार्यवाहियों पर फैसला उस सदस्य या उम्मीदवार सदस्य के बुनियादी संगठन की बैठक में लिया जाता है; ये कार्यवाहियां शिक्षण, चेतावनी, गंभीर चेतावनी, बुनियादी संगठन में जिम्मेदाराना पदों से निष्कासन, निलंबन, सदस्य का दर्जा घटाकर उसे उम्मीदवार सदस्य बना देना, या पार्टी से निकाल दिया जाना, इत्यादि हो सकती हैं।

3.4 पार्टी से निकाल दिया जाना, जो कि पार्टी के अनुशासन का सबसे ऊंचा व सबसे कठोर रूप है, और सदस्य का दर्जा घटाकर उसे उम्मीदवार सदस्य बना देना, या उसे अपने पद से हटाना या निलंबित करना, ये कदम बुनियादी संगठन द्वारा तभी लिये जा सकते हैं जब इलाका समिति इसकी मंजूरी देती है और केंद्रीय समिति को इसके बारे में सूचित कर दिया जाता है।

3.5 अगर पार्टी सदस्य केंद्रीय समिति या इलाका समिति का सदस्य है तो बुनियादी संगठन उसे पार्टी से नहीं निकाल सकता या उसका दर्जा नहीं घटा सकता। इन मामलों में, बुनियादी संगठन ऊंचे संगठनों को अपनी शिकायतों और जांच के नतीजों की रिपोर्ट देता है और अपने प्रस्ताव व उस सदस्य पर दंडनीय कार्यवाही के कारणों को पेश करता है।

3.6 इलाका समिति अपने सदस्यों को पार्टी से निकालने या उनका दर्जा घटाने पर फैसला लेती है, और केंद्रीय समिति की मंजूरी के बाद ही इस फैसले को लागू करती है।

3.7 पार्टी की केन्द्रीय समिति के सदस्य को केन्द्रीय समिति से निकालने का फैसला या उसका दर्जा घटाने या उसे पार्टी से निकालने का फैसला पार्टी की महाअधिवेशन करती है, या जब महाअधिवेशन का सत्र न चल रहा हो, तब केंद्रीय समिति की परिपूर्ण सभा करती है, जिसमें केंद्रीय समिति के दो–तिहाई सदस्यों के वोटों की बहुसंख्या होनी चाहिये।

3.8 अनुशासनीय कार्यवाहियों, खास कर पार्टी से बाहर निकालना, पद में कमी करना या पद से हटाना, आदि से संबंधित फैसले लेने से पहले आरोपित कामरेड पर लगाये गये आरोपों की पूरी जांच की जाती है, पार्टी के असूलों और आम कार्यदिशा के अनुसार, भाई चारे की भावना के साथ उन आरोपों की समीक्षा की जाती है, और कमियों व गलतियों की गंभीरता के अनुसार, प्रौढ़ता व इंसाफ के साथ, सोच समझकर उचित अनुशासनीय कार्यवाहियां की जाती हैं।

3.9 जांच के दौरान, जब तक जांच का फैसला नहीं सुनाया जाता, तब तक आरोपित सदस्य को अपने पद या जिम्मेदारियों से निलंबित किया जा सकता है। ऐसा निलंबन, कुछ खास हालतों को छोड़कर, उच्चतर संगठन की मंजूरी प्राप्त करके ही लागू किया जा सकता है।

3.10 पार्टी के अनुशासन को भंग करने के लिये जिन पार्टी सदस्यों पर जांच की जाती है, उन्हें अपनी हिफाजत करने और अपने ऊपर लगे आरोपों

के खिलाफ़ अपील करने का अधिकार दिया जाता है। जांच के अंत में लिये गये फैसले और उनके पीछे वजह उस सदस्य को बतायी जानी चाहिये।

3.11 किसी भी पार्टी सदस्य को पार्टी की अनुशासनीय कार्यवाही के खिलाफ़ अपील करने का अधिकार है, बुनियादी संगठन से लेकर केन्द्रीय समिति तक। पार्टी से बाहर निकाले जाने या दर्जे में गिरावट के खिलाफ़ किसी भी अपील पर पार्टी की केंद्रीय समिति में चर्चा होती है। केन्द्रीय समिति ही अंतिम फैसला सुनाती है।

3.12 कोई भी सदस्य जिसे पार्टी से निकाला जाता है और जिसकी अपील को खारिज कर दिया जाता है, वह पार्टी में अपना दर्जा पूर्ण रूप से खो देता है। पार्टी से निकाला गया सदस्य लंबी परख़ अवधि को पूरा करके और सभी प्रक्रियाओं को पार करके ही फिर से पार्टी में दाखिला पा सकता है; उसे पार्टी में फिर से दाखिला देने का अंतिम फैसला केन्द्रीय समिति द्वारा सोच–विचार और मंजूरी के बाद ही लिया जा सकता है।

3.13 सभी प्रमाणित भगौड़ों, दुश्मन के दलालों, कट्टर संसोधनवादी व मौकापरस्त व्यक्तियों को पार्टी में फिर से नहीं लिया जायेगा।

3.14 जिस सदस्य का दर्जा घटाकर उसे उम्मीदवार सदस्य बना दिया जाता है, उसके वही अधिकार होते हैं जो पार्टी के बाकी सभी उम्मीदवार सदस्यों के होते हैं। उसे पार्टी का पूर्ण सदस्य तभी बनाया जाता है जब वह बुनियादी संगठन द्वारा, इलाका समिति की मंजूरी के साथ, तय की गई परख़ अवधि को पूरा कर लेता है और उसके अभ्यास में यह देखा जाता है कि उसने ईमानदारी से अपनी गलतियां सुधार ली है।

3.15 नाजायज़ तरीके से पार्टी से निकाले गये सदस्य को पार्टी में फिर से वापस लेने का फैसला पार्टी के उन सभी संगठनों द्वारा लिया जाता है जिन्होंने उसे निकालने की मंजूरी दी थी।

3.16 सभी पार्टी संगठनों, सदस्यों और उम्मीदवार सदस्यों का यह अधिकार और फर्ज़ है कि अपनी राय उच्चतर संगठनों को उन मामलों में सुनाएं, जहां उन्हें लगता है कि किसी स्तर पर, किसी पार्टी सदस्य के खिलाफ़ पार्टी को जांच करनी चाहिये या अनुशासनीय कार्यवाही करनी चाहिये।

3.17 जब पार्टी का कोई बुनियादी संगठन पार्टी के फैसलों का घोर उल्लंघन करता है, या पार्टी की एकता को तोड़ता है या ऐसी दूसरी बड़ी गलतियां करता है, और उच्चतर निकायों द्वारा बुनियादी संगठन को उसकी गलतियों के बारे में समझाये जाने के बाद भी उन्हीं गलतियों को दोहराता है, तो केन्द्रीय समिति (और सिर्फ केन्द्रीय समिति) के फैसले पर, उस बुनियादी संगठन को भंग किया जा सकता है और उसके सदस्यों को नये सिरे से भर्ती की जा सकती है।

3.18 जब उम्मीदवार सदस्य अपना फर्ज़ नहीं निभाते और पार्टी द्वारा तय किये गये नियमों का पालन नहीं करते, तो उनके खिलाफ़ वही अनुशासनीय कार्यवाहियां की जाती हैं जो पार्टी के दूसरे सदस्यों पर लागू होती हैं।

3.19 अगर बुनियादी संगठन यह सोचता है कि उम्मीदवार सदस्य अपनी परख़ अवधि को पूरा करने के बाद भी पार्टी का सदस्य बनने के योग्य नहीं है, तब इलाका समिति की मंजूरी के साथ, बुनियादी संगठन उस उम्मीदवार सदस्य को बाहर निकालने का फैसला लेता है।

3.20 पार्टी की सदस्यता या उम्मीदवार सदस्यता से किसी भी इस्तीफे की जांच–पड़ताल करना व उस पर फैसला लेना बुनियादी संगठन के लिए अनिवार्य है; इस फैसले पर रिपोर्ट भेजकर इलाका समिति से मंजूरी लेनी चाहिए।

4. पार्टी का ढांचा और अंदरूनी लोकतंत्र

4.1 पार्टी कई संगठनों की प्रणाली है, जिसमें ये सारे संगठन पदानुक्रम में, उच्चतर और निम्नतर निकायों के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुये हैं।

पार्टी लोकतांत्रिक केन्द्रीयवाद के असूलों के आधार पर संगठित है। लोकतांत्रिक केन्द्रीयवाद के बुनियादी असूल इस प्रकार हैं:

(क) पार्टी के काम के बारे में फैसले सिर्फ समूहों द्वारा ही लिये जा सकते हैं, सिर्फ समूह ही व्यक्तिगत सदस्यों को जिम्मेदारी दे सकते हैं और यह जांच कर सकते हैं कि जिम्मेदारी निभायी गई है या नहीं;

(ख) सामूहिक फैसले पूरी व खुलकर चर्चा करने के बाद ही लिये जाते हैं, या तो एकमत से या बहुमत से;

(ग) एक बार जब फैसला ले लिया जाता है, तो सभी व्यक्तिगत सदस्यों को समूह के फैसले के अनुसार काम करना पड़ता है;

(घ) सभी उच्चतर निकायों का चुनाव, नीचे से ऊपर तक, पार्टी सदस्यों की आम सभाओं के द्वारा एक गोष्ठी या महाअधिवेशन में किया जाता है;

(ङ) सभी चुने गये निकायों को समय–समय पर उस मंच को, जिसने उनको चुना था, अपने काम का हिसाब देना पड़ता है;

(च) उच्चतर निकाय का फैसला उसे रिपोर्ट देने वाले सभी निम्नतर निकायों पर अनिवार्यतः लागू होता है; और

(छ) सभी उच्चतर निकायों को निम्नतर निकायों और सभी पार्टी सदस्यों के विचारों, प्रस्तावों और अनुभवों का लगातार अध्ययन करना चाहिये; उच्चतर निकायों को आलोचना को कभी नहीं दबाना चाहिये और निम्नतर निकायों की समस्याओं का समाधान करना चाहिये।

4.2 खास हालतों में जब पार्टी को राज्य द्वारा गैर–कानूनी करार दिया जाता है, तब पार्टी के अंदर लोकतंत्र पर कुछ जरूरी प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं। सिर्फ केन्द्रीय समिति ही इन प्रतिबंधों को तय करती है। ये प्रतिबंध सिर्फ वही होने चाहियें जो पार्टी की सुरक्षा के लिये जरूरी हैं और हालतों के ठीक हो जाने पर इन्हें हटा दिया जाना चाहिये।

4.3 विभिन्न पार्टी संगठनों में पार्टी की कार्यदिशा और नीति से संबंधित समस्याओं पर पार्टी पूरी व खुलकर चर्चा करने की हालतें बनाती है। इसका यह मतलब है कि चर्चा के विषय पर हर व्यक्तिगत सदस्य को किसी दबाव से डरे बिना, अपने विचार रखने का अधिकार है और यह उसका फर्ज़ भी है। गलत विचारों को बातचीत और समझाने के तरीकों से सुधारा जाता है; गंभीर गलतियों और अनुशासन उल्लंघन को आलोचना और आत्म–आलोचना के जरिये सुधारा जाता है।

4.4 पार्टी विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा सभाओं व गोष्ठियों को आयोजित करती है। ऐसी चर्चाओं के आधार पर ही पार्टी के सदस्यों के काम व पहलशक्ति का विकास किया जा सकता है। इसी आधार पर पार्टी का अनुशासन और एकता – जो सचेत अनुशासन और एकता होने चाहिये, अंधाधुंध या मशीनी नहीं – मजबूत किये जा सकते हैं।

4.5 पार्टी और सभी सदस्यों को, पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र का दुरुपयोग करने की कोशिश करने वालों, बहुसंख्या पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करने वालों, पार्टी की एकता को तोड़ने और गुट बनाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ़ बहुत ही चौकन्ना रहना चाहिए। पार्टी को कमजोर करने, पार्टी के महाअधिवेशन, केन्द्रीय समिति और उच्चतर निकायों के रूतबे को कमजोर करने, निरंतर चर्चा करते रहकर पार्टी को पंगू कर देने और पार्टी कार्यदिशा को लागू करने के अहम काम की उपेक्षा करने के प्रयासों के खिलाफ़ भी उन्हें चौकन्ने रहना चाहिये।

4.6 किसी पार्टी संगठन की सभा में या इलाका गोष्ठी या पार्टी महाअधिवेशन में जब एक बार कोई सामूहिक फैसला लिया जाता है, तो उस मंच से बाहर जाकर उस फैसले की हिफाज़त करना और उसे लागू करने के लिये संघर्ष करना हरेक व्यक्तिगत सदस्य का फर्ज़ बनता है। हरेक व्यक्तिगत सदस्य का यह अधिकार है कि उसके मतभेद के विचार मिनिट्स में दर्ज किये जायें ताकि बाद में उस पर चर्चा हो, साथ ही, समूह के फैसले की हिफाज़त करना और उसे लागू करना उसका फर्ज़ है। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि मतभेदों का फायदा उठाकर पार्टी के अंदर गुट पैदा करे।

4.7 पार्टी के अन्दरूनी लोकतंत्र का मतलब ऐसी बेहूदी लोकतांत्रिक कार्यदिशा बिल्कुल नहीं है, कि पार्टी के उच्चतर निकायों द्वारा किसी भी सवाल पर फैसला लेने से पहले पूरी पार्टी के अंदर चर्चा हो। दरअसल, पूरी पार्टी में चर्चा तभी जरूरी समझी जाती है जबः

(क) कुछ निश्चित संख्या की पार्टी इलाका समितियां इसकी जरूरत को प्रकट करती हैं और केन्द्रीय समिति समझती है कि पार्टी को और मजबूत करने के लिये ऐसा जरूरी है;

(ख) पार्टी नीति के मुख्य सवालों पर केन्द्रीय समिति में कोई टिकाऊ बहुमत नहीं है;

(ग) हालांकि केन्द्रीय समिति में किसी सवाल पर टिकाऊ बहुमत है, परन्तु केन्द्रीय समिति, इसके बावजूद, पार्टी में ऐसी विस्तृत चर्चा को आयोजित करना जरूरी समझती है, ताकि सभी सदस्य उस फैसले के औचित्य के बारे में जागरुक हो जायें और उसकी पुष्टि करें।

4.8 पार्टी के सभी संगठन सामूहिक नेतृत्व और व्यक्तिगत जिम्मेदारी व पहल को मिलाकर काम करने का तरीका लागू करते हैं। हरेक अहम सवाल पर सामूहिक रूप से चर्चा होती है, समाधान निकाला जाता है और फैसला लिया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत सदस्य अपनी भूमिका निभाते हैं और अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां, नेतृत्व व पहल को विकसित करते हैं। वे इनको सामूहिक काम और फैसलों के नियमों के अनुसार, समूह के प्रति जवाबदेही के आधार पर, विकसित करते हैं। पार्टी हर प्रकार के सरमायदारी व्यक्तिवाद का पूरा विरोध करती है और यह मानती है कि व्यक्ति की इंकलाबी भूमिका और शक्सियत तभी पनपती और विकसित होती है जब व्यक्ति समूह और सामूहिक भावना के लिये लड़ता है।

4.9 पार्टी उत्पादन स्थलों व इलाकों के आधार पर संगठित की जाती है। इसका यह मतलब है किः

(क) पार्टी के बुनियादी संगठनों को उत्पादन के कारोबारों, संस्थानों या काम के दूसरे केन्द्रों व स्थानों पर स्थापित किया जाता है; और

(ख) किसी इलाके (राज्य, जिला या प्रांत, गांव या मुहल्ले) में सभी पार्टी संगठन एक पार्टी संगठन के अंदर बंधे हुये होते हैं;

(ग) किसी भी निश्चित इलाके में पार्टी का संगठन उस इलाके के किसी खास क्षेत्र या कार्य स्थल में काम करने वाले सभी पार्टी संगठनों से उच्चतर माना जाता है।

4.10 हरेक पार्टी संगठन का सबसे उच्चतम अगुवा निकाय है :

(क) बुनियादी संगठन के लिये संगठन की सभा;

(ख) इलाकों के संगठनों के लिये इलाका गोष्ठी; और

(ग) पूरी पार्टी के लिये पार्टी महाअधिवेशन।

4.11 केन्द्रीय समिति को छोड़कर, पार्टी की हर चुनी हुई समिति का चुनाव हर साल फिर से होना जरूरी है।

4.12 सभी पार्टी संगठन अपने स्थानीय हालातों का विश्लेषण करते हैं और, पार्टी की आम कार्यदिशा और फैसलों के अनुसार, स्थानीय तौर पर अपना काम खुद तय करते हैं। पार्टी के फैसलों को लागू करने में वे अपनी इंकलाबी पहल को विकसित करते हैं और इसके लिये वे उच्चतर निकायों से आदेशों का इंतज़ार नहीं करते, परन्तु साथ ही साथ, उच्चतर निकायों को अपने काम की रिपोर्ट देते हैं और अपने–अपने निकायों में ली गई अहम पहल कदमों, कार्यक्रमों और फैसलों के लिये उच्चतर निकायों की मंजूरी लेते हैं। हरेक पार्टी संगठन को यह अधिकार होता है कि वह पार्टी की कार्यदिशा के अनुसार और उच्चतर निकायों की मंजूरी पाकर, अपने नाम पर साहित्य का प्रकाशन कर सकता है।

4.13 पार्टी के किसी निकाय और उसके सदस्यों को पार्टी के किसी दूसरे निकायों और उसके सदस्यों के साथ संगठनात्मक संबंध स्थापित करने की इजाज़त नहीं दी जाती; सिर्फ उस उच्चतर निकाय के साथ, जिसके अधीन वह काम करता है और जिन निम्नतर निकायों के साथ, जिनके लिये वह जिम्मेदार है, संगठनात्मक संबंध रख सकता है।

4.14 हरेक पार्टी संगठन नियमित तौर पर, निश्चित समय के बाद, अपनी बैठक करता है, हर बैठक की मिनिट्स लिखता है, जिन पर अगली बैठक में सहमति ली जाती है, और हर बैठक के बाद मिनिट्स मसौदे की एक प्रति (48 घंटों के अन्दर) उस उच्चतर निकाय को दी जाती है जिसे वह संगठन रिपोर्ट देता है। काम के सभी पहलूओं पर पार्टी की एकजुट अगुवाई को सुनिश्चित करने के लिये, सभी पार्टी संगठनों द्वारा नियमित रिपोर्ट और मिनिट्स देना बहुत ही जरूरी है।

5. पार्टी के केन्द्रीय संगठन

5.1 पार्टी का उच्चतम निकाय पार्टी का महाअधिवेशन है, जिसमें केन्द्रीय समिति के निर्देशों के अनुसार, सभी पार्टी संगठनों द्वारा चुने गये नुमाइंदे पार्टी की सदस्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाअधिवेशन आम कार्यदिशा को तय करता है और पार्टी के कार्यक्रम व संविधान को अपनाता है; आम कार्यदिशा, कार्यक्रम या संविधान में कोई परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ महाअधिवेशन को ही है।

5.2 महाअधिवेशन आम तौर पर 4 साल में एक बार बुलाया जाता है।

5.3 अति विशेष हालतों में, महाअधिवेशन को नियत तिथि से पहले बुलाया जा सकता है या नियत तिथि से आगे स्थगित किया जा सकता है। केन्द्रीय समिति के फैसले से या पिछले पार्टी महाअधिवेशन के एक–तिहाई नुमाइंदों की लिखित मांग पर, महाअधिवेशन बुलाया जाता है। महाअधिवेशन बुलाने के फैसले और प्रस्तावित अजेंडा से, सभी सदस्यों को कम से कम दो महीने पहले, अवगत कराना जरूरी है।

5.4 लोकतांत्रिक केन्द्रीयवाद के असूलों के अनुसार, केन्द्रीय समिति महाअधिवेशन में प्रतिनिधित्व के नियमों तथा प्रतिनिधियों का चयन करने के तरीकों को तय करती है।

5.5 पार्टी महाअधिवेशन का संचालन एक अध्यक्ष–मंडल करता है, जिसका चुनाव नुमाइंदों द्वारा किया जाता है, और यह चुनाव पूर्व केन्द्रीय समिति द्वारा पेश की गई सूची के आधार पर होता है।

5.6 पार्टी का महाअधिवेशनः

(क) पार्टी के पूरे काम की समीक्षा करता है, पार्टी के काम की कामयाबियों व खामियों का ब्यौरा तैयार करता है, केन्द्रीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट का अध्ययन करता है व उसे मंजूर करता है;

(ख) पार्टी के संविधान व कार्यक्रम की समीक्षा करता है व उनमें जरूरत के अनुसार, संशोधन करता है;

(ग) पार्टी नीति से संबंधित अहम सवालों पर आम तरकीबों की दिशा निर्धारित करता है;

(घ) पार्टी की केंद्रीय समिति का चयन करता है।

5.7 पार्टी का महाअधिवेशन पार्टी की केन्द्रीय समिति के सदस्यों व उम्मीदवार सदस्यों की संख्या निर्धारित करता है। अगर पार्टी की केन्द्रीय समिति से एक या अनेक सदस्य छोड़ कर चले जाते हैं, तो महाअधिवेशन में निर्वाचित उम्मीदवार सदस्यों द्वारा उनका स्थान भरा जाता है।

5.8 नई केन्द्रीय समिति की यह जिम्मेदारी होती है कि अगले महाअधिवेशन तक पूरे काम को अगुवाई दे और यह सुनिश्चित करे कि महाअधिवेशन के फैसले लागू किये जा रहे हैं। जब महाअधिवेशन का सत्र न चल रहा हो, तब केन्द्रीय समिति ही उच्चतम निकाय है।

5.9 केंद्रीय समिति अपना सचिव चुनती है, जिन्हे पार्टी का महासचिव कहा जाता है। केन्द्रीय समिति पार्टी के एक या अनेक सार्वजनिक वक्ता भी चुन सकती है। केन्द्रीय समिति की परिपूर्ण सभा को हर तीन महीने बाद, यानि वर्ष में चार बार, बुलना जरूरी है। केन्द्रीय समिति के उम्मीदवार सदस्य परिपूर्ण सभाओं में भाग लेते हैं, जहां उन्हें सलाहकार वोट का अधिकार होता है।

5.10 केंद्रीय समिति अपने फैसलों के लागू किये जाने पर जांच करने के दैनिक काम के लिये अपने सचिव–दल का चयन करती है। पार्टी का महासचिव केंद्रीय समिति के सचिव–दल की अगुवाई करता है।

5.11 अपना काम करने के लिये, केन्द्रीय समिति कुछ ऐसे पार्टी संगठन बना सकती है, जो सीधे तौर पर उसे रिपोर्ट दे। केन्द्रीय समिति पार्टी के केन्द्रीय अखबार (प्रकाशित व ई–माध्यम) के संपादकीय मंडल को नियुक्त करती है तथा सीधे तौर पर उसकी अगुवाई करती है। केन्द्रीय समिति पार्टी के स्थानीय संगठनों द्वारा पार्टी के अखबारों के प्रकाशन की अनुमति देती है।

5.12 केन्द्रीय समिति इंकलाब के सिद्धान्त को विकसित करने पर खास ध्यान देती है। वह इस काम को लगातार व पेशेवर तरीके से करने के लिये सैद्धान्तिक कार्यदल की नियुक्ति करती है।

5.13 केन्द्रीय समिति इलाका समितियों से रिपोर्ट लेती है, बैठकों के मिनिट्स लेती है और इलाका समितियों के काम का मार्गदर्शन करती है। इलाका समितियां देश के हर इलाके में उच्चतम निर्वाचित समितियां होती हैं। इस काम के लिये केन्द्रीय समिति केन्द्रीय नियंत्रण समिति (मिनिट्स) की स्थापना करती है। केन्द्रीय नियंत्रण समिति की जिम्मेदारियां हैं:

(क) मिनिट्स की नियमित समीक्षा करना, सभी स्तरों पर यह देखना कि पार्टी के संविधान व कायदों का पालन किया जा रहा है;

(ख) पार्टी अनुशासन व अनुशासनीय कार्यवाहियों के प्रयोग की जांच करना;

(ग) सदस्यों और उम्मीदवार सदस्यों की अपीलों व शिकायतों पर विचार करना।

5.14 केन्द्रीय समिति पार्टी की केन्द्रीय बजट को संभालती है। केन्द्रीय समिति केन्द्रीय वित्त समिति की स्थापना करती है, जो केन्द्रीय समिति समेत पार्टी के सभी संगठनों के वित्त साधनों का लेखा–परीक्षण करने की जिम्मेदारी निभाती है।

5.15 केन्द्रीय समिति काम के कुछ अहम मोर्चों की देखरेख के लिये खास पार्टी संगठन स्थापित कर सकती है, जैसे कि सभी शोषित तबकों का संयुक्त मोर्चा, नौजवानों का, महिलाओं का आदि के मोर्चे।

5.16 केन्द्रीय समिति अपने काम और जीवन में, आलोचना और आत्म–आलोचना को आदत व तरीका बतौर इस्तेमाल करती है। केन्द्रीय समिति यह सुनिश्चित करती है कि केन्द्रीय समिति के सदस्य दृढ़ भावना के साथ, अपने व्यक्तिगत और सामूहिक काम में गलतियों और कमियों का खुलासा करें तथा उन्हें दूर करें। केन्द्रीय समिति पार्टी के कार्यक्रम व संविधान के किसी भी उल्लंघन का पर्दाफाश करती है व उसके खिलाफ़ डटकर संघर्ष करती है।

5.17 केन्द्रीय समिति पार्टी की अंदरूनी जानकारी की रक्षा करती है, गोपनीयता और संगठनात्मक मामलों पर पार्टी की कार्यदिशा की रक्षा करती है।

5.18 केन्द्रीय समिति काम के हर क्षेत्र में असंगठन, कुप्रबंधन, मंद गति और नौकरशाही के खिलाफ़ डटकर संघर्ष करती है।

5.19 केन्द्रीय समिति का कोई सदस्य किसी स्तर को टाल कर, नीचे के स्तर के किसी संगठन से सीधा संबंध नहीं बना सकता। अगर कभी किसी स्थानीय समस्या में केन्द्रीय समिति के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है, तो यह किसी को टाले बिना, उन इलाका कमेटियों के सचिव व सचिव–दलों के साथ सलाह करके किया जायेगा।

6. इलाकों में पार्टी संगठन

6.1 इलाके में, इलाका पार्टी गोष्ठी पार्टी की उच्चतम निकाय है। इलाका पार्टी गोष्ठी हर साल में एक बार होती है, जिसमें इलाका समिति का चुनाव किया जाता है। विशेष हालतों में इलाका गोष्ठी अपने नियत समय से पहले हो सकता है या अति विशेष हालतों में उसे स्थगित किया जा सकता है। दो गोष्ठियों के दरमियान इलाका समिति, इलाके का उच्चतम निकाय है।

6.2 ये निकाय अपने काम में पार्टी और उसकी केंद्रीय समिति की कार्यदिशा व फैसलों से मार्ग दर्शन प्राप्त करते हैं।

6.3 इलाका समिति, केन्द्रीय समिति के आदेश और मंजूरी के साथ, इलाका पार्टी गोष्ठी को बुलाती है। अगर इलाके के आधे पार्टी सदस्य मांग करते हैं, तब भी गोष्ठी बुलाई जा सकती है। केन्द्रीय समिति द्वारा नियुक्त किये गये दर्शक इलाका पार्टी गोष्ठी के संचालन पर तथा नयी इलाका समिति के चुनाव पर निगरानी रखते हैं।

6.4 इलाका पार्टी गोष्ठी में प्रतिनिधित्व के नियम और नुमाइंदों के चुनाव का तरीका इलाका समिति द्वारा तय किये जाते हैं।

6.5 इलाका पार्टी गोष्ठी इलाका समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करती है व उसका अनुमोदन करती है, उस इलाके में पार्टी के काम व समस्याओं का अध्ययन करती है और आगे के काम का आम मार्गदर्शन करती है।

6.6 इलाका पार्टी गोष्ठी, पार्टी की इलाका समिति का चुनाव करती है। इलाका समिति में कितने सदस्य और उम्मीदवार सदस्य होंगे, यह भी इलाका पार्टी गोष्ठी तय करती है।

6.7 इलाका पार्टी गोष्ठी के सभी फैसलों को केंद्रीय समिति की मंजूरी प्राप्त होनी चाहिये।

6.8 इलाका समिति की पूर्ण सभा कम–से–कम दो महीने में एक बार होनी चाहिये।

6.9 इलाका सचिव–दल द्वारा इलाका समिति की सभा बुलाई जाती है, या इलाका समिति के आधे सदस्यों की मांग पर।

6.10 इलाका समिति उस इलाके में, अपनी जिम्मेदारी के अन्दर आने वाले सभी पार्टी संगठनों के काम को अगुवाई देती है। वह यह सुनिश्चित करती है कि पार्टी की आम कार्यदिशा पर अमल हो रहा है। इलाका

समितियां अपने–अपने क्षेत्रों में बुनियादी संगठनों की स्थापना को मंजूरी देती हैं और ये बुनियादी संगठन उसे रिपोर्ट देते हैं। इलाका समिति काम की जरूरतों के अनुसार मौजूदा बुनियादी संगठनों को वैसे ही चलने देती है या पुनर्गठित करती है। इलाका समिति सुनियोजित रूप से योजना बनाती है, इलाके में पार्टी के सदस्यों को काम सौंपती है, इलाके में पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिये तरह–तरह के कार्यक्रम आयोजित करती है और इलाके के बजट को संभालती है।

6.11 इलाका समिति अपनी जिम्मेदारी के अन्दर आने वाले बुनियादी संगठनों से नियमित मिनिट्स और रिपोर्ट लेती है। वह केंन्द्रीय समिति को अपने काम व कार्यक्रम का नियमित (कम से कम हर तीन महीने में एक बार) रिपोर्ट देती है और उस इलाके में सभी पार्टी संगठनों को अपने काम का नियमित रिपोर्ट देती है।

6.12 इलाका समिति इलाका सचिव और सचिव–दल का चुनाव करती है। इलाका सचिव दल में कितने सदस्य होंगे, यह इलाका समिति तय करती है। इलाका सचिव–दल की जिम्मेदारी है इलाका समिति के रोज के काम–काज को अगुवाई देना, इलाका समिति के फैसलों को लागू करना, काम को चलाना और इलाका समिति के सत्रों के दरमियान, इलाके में लिये गये फैसलों को लागू करने के काम को संगठित व नियंत्रित करना।

6.13 इलाका समिति अपने जीवन व काम में आलोचना व आत्म–आलोचना के साधन को आदत व काम का तरीका बतौर इस्तेमाल करती है। इलाका समिति सभी कामरेडों में वह दृढ़ भावना भर देती है कि व्यक्तिगत व सामूहिक काम में गलतियों व खामियों का पर्दाफाश करना चाहिये तथा उन्हें दूर करना चाहिये। इलाका समिति पार्टी के कार्यक्रम व संविधान के उल्लंघन का पर्दाफाश करती है तथा इनके खिलाफ़ डटकर संघर्ष करती है।

6.14 इलाका समिति पार्टी की अंदरूनी जानकारी की रक्षा करती है, गोपनीयता और संगठनात्मक मामलों में पार्टी की कार्यदिशा की रक्षा करती है।

6.15 इलाका समिति काम के हर क्षेत्र में असंगठन, कुप्रबंधन, मंद गति व नौकरशाही के खिलाफ़ संघर्ष करती है।

6.16 इलाका समिति, केन्द्रीय समिति व इलाका गोष्ठी की अनुमति के साथ, कई अन्तः इलाका क्षेत्रीय गोष्ठी आयोजित कर सकती है। ऐसी गोष्ठी में क्षेत्रीय समितियों का चयन किया जा सकता है (जैसे कि जिला समिति या शहर समिति), जो इलाका समिति की अगुवाई में काम करती हैं। किसी जिले के पार्टी बुनियादी संगठनों के प्रतिनिधियों की गोष्ठी में जिला समिति का चयन किया जाता है; जिला समिति फिर अपना जिला सचिव–दल चुनती है और उस जिले में पार्टी की आम कार्यदिशा को लागू करने के काम को अगुवाई देने की जिम्मेदारी निभाती है।

6.17 जिला समितियों के काम करने के नियम, कायदे, प्रक्रियायें, आदि वही हैं जो इलाका समिति पर लागू होती हैं, परन्तु फर्क इतना है कि जिला समिति के ठीक ऊपर का संगठन इलाका समिति है, जिसके अधीन वह काम करती है।

6.18 अपने काम में मदद के लिये, इलाका समिति अपने तंत्र के अंदर, जरूरत के अनुसार, छोटे दल और आयोग बना सकती है। इन निकायों का कोई और काम या अधिकार नहीं होता है, इसके सिवाय कि वे इलाका समिति के काम की सहायता करें। ये दल और आयोग दैनिक तौर पर इलाका समिति के सचिव दल की अगुवाई में काम करते हैं।

7. पार्टी के बुनियादी संगठन

7.1 बुनियादी संगठन पार्टी की नींव और जीवनदायी खून हैं। ये जनसमुदाय के बीच, वर्ग संघर्ष के तंत्र हैं। ये आम तौर पर जनता के बीच, काम की जगहों या रिहायशी क्षेत्रों में स्थापित किये जाते हैं, मसलन फैक्ट्री या दफ्तर, रिहायशी बस्ती या मुहल्ला, कालेज या स्कूल परिसर, बागान या गाँव, आदि में। हर बुनियादी संगठन में कम से कम तीन सदस्य होने चाहियें, जिनमें दो पार्टी के पूर्ण सदस्य होने चाहियें।

7.2 बुनियादी संगठन इलाका समिति की मंजूरी के साथ स्थापित किये जा सकते हैं। बुनियादी संगठन अपने सचिव और, जरूरत होने पर, सचिव दल का चयन करते हैं। बुनियादी संगठन की बैठक बुलाना, बैठक का अजेंडा तैयार करना, बैठक का संचालन करना, यह सुनिश्चित करना कि बैठक के मिनिट्स तैयार करके निर्धारित समय के अन्दर, उच्चतर पार्टी संगठन को दिये जाते हैं, ये सब बुनियादी संगठन के सचिव/सचिव दल की जिम्मेदारियां हैं।

7.3 बुनियादी संगठन नियमित तौर पर मिलते हैं, अपने काम की योजना बनाते हैं, जो कि उच्चतर निकाय की योजनाओं के अनुसार होने चाहियें तथा पार्टी की आम कार्यदिशा के अनुसार भी। वे बहादुरी से अपने लक्ष्य तय करते हैं, व्यक्तिगत जिम्मेदारियां सौंपते हैं और जिम्मेदारियों की पूर्ति पर जांच करते हैं तथा बुनियादी संगठन की बैठक में अपने अनुभवों की समीक्षा करते हैं।

7.4 बुनियादी संगठन वे साधन हैं जिनके जरिये पार्टी समाज के विभिन्न वर्गों के आन्दोलन को प्रभावित करती है तथा अपने अंदर नये सदस्यों की भर्ती करती है।

7.5 बुनियादी संगठन कम्युनिज्म के स्कूल हैं। उनका फर्ज़ और जिम्मेदारी है:

(क) व्यक्तिगत सदस्यों को मदद व प्रशिक्षण देना, ताकि वे कम्युनिस्ट नैतिकता के उच्चतम मानकों को अमल में ला सकें और सभी सरमायदारी व निम्न–सरमायदारी धाराओं की ओर कट्टर विरोध का रवैया अपना सकें;

(ख) बुनियादी संगठन के जीवन व काम में आलोचना व आत्म–आलोचना के साधन को एक आदत व काम के तरीके बतौर इस्तेमाल करना। बुनियादी संगठन में कामरेडों को सिखाया जाता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक काम में गलतियों और खामियों का पर्दाफाश करने व उन्हें दूर करने के लिये दृढ़ भावना होनी चाहिये और बुनियादी

संगठन पार्टी के कार्यक्रम व संविधान के उल्लंघन का पर्दाफाश करने व उन्हें दूर करने के लिये डटकर संघर्ष करता है;

(ग) पार्टी की कार्यदिशा, फैसलों व निर्देशों को लागू करने के लिये, मजदूरों, किसानों और मेहनतकशों के शिक्षण के लिये, राजनीतिक, विचारधारात्मक, प्रचारक तथा संगठनात्मक काम करना;

(घ) पार्टी की श्रेणियों को मजबूत करने, उनकी शुद्धता, भाईचारे व एकता को बनाये रखने, नये सदस्यों को पार्टी में भर्ती करने, नये कम्युनिस्टों को शिक्षण दिलाने, पार्टी सदस्यों के अधिकारों का आदर व हिफाजत करने के लिये काम करना;

(ङ) पार्टी की अंदरूनी जानकारी की रक्षा करना, गोपनियता व संगठनात्मक मामलों में पार्टी की कार्यदिशा की रक्षा करना;

(च) पार्टी सदस्यों और उम्मीदवार सदस्यों के राजनीतिक, विचारधारात्मक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक प्रशिक्षण को आयोजित करना, यह जांच करना कि उन्होंने पार्टी की राजनीतिक व विचारधारात्मक कार्यदिशा और मार्क्सवाद–लेनिनवाद के असूलों में कुशलता हासिल की है या नहीं;

(छ) सदस्यों और उम्मीदवार सदस्यों को काम सौंपना, ताकि उनकी पहलशक्ति विकसित हो तथा उन्हें प्रशिक्षण मिले। बुनियादी संगठन यह सुनिश्चित करता है कि फैसले लेने व लागू करने में सामूहिक तरीका अपनाया जाये। बुनियादी संगठन लगातार जांच करता है कि सौंपा गया काम पूरा हुआ या नहीं, पार्टी के फैसलों को संपूर्ण व इंकलाबी तरीके से लागू करने में सदस्यों का मार्गदर्शन करता है। पार्टी के बुनियादी संगठनों को इंकलाबियों को तैयार करने वाले सच्चे केंद्र बनना चाहिये और कम्युनिस्टों को मजबूत करने व शिक्षण देने के महान स्कूल बनने चाहियें;

(ज) काम के हर क्षेत्र में असंगठन, कुप्रबंधन, मंद गति व नौकरशाही के खिलाफ़ संघर्ष करना;

(झ) पार्टी के प्रकाशनों, खास तौर पर पार्टी के नियमित अखबार का अध्ययन व उस पर चर्चा करना। बुनियादी संगठन को अपनी पूरी ताकत का 25 प्रतिशत अखबार के लिये लिखने, अखबार पर अपना विचार देने तथा अखबार का वितरण करने पर लगाना चाहिये;

(ञ) हर हफ्ते या कम से कम दो हफ्तों में एक बार सभा बुलाना। बुनियादी संगठन को नियमित तौर पर अपना मिनिट्स, हर सभा के बाद दो दिन के अन्दर, उस उच्चतर निकाय को देना चाहिये, जिसे वह रिपोर्ट देता है, और बुनियादी संगठन में चर्चा के बाद कम से कम हर महीने में एक बार रिपोर्ट देनी चाहिये;

(ट) पार्टी को योगदान के रूप में सदस्यों और उम्मीदवार सदस्यों से मासिक चंदा इकट्ठा करना। जिस जनसमुदाय के बीच बुनियादी संगठन काम करता है, उससे धन इकट्ठा करना भी उसकी जिम्मेदारी है। इन तरीकों से बुनियादी संगठन और उच्चतर निकायों के काम के लिये धन जुटाने में योगदान दिया जाता है।

7.6 सिर्फ इलाका समिति ही, इलाके के काम के पूनर्गठन बतौर, केन्द्रीय समिति की मंजूरी के साथ, बुनियादी संगठनों को भंग कर सकती है।

8. सचिवों की भूमिका

8.1 हरेक पार्टी संगठन अपने काम की पूरी जिम्मेदारी को संभालने के लिये एक सचिव का चुनाव करता है। सचिव का काम है नियमित तौर पर संगठन की बैठक बुलाना, हर सभा के लिये प्रस्तावित अजेंडा तैयार करना, बैठकों का संचालन करना और बैठकों के दरमियान, संगठन द्वारा लिये गये फैसलों के अमल की देख–रेख करना। पार्टी संगठन के फैसलों पर अमल की दिन–ब–दिन देख रेख करने के लिये, वह पार्टी संगठन एक सचिव दल भी चुन सकता है।

8.2 पार्टी संगठन की बैठक के दौरान, सचिव चर्चा को चलाता है और अगुवाई देता है, परंतु उसके कोई विशेष अधिकार नहीं होते; सचिव के

वही अधिकार होते हैं जो संगठन के बाकी सभी सदस्यों के होते हैं और सचिव पर भी वही समान अनुशासन लागू होता है, जो सभी पार्टी सदस्यों पर लागू होता है।

8.3 पार्टी के किसी भी काम के संदर्भ में फैसला लेने वाला प्राधिकरण उस पार्टी संगठन की बैठक है। पार्टी संगठन की पूर्ण बैठक का स्थान सचिव या सचिव–दल नहीं ले सकता है।

8.4 सचिव का काम है पार्टी संगठन के हर व्यक्तिगत सदस्य के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि बैठकों की पूरी तैयारी की जाये, कि संगठन के काम से उभरने वाले मुद्दों पर खुलकर, पूरी चर्चा हो, कि सभी सदस्य अपने दिल की बात रखने की आजादी महसूस करें। सचिव का फर्ज़ है यह सुनिश्चित करना कि मिनिट्स तैयार किये जायें और निर्धारित समय के अंदर उच्चतर निकाय को दिये जायें।

8.5 सचिव को यह सुनिश्चित करना होगा कि बुनियादी संगठन में खुलकर, सकारात्मक आलोचना व आत्म–आलोचना हो। काम में कमियों को दूर करने तथा काम को आगे बढ़ाने के लिये, सचिव को आलोचना और आत्म–आलोचना के असूल की हिफाजत करनी चाहिये और खुद एक मिसाल बनकर इसमें अगुवाई देनी चाहिये।

8.6 हरेक पार्टी संगठन के सचिव की यह जिम्मेदारी है कि जब वह अनुपस्थित होता है तो एक द्वितीव सचिव नियुक्त किया जाये, जो उसकी अनुपस्थिति में उसका काम संभालेगा/संभालेगी। यह नियुक्ति तभी लागू होती है जब पार्टी संगठन की सभा में इसकी मंजूरी दी जाती है।

9. पार्टी का प्रसार माध्यम

9.1 पार्टी का प्रसार माध्यम में शामिल हैं पार्टी के सभी प्रकाशन, सभी भाषाओं के प्रकाशन, जिन पर पार्टी का नाम छपा होता है।

9.2 पार्टी का अखबार, मजदूर एकता लहर, और सभी भाषाओं में उसके संस्करण, पार्टी की केन्द्रीय समिति का अखबार है। यह अखबार मजदूर वर्ग के अगुवा तबकों को, सभी पार्टी सदस्यों को, मजदूर वर्ग के सभी संगठकों तथा अन्य कम्युनिस्टों को संबोधित करता है।

9.3 पार्टी का अखबार एक प्रचारक, आन्दोलन–कर्ता और संगठक है। यह पार्टी के विचारों का प्रचार करने, सांझे मुद्दों पर अलग–अलग जगहों में राजनीतिक आन्दोलन संगठित करने और नये संपर्क बनाने, नये सदस्यों को भर्ती करने और नये बुनियादी संगठन बनाने के लिये, पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों में एक साधन है।

9.4 पार्टी के अखबार, वेब व छपे संस्करण, का उत्पादन केन्द्रीय समिति की जिम्मेदारी है, जिसे वह एक संपादकीय कार्यमंडल को सौंपती है। हिन्दोस्तान के सभी लोगों तथा विदेशों में निवासी हिन्दोस्तानियों में पार्टी का प्रभाव बढ़ाना पार्टी की जिम्मेदारी है। हरेक इलाका समिति को अपने इलाके की भाषा में पार्टी के अखबार के संस्करण को निकालने के लिये एक संपादकीय कार्यमंडल नियुक्त करना चाहिये। हर इलाके व भाषा के संस्करणों में स्थानीय सभाओं, संघर्षों और दूसरे ऐसे मुद्दों पर खबरें होनी चाहियें, जो वहां की जनता पर असर डालने वाली समस्याओं से संबंधित हों। यह सुनिश्चित करना हरेक इलाका समिति की जिम्मेदारी है कि इलाके की भाषाओं के संस्करणों में नीति व कार्यदिशा पार्टी की कार्यदिशा के अनुसार हैं।

9.5 पार्टी प्रेस का प्रसार माध्यम इंकलाब और समाजवाद के लिये मजदूर वर्ग को संगठित करने के दौरान सामने आने वाली राजनीतिक, विचारधारात्मक और संगठनात्मक समस्याओं को हल करने में अगुवाई देता है। यह पार्टी के सदस्यों और समर्थकों को शिक्षित करने और पार्टी की आम कार्यदिशा तथा इंकलाबी सिद्धांत को समझने में मदद करता है। यह सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जानकारी, समाचार विश्लेषण और तर्कों से लैस करता है, जिन्हें वह सरमायदारों के खिलाफ़ वर्ग संघर्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं।

9.6 हरेक इलाका व जिला समिति को तथा उन्हें रिपोर्ट देने वाले बुनियादी संगठनों को जरूर पहले से ही बताना चाहिए कि उन्हें वितरण के लिये पार्टी के अखबार व अन्य प्रकाशनों की कितनी कापियां चाहियें। उन्हें इन प्रतियों के लिये पहले से, नियमित तौर पर, पैसे देना चाहिये और बिक्री व इकट्ठे किये गये पैसे का हिसाब रखना चाहिये, जिसे उचित माध्यम के जरिये, हर तीन महीने बाद, केन्द्रीय समिति को दिया जाना चाहिये।

9.7 सभी बुनियादी संगठनों की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि पार्टी के अखबार को मजबूत करने और कायम रखने के लिये सक्रियता से लेख लिखें, पत्र व रिपोर्ट लिखें, अनुवाद करें, अखबार का वितरण नियमित तौर पर करें तथा वित्तीय योगदान दें।

10. पार्टी और जन संगठन

10.1 हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी साम्राज्यवाद और सरमायदारों के समाज–विरोधी हमले के खिलाफ़ सांझे संघर्ष में जनसमुदाय के सभी संगठनों के साथ एकता और सहकार्य चाहती है।

10.2 पार्टी ऐसे प्रकरण बनाने की कोशिश करती है, जिनके जरिये इस संघर्ष में जुटी, देश की शोषित जनता को एकताबद्ध राजनीतिक अगुवाई दी जा सके।

10.3 पार्टी रणनैतिक अहमियत वाले जन संगठनों को स्थापित करने में पहल और अगुवाई देती है, साथ ही साथ मजदूरों, किसानों, महिलाओं, बुद्धिजीवियों व नौजवानों के मौजूदा जन संगठनों के काम में भी हिस्सा लेती है।

10.4 जन संगठनों में पार्टी के सदस्यों का भाग लेना एक अहम साधन है, जिससे मजदूर वर्ग और उसके मित्रों वर्गो की राजनीतिक एकता बनाने के पार्टी के काम को विकसित किया जाता है। जन संगठन में काम

करने वाले हर पार्टी सदस्य को, जनता की समस्याओं का इंकलाबी समाधान निकालने में अपनी निष्ठा के जरिये, जनता के सामने एक मिसाल बनने की कोशिश करनी चाहिये।

10.5 जन संगठन के जीवन में सक्रियता से भाग लेकर कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के सदस्यों को यह सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिये कि जन संघर्ष को राजनीतिक नेतृत्व तथा संगठनात्मक संबद्धता दी जाये, ताकि वह सरमायदारों के खिलाफ़ वर्ग संघर्ष की ताकत को बढ़ाने में पूरा ताकत के साथ योगदान दे सके। पार्टी के सदस्यों को पार्टी की राजनीतिक कार्यदिशा को लागू करने के लिये उचित पहल, संघर्ष के व संगठन के तौर–तरीके विकसित करने होंगे।

10.6 जन संगठनों में काम करने वाले पार्टी सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिये, कि काम की योजना बनाने और उसे लागू करने में जन संगठन के सभी ऐसे सदस्य, जो पार्टी के सदस्य नहीं हैं, भी पूरी ताकत व चेतना के साथ भाग ले सकें। पार्टी सदस्यों को लगातार, सही राजनीतिक कार्यदिशा के इर्द–गिर्द जन संगठनों की राजनीतिक एकता बनाने व मजबूत करने का प्रयास करना चाहिये।

10.7 जन संगठनों में काम करने वाले पार्टी सदस्यों को अपने पार्टी संगठन में नियमित तौर पर व फौरन अपने काम की रिपोर्ट देनी चाहिये।

11. पार्टी के वित्तीय साधन

11.1 पार्टी अपने काम के वित्तीय समर्थन के लिये आम जनसमुदाय पर निर्भर है। जनता के बीच में काम करने वाले बुनियादी संगठनों को, पार्टी के काम के वित्तीय समर्थन के लिये, अपने समर्थकों व हमदर्दों से धन जुटाने की कोशिश करनी चाहिये। पार्टी आत्म–निर्भरता के असूल की हिमायत करती है और सभी पार्टी संगठनों को इस असूल की हिफ़ाज़त करनी चाहिये तथा इसे लागू करना चाहिये।

11.2 चूंकि धन का मुख्य स्रोत जनसमुदाय है, इसलिये धन जुटाने का काम मुख्यतः उन पार्टी संगठनों द्वारा किया जाता है जो जनता के बीच में काम करते हैं, यानि बुनियादी संगठन। हर बुनियादी संगठन को अपने राजनीतिक काम के खर्चे के लिये और उच्चतर निकायों के खर्चे में योगदान के लिये सदस्यों, समर्थकों और हमदर्दों से धन जुटाने की कोशिश करनी चाहिये। वित्तीय समर्थन, आम तौर पर, निम्नतर निकायों द्वारा उच्चतर निकायों को दिया जाता है।

11.3 केन्द्रीय समिति के काम के लिये धन इलाका समितियों द्वारा भेजे गये, मासिक तौर पर इकट्ठे किये गये पैसे से प्राप्त होता है, जो कि केन्द्रीय खर्चों में उनका योगदान होता है। केन्द्रीय खर्चों में शामिल हैं, केन्द्रीय समिति के प्रकाशन के खर्च, केन्द्रीय समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और परियोजनाओं के खर्च। केन्द्रीय समिति खास परियोजनाओं के लिये अपने सभी सदस्यों व समर्थकों के बीच खास अभियान चलाकर भी धन जुटा सकती है।

11.4 हरेक इलाका समिति और दूसरी निर्वाचित क्षेत्रीय समितियां, जहां भी वे हों, अपने काम के लिये धन निम्नतर निकायों को मिले योगदानों से और खुद अपने पैसे इकट्ठे करने के काम से प्राप्त करेंगी। हरेक ऐसी समिति अपने इकट्ठे किये गये धन का कम से कम 10 प्रतिशत (पेपर विक्री छोड़कर, क्योंकि इसका अलग हिसाब होता है) केन्द्रीय समिति को योगदान के रूप में देगी, जो उपयुक्त उच्चतर निकायों के सचिवों के जरिये भेजा जायेगा।

11.5 पार्टी के हर सदस्य और उम्मीदवार सदस्य का न्यूनतम मासिक वित्तीय योगदान उसके वेतन या आमदनी का एक तय किया गया हिस्सा होता है। यह एक दिन की आमदनी या मासिक आमदनी का 4 प्रतिशत हिस्सा तय किया जाता है। जिन सदस्यों की कोई आमदनी नहीं है, जैसे कि विद्यार्थी, बेरोजगार व दूसरों पर निर्भर लोग, उनके लिये बुनियादी संगठन का सचिव, उनकी क्षमता के अनुसार, उनका मासिक योगदान तय करता है, पर न्यूनतम मासिक रकम 10 रूपये है।

11.6 हर बुनियादी संगठन को समय–समय पर (मासिक) उसके उच्चतर निकाय को अपनी वित्तीय स्थिति का ब्यौरा देना चाहिये, और हर इलाका समिति को नियमित तौर पर (हर तीन महीने) केन्द्रीय समिति को अपनी वित्तीय स्थिति का हिसाब देना चाहिये। यह ब्यौरा उच्चतर निकाय को दी गई नियमित रिपोर्ट का ही हिस्सा होना चाहिये। केन्द्रीय समिति और हर इलाका समिति एक खजांची या वित्तीय समिति नियुक्त करती है, जिसका काम उस स्तर के आय–व्यय का हिसाब रखना और उसका ब्यौरा बनाना होता है।

11.7 हर स्तर पर पार्टी संगठनों को वित्तीय आय–व्यय पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिये, फजूल खर्ची के खिलाफ़ लड़ना चाहिये और संचित किये गये धन का, पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिये, ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिये। पार्टी संगठन ही सामूहिक तौर पर, अपने संगठन के काम से संबंधित सभी खर्चों पर फैसला लेता है।

12. अंतर्राष्ट्रीय संबंध

12.1 हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन और मजदूर वर्ग आंदोलन में दूसरी पार्टियों और संगठनों के साथ, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के आधार पर, एकता और पारस्परिक समर्थन के भ्रात्रीय संबंध बनाना चाहती है। कम्युनिस्ट आंदोलन में भ्रात्रीय पार्टियों के साथ अपने संबंधों में, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी आजादी, संपूर्ण समानता, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में गैर–दखलंदाजी, आपसी भ्रात्रीय सहयोग और पारस्परिक मदद के असूलों का पालन करती है। भ्रात्रीय पार्टियों के साथ संबंध बनाना व रखना पार्टी की केन्द्रीय समिति की जिम्मेवारी है।

12.2 हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी दुनिया भर में साम्राज्यवाद के खिलाफ़ संघर्ष कर रहे लोगों के साथ दोस्ती और नजदीक सहयोग चाहती है और दुनिया भर के मजदूर वर्ग और शोषित लोगों के इंकलाबी मुक्ति आंदोलनों को पूरी ताकत के साथ समर्थन देती है।

13. पार्टी का चिन्ह और झंडा

13.1 पार्टी का झंडा लाल झंडा होगा, जिसमें पार्टी का निशान होगा। झंडे की लंबाई उसकी चौड़ाई का डेढ़ गुना होगी। भूमंडल पर छाये हथौड़ा और दरांती, यह पार्टी का निशान होगा। भूमंडल के ऊपरी किनारे पर 3:2 के अनुपात का एक पांच–कोना सितारा होगा। हथौड़ा और दरांती, सितारा और भूमंडल की जाली का रंग सुनहरा पीला होगा। हथौड़ा और दरांती का चिन्ह मजदूर–किसान गठबंधन का प्रतीक है। सितारा और भूमंडल सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद का प्रतीक है।

संदेश

कनाडा की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) के प्रतिनिधिमंडल के नेता कामरेड पोलिवियोस सकानिकास द्वारा प्रस्तुत संदेश

कामरेड लाल सिंह,
अध्यक्षमंडल के साथियों,
भ्रात्रीय पार्टियों के साथियों,
महाअधिवेशन के नुमाइंदों व दोस्तों,

यह मेरे लिये सबसे बड़े सम्मान की बात है कि मुझे कनाडा की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) की केन्द्रीय समिति और उसके सभी सदस्यों व समर्थकों की तरफ से शुभकामनायें पेश करने का यह मौका मिला है। हमारी पार्टी के सदस्य व समर्थक आपकी पार्टी के जीवन व कार्य के इस सबसे महत्वपूर्ण अवसर पर आपके साथ एक हैं।

कामरेड सान्द्रा स्मिथ ने मुझे उनकी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनायें देने को कहा है और यह खेद व्यक्त करने के लिये भी कहा है कि आपके इस सबसे महत्वपूर्ण अवसर में शरीक होने के लिये वे खुद नहीं आ सकी। जिस इंकलाबी उत्साह से आप हिन्दोस्तानी इंकलाब व पार्टी के निर्माण की समस्याओं को हल कर रहे हैं, ताकि आपके इंकलाब की विजय के लिये जरूरी नेतृत्व दिया जा सके, वह दुनिया भर के उन सभी लोगों के लिये उत्साहदायी है, जो ऐसे ही काम में जुटे हुये हैं।

आज सारी दुनिया, और खास तौर पर आपका देश, संकट के बोझ से दबा जा रहा है, जो इंकलाब के पीछे हटने से और भी भयंकर हो गया है। परन्तु देशी व विदेशी सरमायदारों के निर्दयी उत्पीड़न व शोषण के खिलाफ़, इस देश के लोगों का प्रतिरोध अत्यधिक महत्व रखता है। हिन्दोस्तान के लोग हर दिन, अपनी हर कार्यवाही से, समाज में जरूरी बदलाव लाने की उनकी भूमिका

को नकारने के सब प्रयत्नों को असफल बनाने की दृढ़ता दर्शाते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि समाज की प्रगति का रास्ता खोलने का यही तरीका है।

प्यारे साथियों, मैं इस अवसर पर हमारी पार्टी के संस्थापक व नेता, कामरेड हरदयाल बैंस, जो पंजाब व हिन्दोस्तान के लोगों के सच्चे सपूत थे और कनाडा के मजदूर वर्ग के इंकलाबी संघर्ष की पैदाइश थे, जिस मजदूर वर्ग का एक अटूट हिस्सा हिन्दोस्तानी मूल के लोग भी हैं, उनका कथन पेश करना चाहूंगाः

"हमारे दिल करोड़ों मजदूरों के दिलों के साथ धड़कते हैं। यही हमें अपनी विचारधारा देता है, हमें सच व झूठ का फर्क दिखलाता है, और इसी आधार पर हम आगे बढ़ते हैं।"

कामरेड बैंस के अनुसार, हम गलत नहीं हैं जब हम असली जीवन को अपने विकास का आधार बनाते हैं और मार्क्सवाद–लेनिनवाद को अपना मार्गदर्शक बनाते हैं। उन्होंने बताया कि इसी आधार पर हम उनके साथ जुड़ते हैं, जिन्होंने सभी कार्यों को सचेतता से और योजना के अनुसार करने की ठान ली है।

आज किसी भी प्रश्न को क्यों न लें, सरमायदारों के पास उसका कोई समाधान नहीं है। वे मानव–विरोधी, जागरुकता–विरोधी कारकों को नई हरकत में लाते हैं और अपने झूठे अभिमान के साथ, मानव जाति की सारी उपलब्धियों को नष्ट करने का पाश्विक रास्ता अपनाते हैं। ऐसा नहीं होने दिया जा सकता है!

साथियो, यह सूचना देते हुये हमें खुशी है कि इस साल, कनाडा की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) ने अपनी 'ऐतिहासिक पहल' की तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरु कर दी है ताकि दुनिया के लोगों के इस निर्णायक समय पर जागरुकता अपनी निर्णायक भूमिका निभा सके। यह ध्यान में रखते हुये कि जागरुकता की भूमिका कार्यान्वित करने से सामाजिक प्रगति की परिस्थिति तैयार होगी, कनाडा की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी), कनाडा के

मजदूर वर्ग व लोगों को उनके हित में, न कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी के हित में, संकट से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिये लामबंद कर रही है। इस संदर्भ में, सबसे तीखा संघर्ष इस मुद्दे पर चल रहा है कि हर देश में वहां के लोगों की जरूरतों, ठोस वास्तविकताओं व विचार–सामग्री के अनुसार, कैसा लोकतंत्र व कैसी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिये।

हम एक ऐसी पार्टी का निर्माण करने में जुटे हुए हैं जो इस परिस्थिति में मजदूर वर्ग व लोगों के हित में हस्तक्षेप कर सके, जो मजदूर वर्ग को राष्ट्र निर्माण के कार्य में सबसे अगुवा बना सके व समाज की प्रगति का रास्ता खोल सके। हमें कोई संदेह नहीं है कि बर्तानवी–अमरीकी प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र के नाम से जानी जाने वाली, हमारे ऊपर थोपी गयी व्यवस्था से मानव जाति तभी छुटकारा पा सकेगी जब राजनीतिक व्यवस्था के लोकतांत्रिक नवीकरण का काम आगे बढ़ेगा। यह व्यवस्था इतनी अंतर्विरोधपूर्ण व प्रतिक्रियावादी है कि इसमें समाज के सबसे घटिया व घिनावने तत्व समाज के निर्णय लेते हैं, जिससे सबतरफा संकट और गहरा हो रहा है, समाज की प्रगति रुकी हुई है तथा फाशीवाद व जंग का खतरा पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है।

हमारी पार्टी का यह दृढ़ विश्वास है कि समाज के हर स्तर के लोगों को, हर क्षेत्र में, अपनी यथार्त परिस्थितियों के अनुसार अपने हित में, खुद अपनी समस्याओं का समाधान निकालने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिये, सक्षम बनाने के सभी प्रयास हमें करने होंगे।

यह कोई आकस्मिक बात नहीं है कि जैसे–जैसे इस व्यवस्था की सड़न जाहिर होती जा रही है, वैसे–वैसे अमरीकी साम्राज्यवाद का मुखिया, जॉर्ज डब्ल्यू. बुश, छल–कपट से दूसरी बार चुनाव जीत कर, पूरी दुनिया को धमका रहा है कि अगर लोग उसकी व्यवस्था को नहीं अपनाते हैं तो उन्हें और भी भयानक दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब है उनके आत्मनिर्धारण के अधिकार को नकारना, यानि कि अपने अस्तित्व के अधिकार को ही नकारना तथा अमरीकी हुक्मों के सामने उन्हें घुटने टेक देने को मजबूर करना।

कनाडा की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) की राय में, हर देश

के लोगों के द्वारा अपनी मर्जी की व्यवस्था चुनने के अधिकार का मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कामरेड बैंस ने इस बात पर ध्यान दिलाया था कि सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद और सारी दुनिया में एक मानव जाति कायम करने के लिये, सभी लोगों की सोच को अपनी–अपनी राष्ट्रीय हालतों के अन्दर विकसित करना एक लाजमी शर्त है। सत्ता हाथ में लेने के लिये यह पहला कदम है, ऐसी सत्ता के लिये, जो दबे–कुचले लोगों की मांगों की पूर्ति के लक्ष्य का नतीजा हो। लोगों को सशक्त करने के उद्देश्य से, लोगों के जीवन के असली संघर्ष में हस्तक्षेप करने से हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमें एक स्तर के संघर्ष से अगले स्तर के संघर्ष तक जाने के लिये आत्मविश्वास मिलता है। यही इंकलाबी हित की हिफ़ाज़त कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि हम इंकलाबी मार्क्सवादी–लेनिनवादी बने रहें, जैसा कि लोग हमसे मांग करते हैं।

साथियों, हिन्दोस्तान के वीर लोगों, जिनके बारे में वीर गाथाएं लिखी जाती हैं, उनके सबसे सर्वश्रेष्ठ नुमाइंदों के बीच में होने की प्रसन्नता और कामरेड बैंस, जिनके साथ 1968 में मोन्ट्रीयाल में इंटरनैशनलिस्ट्स के पुनर्गठन के पहले दिनों से, मैं कन्धे से कन्धा मिला कर, लड़ता आया हूँ, उनकी जन्मभूमि में होने की प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिये मुझे इज़ाजत दीजिये। कामरेड बैंस और उनके द्वारा स्थापित व तीस साल तक नीत पार्टी, जो आज भी बहादुरी से आगे बढ़ रही है, उसके नेतृत्व की वजह से तथा उनके उदाहरण का अनुसरण करके, मैं न केवल एक कनाडा का सर्वहारा, एक प्रखर यूनानी देशभक्त, एक सक्रिय साम्राज्यवाद–विरोधी और मार्क्सवादी–लेनिनवादी कम्युनिस्ट हूँ बल्कि इंकलाब की राह में अपना योगदान भी देते रहने के काबिल हूँ।

दक्षिण एशिया के लाखों बेटों और बेटियों की तरह, कई पीढ़ियों से, हम यूनानी लोगों ने भी अपनी आजादी, अपने आत्म–सम्मान व अपनी सांस्कृति के लिये संघर्ष किया है। हमें अपने देश से दूर देशों में उत्प्रवासन करने के लिये मजबूर होना पड़ा है, जहां हमें बड़े अपमान सहने पड़े हैं। परन्तु इससे हमें अपने आप को सर्वहारा बनाने और दुनिया के कोने–कोने से आये हमारे वर्गीय भाई–बहनों से एकता बनाने का मौका भी मिला है, ताकि हम अपने संघर्ष को मजबूत करके विकास का अगला चरण लायें, वह दूसरी दुनिया बनायें जो पुराने समाज के

गर्भ में है और जन्म लेने के लिये कोशिश कर रही है।

व्यक्तिगत रूप से यह यात्रा एक खोज की यात्रा रही है। यह सिर्फ वह स्थान नहीं है जिसे मेसेडोनिया का राजा सिकंदर, अपनी महान जीतों के बावजूद, न जीत सका था, बल्कि वह स्थान भी है, जहाँ शासन–सत्ता के विषय में विचार सामग्री खूब विकसित हुई, जिसकी यह पुकार है कि उसे वर्तमान में लाया जाये और आने वाली पीढ़ियों की सेवा में इस्तेमाल किया जाये। यूनानी फलसफे को तोड़–मरोड़ कर बुद्धिमत्ता–प्रेम के रूप में, उसकी गलत प्रस्तुति से सहमत होना तो दूर, मैं, एक यूनानी होने के नाते और कनाडा का मार्क्सवादी–लेनिनवादी होने के नाते, आपके फलसफे की तरह, इसे मानवों के बीच के संबंध तथा मानव और प्रकृति के बीच के संबंध का वर्णन मानता हूँ, जिसका मकसद है इन संबंधों को इस प्रकार विकसित करना ताकि ऐसा सामाजिक व प्राकृतिक पर्यावरण बन सके, जो मानवों के लिये उपयुक्त हो।

मैं यह विश्वास प्रकट करना चाहता हूँ कि आपके तीसरे महाअधिवेशन में किये गये विचार–विमर्श से आने वाले दिनों में आप और आगे बढ़ सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज, साम्राज्यवादियों व प्रतिक्रियावादियों द्वारा लाई जाने वाली तबाही से बचाने वाले बहादुर नायक व नायिकाएं जनता से ही उभर कर आने वाली हैं। अपनी सोच तथा कार्यवाही में मार्क्सवाद–लेनिवाद के अनुसार चलने वाली अपनी इंकलाबी मार्क्सवादी–लेनिनवादी पार्टी की अगुवाई में, लोग अपराजेय होंगे।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का तीसरा महाअधिवेशन जिन्दाबाद!

हमारी दोनों पार्टियों की संघर्षरत एकता जिन्दाबाद!

मार्क्सवाद-लेनिनवाद जिन्दाबाद!

दुनिया के मजदूरों व दबे-कुचले लोगों, एक हो!

ब्रिटेन की क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) के राष्ट्रीय वक्ता, क्रिस कोलमैन का संदेश

आपके तीसरे महाअधिवेशन में हमारी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अत्यधिक प्रसन्नता से भाग ले रहा है। आपकी पार्टी के इस पच्चीसवें वर्ष में, आपकी पार्टी के जीवन के इस सबसे महत्वपूर्ण अवसर पर, हम अपनी केन्द्रीय समिति व पूरी पार्टी की तरफ से, हार्दिक बधाई व शुभकामनायें लाये हैं।

इस महान देश के कोने–कोने से यहां आये, गौरवमय इंकलाबी परंपरा वाले योद्धाओं के बीच बैठ कर हम सम्मानित तथा अभिभूत हैं। यहां पुराने कम्युनिस्ट, जिनके पास आंदोलन का बेशुमार अनुभव है, से लेकर बड़ी तादाद में नौजवान तक, जिन्होंने लोगों के संघर्षों पर अपनी युवा–शक्ति की छाप लगायी है, सभी मौजूद है। इस चर्चा की गंभीरता व भावावेश ने हमारे दिलों को छू लिया है।

जब हम अपनी दोनों पार्टियों के इतिहासों को देखते हैं, जो हमारे मजदूर वर्गों के गर्भो से जन्मी है व संघर्ष की अग्नि में निखरी है और जिनके विचारधारात्मक व सैद्धांतिक संगठनात्मक असूल, कामरेड हरदयाल बैंस के काम से निकले हैं, जिन्होंने पहले हिन्दोस्तान में और बाद में विदेशों में काम किया था, तब हमें पता चलता है कि 1979 व 1980 से, जबसे हमारी पार्टियों का जन्म हुआ और उससे भी पहले से, हमारी दोनों पार्टियों के बीच अटूट संबंध हैं।

आपकी पार्टी की स्थापना के अवसर पर कोवेन्ट्री में आयोजित किये गये उत्सव में, बहुत से हिन्दोस्तानी मजदूरों व दूसरे लोगों के साथ, मैं भी मौजूद था।

हमारी पार्टी के स्वर्गीय महासचिव, कामरेड बकल, 1980 से लेकर कई बार हिन्दोस्तान आये थे और उन्होंने आपके साथ नज़दीकी से काम किया था। 1990 में मुंबई में हुये आपके पहले महाअधिवेशन में भाग लेने का सम्मान और सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था और वह मेरी याददाश्त में अभी भी तरो–ताजा है। बहुत सालों से मैंने कामरेड लाल सिंह के साथ नज़दीकी से काम किया है। मेरे विचार में, हमारी तीन पार्टियों, जिनके प्रतिनिधि आज यहां मौजूद हैं, के बीच के संबंध व सहयोग और भी मजबूत किये जाने चाहिये तथा ऐसे ही संबंध दूसरी पार्टियों के साथ स्थापित किये जाने चाहिये।

हम आज ख़तरनाक समय से गुजर रहे हैं। जैसा कि कामरेड बैंस ने इतनी सूझबूझ के साथ 1994 में ध्यान दिलाया था और जैसा हमारी पार्टी के दस्तावेज़ों व आपके दस्तावेज़ – "हिन्दोस्तान किस दिशा में?" – में प्रतिबिंबित है, इंकलाब के पीछे हटने के दौर में, प्रतिगामी ताकतें मानवता की हर उपलब्धि का नाश करने और नाज़ीवाद जैसा वहशीपन थोपने की कोशिश कर रही हैं। इराक में हाल में हुई घटनायें यही दर्शाती हैं। बर्तानवी–अमरीकी साम्राज्यवाद ने जंग को अपनी विदेश नीति का मुख्य साधन बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून व संप्रभुता के असूल दबा दिये गये हैं। लोगों के हकों पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं। साथ ही, निजीकरण व नव–उदारतावादी वैश्वीकरण के जरिये, लोगों द्वारा निर्मित सार्वजनिक संपत्तियों को निजी मुनाफे के लिये बलि चढ़ाया जा रहा है। दुनिया के लोगों के सामने विनाशकारी जंग व फाशीवाद का डरावना खतरा मंडरा रहा है।

अक्सर, वहशी हमलों के सामने लोगों को अपना संतुलन रखना मुश्किल होता है। इसके बावजूद, करोड़ों लोग, मानवता की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के लिये व अपनी भूमिका की पुष्टि करने के लिये लड़ रहे हैं। विकल्प के लिये व एक नई दुनिया के लिये और आने वाले खतरों के खिलाफ एक बहुत बड़ा, विश्वस्तरीय आंदोलन खड़ा हो रहा है। यह परिस्थिति जागरुकता, संगठन व एक नये समाज के नज़रिये की मांग कर रही है। सिर्फ समकालीन मार्क्सवादी–लेनिनवादी विचार से मार्गदर्शित कम्युनिस्ट ही, ऐसा नज़रिया पेश कर सकते हैं।

जैसा हर सरमायदारी सरकार व संसदीय पार्टी के लिये सच है, वैसे ही, ब्रिटेन में ब्लैयर और उसकी सरकार ने भी यह प्रकट किया है कि वे सरमायदारी व्यवस्था के ही साधन हैं। इन सरकारों व पार्टियों का संकट, सरमायदारी राज का संकट है। इस युग की शुरुआत में अक्तूबर क्रांति द्वारा एक नयी दुनिया का जन्म हुआ था। ब्रिटेन व दूसरे सरमायदारी राज्यों को उम्मीद थी कि फाशीवाद इस नयी दुनिया और इससे निकली संभावनाओं का विनाश कर सकेगा। पर उन्हें सफलता नहीं मिली। वे एक अंतर–साम्राज्यवादी जंग में फँस गये व अन्त में उन्हें फाशीवाद–विरोधी गठबंधन में जुड़ना पड़ा, जिसने जर्मनी के नाज़ीवाद, इटली के फाशीवाद और जापान के सैन्यवाद को हरा दिया। तब परिस्थिति शांति, लोकतंत्र व लोक–कल्याण के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये पुकार रही थी। परन्तु फाशीवाद–विरोधी गठबंधन को कम्युनिज्म के खिलाफ जिहाद में तब्दील कर दिया गया। दूसरे देशों की तरह ब्रिटेन में भी एक सामाजिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गयी, जिसके पीछे एक वजह थी लोगों को समाजवाद से दूर रखने का प्रयास। यह भी असफल रहा। 1970 तक, एक भयंकर आर्थिक संकट पैदा हो गया था। तब भी, आगे बढ़ने के बजाय, सरमायदार फिर एक बार पीछे को मुड़े। उन्होंने थेचर व रीगन की आर्थिक नीतियां थोपीं, परन्तु यह भी नहीं चल सकीं। सरमायदार फिर पीछे को गये और 'सामाजिक न्याय' व श्रम (लेबर) का नाम लेकर, थेचरवाद को ही आगे ले जाने के लिये, टोनी ब्लैयर को लाये, क्योंकि टोरी पार्टी ऐसा करने में असमर्थ साबित हुई।

जब 1997 में टोनी ब्लैयर सत्ता में आया था, तो शायद कुछ लोगों में भ्रम रहा होगा, पर जैसे–जैसे समय बीतता गया, वैसे–वैसे ब्लैयर प्रशासन सीधे तौर पर यह दिखा रहा है कि वह जंगफरोश, अंतर्राष्ट्रीय गुनहगार है जो 19वीं सदी के बस्तीवाद व उग्रराष्ट्रवाद को थोप रहा है और निगमित फाशी राज्य–सत्ता की बुनियाद बनाने वालों के रूप में उभर कर आया है। 11 सितंबर 2001 से ब्रिटेन में आपातकाल जैसी अवस्था है, जिसमें अपवाद का शासन चल रहा है। इराक पर जंग की सच्चाई जब सामने आने लगी, तब खुद ब्लैयर ने दावा किया कि सिर्फ उसका अपना ''दृढ़ विश्वास'' ही काफी था; उसे सिर्फ अपने भगवान को जवाब देने की जरूरत थी! दूसरे शब्दों में, नेता की इच्छा ही सबसे निर्णायक है। यह सरासर हिटलरवाद है!

ब्रिटेन में विकल्प के लिये एक अप्रत्याशित अनेकता वाला विशाल जन आंदोलन विकसित हो गया है। 15 फरवरी, 2004 के दिन लंदन में 20 लाख लोगों ने जंग के खिलाफ मोर्चा निकाला। कई रोचक पहलों में, जंग–विरोधी आंदोलन द्वारा एक जन संसद बिठाई गई, जिसमें अलग–अलग दलों से कई हजार प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पर दूसरी पहलों के जैसे, इस पहल को भी पुराने तरीके से आयोजित किया गया था जिसके निर्णय पहले ही बंद दरवाजों के पीछे लिये जा चुके थे और जो लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर रखता है। यह भी असफल रहा। हमारे विचार में, एक उद्देश्य के साथ, संगठित करने के नये तरीकों को ईजाद करने की जरूरत है। आगे बढ़ने का क्या रास्ता है? – इस विषय पर हमारी पार्टी ने लोगों के बीच हर जगह चर्चा करने का आह्वान किया है, जिसमें लोगों की असली समस्याओं पर ध्यान दिया जा सके, विचारधारात्मक मतभेद होने के बावजूद राजनीतिक मुद्दों पर एकमत स्थापित करके काम किया जा सके, काम के लिये नये संगठनात्मक तरीके ढूंढे जा सकें और मजदूरों का विरोध आंदोलन तैयार किया जा सके, ताकि मजदूर वर्ग की अगुवाई में लोग अपना अजेंडा लागू कर सकें व अपनी जिन्दगी पर खुद नियंत्रण कर सकें। जैसे कि 1945 में था, आज भी लोगों के सामने वही मुद्दे हैं – जनवाद, स्वतंत्रता और जन कल्याण।

चुनाव आने वाले हैं और हमारी पार्टी इनमें हस्तक्षेप के रास्ते खोज रही है, कि कैसे सभी ताकतों की भूमिका का खुलासा करते हुये अपना दांवपेंच चलायें। हमारे कामरेड लोकतांत्रिक नवीकरण आंदोलन के विविध मोर्चों, जंग–विरोधी आंदोलन और मजदूरों, महिलाओं, युवाओं व राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के आंदोलन, आदि में सक्रिय हैं। हम जनता की राजनीतिक एकता और कम्युनिस्टों की एकता के लिये काम कर रहे हैं।

बर्तानवी बस्तीवाद का एक प्रभाव यह था कि बड़े पैमाने पर हिन्दोस्तानी लोगों का आप्रवासन हुआ, जिनमें से कुछ लोग ब्रिटेन के सुदूर व ठंडे तटों पर भी पहुँचे। इसका नतीजा यह था कि हिन्दोस्तान से आये मजदूर ब्रिटेन के मजदूर वर्ग का एक अभिन्न व अहम हिस्सा बन गये हैं। निस्संदेह, आपके देश की इंकलाबी परंपराओं के कारण, उन्होंने हमारे देश में अपनी संख्या से बढ़कर, कहीं ज्यादा अधिक भूमिका अदा की है। हिन्दोस्तानी साथियों ने हमारी पार्टी

के काम में और इंडियन वर्कर्स एसोसिऐशन (ग्रेट ब्रिटेन) जैसे संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इन संगठनों में हिन्दोस्तानी मजदूरों को हमेशा बर्तानवी मजदूर वर्ग का हिस्सा समझा गया है। हिन्दोस्तानी मजदूर नस्लवाद व भेदभाव के खिलाफ संघर्ष में आगे हैं और हिन्दोस्तान में चल रहे संघर्षों को मदद देते हैं व हमें इनकी जानकारी देते हैं। साथ ही, हमारी पार्टी ने हमेशा जोर दिया है कि नस्लवाद व भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करना और सरमायदारों व श्रम अभिजात द्वारा थोपे गये उग्रराष्ट्रवादी विचारों का विरोध करना, पूरे मजदूर वर्ग का काम है। हमने सभी देशों के लोगों के संघर्ष का समर्थन करने के फर्ज पर भी जोर दिया है। हिन्दोस्तान से आये मजदूर व लोग हमारे देश में बहुत आदरणीय हैं और हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच वे एक पुल की तरह है। परन्तु सबसे महत्व का रिश्ता तो मजदूर वर्ग के हिरावल की पार्टियां होने के नाते, हमारी दोनों पार्टियों के बीच का रिश्ता है। अपने देश में इंकलाब के लिये काम करके और दूसरे देशों में ऐसे इंकलाबी लोगों का समर्थन करके, हम आप के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर काम कर रहे हैं।

इस मौके पर हम कामना करते हैं कि हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी को अपने तीसरे महाअधिवेशन में लिये गये निर्णयों को अमल में लाने में, हिन्दोस्तानी सिद्धांत का विकास करने के काम में, समाज के पुनर्निर्माण के लिये लोगों को जागरुकता देने व संगठित करने में, और निर्दयी पूंजीवाद की बस्तीवादी विरासत को खत्म करने में, सफलता मिले।

हमारी दोनों पार्टियों की एकता जिन्दाबाद!

सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद जिंदाबाद!

दुनिया के मजदूरों, एक हो!

पारित किये गए प्रस्ताव

1. रिपोर्ट पर

वर्ग संघर्ष को अगुवाई देते हुये, साथ–साथ पार्टी निर्माण के कार्य पर; तथा मजदूरों और किसानों की हुकूमत और स्वेच्छा पर आधारित हिन्दोस्तानी संघ की ओर बढ़ने के काम पर, केन्द्रीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर चर्चा करके; और

इस बात पर गौर करके कि प्रस्तुत किया गया विश्लेषण व मूल्यांकन, मार्क्सवाद–लेनिनवाद की विचारधारा के अनुकूल है व पार्टी की आम कार्यदिशा व सभी निर्णयों से मेल खाता है,

हम, 27 से 30 जनवरी 2005, को नयी दिल्ली में हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के तीसरे महाअधिवेशन में इकट्ठे हुये नुमायंदे,

रिपोर्ट को स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं तथा केन्द्रीय समिति को आदेश देते हैं कि इसे प्रकाशित व प्रचारित करने के लिये जारी करें।

2. हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के संविधान पर

पार्टी के निर्माण के दौरान, पूरी पार्टी के सहभाग से तैयार किये गये संविधान के मसौदे पर चर्चा करके व इस बात पर संतुष्ट होकर कि इसमें मजदूर वर्ग के इंकलाबी हिरावल दस्ते को तैयार करने के हिन्दोस्तान के व दुनिया भर के अनुभवों का समावेश है,

हम, 27 से 30 जनवरी 2005, को नयी दिल्ली में हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के तीसरे महाअधिवेशन में इकट्ठे हुये नुमायंदे,

प्रस्तुत किये संविधान को स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं और केन्द्रीय समिति को आदेश देते हैं कि इस महाअधिवेशन में व्यक्त मतों को ध्यान में रखते हुये अंतिम दस्तावेज जारी करे।

3. कार्य की योजना पर

हम, 27 से 30 जनवरी 2005, को नयी दिल्ली में हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के तीसरे महाअधिवेशन में इकट्ठे हुये नुमायंदे,

यहाँ प्रस्तुत व चर्चित काम की योजना, जो हिन्दोस्तान के आंदोलन की जरूरतों को सही तरह से दर्शाता है, को स्वीकार करते हैं, और

केन्द्रीय समिति को इस योजना को अमल में लाने के लिये सभी जरूरी कदम उठाने के लिये आदेश देते हैं।

4. सभी देशों की संघर्षरत ताकतों को सलाम

हम, 27 से 30 जनवरी 2005, को नयी दिल्ली में हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के तीसरे महाअधिवेशन में इकट्ठे हुये नुमायंदे,

अपना लाल सलाम और इंकलाबी अभिवादन भेजते हैं उन सभी देशों की भ्रात्रीय कम्युनिस्ट व मजदूर पार्टियों को, जो सरमायदारी के हमले के खिलाफ़, शांति व राजनीतिक प्रक्रिया के लोकतांत्रिक नवीकरण के लिये, इंकलाब व समाजवाद का रास्ता खोलने के लिये, अपने–अपने देशों में मजदूर वर्ग व लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा के संघर्ष में बहादुरी से अगुवाई दे रहे हैं;

अपना इंकलाबी अभिवादन भेजते हैं क्यूबा, उत्तरी कोरिया व अन्य देशों की सरकारों व लोगों को, जो वीरता से साम्राज्यवादी घेरे का प्रतिरोध कर रहे हैं और अपनी खुद की अर्थव्यवस्था व राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण के पथ पर बिना हिचकिचाहट के अग्रसर हैं;

अपना इंकलाबी अभिवादन भेजते हैं इराक, अफ़गानिस्तान, फिलिस्तीन व दूसरे देशों के राष्ट्रीय मुक्ति–योद्धाओं को, जो अपने राष्ट्रों की संप्रभुता स्थापित करने के लिये साम्राज्यवादी हमले व कब्ज़े का वीरता से मुकाबला कर रहे हैं;

अपना अभिवादन भेजते हैं वेनेजुऐला, ब्राज़ील, ईरान, मलयेशिया, जिम्बाब्वे व दूसरे सभी देशों के लोगों और सरकारों को, जो अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा कर रहे हैं तथा साम्राज्यवादी जोर–जबरदस्ती का प्रतिरोध कर रही हैं;

अपना इंकलाबी अभिवादन भेजते हैं नेपाल के लोगों को जो अपनी राष्ट्रीय व सामाजिक मुक्ति और अपने संप्रभु के अधिकारों के लिये बहादुरी से संघर्ष कर रहे है;

अपना इंकलाबी अभिवादन भेजते हैं फिलिपींस, कोलम्बिया व दूसरे देशों में राष्ट्रीय व सामाजिक मुक्ति के लिये लड़ रहे बहादुर लोगों को;

अपना इंकलाबी अभिवादन भेजते हैं उन सब संघर्षरत ताकतों को जो वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण व 'वित्तीय संयम' के समाज–विरोधी हमलों के खिलाफ़ और अपने अधिकारों की रक्षा व समाज के हित के कार्यक्रम के लिये सड़कों पर उतरे हैं;

अपना इंकलाबी अभिवादन भेजते हैं उन सभी ताकतों को जो साम्राज्यवादी जंग, जंग की तैयारियों, सैन्यीकरण, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन और राज्यों, राष्ट्रों व लोगों के बीच के मतभेदों के बलपूर्वक समाधान के खिलाफ़ संघर्षरत हैं; और

निर्णय लेते हैं कि विश्वव्यापी स्तर पर, साम्राज्यवाद के मोर्चे के खिलाफ़ लोगों के मोर्चे के हिस्से बतौर, हिन्दोस्तान के जन–आंदोलनों का निर्माण करेंगे और उनको मजबूत करेंगे।

5. दक्षिण एशिया पर

इस बात को समझते हुए कि आज दुनिया के भविष्य के लिए दक्षिण एशिया का भविष्य का बहुत एहमियत रखता है; कि

दक्षिण एशिया के लोग अपने अधिकारों की रक्षा में सबतरफा संघर्ष कर रहे हैं जिसमें सशस्त्र संघर्ष भी शामिल है,

अमरीकी साम्राज्यवाद व दूसरी साम्राज्यवादी ताकतें एशिया को अपने बीच फिर बांटने के लिये जी–तोड़ कोशिश कर रही हैं;

दक्षिण एशिया पर कब्जा करने की साम्राज्यवादी होड़ में हिन्दोस्तान भी शामिल हो गया है;

यह शताब्दी शांति की होगी या जंग की, यह निर्भर है कि गरीबी व शोषण, राष्ट्रीय अधिकार, राजकीय आतंकवाद, राज्यों के बीच झगड़ों और गुटवादी लड़ाईयों की समस्याओं का समाधान लोगों के हित में होता है या नहीं;

हम, 27 से 30 जनवरी 2005, को नयी दिल्ली में हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के तीसरे महाअधिवेशन में इकट्ठे हुये नुमायंदे,

धिक्कारते हैं

दक्षिण एशिया के उन राज्यों व सरकारों को, जो सैनिक माध्यम से साम्राज्यवाद की जकड़ बढ़ाने में सहायक बन रहे हैं,

उन सरकारों को, जो अपने ही लोगों के संघर्ष का दमन कर रही हैं, जैसे कि हिन्दोस्तानी संघ कश्मीर, मणिपुर तथा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में अपना फौजी कब्ज़ा जमाकर लोगों का क्रूर दमन कर रहा है; और

नेपाल, अफग़ानिस्तान जैसी दमनकारी हुकूमतों के लिए हिन्दोस्तानी राज्य के समर्थन को;

मांग करते हैं कि

दक्षिण एशियाई क्षेत्र से सभी विदेशी सैनिक निकल जायें जिनमें खास तौर पर अमरीकी साम्राज्यवाद के सैनिक शामिल हैं; और

निर्णय लेते हैं कि

दक्षिण एशिया के देशों के मजदूर वर्ग व लोगों के आंदोलनों की एकता के लिये काम करेंगे;

संघर्ष की अगुवाई करने वाली पार्टियों व संगठनों के साथ कामकाजी रिश्ता बनायेंगे;

और

सभी साम्राज्यवादी छल–कपट, जंग की तैयारियों, दखलंदाजी और लोगों की संप्रभुता के उल्लंघनों का डटकर विरोध करेंगे; और

हिन्दास्तानी सरमायदारों के सैन्यीकरण व जंग की तैयारी के जरिये, दूसरे लोगों के मामलों में साम्राज्यवादी घुसपैठ व दखलंदाजी करने के जरिये, हिन्दोस्तानी सरमायदारों के एक बड़ी ताकत का ओहदा पाने के मंसूबों के खिलाफ़, हिन्दोस्तानी मजदूर वर्ग व लोगों को लामबंध करेंगे।